संसदीय समिति-प्रथा

(भारतीय संसदीय समितियों
का
विशेष परिचय)

ले
ख
क
हरिगोपाल पराजपे, एम० ए०, विशारद
(अवरसचिव लोक-सभा-सचिवालय)



नई दिल्ली : 1968

प्रथम संस्करण, वर्ष 1968

इस पुस्तक का पुनरीक्षण वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग के अनुसंधान अधिकारी श्री हरि बाबू वाशिष्ठ ने किया है।

प्रकाशक
प्रधान प्रकाशन अधिकारी, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग,
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित

मुद्रक : सत्साहित्य केन्द्र प्रिन्टर्स, 173 डी, कमलानगर, दिल्ली–7 द्वारा मुद्रित

प्राक्कथन

संसदीय प्रक्रिया में समितियों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। संसदीय प्रक्रिया पर इधर कुछ पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं, पर केवल संसदीय समिति व्यवस्था पर अभी तक कोई पुस्तक नहीं है। इसी कमी को पूरा करने के लिए मैंने यह पुस्तक लिखी है।

पुस्तक का उद्देश्य, राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों को संसद् की इस महत्त्वपूर्ण व्यवस्था के बारे में बतलाना है। अतएव पुस्तक में सैद्धान्तिक चर्चा के साथ-साथ विभिन्न समितियों के उदाहरण दिए गए हैं, ताकि पाठक उन सिद्धान्तों को अच्छी तरह समझ सकें।

समितियों की उपादेयता, उनके विभिन्न प्रकार व उनकी कार्य-प्रणाली इन तीन सैद्धान्तिक विषयों के अतिरिक्त कुछ खास देशों की समिति-प्रथाओं का परिचय देना मैंने आवश्यक समझा, ताकि हम अपनी संसदीय समितियों को उचित दृष्टिकोण से देख सकें। पुस्तक मुख्यतः भारतीय पाठकों के लिए लिखी गई है, अतएव भारतीय लोक-सभा की समितियों की विस्तार से चर्चा की गई है।

आशा है, पुस्तक राजनीति के विद्यार्थियों तथा संसद्-सदस्यों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

हरि गोपाल परांजपे

एम० ए०, विशारद

विषय-सूची

अनुक्रम

परिशिष्ट

अध्याय 1

संसदीय कार्य-विधि

संसदीय कार्य-विधि का क्षेत्र बड़ा व्यापक है, किन्तु उसके अन्तर्गत वे पद्धतियाँ मुख्यरूप से आती हैं, जिनके द्वारा विधान-मण्डल के विभिन्न कार्य चलाए जाते हैं। कार्य-विधि सर्वप्रथम वैधानिक व्यवस्था पर आधारित होती है, अर्थात् इस बात पर निर्भर होती है कि संसद् का कार्यपालिका से क्या सम्बन्ध है। निस्सन्देह, कार्य-विधि की भिन्नता के कई अन्य कारण भी बताए जा सकते हैं। जिनमें कुछ कारण सार्वोगिक अथवा देश विशेष के हैं। वस्तुत कार्य-विधि पर जिस बात का स्पष्ट रूप से प्रभाव पड़ता है, वह है संविधान के अनुसार सदस्यों और कार्यपालिका के आपसी सम्बन्ध। उदाहरणार्थ, स०रा० अमरीका मे, जहाँ विधानमण्डल और कार्यपालिका की शक्तियाँ पूर्णतया विभाजित हैं, कांग्रेस की कार्य-विधि, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कामन्स की काय विधि से मूलत भिन्न है। संसदीय कार्य-विधि इसी संवैधानिक ढाँचे के अनुरूप हुआ करती है। यह भी उल्लखनीय है कि जिन देशो का संविधान लिखित नही है, उनमे भी संसदीय कार्य-विधि लिखित पायी जाती है। इसका यह अर्थ नही कि कार्य विधि का प्रत्येक विवरण संहिताबद्ध किया हुआ हो। बहुत सी परम्पराएँ भी हुआ करती हैं। संसदीय कार्य-विधि का निर्माण जिन बातों से हुआ है, वे निम्न हैं —

(1) संविधान ; (2) विधि ; (उदाहरणार्थ ब्रिटेन का संसद् अधिनियम, 1911, स० रा० अमरीका का विधान-मण्डल-पुनर्गठन-अधिनियम, 1946), (3) स्थायी आदेश अथवा प्रक्रिया के नियम; (4) अध्यक्ष के निर्णय, और (5) व्यवहार और परम्परा।

समस्त संसदीय कार्य-विधि पर निम्नलिखित 7 शीर्षकों के अन्तर्गत विचार किया जा सकता है :—

1 कार्य संचालन और चर्चा के नियम;

2 प्रश्नो से सम्बन्धित कार्य विधि;

3. प्रस्तावों और सकल्पो सम्बन्धी कार्य-विधि;

4 विधान सम्बन्धी कार्य विधि;

5. वित्तीय मामलो सम्बन्धी कार्य-विधि;

6 विधान-मण्डल के नियन्त्रण-कार्यो सम्बन्धी कार्य-विधि; और

7 समितियो की कार्य-विधि ।

समितियो की कार्य-विधि, शेष 6 अध्यायों मे विस्तार से बतलाई गई है, अत इस अध्याय मे उनके बारे मे चर्चा नही की गई है ।

कार्य-संचालन और चर्चा के नियम

(क) विधान मण्डलों का सत्र[1]

ससद् की बैठक और उसका कार्य होने की मोटे तौर पर दो पद्धतियां हैं–पहली-जहां राजा अथवा राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाने पर ही विधान-मण्डलो के सत्र हुआ करते है, दूसरी-जहां विधान-मण्डल का सत्र स्थायी रूप से चलता है, यथा जर्मनी मे । पहली पद्धति के अन्तर्गत, यद्यपि ससद् की बैठक बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को हुआ करता है, फिर भी बहुत से देशो मे सविधान अथवा अधिनियमो मे यह निर्धारित किया गया है कि विधान-मण्डल के पहले सत्र के पश्चात् किसी निश्चित अवधि मे, दूसरा सत्र बुलाया जाना चाहिए । इसी प्रकार कुछ देशो के सविधान मे सत्र के आरम्भ होने का दिनाक, उसकी अवधि अथवा एक सत्र से आगामी सत्र के बीच की अवधि[2] निर्धारित है ; भारत तथा राष्ट्र-मण्डलीय

1. आयरलैण्ड और इटली मे ससदीय अवधि को सत्रो मे नही बांटा जाता ।

2. साधारणतया अधिक पुराने यूरोपीय लोकतन्त्रो मे, ससद् का सत्र कम से कम [illegible] महीने चलता है, जिसका तात्पर्य है कि यदि सरकारी छुट्टियो और ससद् के ग्रीष्मावकाश को छोड दिया जाए तो ससद् का सत्र लगभग स्थायी रूप से ही चलता है । स्विट्ज़रलैंड और भारत मे सत्रो की अवधि कम है । रूस और पूर्वी यूरोपीय देशो मे ससद् के सत्रो की अवधि बहुत ही कम होती है ।

देशों में, विधान मण्डलों की पहिली बैठक का प्रत्येक वर्ष विशेष कार्य (जैसे, वार्षिक वित्तीय विवरण को पारित करना आदि) के लिए बुलाया जाना अनिवार्य है। इस सत्र में, राजा अथवा राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। इसी प्रकार, डेनमार्क, नीदरलैंड, आस्ट्रेलिया आदि बहुत-से देशों में नए विधान-मण्डलों के गठित होने पर, इनके पहिले सत्र में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है।

वस्तुत. जिसे विधान-मण्डलों के सत्र करवाने का अधिकार होता है, उसे ही सत्रावसान करने का अधिकार होता है। फिर भी सभी देशों में, विधान-मण्डलों के सत्रों की अवधि के बारे में कुछ विशेष परम्पराएँ बन गई है, जिनका साधारण परिस्थितियों में अवश्य पालन किया जाता है। उदाहरणार्थ प्रति वर्ष भारतीय संसद् के 3 सत्र होते हैं, जैसे (1) बजट-सत्र, 15 फरवरी से 10 मई तक : (2) वर्षाकालीन सत्र, 15 अगस्त से सितम्बर के अंत तक : (3) शरद् कालीन सत्र; 15 नवम्बर 25 दिसम्बर तक। सत्रावसान के अतिरिक्त विधान-मण्डलों का काम बन्द होने के दो और प्रकार हैं स्थगन और विघटन। स्थगन प्रतिदिन की कार्यवाही की समाप्ति को कहते हैं। एक बार विधान-मण्डल का सत्र आरम्भ होने पर उसका स्थगन स्वयं सदन के अधिकार की बात है। विशेष प्रयोजनों के लिए यह अधिकार अध्यक्ष को प्रदत्त होता है। विधान-मण्डल का विघटन आम चुनावों के समय किया जाता है।

(ख) कार्य-विन्यास

विधान-मण्डल की कार्यवाही दो श्रेणियों में बाँटी गई है—सरकारी और गैर सरकारी। ब्रिटेन की पद्धति का अनुसरण करनेवाले देशों में सत्र का अधिकांश समय सरकारी कार्यों के लिए होता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि सरकारी कार्य के दिन गैर-सरकारी सदस्यों को चर्चा करने का कोई अवसर नहीं मिलता। प्रतिदिन प्रश्नोत्तर काल में (जिसका विस्तृत वर्णन आगे किया गया है) गैर-सरकारी सदस्यों को सरकारी नीति से सम्बन्धित किसी भी विषय पर प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाती है। इसी प्रकार गैर-सरकारी सदस्य स्थगन-प्रस्ताव और विशेष चर्चा के प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। ब्रिटेन में प्रति सप्ताह एक दिन गैर-सरकारी सदस्यों के लिए निर्धारित किया जाता है। भारत में भी, लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-सचालन सम्बन्धी नियमों के अनुसार, प्रति सप्ताह एक दिन गैर सरकारी सदस्यों के लिए रखा जाता है।

जहां तक सरकारी कार्यो का सम्बन्ध है, अधिकाश देशो मे यह प्रथा है कि सत्र[1] मे जिन कार्यों पर विचार होना हो, उन्हे मोटे तौर पर पहले ही निश्चित कर लिया जाता है। कार्यों का पूरा विवरण साप्ताहिक कार्यक्रम के रूप मे दिया जाता है।

अधिकाश विधान-मण्डलों मे कार्यों का नित्यक्रम साधारणतया इस प्रकार होता है :—

पहले प्रश्नोत्तर–काल[2] आता है और उसके पश्चात् महत्त्वपूर्ण दस्तावेजो को प्रस्तुत करना, फिर यदि कोई स्थगन-प्रस्ताव हो, तो रखा जाता है। इसके पश्चात् विधान कार्य और फिर अंत मे कोई विशेष चर्चा होती है। दैनिक कार्य-सूची (जिसे ब्रिटेन मे "आर्डर पेपर" कहते हैं) सदस्यो को एक-दो दिन पहले ही बांट दी जाती है और उस दिन सूची के अलावा किसी दूसरे कार्य पर पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना विचार नही किया जाता। भारतीय ससद् और राज्य विधान-सभाओ के कार्य-सचालन सम्बन्धी नियमो मे, कार्य-मत्रणा-समिति के गठन की भी व्यवस्था है, जिसका विस्तृत वर्णन आगे दिया गया है और ये समितियां प्रत्येक सत्र मे प्रत्येक कार्य के लिए कितना समय दिया जाना चाहिए, यह निर्धारित करती हैं।

(ग) चर्चा के नियम :

चर्चा के सचालन (अर्थात् बहस करवाने) की दो मुख्य प्रथाएँ हैं (क) ब्रिटेन की, और (ख) फ्रास की। राष्ट्र-मण्डल के देशो तथा अन्य कई देशो मे ब्रिटेन की प्रथा अपनाई गई है, जिसके अनुसार विधेयक प्रस्ताव अथवा सकल्प पर ही चर्चा आरम्भ की जा सकती है और अध्यक्ष सदन से मतदान के लिए पूछकर चर्चा समाप्त

1. अमरीकी परम्परा के अनुसार विधान-मण्डल का कार्यक्रम पूरे सत्र के लिए तैयार नही किया जाता। वहाँ साप्ताहिक कार्यक्रम निर्धारित करने की प्रथा है—जो इस बात को ध्यान मे रखकर किया जाता है कि समितियो के कितने प्रतिवेदन प्रस्तुत होंगे और "कैलेंडर" के अनुसार उन्हे कितना समय मिलेगा।

2. ब्रिटेन मे प्रश्नोत्तर-काल सप्ताह के सब दिनो मे नहीं होता, बल्कि कुछ ही दिनों तक सीमित रहता है।

करता है। इसके विपरीत फ्रांस की प्रथा के अनुसार किसी विशेष प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की जाती, किन्तु वह बहुत कुछ सामान्य रूप से होती है। बहुत-सी संसदों में, विशेष रूप से, ब्रिटेन का अनुसरण करनेवाली संसदों में, इस सम्बन्ध के विस्तृत नियम निश्चित किए गए हैं कि चर्चा का संचालन किस प्रकार किया जाएगा। उदाहरणार्थ, केवल वही व्यक्ति बोल सकता है, जिसे पीठासीन अधिकारी ने बोलने के लिए कहा हो। बोलते समय सदस्यों के लिए आवश्यक है कि वे अध्यक्ष अथवा पूरे सदन को सम्बोधन करें, न कि किसी विशेष सदस्य को। इसी प्रकार भाषणों का क्रम भी विधान-मण्डल द्वारा निश्चित किया जाता है। बहुत से यूरोपीय विधान-मण्डलों में, प्रत्येक चर्चा के लिए एक सरकारी वक्ता-सूची, जिसे "बोलनेवालों की पुस्तक" कहते हैं, होती है जिसमें बोलने वाले अपना नाम लिखते हैं और अध्यक्ष बोलने के लिए सदस्यों को उसी क्रम में बुलाता है, जिस क्रम में उनके नाम लिखे होते हैं। कई संसदों में, मंत्रियों को यह अधिकार है कि जब भी वे किसी चर्चा के बीच में बोलना चाहें, बोल सकते हैं। प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्त्ता को चर्चा का उत्तर देने का भी अधिकार होता है।

नियम और परम्परा के अनुसार भाषण के विषय और भाषा पर भी पूरा बल दिया जाता है। ब्रिटेन में, हाउस ऑफ कामन्स और हाउस ऑफ लार्ड्स दोनों में आपत्तिजनक शब्द कहने पर सदस्यों को दण्ड दिया है। आदर सूचक भाषा पर इतना बल दिया गया है कि "असंसदीय अभिव्यक्तियों" के नाम से कई अभिव्यक्तियाँ प्रचलित हैं। भारतीय संसद में चर्चा के समय जो कुछ बातें वर्जित हैं, उनमें निम्न उल्लेखनीय हैं —

(1) अध्यक्ष पर दोषारोपण अथवा उसकी आलोचना,

(2) भारत सरकार का जिन विषयों से सम्बन्ध नहीं है, उन विषयों पर चर्चा तथा

(3) न्यायालय के विचाराधीन मामलों पर चर्चा।

चर्चा के लिए समय निर्धारित होने तथा लम्बी चर्चा पर प्रतिबन्ध होने के बावजूद कभी-कभी समय कम बचता है और चर्चा का समय कम करने की आवश्यकता होती है। इसलिए, बहुत से विधान-मण्डलों ने 'समापन' की प्रथा अपनाई है। तीन प्रकार के 'समापन' प्रचलित हैं—एक सामान्य समापन, दूसरा विवाद-बन्ध (गिलोटिन) और तीसरा 'कंगारू'-समापन। सामान्य समापन चर्चा पर

लागू होता है और विवाद-बन्ध बहुत से दूसरे देशो (जैसे नीदरलैंड, इटली, आदि) के समान भारत में विधेयकों पर लागू होता है । 'कंगारू'-समापन ब्रिटेन की विशेषता है । 'समापन' का दुरुपयोग न किया जा सके, इसके लिए बहुत से विधान-मण्डलों में बहुमत को 'समापन' का प्रस्ताव रखने की अनुमति नहीं है। यह अधिकार अध्यक्ष को दिया गया है अथवा ऐसा प्रस्ताव निश्चित संख्या के सदस्यों द्वारा ही पेश किया जाता है।

जब प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त हो जाती है, तब पीठासीन अधिकारी सदन से मतदान के लिए पूछता है। इस समय जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में होते हैं, वे "हाँ" और जो विपक्ष में होते हैं, वे "नहीं" कहते हैं। इसके पश्चात् पीठासीन अधिकारी पक्ष और विपक्ष में मत देनेवाले सदस्यों की संख्या का अनुमान लगाता है। पीठासीन अधिकारी के अनुमान को चुनौती दी जा सकती है और जब यह परिस्थिति उत्पन्न होती है, तब मत-गणना कराई जाती है, जिसे "विभाजन" कहते हैं। स्वीडेन, फिनलैंड इत्यादि कुछ विधान-मण्डलों में, बिजली से चलनेवाली मतदान-मशीन से वास्तविक मतदान का हिसाब लगाया जाता है, जहाँ ऐसी मशीनें नहीं हैं, वहाँ पृथक् मतदान-कक्ष हैं जिन्हें "पक्ष-कक्ष" और "विपक्ष-कक्ष" कहा जाता है, जहाँ सदस्य एकत्रित होते हैं। दोनों कक्षों में सदस्यों की गणना एक अधिकारी करता है और दूसरा लिखता है, जिन्हें क्रमशः "गणक" और "लिपिक" कहा जाता है। भारत में 9 वर्ष से स्वचालित मतदान की व्यवस्था प्रयोग में है, किन्तु ब्रिटेन के हाउस ऑफ कामन्स में अभी भी कक्षों में मत गिनने की प्रथा का अनुसरण किया जाता है। यदि विभाजन में पक्ष और विपक्ष के मत बराबर हों तो पीठासीन अधिकारी को अपना निर्णायक मत देना पड़ता है।

साधारणतः विधान मण्डलों में होनेवाली चर्चा देखने के लिए दर्शकों को अनुमति दी जाती है, किन्तु कई अवसरों पर विधान-मण्डलों को अधिकार है कि वे अपना मत गुप्त रूप से करें।

यूरोपीय विधान-मण्डलों के सत्र अनेक अवसरों पर गुप्त तौर पर हुए हैं। भारत में अभी तक ऐसा कोई अवसर नहीं आया है।

प्रश्न

अमरीका जैसे देशों के (जहाँ शक्तियों का पूर्ण विभाजन है) कार्यपालिका को

छोड़कर, शेष सभी देशों में कार्यपालिका विधान-मण्डल के प्रति उत्तरदायी होती है। ऐसे विधान-मण्डलों में यह व्यवस्था है कि सदस्य, मंत्री से प्रश्न पूछकर उसके विभाग के प्रशासन और नीति के बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। बेल्जियम, डेनमार्क आदि जैसे कुछ थोड़े-से विधान-मण्डलों में प्रश्नों से कुछ भिन्न 'इन्टरप्रेटेशन' अर्थात् स्पष्टीकरण नामक प्रथा प्रचलित है। 'स्पष्टीकरण' के लिए पीठासीन अधिकारी के माध्यम से मंत्री से प्रार्थना की जाती है कि वह उन मामलों के सम्बन्ध में मौखिक स्पष्टीकरण दे, जिन के लिए वह उत्तरदायी है। स्पष्टीकरण के परिणामस्वरूप चर्चा आरम्भ हो जाती है, परन्तु प्रश्नों के आधार पर चर्चा आरम्भ नहीं की जा सकती। स्वीडन, नीदरलैंड और फ्रांस के विधान-मण्डलों में स्पष्टीकरण प्रथा का बहुत प्रयोग किया जाता है।

साधारणतः प्रश्नोत्तर का समय बड़ा ही रोचक समझा जाता है। जिसके लिए लोगों में बड़ी उत्सुकता रहती है और सदन में सदस्यों की उपस्थिति भी अधिक होती है। प्रश्न पूछने का प्रत्यक्ष उद्देश्य सूचना प्राप्त करना है, किन्तु उसका उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिए भी किया जाता है, जैसे, दुरुपयोग को प्रकाश में लाना, शिकायतों को रखना, आश्वासन प्राप्त करना और सरकार के लिए उलझन उत्पन्न करना। भारत में प्रश्न पूछने का विशेषाधिकार विधान सभा के सदस्यों को अंग्रेजी राज्य में बहुत देर से और क्रमशः में दिया गया। अब लोक-सभा के सदस्यों को प्रश्न पूछने के लिए उतनी ही स्वतन्त्रता प्राप्त है, जितनी किसी अन्य स्वतंत्र विधान-मण्डल के सदस्यों को है।

(क) प्रश्नों के प्रकार :

मुख्य रूप से प्रश्न दो प्रकार के होते हैं—(1) तारांकित प्रश्न अर्थात् जिनका

---

1. व्हीयरे ने लिखा है, "प्रश्नों का पूछा जाना इतना लोकप्रिय है कि सदस्य द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या पर प्रतिबंध है। इन प्रतिबन्धों के बावजूद विरले ही सभी मौखिक प्रश्नों के उत्तर देना सम्भव हो पाता है। हाउस ऑफ कॉमंस के सामान्य सत्र में वर्ष भर में 11,000 प्रश्न मौखिक उत्तर के लिए सूची में प्रकाशित होते हैं, पर उनमें केवल 5,000 प्रश्नों का वास्तविक उत्तर दिया जाता है, (देखिए व्हीयरे —"लैजिस्लैचर")

मौखिक उत्तर दिया जाता है; और (2) अतारांकित प्रश्न अर्थात् जिनका उत्तर लिखित दिया जाता है। प्रश्नों के लिए कम समय होने के कारण साधारणतः मौखिक उत्तर के लिए प्रश्नों की संख्या सीमित रखी जाती है, उदाहरणार्थ लोक-सभा के कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों में व्यवस्था है कि मौखिक उत्तर के लिए प्रतिदिन प्रति सदस्य को केवल तीन प्रश्नों के लिए अनुमति मिल सकती है। बेल्जियम में अविलम्बनीय मामलों में ही मौखिक प्रश्नों के लिए अनुमति दी जा सकती है, किन्तु नीदरलैंड और फिनलैंड में यह मन्त्री की इच्छा पर है कि वह जैसा चाहे, मौखिक अथवा लिखित उत्तर दे। पीठासीन अधिकारी के माध्यम से प्रश्न पूछे जाते हैं और "अल्पसूचना-प्रश्न" के उत्तर को छोड़कर, अन्य प्रश्नों के उत्तर के लिए पहले से सूचना देना आवश्यक होता है। लोक-सभा में यह नियम है कि प्रश्नों की सूचना 10 दिन पहले दी जानी चाहिए।

(ख) प्रश्नों की ग्राह्यता :

अधिकांश विधान-मण्डलों में प्रश्नों की ग्राह्यता के नियम निश्चित हैं। उदाहरणार्थ, भारत की लोक-सभा में व्यवस्था है कि प्रश्न में—

(1) 150 से अधिक शब्द न होंगे;

(2) किसी ऐसे व्यक्ति के चरित्र अथवा आचरण पर अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती, जिसके आचरण पर मूल प्रस्ताव के द्वारा ही आपत्ति की जा सकती हो;

(3) उसमें तुच्छ विषयों पर जानकारी नहीं मांगी जाएगी; और

(4) ऐसी सूचना न पूछी जाए, जो गुप्त कागज-पत्रों आदि में दी गई हो।

अध्यक्ष इस बात का निर्णय करता है कि क्या प्रश्न ठीक अथवा ग्राह्य है और उसके विचार से यदि कभी प्रश्न पूछने के अधिकार का दुरुपयोग होता दिखाई दे तो वह स्वीकृति नहीं देता। जिन प्रश्नों के लिए स्वीकृति दी जाती है, उन्हें प्रश्नों की सूची में प्रकाशित किया जाता है, जो सदस्यों को पहले से ही बाँट दी जाती है।

(ग) अनुपूरक और अल्प-सूचना प्रश्न :

किसी प्रश्न का मौखिक उत्तर दिए जाने के बाद सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, जिन्हें पूछने का उद्देश्य और अधिक जानकारी प्राप्त करना होता है। लोक-

सभा मे एक सदस्य को एक बार एक अनुपूरक प्रश्न के लिए अनुमति दी जाती है। प्रश्नकर्ता के सिवाय अन्य सदस्य भी अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते है।

कुछ परिस्थितियो मे प्रश्न पूछने की पूर्व सूचना देने की सामान्य अवधि कम की जा सकती है और ऐसी परिस्थिति मे पूछे गए प्रश्नो को 'अल्प-सूचना-प्रश्न' कहा जाता है। अल्प-सूचना प्रश्न स्वीकार करने से पहले उस मन्त्री की सहमति प्राप्त की जाती है, जिससे प्रश्न पूछा गया है। अल्प-सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहमत हो जाने पर मत्री यह बताता है कि किस दिन उत्तर देना सम्भव है, और फिर उस दिन उत्तर देने के लिए अल्प-सूचना प्रश्न रखा जाता है।

(घ) आधे घंटे की चर्चा :

यदि प्रश्नो के उत्तर प्रश्नकर्ता को सतोषजनक न प्रतीत हो तो उस विषय पर चर्चा की जा सकती है। लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-सचालन सम्बन्धी नियमो मे यह व्यवस्था है कि हाल ही मे पूछे गए अत्यन्त लोक-महत्व के विषय पर आधे घटे की चर्चा की जा सकती है। आधे घटे की चर्चा पर सामान्य रूप से प्रश्न की ग्राह्यता के नियम लागू होते हैं। चर्चा के बाद विधिवत् कोई प्रस्ताव नही रखा जाता। इस तरफ की विशेष चर्चा की प्रथा का अनुसरण कुछ अन्य विधान-मण्डलो मे भी किया जाता है।

प्रस्ताव और सकल्प

'प्रस्ताव' एक ससदीय शब्द है। साधारण भाषा मे इसका अर्थ विधिवत् रखा गया सुझाव है। किसी बात पर सदन का निर्णय अथवा मत मालूम करना हो तो उसे सदन के समक्ष प्रस्ताव के रूप मे प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए पूर्व सूचना[1] और पीठासीन अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक होती है। प्रस्ताव की ग्राह्यता के सम्बन्ध मे कुछ सामान्य नियम है और कुछ ऐसे नियम भी हैं जो विशेष प्रकार के प्रस्तावो पर लागू होते हैं। अधिकाश विधान-मण्डलो मे सामान्य रूप से, निम्नलिखित नियमो का अधिकतर अनुसरण किया जाता है।

---

1. लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य सचालन सम्बन्धी नियमो मे 'नो डे यट नेम्ड मोशन' अर्थात् 'अनियत दिनवाले प्रस्ताव' नामक प्रस्तावो की एक श्रेणी है। ये वे प्रस्ताव होते हैं, जो अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत तो होते हैं, परन्तु जिसके लिए कोई दिन नियत नही होता।

(1) प्रस्ताव द्वारा ऐसे विषय पर चर्चा नही की जाएगी, जिस पर उसी सत्र मे चर्चा की जा चुकी हो।

(2) प्रस्ताव मे उस विषय की पूर्वाशा न की जाएगी, जो विचार के लिए पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका हो।

इन नियमो का दुरुपयोग रोकने के लिए पीठासीन अधिकारी को, इस बात की सभावना पर ध्यान रखना पड़ता है कि प्रस्ताव मे अन्तर्हित बात सदन के समक्ष अन्यथा तो नही आनेवाली है। प्रस्ताव को कोई सदस्य अथवा स्वय पीठासीन अधिकारी भी प्रस्तुत कर सकता है। एक बार प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने पर वह सदन की आज्ञा से ही वापिस लिया जा सकता है। यदि प्रस्ताव के सम्बन्ध मे कोई सशोधन रखा गया हो तो उस पर पहले विचार किया जाता है।

(क) विशेष प्रकार के प्रस्ताव :

जैसाकि पहले बताया गया है कुछ विशेष प्रकार के प्रस्तावो के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। भारत मे प्रचलित विशेष प्रकार के प्रस्ताव ये हैं :— (1) धन्यवाद का प्रस्ताव ; (2) मन्त्रि-परिषद् के विरुद्ध अविश्वास-प्रस्ताव ; और (3) अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास-प्रस्ताव। राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा सत्र का उद्घाटन किए जाने के पश्चात्, विधान-मण्डल मे अभिभाषण देने के लिए उसके प्रति धन्यवाद देने की प्रथा है। यह प्रस्ताव सरकारी दल के सदस्य प्रस्तुत करते है और वे उसका अनुमोदन भी करते हैं। प्रस्ताव मान्य हो जाने के पश्चात् अभिभाषण प्रकाशित किया जाता है और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल को भेजा जाता है। मन्त्रियो मे अविश्वास के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति, यदि सदन दे तो उसे कोई भी सदस्य प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे प्रस्तावो के विषय मे लोक-सभा मे यह नियम है कि अनुमति तभी दी जा सकती है, जबकि 50 सदस्य सदन मे उसके पक्ष मे हो। अनुमति के बाद निश्चित दिन पर प्रस्ताव पर बहस होती है भारतीय सविधान मे व्यवस्था है कि यदि कुछ शर्तें पूरी हो जाएँ तो सदन के सकल्प के लिए 14 दिन पहले सूचना देना आवश्यक है। ऐसे प्रस्तावो की अनुमति भी स्वय सदन द्वारा दी जाती है और यह आवश्यक होता है कि कम से कम पचास सदस्य उसके पक्ष मे हो।

(ख) स्थगन-प्रस्ताव :

विविध विषयो पर चर्चा करने के लिए स्थगन-प्रस्ताव के प्रयोग का प्रारम्भ

किस प्रकार हुआ, यह अस्पष्ट है। किन्तु ऐसे प्रस्तावों का मुख्य उद्देश्य यह है कि सदन की बैठक स्थगित होने के पहले सदस्यों को अपने चुनाव क्षेत्र की शिकायतों को प्रस्तुत करने का अवसर मिले। एर्स्काइन मे ने लिखा है कि "वास्तव में स्थगन-प्रस्ताव का पेश किया जाना एक ऐसी औपचारिक विधि है, जिसका मूल उद्देश्य सदन में विषयों की चर्चा, पूर्व निश्चय के बिना किया जाना है।" यद्यपि कुछ विधान-मण्डलों में प्रतिदिन सामान्य कार्यवाही को स्थगित करने के लिए भी स्थगन-प्रस्ताव रखा जाता है, तथापि भारत में इसका प्रयोग[1] केवल अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की चर्चा करने के लिए किया जाता है। भारत में स्थगन-प्रस्ताव स्वीकार करने के निम्नलिखित नियम हैं —

(1) प्रस्ताव का विषय आवश्यक होना चाहिए।

(2) उसमें सामान्य न्याय-प्रशासन की बात न हो।

(3) विषय में ऐसी कोई बात न हो, जिसे कार्य-संचालन के नियमों के अनुसार किसी अन्य प्रकार से उठाया जा सके।

(4) विषय का आधार ऐसे तथ्य न हों, जो विवादास्पद हों।

यह भी उल्लेखनीय है कि स्थगन प्रस्ताव केवल पीठासीन अधिकारी की सहमति से सदन में रखा जा सकता है।

(ग) संकल्प :

जब किन्हीं विषयों पर विधान-मण्डल की सिफारिश प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव रखा जाता है तो उसे संकल्प कहते हैं। कुछ विधान मण्डलों में इससे कुछ भिन्न 'आदेश' की प्रथा प्रचलित है। उदाहरणार्थ, ब्रिटेन में हाउस ऑफ कामन्स निर्देश देने के लिए आदेश जारी करते हैं, जबकि संकल्प द्वारा वह केवल अपना मत और उद्देश्य प्रकट करता है। भारत में, केवल संकल्पों की प्रथा प्रचलित है। संकल्प किसी विषय पर प्रस्तुत किया जा सकता है। वह विषय ऐसा न होना

---

1. यूरोपीय देशों के विधान-मण्डलों में स्थगन प्रस्ताव का उपयोग सरकार की आलोचना के लिए नहीं किया जाता, पर आयरलैंड व राष्ट्र मण्डल के देशों में स्थगन प्रस्ताव का इस प्रकार प्रयोग किया जाना साधारण बात है।

चाहिए, जिससे सरकार का कोई सम्बन्ध न हो। संकल्प में निश्चित प्रश्न उठाना जरूरी होता है। ऐसे संकल्प स्वीकार नही किए जाते, जिनमें किसी अधिनियम में संशोधन करने की सिफारिश हो। संकल्प की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिससे सभा का मत स्पष्ट हो, जैसे :—"इस सभा का मत है कि······"। कुछ विधान-मण्डलों के नियमों में यह भी व्यवस्था है कि संकल्प रखे जाने के पहले मन्त्री यह आपत्ति कर सकता है कि उस पर चर्चा करने से जन-हित को हानि हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में संकल्प स्वीकार नही किया जाता।

विधान

विधान-मण्डलों का प्रमुख काम विधि निर्माण है। विधि-निर्माण सम्बन्धी प्रक्रिया मुख्यतः दो प्रकार की होती है।

(1) विधेयक पर मुख्यतः विधान-मण्डल में विचार किया जाता है और कभी-कभी प्रवर समिति की नियुक्ति की जाती है; और

(2) विधेयकों पर समिति में विचार होता है और सदन केवल अपनी अन्तिम अनुमति देता है।

पहली प्रकार की व्यवस्था में सदन मुख्य रूप से काम करता है और दूसरी व्यवस्था में समितियाँ। पहली रीति का नमूना ब्रिटेन की प्रथा और दूसरी का नमूना फ्रांस और अमरीकी प्रथाएँ हैं। अमरीकी प्रथा में एक और भी अन्तर है। वहाँ न केवल विधेयकों पर समितियाँ पहले विचार करती हैं, किन्तु विधायी कार्यक्रम (अर्थात् कौनसे विधेयक कब प्रस्तुत किए जायेंगे) का निर्णय भी कांग्रेस नही करती, बल्कि एक तरह की समिति करती है, जिसमें विधान-मण्डल के नेता होते हैं। दूसरे राष्ट्रमण्डलीय देशों के समान, भारत में भी ब्रिटेन की प्रथा का अनुसरण किया जाता है।

(क) विधेयकों का पुरःस्थापन और प्रकाशन :

विधान-मण्डल के किसी एक सदन में, विधेयक के पुरःस्थापन के साथ विधान की प्रक्रिया आरम्भ होती है। उसे मंत्री अथवा गैर-सरकारी सदस्य प्रस्तुत कर सकता है। मन्त्री द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक को सरकारी विधेयक और गैर-सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयकों को, गैर-सरकारी सदस्यों का

विधेयक कहते हैं । विधेयक को पुर स्थापित करने की अनुमति सदन से प्राप्त करना आवश्यक है । इस क्रिया को विधेयक का 'प्रथम वाचन' कहते हैं। विधेयक प्रस्तुत हो जाने के पश्चात् सरकारी गजट मे छापा जाता है, किन्तु कभी-कभी अध्यक्ष के आदेश से विधेयक प्रस्तुत होने के पहले भी छापा जा सकता है। ऐसी परिस्थितियो मे सदन मे विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नही होता और उसे स्वीकृति के बिना प्रस्तुत कर दिया जाता है। प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की सूचना के साथ उसके उद्देश्यो और कारणो का विवरण देना आवश्यक होता है। भारतीय ससद् मे दो और विवरण देने पडने हैं :—

(1) यदि विधेयक के कारण व्यय होता हो तो सम्बन्धित धाराओ की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए, वित्तीय ज्ञापन जिसमे आवर्तक और अनावर्तक व्यय का अनुमान हो, क्योकि उसके कारण विधायी अधिकार देने का प्रस्ताव करना पडता है, और

(2) ऐसे ज्ञापन, जिनमे प्रस्तावो का स्पष्टीकरण हो, उनके अभिप्राय की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह बताना होता है कि वे साधारण है अथवा असाधारण। अमरीका जैसे देशो मे, सरकार को विधान प्रस्तुत करने का अधिकार नही है। केवल कांग्रेस के सदस्यो को औपचारिक रूप से विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार है।

(ख) पुरःस्थापन के पश्चात् प्रस्ताव :

विधेयक प्रस्तुत हो जाने के बाद निम्न 3 प्रस्तावों मे से कोई एक प्रस्ताव रखा जा सकता है :—

(1) जनमत का पता लगाने के लिए विधेयक को जनता मे परिचालित किया जाए ;

(2) विधेयक प्रवर समिति अथवा दोनो सदनों की संयुक्त प्रवर समिति अथवा पूरे सदन की समिति को सौंपा जाए ; अथवा

(3) विधेयक पर विचार किया जाए।

जब उपर्युक्त प्रस्तावो मे से कोई एक प्रस्ताव रखा जाता है, तब विधेयक के सामान्य उद्देश्यों पर ही चर्चा होती है। जनमत प्राप्त करने के लिए जब विधेयक प्रकाशित किया जाता है, तब राज्य सरकारों की मार्फत जनमत की सूचना प्राप्त

की जाती है। जनमत की सूचना प्राप्त हो जाने के पश्चात् यह आवश्यक है कि विधेयक प्रवर समिति अथवा संयुक्त समिति को सौंपा जाए। नेमी संशोधक विधेयकों पर सामान्यतः सीधा विचार आरम्भ किया जाता है।

(ग) समितियों द्वारा विचार :

जैसा आगे के अध्यायों में विस्तार से स्पष्ट किया गया है, ब्रिटेन में कुछ स्थाई समितियाँ हैं, जिन्हें विषय के अनुसार विधेयक सौंपे जाते हैं। इस विधि के निम्न अपवाद हैं :—

(क) कर लगाने वाले अधिनियम अथवा समेकित निधि व विनियोजन विधेयक ;

(ख) संविधानी महत्व के प्रथम श्रेणी के विधेयक ;

(ग) ऐसे विधेयक, जिन्हें शीघ्रता से पारित करना आवश्यक हो ;

(घ) एक खण्ड वाला विधेयक, जिसकी समिति द्वारा विस्तृत जाँच आवश्यक न हो। (गैलोवे ; पृ० 23)

भारत में जब भी कोई विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाता है, एक पृथक् प्रवर समिति नियुक्त की जाती है। कभी-कभी विधेयक दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को सौंपे जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रवर समिति की नियुक्ति के प्रस्ताव के साथ-साथ यह भी प्रस्ताव रखा जाता है कि दूसरे सदन से यह निवेदन किया जाए कि वह उक्त समिति के लिए कुछ सदस्यों का नाम निर्देशित करे। जिन देशों में फ्रांस जैसी प्रथा प्रचलित है, वहाँ विधेयक को विशेष रूप से समिति को सौंपना नहीं पड़ता है। प्रत्येक विधेयक अपने आप किसी एक स्थाई समिति को सौंप दिया जाता है। ये समितियाँ, जैसे चाहे संशोधन करती हैं और विधयक सम्बन्धी प्रतिवेदन लिखने के लिए एक "रिपोर्टर" अर्थात् प्रतिवेदक नियुक्त करती है, जो सदन में प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है और विधेयक का वहाँ प्रतिवाद भी करता है। समिति को अपना प्रतिवेदन 3 महीनों की अवधि में देना पड़ता है। आयरलैंड में, लगभग सारे सरकारी विधेयक सम्पूर्ण सदन समिति को सौंपे जाते हैं।

(घ) खण्डों पर चर्चा :

प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने के बाद, सदन में विधेयक के

खण्डो पर विचार किया जाता है। इस सम्बन्ध मे, ब्रिटेन और भारत मे भिन्न-भिन्न प्रथाएँ है। ब्रिटेन मे समिति की बैठको मे खण्डश चर्चा की जाती है। भारत मे विधेयक के प्रत्येक खण्ड पर और उसके प्रस्तावित सशोधनो पर, यदि कोई हो तो, सदन मे चर्चा होती है। सशोधन की ग्राह्यता के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। उदाहरणार्थ, प्रस्तावित सशोधन विधेयक के अभिप्राय और उसी प्रश्न पर सदन के पूर्व निर्णय के अनुसार होना चाहिए। प्रत्येक सशोधन और प्रत्येक खण्ड पर चर्चा होने के बाद उस पर मतदान होता है। बेल्जियम जैसे देशो मे, विधेयको पर समितियो द्वारा विचार किए जाने के बाद जब प्रतिवेदन प्रस्तुत होता है, तब सदन मे विधेयक के खण्डो पर और आगे चर्चा की जाती है। इसे विधेयक का "दूसरा वाचन" कहते हैं।

(ङ) विधेयकों का पारित किया जाना :—

खण्डश चर्चा समाप्त हो जाने पर, विधेयक को प्रस्तुत करनेवाला मंत्री या सदस्य विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव रख सकता है। इस प्रकार के प्रस्ताव को विधेयक का "तीसरा वाचन" कहते है। इस अवस्था मे विधेयक के विवरण के बारे मे विवाद नही किया जाता। चर्चा केवल विधेयक को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने तक ही सीमित होती है। इस समय केवल मौखिक संशोधन रखने की स्वीकृति दी जाती है।

(च) द्विसदनीय विधान मण्डलों की कार्य-विधि :—

विधेयक पारित हो जाने पर उसे दूसरे सदन को भेजा जाता है, जहाँ वह फिर से पहले बताई गई अवस्थाओ मे से गुजरता है। जब एक सदन मे विधेयक पारित हो जाता है और दूसरे सदन मे पारित नही होता तो गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार ऐसी अवस्था मे राष्ट्रपति दोनो सदनों की सयुक्त बैठक बुला सकता है[1]। यदि दोनो सदनो की सयुक्त बैठक मे मतदान के समय दोनो सदनो के उपस्थित सदस्यो के बहुमत से विधेयक पारित हो जाए तो विधेयक को दोनो सदनो द्वारा पारित किया गया समझा जाता है। नारवे मे भी,

1. दहेज-निषेध-अधिनियम, 1961 के बारे मे ऐसी सयुक्त बैठक बुलाई गई थी।

यदि दोनों सदन (अर्थात् लाग्टिंग और ओडेलिंग) विधेयक के विषय के बारे में सहमत न हों तो विधेयक को जिस स्थिति में ओडेलिंग से भेजा गया हो, उसी स्थिति में उसे समस्त संसद अर्थात् (स्टोरटिंग) में प्रस्तुत किया जाता है। यदि वहाँ उसके पक्ष में दो-तिहाई बहुमत हो तो वह पारित हो जाता है। इसी प्रकार की पद्धति स्वीडन में भी है। ब्रिटेन में, वित्त-विधेयक को छोड़ कर अन्य विधेयकों को स्वीकार न करने का हाउस ऑफ लॉर्ड्स को अधिकार तो है पर यह अस्वीकृति दो सत्रों के बाद एक वर्ष तक ही सीमित रहती है। उसके बाद विधेयक अपने आप स्वीकृत माना जाता है। फ्रांस में भी परिषद् ("कौंसिल") द्वारा किए गए संशोधन को सभा (असेम्बली) रद्द कर सकती है।

(छ) कुछ मामलों की विशेष कार्यविधि : –

विभिन्न विधान-मण्डलों में कुछ विधेयकों के लिए विशेष कार्यविधि[1] अपनाई जाती है। उदाहरणार्थ, भारत में वित्तीय विधेयक (अर्थात् जिन विधेयकों में कर लगाने या कर समाप्त करने की व्यवस्था हो) केवल लोक-सभा में पुरःस्थापित किए जा सकते हैं। वित्त विधेयकों के बारे में, विधान बनाने का अधिकार केवल लोक-सभा को है। यदि राज्य-सभा ने, ऐसे संशोधन पारित किए हों, जिनसे लोक-सभा सहमत नहीं हो तो उन विधेयकों पर राज्य-सभा द्वारा विचार किए जाने के दो सप्ताह बाद वे स्वतः पारित माने जाते हैं। इसी प्रकार संविधान में संशोधन करने-वाले विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से रखे जाते हैं। फिनलैंड में, संविधान में संशोधन करनेवाले विधेयक, तीसरे वाचन के पश्चात्, अगला आम चुनाव होने तक स्थगित रखे जाते हैं। इटली में, संविधान में संशोधन करनेवाले विधेयकों पर दो बार चर्चा होती है। केवल ब्रिटेन ही एक ऐसा राज्य है, जहाँ संविधान में संशोधन करनेवाले विधेयक के लिए विशेष कार्यविधि की आवश्यकता नहीं होती।

(ज) विधेयकों का प्रमाणीकरण और प्रकाशन : –

दोनों सदनों में विधेयक पारित हो जाने पर, पीठासीन अधिकारी उसे प्रमाणित करके राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजता है। राष्ट्रपति की अनुमति

---

1 ब्रिटेन के हाउस ऑफ कामन्स में स्थायी आदेशों के अनुसार, सम्राज्ञी की अनुमति के बिना कर लगानेवाला अथवा व्यय सम्बन्धी कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता।

मिलने पर विधेयक अधिनियम बन जाता है। तत्पश्चात् उसे गजट में छाप दिया जाता है। ऐसी व्यवस्था लगभग सारे देशों में प्रचलित है, किन्तु कुछ देशों में राष्ट्रपति के विवेक पर भी कुछ बन्धन है। फिनलैंड में, यदि गणराज्य के राष्ट्रपति की अनुमति 3 महीने के अन्दर न मिली हो तो आम चुनावों के बाद वही विधेयक जिस रूप में वह पारित हुआ था, उसी रूप में फिर पारित होने पर अधिनियम बन जाता है। इसी प्रकार नारवे में, वहां के राजा को यह अधिकार तो है कि वह विधेयक पर अपनी अनुमति देने से मना कर सकता है, किन्तु यदि वही विधेयक लगातार तीन आम चुनावों के बाद भी पारित किया जाए तो राजा की अस्वीकृति रद्द हो सकती है।

वित्तीय कार्यविधि

(क) वार्षिक नियमित व्यय :

वित्तीय नियंत्रण, संसद् की प्रभुसत्ता का मुख्य साधन होने के कारण, लगभग सारे विधान-मण्डलों में, वित्तीय मामलों की विशेष कार्य-विधि है। वार्षिक[1] वित्तीय विवरण, जिसे सामान्यतः बजट (आयव्ययक)[2] कहा जाता है, विधान-मण्डल में निश्चित दिन पर प्रस्तुत किया जाता है। सबसे पहले बजट पर सामान्य चर्चा होती है। लोक-सभा में प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के अनुसार, सदन को सारे बजट अथवा उसके अन्तर्गत विषय सम्बन्धी सिद्धान्तों पर चर्चा करने की स्वतन्त्रता है, किन्तु चर्चा के दौरान सदन में बजट पर मतदान करने के सुझाव का प्रस्ताव रखने की अनुमति नहीं दी जाती। सामान्य चर्चा समाप्त होने पर अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ होती है। भारत में इन मांगों पर 22 से 23 दिन तक चर्चा चलती है। ब्रिटेन में और कनाडा तथा आस्ट्रेलिया जैसे देशों में, जहां ब्रिटेन की पद्धति अपनाई गई है, सदन में वार्षिक अनुमान प्रस्तुत होते ही सम्पूर्ण सदन समिति

---

1. स्पेन एक ऐसा देश है, जहां आयव्ययक प्रति वर्ष प्रस्तुत नहीं होता। दो साल में एक बार होता है।

2. अमरीका में इसे आयव्यय के सम्बन्ध में और आर्थिक विषय में राज्य की स्थिति पर 'राष्ट्रपति का संदेश' कहते हैं। ये संदेश प्रचारित किए जाने पर तुरन्त कांग्रेस की उपर्युक्त समिति को विचार के लिए भेज दिए जाते हैं।

बनायी जाती है, जिसे "कमेटी ऑर सप्लाई" अर्थात् प्रदाय-समिति कहा जाता है। यह समिति अनुमानों पर चर्चा करती है। ब्रिटेन में समिति के विचार के लिए 26 दिन की अवधि निश्चित है। मांगों पर चर्चा करने की रीति यह है कि प्रत्येक मांग के लिए एक प्रस्ताव रखा जाता है, जिसमें सदस्य कटौती-प्रस्ताव के रूप में संशोधन का सुझाव देते हैं। कटौती-प्रस्तावों की संख्या कभी-कभी इतनी अधिक होती है कि विवाद-बंध (गिलोटिन) प्रथा का उपयोग करना पड़ता है। 'गिलोटिन' प्रथा का अर्थ है, बगैर अधिक बहस बढ़ाए अनुदानों पर सभा का तात्कालिक मत लेना।

अनुदानों की मांगों पर सदन की स्वीकृति मिलने पर विनियोजन विधेयक रखा जाता है। विनियोजन-विधेयक द्वारा उन मांगों को विधिक रूप दिया जाता है जिन्हें विधान-मण्डल द्वारा पहले ही पारित किया गया हो। विनियोजन-विधेयक पर चर्चा का विषय, उस लोक-महत्त्व अथवा विधेयक में वर्णित मांगों में अंतर्निहित, प्रशासनिक नीति तक सीमित रहता है, जिसकी बात सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर विचार करते समय पहले उठाई गई थी।

भारत में अगले वर्ष के राजस्व-प्रस्ताव भी बजट में शामिल होते हैं, किन्तु ब्रिटेन में व्यय-प्रस्ताव प्रस्तुत करने के दो सप्ताह पश्चात् राजस्व-प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं, जिन पर फिर 'कमेटी ऑन वेज एण्ड मीन्ज़' अर्थात् अर्थोपाय-समिति नामक संपूर्ण सदन समिति विचार करती है। अर्थोपाय-समिति एक बजट प्रस्ताव पारित करती है, जिसके पश्चात् वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। वित्त-विधेयक से विधान-मण्डल द्वारा पहले पारित किए गए राजस्व प्रस्तावों को विधायी अधिकार मिलता है। वित्त-विधेयक पर चर्चा अधिक व्यापक होती है और सदस्य ऐसे विषयों पर भी चर्चा कर सकते हैं, जैसे सामान्य प्रशासन, स्थानीय शिकायतें आदि, जो सरकार की जिम्मेदारी अथवा सरकार की धन-सम्बन्धी अथवा वित्तीय नीति के अंतर्गत हों। संयुक्त राज्य अमरीका के 'हाउस ऑफ रिप्रेज़ेन्टेटिव' में, कराधान अथवा फण्ड के लिए अनुदान सम्बन्धी विधेयकों पर आमतौर से सम्पूर्ण समिति में चर्चा की जाती है।

फ्रांस की प्रथा को अपनानेवाले देशों में, बजट पर भी स्थायी समितियाँ विचार करती हैं और उनके प्रतिवेदन मिल जाने के पश्चात् वित्त-विधेयक पर सभा में विचार किया जाता है। फ्रांस में, प्रत्येक विभागीय बजट पर सामान्य रूप से पृथक् चर्चा की जाती है, जिसके पश्चात् उसके प्रत्येक अध्याय पर अलग से विचार और मतदान होता है।

वित्तीय कार्यविधि के सम्बन्ध में यह भी बतलाना आवश्यक है कि निम्न सदन को उच्च सदन से अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं। उदाहरणार्थ, भारत में मांगो को पारित करने का अधिकार केवल लोक-सभा को नहीं। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स को, विशेषाधिकार होने के कारण हाउस ऑफ लॉर्डस के लिए वित्तीय मामले में कोई संशोधन करना अथवा उसमे अपनी ओर से कोई कार्यवाही करना वर्जित है। फ्रांस में, द्वितीय सदन अर्थात् "काउंसिल ऑफ रिपब्लिक सिनेटर्स," कराधान के लिए सुझाव दे सकता है, किन्तु व्यय के लिए नहीं। फ्रांस में एक और प्रतिबन्ध यह है कि बजट प्रस्तावों की जांच पहले नेशनल असेम्बली में होनी जरूरी है। संयुक्त राज्य अमरीका में भी, राजस्व और विनियोग विधेयक सर्वप्रथम 'हाउस ऑफ रिप्रेजन्टेटिव्स' में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। जापान में, हाउस आफ रिप्रेजेन्टेटिव्स को केवल बजट के सम्बन्ध में प्राथमिकता का ही अधिकार नहीं, अपितु हाउस ऑफ काउंसलर्स के निर्णयों को रद्द करने का भी अधिकार है।

(ख) विशेष परिस्थितियों का सामना करने की कार्यविधि :

विनियोग विधेयक पारित होने में समय लगने के कारण मांगो की स्वीकृति मिलने के पहले बहुधा एक महीने के लिए लेखानुदान लिया जाता है। लेखानुदान को एक औपचारिक बात माना जाता है और बिना चर्चा किए उसको स्वीकृति दे दी जाती है। अधिकांश विधान-मण्डलों में अनुपूरक, अतिरिक्त, अधिक, आपवादिक और प्रत्यय अनुदानों की भी व्यवस्था है। अनुपूरक अनुदान उस समय प्रस्तुत किए जाते हैं, जब नियमित वार्षिक बजट के अनुसार स्वीकृत अनुमानों से अधिक व्यय होने की संभावना हो अथवा जब नयी योजनाएँ चालू करनी हो। वित्तीय वर्ष के आरम्भ में, अनुदानों की मांगो के लिए जो कार्य-विधि अपनायी जाती है, वही अनुपूरक अनुदानों के लिए भी अपनाई जाती है, किन्तु दोनों में अन्तर यह है कि अनुपूरक अनुदानों पर होने वाली चर्चा केवल उनकी मदों तक ही सीमित रहती है और उस चर्चा में मूल अनुदान की बातें नहीं उठाई जा सकती। इन मांगो की स्वीकृति मिलने के बाद विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, ताकि ये मांगें उसमें समाविष्ट की जा सकें। जब नई सेवाओं पर प्रस्तावित व्यय के लिए धन पुनर्विनियोग द्वारा उपलब्ध हो सके तो सांकेतिक रकम की मांग सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाती है। इसे सांकेतिक अनुदान कहते है। अधिक अनुदान एक औपचारिकता है, जिसमें पहले किए गए अधिक व्यय को समाविष्ट करने के लिए, विनियोग-विधेयक को विधान-मण्डल में सीधा प्रस्तुत किया जाता है। लोक-सभा में प्रस्तुत किए जाने से पहले

लोक लेखा-समिति को ऐसे विधेयक की जांच कर संसद् को उसके सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन देना पड़ता है। प्रत्यय-अनुदान एक मुश्त रकम की मांग है, जिसे मानने का उद्देश्य मोटे तौर पर बताया जाता है। ऐसे अनुदानों की स्वीकृति हाउस ऑफ कॉमन्स ने ब्रिटिश सरकार को महायुद्ध के समय दी थी।

(ग) वित्तीय समितियां :

विधान-मण्डलों की वित्तीय कार्यविधि का एक मुख्य अंग वित्तीय समितियां हैं। इन समितियों का मुख्य उद्देश्य वित्तीय नियन्त्रण है। पूरे सदन के लिए, विभिन्न प्राक्कलनों की बारीकी से जांच करना सम्भव न होने के कारण 'मदर ऑफ पार्लियामेन्ट्स' अर्थात् संसदों की जननी हाउस ऑफ कामन्स का अनुसरण करनेवाले विधान-मण्डल में, सामान्य रूप से एक प्राक्कलन-समिति नियुक्त की जाती है। कुछ विधान-मण्डलों में प्रवर समितियां और कुछ में स्थायी समितियां यह कार्य करती हैं। जहां अधिकांश विधायी कार्य, समितियों के माध्यम से निष्पादित होता है (जैसे फ्रांस, संयुक्त राज्य अमरीका आदि), वहां विनियोग अथवा प्राक्कलन पर नियन्त्रण व्यय-समितियां अथवा विनियोग-समितियां रखती हैं। संघीय जर्मन गणराज्य में बजट लागू होते समय कुछ अनुदानों की स्वीकृति देने में बुन्डेस्टेग की आयव्यय-समिति का हाथ रहता है। जो व्यय हो चुका हो उस पर समितियों द्वारा रखा जानेवाला नियन्त्रण वित्तीय नियन्त्रण का दूसरा पहलू है। यह नियन्त्रण सरकार द्वारा किए गए विनियोग पर दिए गए लेखा-प्रतिवेदन के माध्यम से किया जाता है। ब्रिटेन की पद्धति का अनुसरण करनेवाले विधान-मण्डलों में एक लोक-लेखा-समिति की नियुक्ति की जाती है। यह समिति विनियोग लेखा और नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा बनाई गई लेखा सम्बन्धी अनियमितताओं की जांच करती है और संसद् को अपना कार्योत्तर प्रतिवेदन देती है। जिसमें यह बताया जाता है कि क्या सरकार द्वारा किया गया वास्तविक व्यय संसद् द्वारा स्वीकृत विनियोग-अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार था या नहीं। कुछ विधान-मण्डलों में अधिकांश विनियोगों की जांच, संसदीय समितियों के माध्यम से नहीं कराई जाती, किन्तु उनका अंतिम अनुमोदन प्राप्त किया जाता है जैसे —डेनमार्क, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मन संघीय गणराज्य आदि में। कई बार अनुमोदन विधान के रूप में दिया जाता है। ऐसी स्थिति में, सरकार लोक-लेखाओं के बारे में विधेयक प्रस्तुत करती है, जिस पर अन्य विधानों जैसी ही कार्यवाही की जाती है।

इधर कई वर्षों से, सभी देशों में राष्ट्रीकृत क्षेत्र के उद्योगों में अधिकाधिक पूंजी लगायी जा रही है। अतएव कई विधान-मण्डलों ने राष्ट्रीकृत उद्योगों की जांच करने के लिये विशिष्ट समितियों की नियुक्ति की है। इसे ब्रिटेन में "कमेटी ऑन नेशनलाइज्ड इन्डस्ट्रीज" (राष्ट्रीकृत उद्योग प्रवर समिति) कहते हैं। भारत में कमेटी ऑन पब्लिक अण्डरटेकिंग (सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति) की नियुक्ति हाल ही में की गई है। ये समितियाँ संसद् को अपना प्रतिवेदन पेश करती हैं और उनके प्रतिवेदन को मान्य करने के लिए सभा में एक प्रस्ताव रखा जाता है। विभिन्न कारणों से इन प्रतिवेदनों पर सदन में चर्चा नहीं की जाती।

संसद् का नियन्त्रण

विधान, वित्तीय नियन्त्रण तथा प्रश्न पूछने और विशेष प्रस्तावों और संकल्पों के माध्यम से विचार व्यक्त करने के अधिकार के साथ-साथ विधान-मण्डल का एक और भी कार्य है, जिसे कार्यपालिका पर परिनिरीक्षण रखना कहते हैं।

(क) याचिका :

कोई सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से, लोक-सभा में नीचे लिखे मामलों पर याचिका प्रस्तुत कर सकता है :—

(1) विधेयक, जिसका प्रकाशन हो चुका है, अथवा जिसे सदन में प्रस्तुत किया गया है,

(2) सदन के शेष कार्य से सम्बन्धित कोई बात,

(3) सामान्य लोक हित की कोई बात।

याचिका की प्रथा बेल्जियम, फ्रांस और इटली में भी प्रचलित है। बेल्जियम में प्रत्येक सदन में, प्रस्तुत की गई याचिकाओं की सूची प्रतिदिन सचिव बनाते हैं और उनमें से प्रत्येक याचिका पर की जाने वाली कार्यवाही का सुझाव देते हैं। साधारणतः याचिकाओं की जाँच करने और उन पर संसद् को उचित राय देने के लिए उन्हें एक समिति को सौंप दिया जाता है, जिसे "याचिका-समिति" कहते हैं। फ्रांस में, समिति के निर्णय मासिक याचिका-विवरणिका में छापे जाते हैं और उनके छपने के 8 दिन पश्चात् उन्हें अन्तिम मान लिया जाता है।

(ख) कार्य-पालिका पर महाभियोग :

कार्यपालिका के सदस्यों के राजनैतिक उत्तरदायित्व की आधारशिला संसद्

के समक्ष उनकी जवाबदेही है। बेल्जियम के संविधान मे, यह व्यवस्था की गई है कि चेम्बर ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव को मंत्रियो पर अभियोग लगाने और उच्चतम न्यायालय मे उन पर मुकद्दमा चलाने का अधिकार है। फ्रांस मे, नेशनल एसेम्बली राष्ट्रपति पर राष्ट्रद्रोह का अभियोग लगा सकती है। उसके पश्चात् उसे उच्च न्यायालय को सौंप दिया जाता है। उच्च न्यायालय के 30 न्यायाधीश होते हैं, जिन्हे नेशनल एसेम्बली चुनती है और उनमे से 20 एसेम्बली के सदस्य होते है। नीदरलैंड मे, यदि कोई मन्त्री संविधान अथवा कानून के विरुद्ध कार्य करे तो उच्च सदन उस मामले की छानबीन कर सकता है और समिति द्वारा जाँच कराने के पश्चात् यदि किया गया कार्य संविधान के विरुद्ध अथवा कानून के विरुद्ध सिद्ध हो जाए तो उस पर अभियोग लगा सकती है। संयुक्त राज्य अमरीका की कांग्रेस भी महाभियोग लगाने की प्रथा का अनुसरण करती है। वह केवल मन्त्रियों पर ही नही, अपितु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सारे संघीय अधिकारियो पर भी अभियोग लगा सकती है। हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव्ज इस दिशा मे पहल करता है। वह एक जाँच-समिति नियुक्त करता है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर सीनेट के समक्ष अभियोग की कार्यवाही की जा सकती है। नारवे के स्टॉर्टिगेट को मन्त्रि-परिषद् की कार्रवाई के कागज-पत्रो को देखने का अधिकार है। इस अधिकार का उपयोग, आदेर्लस्टिंग की विशेषाधिकार-समिति के माध्यम से किया जाता है। यह समिति सदन को, अपनी रिपोर्ट के द्वारा किसी मन्त्री को राजनीतिक दण्ड देने अथवा उस पर अभियोग लगाने की भी सिफारिश कर सकती है। भारतीय संविधान के अन्तर्गत, संविधान का उल्लंघन करने के लिए राष्ट्रपति पर अभियोग लगाया जा सकता है। संसद् के दोनो सदनो मे से कोई एक सदन दोषारोपण कर सकता है और दूसरा सदन उसकी जाँच करता है। यदि जाँच करनेवाले सदन मे दो-तिहाई बहुमत से एक ऐसा संकल्प स्वीकृत हो जाए जिसमें कहा गया हो कि लगाए गए दोष सिद्ध हो गए हैं तो उसके द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, जिसके लिए संसद् के प्रत्येक सदन मे, विशेष बहुमत से समर्थित एक समादेश राष्ट्रपति को देना अनिवार्य होता है।

(ग) संसदीय 'ओम्बुड्समेन' :

अभियोजन के अतिरिक्त कुछ विधान-मण्डलो मे शिकायतो को दूर करने की एक और प्रणाली मिलती है, जिसे 'ओम्बुड्समेन' की प्रथा कहते हैं। 18वी शताब्दी के आरम्भ से, स्वीडन की संसद् मे सरकार पर नियंत्रण रखने की एक

विशेष रीति रही है जिसे ओम्बुड्समेन कहते है। इस प्रथा के अन्तर्गत ससद् दो अधिकारियो को एक असैनिक कार्य के लिए और दूसरा सैनिक कार्य के लिए—विशेष कार्यविधि के अनुसार नियुक्त करती है। इनका कर्त्तव्य प्रभुसत्ता के अत्याचारो से साधारण नागरिको की रक्षा करना है। इन अधिकारियो को मिली शिकायतो की रिपोर्ट, वे ससद् को देते हैं। फिनलैंड और डेनमार्क मे भी ओम्बुड्समेन की प्रथा पाई जाती है। सन् 1962 मे न्यूजीलैंड मे भी ओम्बुड्समेन की नियुक्ति गई है। भारत मे वैसे तो ओम्बुड्समेन को नियुक्त करने की माँग कई वर्षों से की जा चुकी है, पर अभी हाल मे प्रशासनिक सुधार आयोग ने इस दिशा मे "लोक-पाल" व "लोक-आयुक्त" की नियुक्ति किए जाने के रूप मे निश्चित सुझाव दिए हैं।

अध्याय 2

समिति-प्रथा का महत्त्व

अमरीका मे ससदीय समितियों को "ससद् के कारखाने" कहा गया है। अमरीका में ही 1894 मे, वहाँ के एक अध्यक्ष ने समितियों के बारे मे कहा था कि समितियां कांग्रेस की "आँखें, कान व बहुधा मस्तिष्क" हैं। इगलैंण्ड की ससदीय समितियो को प्रसिद्ध लेखक व ससदीय कार्य-प्रणाली के पंडित एर्स्किन मे ने "लघु ससद्" की सज्ञा दी है। एक अन्य लेखक के शब्दो मे, "कोई भी सदन उतना ही महत्वपूर्ण है, जितनी कि इसकी समितियाँ"। अमरीका मे समिति-प्रथा के लाभ के विषय मे एक आधुनिक लेखक ने कहा है, "राष्ट्र के सम्पूर्ण इतिहास में कांग्रेस की अधिकाधिक विलष्ट व्यवस्था मे समिति-प्रथा ही एक धुरी रही है"। इन्टर-पार्लियामेंटरी यूनियन के शब्दो में "समितियाँ ससदीय कार्य की रीढ़ है"। इसमें कोई सन्देह नही कि यदि ससदीय समितियाँ नही होती तो आज विभिन्न ससदीय प्रणालियों के अन्तर्गत विभिन्न ससदों द्वारा जो कार्य होता है, वह कभी नही हो सकता था। समितियो से विधि-निर्माण मे मदद मिलती है, जाँच का काम सूक्ष्मता से किया जा सकता है और विषयों के विचार मे निष्पक्षता लाई जा सकती है। समितियो की सख्या उनकी उपादेयता की सूचक है।[1] अमरीका में हाउस ऑफ रिप्रेज़ेन्टेटिव मे 19 स्थायी समितियाँ हैं व सीनेट मे 15 स्थायी समितियाँ। इसमें प्रवर व अन्य सयुक्त समितियो की गिनती नही है। इगलैण्ड में स्थायी व हर वर्ष नियुक्त की जानेवाली प्रवर समितियो को मिला कर हाउस ऑफ कॉमन्स में समितियो की सख्या 28 है। कनाडा मे 18 स्थायी समितियाँ है। भारत मे भी समय-समय पर नियुक्त होने वाली प्रवर समितियों को छोडकर, जिनकी सख्या काफी है, लोक-सभा मे 11 व राज्य-सभा मे 5 स्थायी समितियाँ हैं।

---

1. समितियो की उपादेयता के विषय मे "डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एण्ड पालिटिक्स मे कैरी लिखता है :

"क्रियाशील राज्य की आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए, जितने विधेयक पारित किए जाने चाहिए, यदि उन सभी पर सभा

समिति-प्रथा के निम्न लाभ गिनाए जा सकते हैं —

(क) सभा की तुलना मे समितियो मे अनौपचारिकता होने के कारण बहस अच्छी तरह हो सकती है।

(ख) सभा की तुलना मे किसी विषय पर विचार करने के लिए अधिक समय मिलने के कारण इनमे विचार अधिक सूक्ष्मता से हो सकता है।

(ग) समिति में दलबन्दी को स्थान नही होता।

(घ) एक ही साथ कई समितियो का गठन होने के कारण सभा का मुख्य कार्य अर्थात् विधान-निर्माण-कार्य अधिक शीघ्रता से हो सकता है।

(ङ) सदस्यो की ज्ञानवृद्धि।

(क) परिपूर्ण बहस :—

सभा मे किसी विषय के विचार के लिए प्रस्ताव पेश करना पडता है व बाद मे उस प्रस्ताव पर बहस होनी है। यदि प्रस्ताव मे कोई हेरफेर भी करना हो तो उसके लिए एक सशोधनात्मक प्रस्ताव लाना पडता है। इसके सिवा सभा मे एक दूसरे को सबोधित करने मे भी काफी समय निकल जाता है। इसी तरह सभा मे बोलने पर भी प्रतिबन्ध होते हैं। समिति मे यह सब औपचारिकताएँ नही रहती। वहाँ जब कोई सदस्य चाहे बोल सकता है। समिति की बैठक बुलाना भी आसान

द्वारा विस्तार से विचार किया जाए तो उनका सभा पर काफी बोझ होगा। यह सच है कि विभिन्न दलो के लोग (अमरीका को छोडकर) प्राय सारा नवीन विधान बनाते हैं और उन्हे अधिनियम बनाने मे मदद भी करते है, फिर भी उन प्रस्तावो को विधान-मण्डल के सदस्यो को समझाने की जरूरत पडती है, उसके पीछे की नीति पर विचार करना पडता है और सरकार की विभिन्न कार्यविधि की जानकारी हासिल करनी पडती है। सिर्फ समय की कमी की ही समस्या नही होती वरन् सभा के सदस्यो की सख्या का भी प्रश्न होता है। कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स मे जो सबसे छोटी एसेम्बली है—उसमे भी 262 सदस्य होते है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स मे 600 सदस्य हैं। ये सभी किसी विचार विनिमय के लिए बडी सख्याएँ है। अतएव सभी जगह समितियो पर अधिक विश्वास रखना आवश्यक होता है व बहस का काम उन पर सौंपा जाता है"।

होता है। इंग्लैण्ड में हाउस ऑफ कॉमन्स में 600 सदस्य होते हैं। इसी तरह भारतीय लोक-सभा में 523 सदस्य होते हैं। इनकी तुलना में समितियों की सदस्यता प्रायः 15 अथवा 20 से अधिक नहीं होती। समिति में गणपूर्ति के नियम भी सरल होते हैं। इन सबका परिणाम यह होता है कि समिति में बहस के लिए अधिक अवसर मिलता है और बहस पूर्णतया हो पाती है। समिति की इस अनौपचारिकता के कारण ही, यद्यपि कभी-कभी संसद्-सदस्य सभा में निर्बन्ध होकर बोलने का अपना अधिकार कायम रखना चाहते हैं अर्थात् वे छोटी समितियों को अपना कार्य नहीं सौंपते, फिर भी वे समितियों[1] (सम्पूर्ण सदन-समितियों) के रूप में बैठक करना पसन्द करते हैं।

समिति की अनौपचारिकता की तरह ही उसकी गोपनीयता भी सदस्यों के लिए व सभा के लिए लाभकर सिद्ध होती है। सभाएँ बिरले ही साक्ष्य लेती हैं। पर विचाराधीन विषयों के सम्बन्ध में सरकारी व गैरसरकारी व्यक्तियों का साक्ष्य लेना संसदीय समितियों के लिए साधारण बात है। सभाओं की सारी कार्यवाही खुली होती है और यदि खुले में साक्ष्य किया जाए तो वह अधिक उपयोगी न होगा, पर समितियाँ, यदि चाहें (और बहुधा ऐसा ही होता है) साक्ष्य गुप्त रखती है। इस गोपनीयता के कारण विचार-विमर्श में वह संकोच नहीं रहने पाता, जो खुले व्यवहार में होता है। साक्ष्य की उपादेयता का उदाहरण अनेक प्रवर समितियों के प्रतिवेदनों को पढ़ने से मिलता है। समितियों के प्रतिवेदन व उनके कार्यवृत्त को पढ़ने पर अक्सर यह देखने को मिलता है कि वहाँ सभा में किसी विषय पर सरकार के प्रति भले ही विश्वासहीनता का आरोप लगाया गया हो, परन्तु जब सरकारी गवाहों ने अपनी व्यावहारिक कठिनाइयाँ को संसदीय समितियों के सामने बतलाया, तो सदस्यों ने भी उससे अपनी सहमति प्रगट की है।

(ख) सूक्ष्मता से विचार :

सभा के सामने हमेशा समय की समस्या रहती है, क्योंकि सभा केवल निश्चित अवधियों में ही बुलाई जा सकती है और अनेक बड़े राजनैतिक प्रश्न ही सभा के सामने उपस्थित रहते हैं। इसके विपरीत समिति की जब चाहे बैठक हो

---

1. इस उपादेयता के विषय जैफरसन्स मैनुअल में लिखा है :—

"सारे सदन की राय समिति में अच्छी तरह ली जाती है, क्योंकि समिति में सदस्य जो चाहे बोल पाते हैं।"

सकती है तथा समिति के सम्मुख प्रश्न भी सीमित होते है। यदि सारे विधेयक पर केवल सभा द्वारा ही विचार[1] किया जाए तो 1-2 दिन से अधिक विचार करने के लिए सभा को कभी समय न मिले, पर जब समितियो मे विधेयक भेजे जाते है तो विधेयक के महत्त्व के अनुसार (जैसा कि कम्पनी विधि सम्बन्धी प्रवर समिति मे हुआ था) कई दिनो तक समिति मे विचार हो सकता है।[2] गवेषणात्मक समिति के विषय मे तो यह बात और भी अधिक लागू होती है। भारत की प्राक्कलन समिति वर्ष भर और यदि आवश्यक हो तो और भी अधिक समय के लिए, विचार कर अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है।

इस सन्दर्भ मे समिति का एक छोटी सस्था होना उसके लिए बडा हितकर है। छोटी सस्था होने के नाते समिति की बैठक जल्दी बुलाई जा सकती है। सभा के बारे मे अधिक तैयारी और कार्यक्रम की आवश्यकता पडती है। समितियो की बैठक तत्स्थान परीक्षा के लिए भी की जा सकती है, जो सभा के लिए सभव नही होता।

(ग) दलबन्दी का अभाव :

सभा के बारे मे यह सर्वविदित है कि वहाँ चर्चा प्राय दलबन्दी के आधार पर होती है। जितना अधिक महत्त्वपूर्ण विषय होता है, उतना ही अधिक उस पर दलों के सचेतको का आग्रह अधिक प्रबल होता है। परिणामत सभा मे विषयो पर विचार निष्पक्षता से नही हो पाता, वरन् विभिन्न दलो की क्या नीति है, इसी दृष्टि से होता है। स्वय सभाध्यक्ष को, इस बात का ध्यान रखना पडता है कि विभिन्न

---

1. 1954 मे जब भारत मे अधिकाश समितियाँ नियुक्त होने वाली थी, उस समय अध्यक्ष मावलकर ने सभा मे कहा था —
सभा के विधिक कार्यों मे उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। परिणामत सभा के लिए प्रमुख विधेयकों के सभी खण्डों पर विचार करना भी दुष्कर हो गया है। सभा को चाहिए कि वह अनेक प्रवर समितियाँ नियुक्त करे और विषयो की जाँच, प्रवर समितियों पर छोड दे, जहाँ उन पर सभा की बजाए अधिक विस्तार से विचार हो सकता है। (देखिए, लोक सभा वाद-विवाद भाग 5 (1954) पृष्ठ 6565)

2. कम्पनी विधि प्रवर समिति ने कम्पनी सशोधन आदि नियम 1956 पर 61 बैठको मे विचार किया था।

दलों के सदस्यों को बोलने का उचित अवसर मिल रहा है या नहीं। समिति* में इसके विपरीत सामान्यतया दलबन्दी को कोई स्थान नहीं होता। यदि थोड़े परिमाण में दलबन्दी होती भी है तो वह केवल विधेयकों पर विचार करनेवाली प्रवर समितियों में। यद्यपि समिति में, सदस्यों की नियुक्ति अनुपाती प्रतिनिधित्व के आधार पर होती है तथापि प्राय यह देखा जाता है कि जब समिति में सदस्य कार्य करते हैं तो वे अपना दलगत दृष्टिकोण प्रमुख नहीं होने देते।

दलबन्दी से ही मिलता-जुलता सभा में एक और दोष है और वह यह कि सभा में बोलनेवाले अपने क्षेत्र को ध्यान में रखते हैं। इसके विपरीत समिति में कोई ऐसा सकुचित दृष्टिकोण नहीं रहता।

समिति से एक और लाभ है और वह यह कि यदि आवश्यकता पड़े तो विशेषज्ञों को इसके कार्य में शामिल किया जा सकता है। विशेषज्ञों की सलाह व साक्ष्य ले सकने के अतिरिक्त समिति के सदस्यों की नियुक्ति भी प्रायः सम्बद्ध विषयों में उनकी विशेष योग्यता के आधार पर की जा सकती है। कहीं-कहीं तो सभा के प्रक्रिया नियमों में ही वह विहित है (उदाहरणार्थ, इंग्लैण्ड की स्थायी समितियों के विषय में) समिति में सहयोग के लिए कुछ अन्य विशेषज्ञ सदस्य शामिल किए जा सकते हैं। यह सभा के बारे में नहीं कहा जा सकता।

* लोक-सभा के एक अध्यक्ष के शब्दों में :—

जब सदस्य समितियों के रूप में एकत्रित होते हैं तो वे दलों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। वे समस्त सभा के रूप में काम आते हैं और वही बात विचार में आती है जो समस्त सभा के हित में हो। (देखिए लोक-सभा वाद-विवाद भाग 5 (455) पृष्ठ, 8712।

और भी एक लेखक ने ब्रिटिश पालियामेन्ट का एक उदाहरण देते हुए कहा है। "राजनैतिक वाद-विवाद के प्रखर प्रकाश में कुछ प्रमुख मामलों पर चर्चा करना एक दुष्कर कार्य है, परन्तु समिति-प्रथा के उपयोग से यह समस्या सुलझाई जा सकती है। स्वेज के मामले का सबसे अधिक परेशान करने वाला पहलू यह था कि सदन में विरोधी पक्ष की सलाह नहीं ली गई थी और उस पक्ष को ऐसा लगा जैसे उसे जानबूझकर अन्धेरे में रखा गया हो। यदि ऐसी समिति होती—जिसमें सभी दलों के सदस्य होते तो सदस्यों को समस्या विदित कराई जा सकती थी।" (देखिए, ग्रिमन्ड, "मैंचेस्टर गार्जियन" 22 जुलाई 1957, पृष्ठ 6)

(घ) संसद् के कार्य में वृद्धि .

समिति-प्रथा का सबसे बड़ा लाभ है, संसद् को अधिक कार्य कर सकने में सहायता देना। आज की संसदों के समक्ष, चाहे वह किसी देश की क्यों न हो, इतना काम रहता है कि यदि समितियाँ न हों तो उनके लिए कार्य करना असम्भव ही हो जाए। समितियाँ न केवल विधेयकों पर विचार करती हैं, वरन् सभा की ओर से जानकारी प्राप्त करके जाँच का कार्य भी करती हैं। इसके अतिरिक्त जो काम सभा को करना पड़ता है, जैसे अपने पुस्तकालय की व्यवस्था, अपने सदस्यों के प्रत्येक-पत्र की जाँच; इत्यादि, वह सब समितियाँ सम्हाल लेती हैं, जिससे सभा को अपने प्रमुख कार्य (विधि-निर्माण) के लिए आवश्यक समय मिल पाता है। विधि-निर्माण के क्षेत्र में भी खण्डों की अच्छी तरह परीक्षा कर लेना समितियों को ही सौंपा जाता है और सभा अवसर केवल नीति निर्धारित करती है।

उदाहरणस्वरूप भारतीय लोक-सभा द्वारा पारित विधेयकों को ही लीजिए। जहाँ 1947 के पहले, प्रति वर्ष पारित किए गए विधेयकों की संख्या औसतन 11 से 42 के बीच हुआ करती थी, वहाँ 1947-56 के काल में, यह संख्या 54 से 106 के बीच थी। यद्यपि इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे सत्रों की अवधि में वृद्धि, पर प्रवर समितियों के अधिकाधिक उपयोग का भी इसमें कम हाथ नहीं रहा है। ब्रिटेन के बारे में तो "गवर्नमेन्ट एण्ड कमेटीज" के लेखक व्हीयरे[1] ने

---

1 (1) व्हीयरे लिखता है, "जहाँ 1919 में, हाउस ऑफ कॉमन्स ने 45 विधेयकों पर और 1924-25, 1929-30, 1934-35, तथा 1936-37 में क्रमशः 50, 32, 15, व 26 विधेयकों पर विचार किया था, वहाँ 1946 में स्थायी समितियों के अधिक प्रचार के बाद हाउस ऑफ कॉमन्स 1946-47, 1247-48 तथा 1948-49, में 15, 21, व 42 विधेयकों पर विचार कर सका, यद्यपि उनमें महत्त्वपूर्ण विधेयकों की संख्या बहुत थी।

(2) फ्रांस में समितियों का कार्य इससे भी अधिक रहा है। लेखक मार्टिस हैरिसन लिखता है, संसद्-सदस्य इतने कुशल हैं कि ब्रिटेन की तरह की गैर विशिष्ट समितियाँ (फ्रांसीसी एसेम्बली में) बिल्कुल अव्यावहारिक होतीं। विद्यमान नेशनल एसेम्बली के प्रथम 2 वर्ष की अवधि में, समितियों ने 6300 विधेयक पारित किए थे।

स्पष्ट लिखा है, इसमें कोई संदेह नहीं कि 1945 से 1950 की अवधि में, जब लेबर पार्टी सत्तारूढ़ थी, स्थायी समितियों के प्रयोग से कहीं अधिक व विवादास्पद विधेयक पारित हो सके, जिनका बगैर उनके पारित होना असंभव था।

(छ) सदस्यों के लिए उनकी उपयोगिता :

अन्त में, समिति-व्यवस्था के एक और लाभ का उल्लेख करना चाहिए और वह है समिति के द्वारा संसद् सदस्यों की ज्ञान-वृद्धि। इस ज्ञान वृद्धि से सभा के वादविवाद का भी स्तर ऊँचा उठता है। "बैंक बेन्चर्स"[1] के लिए तो यह बिल्कुल अनिवार्य है। आस्ट्रेलिया इस तथ्य का सुन्दर उदाहरण है। कहा जाता है कि आस्ट्रेलिया में समिति प्रथा का जन्म, संसद् की कार्य-व्यवस्था में गति लाने के लिए उतना नहीं हुआ, जितना हाउस ऑफ रिप्रेज़ेन्टेटिव के सदस्यों में शासन की जानकारी उत्पन्न कराने के लिए हुआ था। ब्राडकास्टिंग ऐक्ट 1942 के पास होने का इतिहास इस बात को सिद्ध करता है कि समितियों का जन्म वहाँ सदन में कुछ "एमेचर एक्सपर्ट" बनें, उस उद्देश्य से हुआ था। स्वयं भारत में लोक-लेखा-समिति का उद्घाटन करते हुए तत्कालीन अध्यक्ष श्री मावलंकर ने 1950 में, उस समिति के उद्देश्यों को गिनाते हुए प्रसंगत कहा था कि समिति का उद्देश्य है, यथासम्भव अधिक सदस्यों को शासन-कार्य से परिचित कराना, ताकि उन्हें न केवल यह मालूम हो सके कि शासन किस तरह चलता है, वरन् यह भी मालूम हो सके कि शासन में क्या-क्या समस्याएँ हैं।

---

1 जेनिंग्स लिखता है

"अगर गैर सरकारी सदस्यों को सदस्य कक्षों में चलने-फिरने के सिवाय और भी कुछ करना है तो समिति-प्रथा का विकास व उसके माध्यम से विशेषज्ञता प्राप्त करना उनके लिए अनिवार्य होगा, पार्लियामेन्टरी रिफॉर्म *(1933-60) पृष्ठ; 46)*

अध्याय 3

समिति-प्रथा का विकास

संसदीय समिति प्रथा का जन्म सोलहवीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ माना जाता है। इसके बाद संसदीय समितियाँ अमरीका में स्थापित हुईं। फ्रांस में संसदीय समितियाँ 18 वीं शताब्दी से नजर आती हैं। यूरोप के अन्य देशों में तथा इंग्लैंड के अधीन उपनिवेशों में संसदीय समितियों का जन्म, 19 वीं शताब्दी में होने का उल्लेख मिलता है। प्रत्येक देश की संसदीय समितियों का विकास अपनी विशेषता रखता है, पर एक चीज उनमें सामान्य है और वह यह कि पहले प्रवर समितियों का निर्माण हुआ और बाद में स्थायी समितियों का। उद्देश्य की दृष्टि से पहले समितियाँ राजा की मदद करने के लिए बनीं, व बाद में वे ही निष्पक्ष दृष्टि से राज्य के कार्यों पर विचार करने लगीं। इसी प्रकार समितियाँ सिद्धान्त में भले ही किसी विशेष सुविधा के लिए नियुक्त की जाती हों (जैसा कि ब्रिटिश संसदीय समितियों के बारे में वहाँ के विचारकों का अब भी मत है) पर अब वे संसदीय कार्यप्रणाली का आवश्यक अंग बन गई हैं, और संसद् का कार्य, जितना सदन की कार्यवाही पर अवलंबित है, उतना ही समितियों पर। (अमरीका में समितियों की यह धारणा खुल्लमखुल्ला स्वीकार की जाती है)।

इंग्लैण्ड में समिति-प्रथा का विकास :

इंग्लैण्ड में समितियाँ नियुक्त किए जाने का पहली बार उल्लेख 1571 में तीसरी पार्लियामेंट के काल में मिलता है। इसके पहले विधेयकों पर विचार करने का काम किसी एक व्यक्ति को दिया जाता था, जो सामान्यतः कोई सेक्रेटरी अथवा प्रीवि काउन्सलर हुआ करता था। तीसरी पार्लियामेन्ट की समितियाँ आज की विशिष्ट समितियों से मिलती जुलती थीं, पर इन समितियों की बैठकें सभा-भवन के बाहर किसी ऐसी जगह, जो वकीलों के लिए सुविधाजनक हो, हुआ करती थीं। इन छोटी समितियों में बाद सभा के 30-40 सदस्यों के अतिरिक्त कुछ अन्य चुने हुए सदस्य भी होते थे, जैसे जेन्टलमैन आफ दि लाग रोब,' प्रीवि काउन्सलर्स आदि। ये ही

समितियाँ आगे चलकर स्थायी समितियों में परिणत हुईं। तीसरी पार्लियामेन्ट के समय में विधेयकों पर विचार, प्रवर समितियों को ही सौंपा जाता था।

जेम्स प्रथम के काल में एक नई समिति बनाई गई और वह थी सम्पूर्ण सदन समिति। उस समय प्रवर समितियाँ तो थी, पर सभा के अन्य सदस्यों में यह इच्छा होने लगी कि उन्हें भी विधेयकों पर विचार करने का अवसर मिलना चाहिए। स्वाबर लिखनाः है, "महत्व के, और खासकर वित्तीय विधेयक, इस काल में सम्पूर्ण सदन समिति में विचार के लिए आते थे, क्योंकि इनमें सदस्यों को बोलने का अवसर खुल कर मिलता था"। यह प्रथा 1967 में उस समय औपचारिक रूप से निश्चित कर दी गई थी, जब हाउस ऑफ कॉमन्स ने यह प्रस्ताव पारित किया कि यदि कोई सरकारी खर्च का प्रस्ताव सभा के सामने आया हो तो सदन यह निर्णय कर सकता है कि सदन की बैठक स्थगित कर दी जाए और विधेयक सम्पूर्ण सदन समिति में विचारार्थ भेजा जाए। यही प्रथा नए कर लगाने के बारे में भी प्रारम्भ की गई। लेकिन इसी समय सरकारी पक्ष के लोग स्थायी समितियों की पद्धति पर भी विचार करने लगे थे। इस समय 5 स्थायी समितियाँ नियुक्त की जाती थी, जो निम्न विषयों पर अलग-अलग विचार किया करती थी (1) विशेषाधिकार व चुनाव के प्रश्न (2) धर्म (3) शिकायतें (4) न्यायालय तथा (5) वाणिज्य। ये समितियाँ एक प्रकार से सम्पूर्ण सदन समिति से अधिक बलवान थी क्योंकि वे जब चाहे अपना कार्य स्थगित कर सकती थी। ये समितियाँ निरंकुश ट्यूडर राजाओं के हथकण्डे थी, क्योंकि इनमें सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते थे। इन समितियों को विधेयकों पर विचार करने का भी अधिकार दिया गया था, जिसमें सक्षद होते हुए भी राजा अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई बात न होने देता।

स्टुअर्ट राजाओं के सदन के बाद यह स्वाभाविक था कि उपरोक्त स्थायी समितियों का अन्त कर दिया जाता। अतएव 18 वी शताब्दी में केवल एक ही प्रकार की समितियाँ जारी रखी गई थी, और वह थी सम्पूर्ण सदन समितियाँ। सम्पूर्ण सदन समिति ही विधेयकों पर विचार करती थी, लेकिन थोड़े समय के बाद पुनः छोटी समितियों की आवश्यकता अनुभव की गई, क्योंकि पार्लियामेन्ट के पूर्ण रूप से सर्व-सत्ताधारी होने पर यह अनुभव किया गया कि पार्लियामेन्ट द्वारा निरीक्षण और जाँच

* (देखिए—"एन इन्ट्रोडक्शन टु दि प्रोसिज्योर ऑफ दि हाउस ऑफ कॉमन्स"—लार्ड कैंपियन पृष्ठ 27)

के कार्य के लिए कोई और व्यवस्था होनी चाहिए और यह कार्य सम्पूर्ण सदन समिति को नहीं सौंपा जा सकता था। इसी अनुभव से आज की प्रवर समितियों का उदय नजर आता है। 17 वीं शताब्दी की स्थायी समितियाँ विशेष योग्यता के आधार पर नियुक्त होती थीं, पर 18 वीं और 19 वीं शताब्दी की प्रवर समितियां केवल ससद्-सदस्यता के आधार पर नियुक्त की जाती थीं। आगे चलकर विधेयकों पर विचार करने के लिए स्थायी समितियों की भी नियुक्ति हुई। इस प्रकार बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में, तीन प्रकार की समितियाँ थीं—सम्पूर्ण सदन समिति, प्रवर समिति व स्थायी समितियाँ। जांच का काम अक्सर प्रवर समितियों को सौंपा जाता था, जो प्रत्येक सत्र के लिए नियुक्त होती थीं।

पिछले 50 वर्षों में भी समिति-प्रथा का विकास होता रहा है। 1921 में, पहले पहल एक प्राक्कलन समिति नियुक्त हुई थी। यह समिति युद्धकाल में स्थगित कर दी गई थी व इसका कार्य एक नई समिति को सौंपा गया था, जिसे 'नेशनल एक्स्पेन्डीचर कमेटी" अर्थात् राष्ट्रीय व्यय की जांच करने वाली समिति कहते थे। युद्ध समाप्त होने पर पुन प्राक्कलन समिति नियुक्त की गई। लगभग युद्धोपरान्त ही 'कमेटी ऑन स्टेचुटरी इन्स्ट्रूमेंट्स' की स्थापना हुई। 1954 से 'कमेटी ऑन नेशनलाइज्ड इन्डस्ट्रीज' नियुक्त की गई जो आज भी प्रयोग में हैं।

इग्लैंड की समिति-व्यवस्था के विकास की यह विशेषता है कि वहाँ समितियाँ संसदीय कार्य-प्रणाली का एक अनिवार्य अंग बन कर उदित नहीं हुई (जैसी कि स्थिति फ्रांस और अमरीका को समितियों के सम्बन्ध में है), बल्कि वहाँ समितियों का उदय प्रधानतया एक सुविधा के रूप में हुआ है। यही कारण है कि इग्लैंड की समितियां अत्यधिक व्यापक हैं।

फ्रांस में समिति-प्रथा का विकास :

फ्रांस में समिति-प्रथा का आरम्भ राष्ट्रीय क्रान्ति के दिनों में हुआ, लेकिन उसके पहले भी 100 वर्षों तक वहाँ किसी न किसी रूप में समितियाँ थीं, ऐसा कुछ लोगों का कहना है।

1789 में, फ्रांस की विधान-सभा ने, स्टैंडिंग ऑर्डर्स बनाने के पहले ही कई समितियों को जन्म दे दिया था, जो आज की स्थायी समितियों की तरह थीं। प्रत्येक समिति एक विशिष्ट आज्ञा के अनुसार विशिष्ट विषय के लिए बना करती थी।

बाद में लेजिस्लेटिव एसेम्बली ने स्टैंडिंग आर्डर्स द्वारा एक समेकित समिति-व्यवस्था का निर्माण किया। शुरू में 21 समितियां नियुक्त की गई थीं, जिनके सदस्य 12, 24, या 48 संख्या तक हुआ करते थे। इन समितियों के नाम भी आजकल की समितियों के अनुसार थे।

1791 के कन्वेंशन ने, इन व्यवस्था को अस्थायी रूप से स्वीकार किया। बाद में एक नए सिरे से समितियों को स्थापित करने की चेष्टा की गई। पोयरेक लिखता है, "1792 में 1795 तक के काल में कन्वेन्शन की समितियाँ ही शासकीय अधिकारों की वास्तविक अधिकारिणी थीं। इस काल की 'कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी' व 'कमेटी ऑफ जनरल सिक्योरिटी' अत्यधिक प्रसिद्ध हैं, जो अन्य 16 स्थायी समितियों के साथ न केवल कानून बनाने के प्रस्ताव देने का अधिकार रखती थी, वरन् यह भी अधिकार रखती थी कि वे देखें कि वह कानून ठीक तरह से लागू किया जा रहा है या नहीं।"

समिति की यह प्रथा कुछ लोगों को पसद नहीं आई, अतएव कन्वेन्शन ने 1795 के संविधान में स्पष्टत यह बतला दिया कि कोई भी सभा या काउंसिल स्थायी समिति का निर्माण नहीं कर सकती। जब पुन. गणतन्त्र की स्थापना हुई तो कुछ स्थायी समितियों की नियुक्ति हुई। बाद में प्रत्येक सदन ने फिर प्रत्येक विधेयक पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई। यही आज की स्थायी समिति-प्रथा के विकास का आरम्भ था। 1848 की नेशनल एसेम्बली ने पहले तो 1790 की पूरी व्यवस्था लागू करने की चेष्टा की, किन्तु बाद में समितियों को स्थायी बनाकर केवल वार्षिक ही रखा।

1871 में, नेशनल एसेम्बली ने विशिष्ट समितियों की आयोजना की व उनका प्रबन्ध दोनों सदनों को सौंपा। इन दिनों गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर विचार करने की प्रक्रिया अत्यधिक जटिल थी। ऐसे विधेयकों पर पहले 'कमेटी ऑन पार्लियामेन्टरी इनिशियेटिव' द्वारा विचार किया जाता था और यदि वह समिति उनका अनुमोदन करती तो 11 ब्यूरो द्वारा उन पर विचार होता व उसके बाद एक विशिष्ट समिति उनकी परीक्षा करती। यह प्रक्रिया न केवल विलम्बकारी

* (देखिए-यूजेन-सेक्रेटरी-जनरल ऑफ दि चेम्बर ऑफ डेपुटीज-'ट्रीटाइज ऑन पोलिटिक्स, एलेक्टोरल एण्ड पार्लियामेन्टरी राइट्स—1924')

थी, वरन् इसके परिणाम भी विचित्र होते थे। एक ही तरह के विधेयकों पर उक्त प्रक्रिया के कारण ऐसे भिन्न-भिन्न परिणाम निकला करते थे जिनमें आपस में कभी कोई साम्य न होता। अत जैसे-जैसे वैधानिक कार्य का विकास हुआ, दोनों चेम्बर्स ने 1839 की प्रथा का अनुकरण करना शुरू किया, जिसके अनुसार विधेयक को ऐसी समितियों के सम्मुख विचारार्थ भेजा जाता था, जो पहले से ही निर्मित रहती थी व एक तरह के सब विधेयकों पर विचार करती थी। इस प्रकार परिस्थिति वश आज की स्थायी समितियों से मिलती-जुलती समिति-प्रथा का उदय होने लगा था। साथ ही कई स्थायी समितियां कहलाई जानेवाली समितियों का भी इस काल मे जन्म हुआ। फिर भी नियमित रूप से समितियों की नियुक्ति का कई वर्षो तक विरोध होता रहा। अन्त मे, 1902 मे समिति-व्यवस्था को सुचारु रूप से प्रारम्भ किया गया। 1902 मे, नेशनल एसेम्बली द्वारा अपनाई गई समिति व्यवस्था थोड़े अदल-बदल के साथ आज भी प्रयुक्त है। 1910 से 1915 तक स्थायी समितियां 'ब्यूरो" से बनती थी किन्तु अब उनकी रचना विभिन्न दलों द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व के आधार पर की जाती है। 1920 तक ये समितियां विधान-सभा के समकालीन होती थी, पर अब वे प्रतिवर्ष नियुक्त की जाती हैं।

अमरीका मे समिति प्रथा का विकास :

जैसा कि सब जानते हैं, अमरीका में संसदीय प्रथा इंग्लैंड की देन थी। अतएव वहां समितियों का जन्म औपनिवेशिक काल में ही प्रारम्भ हुआ। ट्यूडर और स्टुअर्ट काल मे, इंग्लैण्ड की पार्लियामेन्ट ने उपनिवेशों की विधान-सभाओं को जो प्रोत्साहन दिया था, उसके परिणामस्वरूप अमरीका के वर्जीनिया, मेरीलैण्ड, आदि राज्यों मे समितियों की स्थापना की गई। 1774 मे, जब अमरीका मे नवीन संविधान लागू हुआ तो कांग्रेस को शुरू से ही समितियों की आवश्यकता प्रतीत हुई। 1795 मे, पहली बार "कमेटी आन वेज एण्ड मीन्स' की स्थापना हुई। उसका सभापति एलबर्ट गैलटिन नामक एक व्यक्ति हुआ करता था। उसने इस समिति को इतना प्रबल बनाया कि थोड़े ही काल में सरकार के सारे वित्तीय प्रस्ताव इस समिति के सामने आने लगे। 1795 से अभी तक के काल मे समय-समय पर अनेक समितियां स्थापित की जाती रही हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि अमरीका मे समितियों की संख्या सदैव स्थिर या बढ़ती नहीं रही है, वरन् उनकी संख्या मे कमी भी हुई है। 1904 मे, थियोडर रूजवेल्ट के काल मे हाउस ऑफ रिप्रेजैन्टेटिव मे 60 व सिनेट में 55 समितियां थी। हर्बर्ट हूवर के काल मे अर्थात् 1930 मे, इसके विपरीत

समितियों की संख्या कम हो गई थी। ट्रूमन के काल में समितियों की संख्या में पुनः वृद्धि हुई थी।

समितियों की संख्या में, जहां एक ओर ह्रास या वृद्धि होती रही है, वहां समितियों की कार्य-प्रणाली में भी परिवर्तन होता रहा है। 1906 तक स्थायी समितियों की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा की जाती थी, बाद में लोग अध्यक्ष के इस अधिकार से ईर्ष्या करने लगे और 1910-11 में, इस दिशा में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, जिसके अनुसार समितियों के सदस्यों की नियुक्ति के लिए वहां एक समिति की नियुक्ति की गई। 1945 में, अमरीकी समिति व्यवस्था (और समिति व्यवस्था ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण संसदीय प्रणाली) में एक महत्त्वपूर्ण घटना हुई। वह घटना थी कांग्रेस के पुनर्गठन पर विचार करने के लिए एक संयुक्त समिति की नियुक्ति। इस समिति ने जो सुझाव दिए थे, उनमें समिति-व्यवस्था विषयक सुझाव महत्त्वपूर्ण हैं। इस समिति के सुझाव कांग्रेस द्वारा स्वीकृत किए गए और एक अधिनियम पारित किया गया, जो 'लेजिस्लेटिव रिऑर्गेनाइजेशन ऐक्ट, 1946' के नाम से प्रख्यात है। इस अधिनियम के अनुसार, अमरीकी स्थायी समितियों के कृत्यों में जो परस्पर सीमोल्लंघन था, वह दूर *किया गया। समिति ने, विशिष्ट या प्रवर समितियों का भी विरोध* किया। समिति ने, सीनेट की समितियों की संख्या को 34 से घटा कर 15 किया व हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव की समितियों की संख्या भी 49 से घटा कर 19 निश्चित की।

भारत में समिति-प्रथा* का विकास :

भारत में समिति-प्रथा का प्रारम्भ प्रथम विधि-सभा की शुरुआत से अर्थात् 1854 से ही मिलता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल (1854-61) ने, 20 मई, 1854]

---

* "समिति" शब्द हिन्दी में "कमेटी" के लिए किस प्रकार प्रयुक्त होने लगा, यह कहना कठिन है। प्राचीन भारत में जब "सभा" और "समिति" शब्दों का प्रयोग होता था तो वह दूसरे अर्थों में था। ऋग्वेद में, जहां सर्वप्रथम *"सभा" और समिति शब्दों का प्रयोग हुआ है, वहां "सभा" से अर्थ वयोवृद्धों की सभा, बुद्धिमानों का समूह तथा श्रीमान्* से था। "समिति" शब्द का प्रयोग वहां लोगों की आम-सभा से था। ऋग्वेद के बाद अथर्ववेद में, इन्हीं अर्थों में "सभा" और "समिति" शब्द प्रयुक्त हुए हैं।

को अर्थात् पहली बैठक में ही अपने 'स्टैंडिंग ऑर्डर्स' बनाने के लिए एक समिति की नियुक्ति की थी। इस समिति के 4 सदस्य थे। इसके सिवा विधेयकों के खण्डो पर विचार करने के लिए एक प्रवर समिति को साक्ष्य लेने विषयक अधिकार न दिए जाने पर भी उस समय विचार किया गया था। 1856 मे, एक प्रवर समिति भी उस कार्य के लिए नियुक्त की गई थी। चूंकि उसमे कार्यकारिणी व विधायी संस्था के सम्बन्ध का प्रश्न निहित था, उस समिति का कार्य खण्डो पर विचार करने तक ही सीमित रहा। लेजिस्लेटिव काउंसिल (1854-61) मे एक संपूर्ण सदन-समिति नियुक्त करने की भी प्रथा थी, जो प्रवर समितियो द्वारा विचार किए जाने पर विधेयको पर विचार करती थी। पहली बार ऐसी संपूर्ण सदन-समिति 1 जुलाई, 1854 को नियुक्त हुई थी। उसके बाद भी संपूर्ण समिति की नियुक्ति कई अवसरो पर हुई थी। 1862-1920 के काल मे, वित्तीय विवरण पर विचार करने के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा संपूर्ण सदन-समिति की नियुक्ति का भी गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया डिस्पैच, 1908 मे उल्लेख मिलता है। संपूर्ण सदन समिति की ही तरह प्रवर समितियो की प्रथा भी पहले से थी। लेजिस्लेटिव काउंसिल (1854-61) एक प्रवर समिति नियुक्त किया करती थी, जिसका काम काउंसिल के प्रत्येक सदस्य को बकाया काम का विवरण करना था।

आधुनिक काल मे भारत मे संसदीय समितियो का विकास 1921 से मिलता है। 1922* मे, सैन्ट्रल लेजिस्लेटिव एसेम्बली द्वारा लोक-लेखा-समिति और संयुक्त

कदाचित् आज के अर्थ मे समितियो का तब प्रयोग ही न था। बौद्धकाल मे आज की 'सभापति-तालिका' जैसी एक व्यवस्था थी, जिसे 'उद्वाहिका सभा' कहा जाता था जिसमे विभिन्न दलो के नेतागण हुआ करते थे व जिनका उद्देश्य सभा को किसी निश्चय पर आने मे मदद करना हुआ करता था। शायद उसी से 'समिति' का आरम्भ हुआ। फिर भी यह स्पष्ट नही है कि 'समिति' शब्द का प्रयोग संकुचित अर्थ मे कब से होने लगा।

* इस सम्बन्ध मे एक और प्रकार की समितियो का उल्लेख करना चाहिए, जो यद्यपि पूर्ण अर्थ मे संसदीय समितियाँ तो न थी, क्योकि उनके लिए संसदीय प्रक्रिया मे कोई व्यवस्था न थी, फिर भी वे संसद सदस्यो मे गठित होती थी व उनकी नियुक्ति भी संसद मे पारित प्रस्ताव द्वारा

व प्रवर समिति की स्थापना की गई थी। लोक-लेखा-समिति प्रत्येक वर्ष नियुक्त की जाती थी व उसके 12 सदस्य हुआ करते थे। समिति के निम्न कार्य होते थे :—

(1) इस बात का समाधान करना कि विधान-सभा द्वारा अनुमोदित वित्त उसी प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराया गया है, जो विधान-सभा के अनुदान में उल्लिखित था।

(2) विधान-सभा को निम्न बातो से सूचित करना :—

(अ) एक अनुदान से दूसरे अनुदान मे लगाए गए पुर्नविनियोजन,

(ब) वित्त-विभाग द्वारा जारी किए गए नियमो के विरुद्ध एक ही अनुदान के अन्तर्गत पुर्नविनियोजन;

(स) ऐसे अन्य व्यय, जिनके बारे मे वित्त-विभाग ने विधान-सभा को सूचित करने का आदेश दिया हुआ हो।

प्रवर समितियाँ, विधेयको पर विचार होते हुए किसी सदस्य के तदुद्देश्यक प्रस्ताव पारित किए जाने पर नियुक्त हुआ करती थी। जिस विभाग से विधेयक का

होती थी। ये विभिन्न विभागो के लिए नियुक्त 'स्थायी समितियाँ' थी। ये समितियाँ 1922 मे, पहली बार नियुक्त की गई थी। इनका उद्देश्य सदस्यो को विभागीय, कार्य से परिचित कराना तथा विधि-सभा और सरकार के बीच सामंजस्य स्थापित कराना था। आरम्भ मे, इन समितियो के सदस्यो की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा हुआ करती थी, पर 1931 से इन सदस्यो का चुनाव स्वयं विधि-सभा द्वारा किया जाने लगा। इन्ही से मिलती-जुलती समितियाँ, वित्त-विभाग व रेल-विभाग के लिए नियुक्त स्थायी वित्तीय समितियाँ थी। ये सब समितियाँ स्वतन्त्रता मिलने के बाद समाप्त कर दी गई, क्योकि यह अनुभव किया गया कि जब कार्यकारी (सरकार) संसद् के प्रति उत्तरदायी है, तब इस प्रकार की *समितियो की कोई आवश्यकता नही। इन समितियों का सभापति हमेशा* विभाग विशेष का मन्त्री होता था। अब इन समितियों का स्थान प्रत्येक मंत्रालय की अनौपचारिक सलाहकार समितियो ने ग्रहण कर लिया है, जिसका विवरण परिशिष्ट 3 मे दिया गया है।

सम्बन्ध हो, उस विभाग का मन्त्री, विधेयक पेश करनेवाला सदस्य तथा गवर्नर जनरल की एक्जीक्यूटिव काउंसिल का विधि-सदस्य (यदि वह एसेम्बली का सदस्य हो तो) प्रवर समिति के सदस्य हुआ करते थे। इन दो सदस्यों के अतिरिक्त, प्रस्ताव में प्रस्तावित सदस्य समिति के सदस्य नियुक्त किए जाते थे, यदि कानून मंत्री समिति का सदस्य होता तो वही समिति का सभापति नियुक्त किया जाता था। सम्बन्धित विभाग के मंत्री को, समिति का सदस्य न होते हुए भी समिति की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता था। प्रवर समितियाँ आज की तरह सभा को प्रतिवेदन भी पेश करती थीं। प्रतिवेदन पेश होने तक समिति का कार्य गुप्त* माना जाता था। यदि कोई सदस्य चाहता तो वह विमति-टिप्पणी देने के अधिकार का भी प्रयोग कर सकता था। प्रतिवेदन सभा को पेश होने के बाद, यदि कोई सदस्य चाहता तो उसे पुनः प्रवर समिति नियुक्त करने के लिए प्रस्ताव पेश करने का अधिकार होता था।

प्रवर समिति जिन अवस्थाओं में नियुक्त होती थी, उन्हीं अवस्थाओं में संयुक्त प्रवर समिति की नियुक्ति के लिए भी प्रस्ताव पेश किया जा सकता था। संयुक्त प्रवर समिति में दोनों सदनों के सदस्य हुआ करते थे। संयुक्त प्रवर समिति का सभापति समिति द्वारा चुना जाता था। समिति की बैठकों का समय तथा स्थान काउंसिल के अध्यक्ष द्वारा निश्चित किया जाता था।

1922 के नियमों में, एक और समिति की योजना की गई जो सभा के स्टैंडिंग ऑर्डर्स के सम्बन्ध में दिए गए संशोधनों पर विचार करने के लिए थी। यह समिति सभा द्वारा तत्सम्बन्धी प्रस्ताव पारित होने पर नियुक्त की जाती थी। अध्यक्ष इसका सभापति हुआ करता था व उपाध्यक्ष इसका सदस्य हुआ करता था। इसके अतिरिक्त 7 अन्य सदस्य इसके सदस्य हुआ करते थे।

---

* इस सम्बन्ध में, एक मनोरंजक घटना उल्लेखनीय है। 1922 में, संयुक्त प्रान्त सरकार ने, वहाँ की लेजिस्लेटिव काउंसिल की एक समिति के अधीन विषय पर एक प्रेस-विज्ञप्ति जारी की। यह समिति के विशेषाधिकार की अवहेलना थी। अतएव सरकार को समिति से क्षमा मांगनी पड़ी। (देखिए "ए हैण्डबुक ऑफ इन्डियन लजिस्लेचर्स" आर० आर० सक्सेना पृष्ठ 151)

1926 में, एक और समिति की स्थापना की गई थी और वह थी याचिका-समिति। यह समिति प्रत्येक सत्र के आरम्भ में नियुक्त होती थी व उसके 4 सदस्य हुआ करते थे। उपाध्यक्ष इसका सभापति हुआ करता था। सदस्य का नाम अध्यक्ष निर्देशित किया करते थे। समिति, प्रत्येक सौंपी गई याचिका पर, विचार कर सभा को प्रतिवेदन पेश किया करती थी। इसके सिवा इस समय प्रवर समितियों के कुछ अन्य नियमों में भी परिवर्तन किए गए थे, उदाहरणार्थ यह तय किया गया कि प्रवर समितियों की बैठकों के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता होगी। इसी तरह यह भी प्रथा हो चली थी कि प्रवर समितियों की रिपोर्ट जब पेश होगी, तब विधेयक पर बहस जहाँ तक हो सके, केवल उन विषयों पर होगी; जिन विषयों पर प्रवर समिति ने कुछ कहा हो। इसके बाद, 1947 तक समिति-व्यवस्था में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ। इस काल में, राजनैतिक वाद विवाद पर अधिक जोर दिया जाता था और सदस्यों का ध्यान इस बात पर कम था कि विधेयक संयुक्त समिति से पारित होता है या एक ही सभा की समिति से। यह कहना भी गलत न होगा कि संसद्-सदस्यों के कार्य का क्षेत्र, संसद् के बाहर अधिक था और अन्दर कम।

स्वतन्त्रता मिलने के बाद संसद के रचनात्मक ध्येय पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा और यह विचार किया जाने लगा कि संसद को किस प्रकार वास्तविक रूप में सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न संस्था बनाया जाए। यह कहना गलत न होगा कि सेन्ट्रल लेजिस्लेटिव एसेम्बली को उतने अधिकार न थे, जितने स्वतन्त्रता के बाद संसद् को संविधान ने दिए। अतएव स्वतन्त्रता के पहले संसद्-सदस्यों के विशेषाधिकार या सरकारी आश्वासनों पर निगरानी रखने आदि का प्रश्न ही नहीं उठता था। इस काल में, मावलंकर जैसे स्वतन्त्र विचारवाले व्यक्ति का अध्यक्ष होना भी एक महत्त्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि उन्होंने संसदीय प्रभुसत्ता को यथार्थ बनाने की चेष्टा की और इस दिशा में संसदीय प्रक्रिया में जितने भी परिवर्तन आवश्यक थे किए भले ही वे परिवर्तन समितियों के विषय में रहे या प्रश्नों के विषय में।

इस नवीन परिस्थिति के परिणामस्वरूप 1950 में नियम-समिति, प्राक्कलन समिति तथा विशेषाधिकार-समिति की स्थापना हुई। 1952 में, कार्य-मंत्रणा-समिति की स्थापना की गई। पुनः 1953 में संसद् की बैठकों से सदस्यों के अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में एक समिति, सरकारी आश्वासनों पर विचार करने के लिए समिति व

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति की स्थापना हुई। समिति-व्यवस्था के अत्याधुनिक विकास का उदाहरण 1954 में नियुक्त, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर विचार करने के लिए नियुक्त समिति, सामान्य प्रयोजन-समिति तथा सदस्यों के भत्ते व वेतन सम्बन्धी संयुक्त समिति है। हाल में दो नवीन समितियाँ स्थापित की गई है और वे हैं लाभ के पदों पर विचार करने के लिए नियुक्त होनेवाली लाभपदों सम्बन्धी समिति (1959), व सरकारी उपक्रमों से सम्बन्ध रखनेवाली समिति (1964)।

अध्याय 4

समितियों के प्रकार

प्रत्येक देश की विभिन्न ससदीय व्यवस्थाओ तथा वहां की राजनैतिक प्रणाली के अनुसार वहा की समितियो मे परस्पर भेद होना स्वाभाविक है। यह भी आवश्यक नही कि एक देश मे एक ही प्रकार की समितियां हो। एक विशिष्ट व्यवस्था के अन्तर्गत रहते हुए भी प्रयोजन की भिन्नता के अनुसार कई प्रकार की समितियाँ हो सकती है। मुख्य देशो की समितियो को देखते हुए समितियो को निम्न श्रेणियों मे रखा जा सकता हैं —

1. स्थायी समितियां,
2. विशिष्ट समितियां अथवा प्रवर समितियां;
3. संयुक्त समितियां;
4. सम्पूर्ण सदन समितियां; तथा
5. सभाभाग।

स्थायी समितियां :

स्थायी समितियां, वे समितियां हैं, जो किसी विशिष्ट विषय या विषयो की जांच के लिए सभा द्वारा नियुक्त की गई हो। अन्य सभी समितियो मे स्थायी समितियां अत्यन्त सुगठित रूप मे पाई जाती है। स्थायी समितियों का विभिन्न देशो मे स्वरूप अलग-अलग है और उनके नामो मे भी थोडा बहुत अन्तर है, जैसे फ्रास मे उन्हे 'परमानेन्ट कमेटी' व इग्लैण्ड मे 'स्टैन्डिग कमेटी' कहा जाता है। एक ही नाम होते हुए उनके स्वरूप मे भेद हो सकता है, जैसे अमरीका और इग्लैण्ड दोनो देशो में, 'स्टैन्डिग कमेटी' शब्द प्रचलित है, पर जहा अमरीका की 'स्टैन्डिग कमेटी' अपने क्षेत्र मे किसी विधेयक पर विचार करती हैं, वहां इग्लैण्ड की 'स्टैन्डिग कमेटी' केवल उन्ही विधेयको पर विचार करती हैं, जिन्हे हाउस ऑफ कॉमन्स ने खास कर उन्हे सौपा हो। इसके विपरीत सारी स्थायी समितियो मे एक बात सामान्य

है, जो प्रवर समितियो अथवा सयुक्त समितियो मे नही मिलती और वह यह कि इसमे समिति की अवधि लम्बी होती है, और विषय हमेशा के लिए निर्धारित होते हैं। उनकी सदस्यता भी अन्य समितियों की अपेक्षा कही अधिक व्यापक होती है। अवधि के बारे मे, यह कहा जा सकता है कि साधारणतया उनकी अवधि उतनी ही होती है, जितनी कि विधान-सभा की अर्थात् यह प्राय आम चुनावो के बाद निर्वाचित सभा द्वारा नियुक्त होती हैं और सभा के कार्यकाल तक रहती है। विषयों के सम्बन्ध मे यह उल्लेखनीय है कि ससद भले ही आम चुनाव के बाद पुनर्गठित हो जाए, पर समितियो के उद्देश्य वही बने रहते है। उदाहरणार्थ, अमरीका की स्थायी समितियों के कृत्य 1946 के लेजिस्लेटिव रिऑर्गेनाइजेशन ऐक्ट के बाद से बराबर वही बने रहे है।

अमरीका मे स्थायी समितियो का प्रचार अत्यधिक मात्रा मे है। कहा जाता है कि किसी समय अमरीका के हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव तथा सीनेट मे कुल मिलाकर लगभग 500 स्थायी समितियाँ थी, पर पूर्वोक्त लेजिस्लेटिव रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद से, अब हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव मे 19 स्थायी समितियाँ व सीनेट मे 14 समितियाँ हैं। जैसा कि परिशिष्ट 4 से विदित होगा, ये समितियाँ राज्य के सारे विषयो पर पारस्परिक विचार विमर्श करती हैं। यह आवश्यक नही कि इन समितियो मे सभी की बैठकें व इनके कार्य समान हो। अमरीका मे मन्त्रीमण्डल की प्रथा न होने के कारण, सभी विषयो की काग्रेस की किसी न किसी समिति द्वारा जाँच किया जाना अब भी वहाँ की जनता को आवश्यक प्रतीत होता है।

इग्लैण्ड मे भी स्थायी समितियो की प्रथा है। ये समितियाँ तदर्थ समितियो व अमरीकी स्थायी समितियो का समन्वय है। वहा मुख्यत 3 स्थायी समितियाँ हैं (1) स्काटिश स्टैन्डिग कमेटी (2) स्टैंडिग कमेटी आन गवर्नमेन्ट बिल्स, तथा (3) स्टैन्डिग कमेटी ऑन प्राइवेट मेम्बर्स बिल्स। द्वितीय महायुद्ध के पहले हाउस ऑफ कॉमन्स मे 5 से अधिक स्थायी समितियाँ नही नियुक्त की जा सकती थी, पर अब चाहे जितनी स्थायी समितियाँ नियुक्त की जा सकती है। अमरीका और फ्रास के विपरीत, इग्लैण्ड की स्थायी समितियो (स्टैन्डिग कमेटीज) का कोई खास नाम नहीं होता और वे विधेयकों की सख्या के अनुसार स्टैन्डिग कमेटी 'ए.' स्टैन्डिग कमेटी 'बी' आदि अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दो के अनुसार सूचित की जाती है। इग्लैण्ड मे स्थायी समितियो को, "सम्पूर्ण सदन-समितियो का अश" कहा गया है। सवैधानिक व इस तरह के अन्य महत्वपूर्ण विषयो को छोडकर शेष पर स्थायी समितियो द्वारा ही विचार

किया जाता है। अमरीका की तरह इंग्लैण्ड में भी जब स्थायी समितियाँ नियुक्त की गई थी, तो उद्देश्य यह था कि विधेयकों की किस्मों के अनुसार विभिन्न समितियाँ हों, पर प्रत्येक सत्र में हर विषय पर समान मात्रा में विधेयक पेश न हो सकने के कारण इस उद्देश्य को परिवर्तित करना पड़ा और अब केवल आवश्यकतानुसार ही वहाँ समितियाँ नियुक्त की जाती हैं।

इग्लैण्ड की तुलना में, फ्रांस में समितियों का प्रचार अधिक है। वहा इस तरह की आजकल 19 समितियाँ हैं, जो किसी न किसी सरकारी क्षेत्र के कार्य पर विचार करती हैं। प्रथा यह है कि नेशनल एसेम्बली का प्रेजिडेन्ट (अध्यक्ष) जब किसी विधेयक को एसेम्बली के सामने लाता है तो उसे उपयुक्त समिति के सामने विचारार्थ पेश किया जाता है। यदि प्रेजिडेन्ट विधेयक को उपयुक्त स्थायी समिति के सम्मुख न ला सके तो एसेम्बली यह निर्णय करती है कि विधेयक किस समिति को विचारार्थ पेश किया जाएगा। समितियों के महत्त्व के कारण फ्रांसीसी समिति-प्रणाली में यह एक प्रथा है कि कोई सदस्य दो से अधिक स्थायी समितियों का सदस्य नहीं हो सकता।

स्थायी समितियों की प्रथा कनाडा में भी प्रचलित है। वहा प्रतिवर्ष हाउस ऑफ कॉमन्स में 17 स्थायी* समितियाँ नियुक्त की जाती है। ये समितियाँ विधेयकों तथा प्रावक्कलनों पर विचार करने के लिए नियुक्त की जाती हैं। कभी-कभी ये किसी जाँच के लिए भी नियुक्त की जाती हैं। इन समितियों की नियुक्ति के लिए वहां हरएक सत्र के प्रारम्भ में, एक "कमेटी ऑन सेलेक्शन" नियुक्त की जाती है, जो उपर्युक्त समितियों के लिए सदस्य चुनती है। कनाडा की समिति प्रथा की यह विशेषता है कि वहा स्थायी समितियाँ होते हुए सम्पूर्ण सदन समितियाँ भी हैं; इस मामले में, वहा इंग्लैण्ड और अमरीका की समिति-व्यवस्थाओं का सम्मिश्रण नजर आता है।

आस्ट्रेलिया में भी स्थायी समिति की प्रथा है। वहा केवल 5 स्थायी समितियाँ नियुक्त की जाती हैं: (1) कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस (2) लाइब्रेरी कमेटी (3) हाउस कमेटी (4) प्रिंटिंग कमेटी, तथा (5) स्टैन्डिंग ऑर्डर्स कमेटी। इन स्थायी समितियों की रचना और कार्य-पद्धति इंग्लैण्ड की पद्धति के अनुरूप ही है।

फ्रांस, अमरीका, व उपर्युक्त राष्ट्रमंडलीय देशों के अतिरिक्त यूरोप के

* इन समितियों के नाम परिशिष्ट 4 में देखिए।

विभिन्न देशो मे भी स्थायी समितियो की नियुक्ति की प्रथा है। उदाहरणार्थ :—

बेल्जियम : यहा एक सदन मे 17 व दूसरे सदन मे 15 स्थायी समितियो की नियुक्ति की प्रथा है। ये समितियाँ फ्रास की पर्मानेन्ट कमेटीज़ के अनुरूप काम करती हैं। समितियो का उद्देश्य विधेयको तथा याचिकाओं पर विचार करना होता है। ये समितियाँ विभिन्न सरकारी विभागो के अनुरूप होती हैं।

इटली : यहाँ दोनो सदनो मे 11 स्थायी समितियाँ नियुक्त की जाती हैं। ये समितियाँ भी फ्रास की स्थायी समितियो के अनुरूप होती हैं।

नार्वे : यहाँ 12• स्थायी समितियाँ होती हैं। ये अमरीकी स्थायी समितियो के अनुरूप ही हैं।

स्वीडन : यहा 9• स्थायी समितियाँ नियुक्त करने की प्रथा है।

सघीय जर्मन गणराज्य : यहा के बुन्डेस्टैग मे 28 स्थायी समितियाँ नियुक्त करने की प्रथा है। ये समितियाँ अमरीकी स्थायी समितियो से मिलती-जुलती है।

इसी तरह रूस, यूगोस्लाविया, आस्ट्रिया, जापान, स्पेन, इजराइल, फिनलैण्ड, लुक्सेम्बर्ग, नीदरलैण्ड, आदि मे भी स्थायी समितियाँ नियुक्त की जाती हैं।

भारतीय ससदीय प्रक्रिया तथा कार्य-सचालन सम्बन्धी नियमो में यद्यपि कही 'स्थायी समिति' शब्द प्रयुक्त नही हुआ है, फिर भी यहा किसी न किसी अर्थ मे स्थायी समितियाँ नियुक्त करने की प्रथा है। भारत में इन्हे 'ससदीय समितियो' की संज्ञा दी गई है। इन समितियो के उदाहरण है लोक-सभा के अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, सरकारी आश्वासनो सम्बन्धी समिति, विशेषाधिकार-समिति, इत्यादि राज्य सभा की याचिका-समिति, विशेषाधिकार-समिति, इत्यादि। इन समितियो का विस्तृत विवेचन अध्याय 5 मे किया गया है।

भारतीय स्थायी समितियाँ अन्य देशो की स्थायी समितियो से इसलिए

• नार्वे मे नियुक्त स्थायी समितियो के नाम परिशिष्ट 4 मे देखिए।

• स्वीडन मे नियुक्त स्थायी समितियों के नाम परिशिष्ट 4 मे देखिए।

भिन्न हैं कि जहां अन्य देशों की स्थायी समितियों का उद्देश्य, मुख्यतः विधेयकों पर विचार करना है, वहां भारतीय स्थायी समितियां विधेयकों पर बिलकुल विचार नहीं करतीं। फिर भी इन्हें स्थायी समिति इसलिए कहा जाता है कि ये प्रतिवर्ष नियुक्त की जाती हैं और इनके कार्य स्थायी हैं। इस प्रकार के उदाहरण श्रीलंका (स्टैन्डिंग हाउस कमेटी, स्टैन्डिंग कमेटी ऑन पब्लिक पिटीशन्स, स्टैन्डिंग कमेटी ऑन पब्लिक एकाउन्ट्स) बर्मा (प्रीविलेजेस कमेटी, पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी) में भी मिलते हैं।

विशिष्ट समितियां अथवा प्रवर समितियां : -

प्रवर समितियां वह समितियां हैं, जो सभा के आन्तरिक विषयों पर विचार करने के लिए अथवा महत्वपूर्ण जाँच करने के लिए अथवा कभी कभी तकनीकी विचार करने के लिए सभा द्वारा नियुक्त की जाती हैं। पिछले दो उद्देश्यों से निर्मित समितियों को कभी कभी तदर्थ समिति भी कहा जाता है। इन दोनों ही प्रकार की समितियां, कुछ देशों में विशिष्ट समितियों* के नाम से भी जानी जाती हैं।

इंग्लैण्ड में प्रवर समितियों के दो भेद हैं (1) विशिष्ट प्रश्नों अथवा विधेयकों पर विचार करने के लिए समय-समय पर नियुक्त समितियां और (2) प्रत्येक सत्र में लगभग निश्चित विषयों पर जाँच करने के लिए नियुक्त प्रवर समितियां। पहले प्रकार की समिति का उदाहरण 'कमेटी ऑन पार्लियामेन्टरी इलेक्शन्स (स्पीकर्स सीट 1938 39)' है और दूसरी का उदाहरण सेलेक्ट कमेटी ऑन एस्टीमेट्स, सेलेक्ट कमेटी ऑन पब्लिक एकाउन्ट्स आदि है। दूसरी प्रकार के समितियों की पुन दो भेद हैं (1) स्टैन्डिंग ऑर्डर्स के अनुरूप नियुक्त की गई समितियां और (2) सभा के प्रस्ताव द्वारा नियुक्त समितियां। सेलेक्ट कमेटी ऑन पब्लिक एकाउन्ट्स आदि समितियां स्टैन्डिंग ऑर्डर्स के अनुसार नियुक्त होती हैं और कमेटी ऑन प्रिवीलेजेस, स्टैचुटरी इन्स्ट्रूमेन्ट कमेटी आदि प्रत्येक सत्र में सभा द्वारा प्रस्ताव पारित कर नियुक्त की जाती हैं।

---

* अमरीका में भी कभी-कभी विशिष्ट समितियां नियुक्त की जाती हैं, पर यह बिल्कुल अपवाद के तौर पर होता है। लेजिस्लेटिव रिऑर्गेनाइजेशन मंत्र, 1946 ने विशिष्ट समितियों की नियुक्ति का सख्त विरोध किया था। (देखिए "लेजिस्लेटिव प्रासेज इन कांग्रेस" गॅलोवे—पृष्ठ 306)

आयरलैंड मे, प्रत्येक सभा के कार्य-काल मे निम्न प्रवर समितियाँ नियुक्त की जाती हैं (1) सेलेक्ट कमेटी ऑन लाइब्रेरी (2) सेलेक्ट कमेटी रेस्टोरेन्ट (3) सेलेक्ट कमेटी ऑन कन्सोलिडेशन ऑफ बिल्स (4) सेलेक्ट कमेटी ऑन प्रोसिज्योर एण्ड प्रिविलेजेस (5) सेलेक्ट कमेटी ऑन सेलेक्शन ऑफ मेम्बर्स (6) सेलेक्ट कमेटी ऑन प्राइवेट बिल्स एण्ड स्टैंन्डिग ऑर्डर्स। इसके विपरीत डेनमार्क मे प्रवर समितियो की प्रथा बहुत प्रचलित है।

आयरलैंड की तरह बेल्जियम मे भी प्रत्येक सदन मे प्रवर समितियाँ नियुक्त करने की प्रथा है, लेकिन ये विशिष्ट समितियो के नाम से जानी जाती हैं। उदाहरणार्थ (1) क्रिडेन्शियल्स कमेटी (2) स्टैंन्डिग ऑर्डर्स एमेन्डमेन्ट कमेटी (3) फाइनेन्स एण्ड अदर एप्रोप्रियेशन कमेटी तथा (4) विधेयकों पर विचार करने के लिए नियुक्त समितियां। दक्षिणी अफ्रीका मे भी प्रत्येक सत्र के लिए प्रवर समितियां नियुक्त करने की प्रथा है, उदाहरणार्थ वहा निम्न समितियां प्रत्येक सत्र के, आरम्भ मे नियुक्त की जाती हैं —

1) कमेटी ऑन स्टैंन्डिग रूल्स एण्ड ऑर्डर्स
2) प्रिंटिंग कमेटी
3) बिजिनेस कमेटी
4) पब्लिक एकाउट्स कमेटी
5) रेलवेज एण्ड हार्बर्स कमेटी
6) पेंशन्स ग्रान्ट्स एण्ड ग्रेच्यूटीज कमेटी
7) क्राउन लैन्ड्स कमेटी
8) नेटिव एफेयर्स कमेटी
9) इरिगेशन मैंटर्स कमेटी
10) इटरनल अरेन्जमेन्टस कमेटी, तथा
11) लाइब्रेरी ऑफ पार्लियामेन्ट कमेटी

कनाडा मे भी प्रवर अथवा विशिष्ट समितियाँ नियुक्त करने की प्रथा है। कुछ विशिष्ट समितियां, उदाहरणार्थ, "कमेटी ऑन रेल्वेज एण्ड शिपिंग" वहाँ

प्रत्येक सत्र मे नियुक्त होती है व इस प्रकार की समितियाँ स्थायी समितियो से मिलती-जुलती हैं।

फ्रांस, इटली, नारवे और आस्ट्रेलिया मे भी प्रवर या विशिष्ट समितियाँ नियुक्त करने की प्रथा है, पर उनका प्रचलन कम है। इसके विपरीत डेनमार्क मे प्रवर समितियो की प्रथा बहुत अधिक प्रचलित है। अमरीका मे स्थायी समितियो की प्रथा अत्यधिक व्यापक होने के कारण, वहा प्रवर समितियो की नियुक्ति की विशेष आवश्यकता नही पडती, फिर भी वहा प्रवर समितियो की नियुक्ति* की प्रथा है। अभी तक वहा हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव मे 34 प्रवर समितिया नियुक्त हो चुकी है, जिनमे निम्न 5 पिछले कुछ वर्षों मे अधिक ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं: (1) दि सेलेक्ट कमेटी ऑन फारेन एड (2) फटिन कमेटी (3) दि कमेटी ऑन कम्यूनिस्ट एग्रेशन (4) दि कमेटी ऑन सरवाइवर बेनेफिट्स (5) दि कमेटी ऑन न्यूज प्रिंट सप्लाईज (6) दि कमेटी ऑन वेटरन्स एजुकेशन (7) दि कमेटी ऑन पार्नोग्राफिक मैटिरियल्स (8) दि कमेटी ऑन स्पेस तथा (9) दि कमेटी ऑन स्माल बिजिनेस।

भारत मे लोक-सभा और राज्य-सभा दोनो मे प्रवर समितियाँ नियुक्त करने की प्रथा है, पर ये समितियाँ केवल विधेयको पर विचार करने के लिए नियुक्त की

---

* 1) अमरीका मे प्रवर समितियो की स्थापना के उद्देश्य कुछ विशेष रहे हैं। ये उद्देश्य है (अ) ऐसे मामलों से सम्बद्ध दलो को स्थान दिलाना जिन्हे स्थायी समितियो मे स्थान नही मिल पाया, (ब) व्यक्तिगत समस्याओ के सुलझाने के लिए अथवा किसी व्यक्ति के अनुभव व उसकी विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए, (स) किसी स्थायी समिति के परिहार करने के लिए, जब यह समझा जाता हो कि वह स्थायी समिति प्रयोजन के लिये अनुपयुक्त है। (द) जब एक ही विषय कई स्थायी समितियो के कार्य-क्षेत्र मे आता है, तब इस अतिच्छादन को दूर करने के लिए।

पहले उद्देश्य से निर्मित प्रवर समिति का उदाहरण है: कम्युनिस्ट एग्रेशन की परीक्षा के लिए नियुक्त फटिन कमेटी। दूसरी का उदाहरण है: कमेटी ऑन न्यूजप्रिंट सप्लाईज। तीसरी के उदाहरण हैं: कमेटी ऑन फारेन एड तथा कमेटी ऑन वेटरेन एजूकेशन। चौथी के उदाहरण हैं: कमेटी ऑन सर्वाइवर बेनेफिट्स।

जाती हैं। प्रथम लोक-सभा के कार्य-काल में, लोक-सभा व राज्य-सभा दोनों में 58 प्रवर समितियाँ नियुक्त की गई थी। द्वितीय लोक-सभा के कार्य-काल में केवल लोक-सभा में 39 प्रवर समितियाँ नियुक्त की गई थी। लोक-सभा में समय-समय पर तदर्थ समितियाँ भी नियुक्त की गई हैं, जैसे लाभपदों सम्बन्धी समिति, प्रत्येक पाँच वर्ष बाद नियुक्त की जानेवाली रेलवे अभिसमय समिति, हिन्दी शब्दावली समिति, *द्वितीय तथा तृतीय पचवर्षीय योजना पर विचार करने के लिए नियुक्त समितियाँ* इत्यादि। इन समितियों का विस्तृत वर्णन परिशिष्ट 2 में दिया गया है। किसी अर्थ में भारत की सभी प्रवर समितियाँ विशिष्ट समितियाँ हैं, क्योंकि जहाँ इग्लैण्ड आदि देशों में विधेयकों पर विचार करने के लिए नियमित रूप से समितियाँ नियुक्त की जाती हैं, वहाँ भारत में जब प्रत्येक विधेयक पर विचार करना हो तभी समिति *नियुक्त की जाती है व कार्य होने पर वह अपने आप विघटित भी हो जाती है।* ऐसी ही प्रथा बर्मा, श्रीलंका व आयरलैण्ड में है।

सयुक्त समितियाँ :

जैसाकि इसके शब्दार्थ से ही पता चलता है, सयुक्त समितियाँ दो सदनों की समितियों का योग है। यह योग दो सदनों द्वारा अलग-अलग समितियाँ स्थापित करते हुए, यदि वे एक साथ काम करें, तो भी हो सकता है (उदाहरणार्थ, अमरीका की 'कमेटी ऑन एटॉमिक एनर्जी,' जिसमें समिति की रिपोर्ट दोनों सदनों को प्रस्तुत की जाती है) अथवा यह एक ही सदन की समिति हो सकती है, पर उसमें दूसरे सदन के प्रस्ताव से, उसके सदस्य इसमें नाम निर्देशित हो सकते हैं। भारतीय ससद की सयुक्त समितियाँ इसी प्रकार नियुक्त की जाती हैं।

अमरीका में सयुक्त समितियों का अत्यधिक प्रचार है। वहाँ काग्रेस की 10 स्थायी संयुक्त समितियाँ हैं, जिनमें निम्न उल्लेखनीय हैं :—

(1) *कोलम्बिया के पुनर्गठन के लिए नियुक्त सयुक्त समिति,*
(2) विदेशी कार्यों पर विचार करने वाली सयुक्त समिति,
(3) मुद्रणालय सयुक्त समिति,
(4) *सरक्षा उत्पादन सयुक्त समिति तथा,*
(5) अणुशक्ति सयुक्त समिति,

इन स्थायी सयुक्त समितियो के अतिरिक्त कभी-कभी वहाँ संयुक्त जाँच समितियाँ भी नियुक्त की जाती हैं, जैसे कांग्रेस के सगठन पर विचार करने के लिए नियुक्त सयुक्त जाँच समिति। इन सयुक्त समितियो की नियुक्ति से ही मिलती-जुलती अमरीका मे एक और प्रथा है, 'जिसे कॉन्फ्रेंस कमेटी' की प्रथा कहते हैं। जब दो सदन एक ही विषय के विधेयक को अलग-अलग तरीके से पारित करते हैं तो उस मतभेद पर विचार करने के लिए दोनो सदनों के अध्यक्षों द्वारा ऐसी समितियाँ नियुक्त की जाती हैं। अनुभव से यह देखा गया है कि औसतन विधेयको व सकल्पो के 1/10 से 1/12 हिस्सो मे कॉन्फ्रेंस समितियो की प्रथा अपनाई गई है व इस तरह दो सदनो के मतभेद को दूर किया गया है। दक्षिणी अफ्रीका मे, अमरीका की तरह स्थायी संयुक्त समितियाँ तो नहीं हैं, पर वहाँ कॉनफरिंग कमेटी अर्थात् विमर्श-समिति नियुक्त करने की प्रथा है। कॉन्फ्रेंसेज का प्रचार स्विट्ज़रलैण्ड मे भी है। वहाँ उसे 'कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीमेन्ट' कहते हैं। कॉन्फ्रेंस का निमार्ण दोनों सदनों की तदर्थ समितियो के एकीकरण से होता है। अमरीकी 'कॉन्फ्रेंस कमेटी' से मिलती-जुलती समितियाँ सघीय जर्मन गणराज्य मे, 'परमानेन्ट आर्बिट्रेशन कमेटी' के रूप में देखी जा सकती है। जिसमे बुन्डेस्टॅग व बुन्डेस्रॅट के 11 सदस्य होते हैं। इस समिति का काम, यदि दोनों सदनो के बीच मतभेद हो तो उसे सुलझाना है। इस तरह की समितियाँ आस्ट्रिया मे भी पाई जाती हैं।

अमरीका की भाँति आस्ट्रेलिया मे भी सयुक्त समितियों का प्रचलन है। वहाँ जितनी स्टैच्युटरी अर्थात सवैधानिक समितियाँ हैं, वे सभी सयुक्त समितियाँ हैं। इनके सिवा विदेशी मामलो पर विचार करने के लिए व सविधान सम्बन्धी विषयो पर विचार करने के लिए भी वहाँ सयुक्त समितियाँ हैं। युद्धकाल मे, आस्ट्रेलिया में 7 स्थायी समितियाँ हुआ करती थी, जैसे —

(1) ज्वाइन्ट कमेटी ऑन सोशल सिक्योरिटी,

(2) ज्वाइन्ट कमेटी ऑन वार एक्सपेन्डीचर,

(3) ज्वाइन्ट कमेटी ऑन प्रॉफिट्स,

(4) ज्वाइन्ट कमेटी ऑन रूरल इन्डस्ट्रीज,

(5) ज्वाइन्ट कमेटी ऑन टैक्सेशन,

(6) ज्वाइन्ट कमेटी ऑन मैनपावर एन्ड रिसोर्सेज तथा,

(7) ज्वाइन्ट कमेटी ऑन ब्रॉडकास्टिन्ग।

अमरीका, आस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका और स्विट्जरलैण्ड के अतिरिक्त इंग्लैण्ड, फ्रांस, डेनमार्क, स्वीडन, जर्मनी व कनाडा में भी संयुक्त समितियाँ नियुक्त करने की प्रथा है। इंग्लैण्ड में एक संयुक्त समिति प्रतिवर्ष नियुक्त की जाती है और वह है *'कन्सॉलिडेशन बिल ज्वाइन्ट कमेटी'*। *इस संयुक्त समिति का काम एक सभा के* कार्य काल में पारित समस्त विधेयकों पर विचार करना होता है। स्टेचूला रिवीजन बिल्स पर विचार करना भी इस समिति का काम है। इंग्लैण्ड में संयुक्त समिति का एक ताजा उदाहरण 'ज्वाइन्ट कमेटी ऑन हाउस ऑफ लॉर्ड्स रिफार्म' है। इटली में भी इस तरह की समितियाँ होती हैं, जिनका काम स्टेट इंश्युरेन्स बैंक, रेडियो, कस्टम, व राज्य-ऋण आदि होता है। फ्रांस में, *1954 से एक संयुक्त समिति नियुक्त की जाती रही है, जिसका काम यात्रियों की सीमान्तर कठिनाइयों पर विचार करना* होता है। यह समिति, सीमा पार करते समय होनेवाले यातायात सम्बन्धी मामलों तथा निर्यात-शुल्क-पद्धति आदि पर विचार करती है।

भारत में भी संयुक्त समितियाँ नियुक्त करने की प्रथा है। जब ऐसे विषय सभा के विचाराधीन होते हैं, जिनका दोनों सदनों से सम्बन्ध होता है तब संयुक्त समितियाँ नियुक्त की जाती है। पर अमरीका, आस्ट्रेलिया या इंग्लैण्ड की तरह यहाँ अनेक स्थायी संयुक्त समितियाँ नियुक्त नहीं की जाती। संयुक्त समितियाँ भारत में प्राय (दो स्थायी संयुक्त समितियों को छोड़कर) प्रवर समितियाँ ही होती हैं। *अर्थात् जब विधेयकों पर विचार किया जाता है, तभी संयुक्त समितियाँ नियुक्त* होती हैं। स्थायी संयुक्त समितियों के नाम हैं - सदस्यों के वेतन व भत्ते सम्बन्धी संयुक्त समिति और लाभपदों सम्बन्धी संयुक्त समिति।

संयुक्त समिति के उद्देश्य को पूरा करनेवाली-पर संयुक्त समिति न कहलानेवाली दो समितियाँ (लोकलेखा समिति और सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति) ही ऐसी समितियाँ हैं, जिनमें लोक-सभा के अतिरिक्त राज्य-सभा के सदस्य भी सम्मिलित होते हैं।

सम्पूर्ण सदन समितियाँ :—

ये वे समितियाँ* हैं, जिनमें सारा सदन ही समिति के रूप में परिवर्तित हो

* *नीदरलैण्ड में जब सभा की गुप्त बैठक होती है तो उस बैठक को "सभा* का 'गुप्त समिति' के रूप में परिवर्तित हो जाना" कहते हैं। ऐसी गुप्त

जाता है। सदन के, समिति के रूप में, परिवर्तित हो जाने का यह चिन्ह है कि सदन का अध्यक्ष अपने स्थान से हट जाता है और उसका स्थान कोई अन्य सदस्य समिति के सभापति के रूप में ग्रहण कर लेता है। सम्पूर्ण सदन समिति में, जहाँ एक ओर सारे सदन की सहकारिता अर्थात् सदस्यों की सम्पूर्ण कार्य-शक्ति का लाभ रहता है, वहाँ दूसरी ओर सदन के समिति हो जाने के नाते विचार-विमर्श में अनौपचारिकता भी लाई जा सकती है।

सम्पूर्ण सदन समितियों की कल्पना का प्रादुर्भाव इग्लैण्ड में सत्रहवीं शताब्दी में जेम्स प्रथम के काल में हुआ था। वहाँ प्रवर समितियों में, राजा के पिट्ठू बने रहनेवाले सदस्यों के नियुक्त होने के कारण, लोगों का विश्वास नहीं रहा था, परिणामत: जनता द्वारा सदन में ही विधेयकों पर विचार करना उचित समझा जाने लगा। इग्लैण्ड में, इन समितियों के प्रति संसद् सदस्यों में इतनी आस्था थी कि अभी हाल तक इग्लैण्ड में स्थायी समितियों की प्रथा को दुसाध्य माना गया था। इग्लैण्ड की ही पद्धति का अनुकरण कर, आज अमरीका, कनाडा, आयरलैण्ड, दक्षिणी अफ्रीका, श्रीलंका, डेनमार्क तथा आइसलैंड आदि देशों में भी सम्पूर्ण सदन समितियाँ प्रचलित हैं।

इग्लैण्ड में, सम्पूर्ण समितियों के दो प्रकार हैं (1) सरकारी विधेयकों पर विचार करने के लिए नियुक्त सम्पूर्ण सदन समितियाँ तथा (2) वित्तीय व्यवहारों पर विचार करने के लिए सम्पूर्ण सदन समितियाँ। यद्यपि इग्लैण्ड में विधेयकों पर द्वितीय अवस्था में विचार करने के लिए अधिकतर स्थायी समितियों का प्रयोग होता है, पर कभी-कभी महत्वपूर्ण विषयों के लिए सम्पूर्ण सदन समितियाँ भी नियुक्त होती हैं। वित्तीय मामले अर्थात् वार्षिक खर्च आदि के लिए अनुमति व कर लगानेवाले विधेयक केवल सम्पूर्ण सदन समिति के ही सामने आ सकते हैं। इस कार्य के लिए वहाँ दो प्रख्यात सम्पूर्ण सदन समितियाँ हैं, (1) कमेटी ऑन वेज एण्ड मीन्स, तथा (2) कमेटी ऑन सप्लाई। ये दोनों समितियाँ वहाँ प्रतिवर्ष साथ ही साथ नियुक्त होती हैं। कमेटी ऑन सप्लाई का काम विभिन्न अनुदानों को पारित करना है। कमेटी ऑन वेज एण्ड मीन्स का काम पारित अनुदानों पर आधारित विनियोग

समितियाँ युद्ध युद्ध-विषयक मामलों पर विचार करने के लिए या राष्ट्रीय संकट के अवसर पर बना करती हैं। (देखिए "दि पार्लियामेन्ट ऑफ नीदरलैण्ड" वान रेहल, पृष्ठ 161)

विधेयक और वित्त विधेयक पर विचार करना होता है।

अमरीका में, जब सम्पूर्ण सदन समिति की प्रथा का प्रारम्भ हुआ तो प्रत्येक महत्त्वपूर्ण विषय उसके सम्मुख अवश्य जाता था। पर अब स्थायी व प्रवर समितियों के प्रचलन से सम्पूर्ण सदन समितियों का प्रयोग वहाँ कम हो गया है, फिर भी अभी वहाँ सम्पूर्ण सदन समिति के कृत्य काफी व्यापक हैं। राष्ट्रपति के वार्षिक सभाषण पर वहाँ सम्पूर्ण सदन समिति में ही विचार किया जाता है। 'अमरीका के हाउस आफ रिप्रेज़ेन्टेटिव' में, दो सम्पूर्ण सदन समितियाँ हैं, जिनके नाम हैं : (1) 'कमेटी ऑफ दि होल कन्सिडरिंग बिलिंग ऑन प्राइवेट केलेन्डर' तथा (2) 'कमेटी ऑफ दि होल ऑन दि स्टेट ऑफ दि यूनियन'।

कनाडा में सम्पूर्ण सदन समितियाँ सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण समितियाँ मानी जाती हैं। वहाँ हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव के कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के अनुसार, प्रत्येक सरकारी विधेयक पर सम्पूर्ण सदन समिति में विचार होना आवश्यक होता है। सरकारी विधेयकों के अतिरिक्त गैर सरकारी विधेयक भी, जिन पर स्थायी समितियाँ विचार कर चुकी हों, यदि सभा चाहे तो सम्पूर्ण सदन समितियों के सम्मुख विचारार्थ भेजे जा सकते हैं। इंग्लैण्ड का अनुकरण कर कनाडा में भी कमेटी ऑन सप्लाई तथा कमेटी ऑफ वेज एण्ड मीन्स नियुक्त करने की प्रथा है।

आयरलैंड में, प्राय सभी महत्त्वपूर्ण विधेयक सम्पूर्ण सदन समिति के सामने विचारार्थ जाते हैं। वित्तीय मामलों के लिए वहाँ एक ही सम्पूर्ण सदन समिति है और वह है 'फाइनेंन्स कमेटी'। यही समिति अनुदानों को पारित करने का काम करती है और यही नए कर लगानेवाले विधेयकों की जाँच भी करती है।

दक्षिणी अफ्रीका में, सम्पूर्ण सदन समिति का उपयोग विधेयकों पर दूसरा वाचन होने के बाद विस्तृत विचार करने के लिए तथा सरकारी आय तथा व्यय सम्बन्धी प्रस्ताव लाने के लिए किया जाता है। समिति को अन्य काम भी सदन द्वारा सौंपा जा सकता है, पर व्यवहार में केवल पेंशन तथा क्राउन लैंड्स के बारे में प्रवर समितियों द्वारा की गई सिफारिशें ही उनको विचारार्थ भेजी जाती हैं।

भारत में अभी तक कोई सम्पूर्ण सदन समिति नहीं, पर लोक-सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री अनन्तशयनम् अय्यगर ने समय समय पर यह विचार प्रकट किया था कि आयव्ययक पर विचार करने के लिए, यदि एक सम्पूर्ण सदन समिति का निर्माण हो जाए तो वह अच्छा होगा।

सभाभाग :—

यह प्रथा फ्रांस की एक देन है। इस प्रथा के अन्तर्गत सारे सदन को उपयुक्त खण्डो मे विभक्त कर दिया जाता है और प्रत्येक खण्ड एक समिति की तरह काम करता है। साधारण समितियो मे और इन खण्डो में भेद है कि जहां साधारण समितियो मे कुछ चुने हुए सदस्य ही समिति के सदस्य हो सकते हैं, वहां इनमे सदन के सारे सदस्य किसी-न-किसी खण्ड के सदस्य होते हैं। दूसरी ओर इसमे सम्पूर्ण सदन समिति की तरह सारे सदन के सदस्य नही होते। सभाभागो का काम विधेयको पर विचार तथा उनकी जाँच करना इत्यादि होता है।

फ्रांस मे, सभाभाग को 'ब्यूरो' कहा जाता है। वहां एसेम्बली मे 10 ब्यूरो व काउंसिल मे 6 ब्यूरो हैं। ब्यूरो का मुख्य काम सदस्यो के परिचय-पत्रों पर विचार करना व सभा को उस पर रिपोर्ट देना है।

बेल्जियम मे, सभा-भागो को 'सेक्शन्स' कहते हैं। वहां प्रत्येक सत्र मे, चेम्बर को 5 सेक्शन्स मे विभक्त किया जाता है और फिर प्रत्येक सेक्शन, गैर सरकारी विधेयको तथा आयव्ययक मे शामिल विधेयको पर विचार करता है। इसी तरह की प्रथा नीदरलैंन्ड व लुक्सेम्बर्ग मे भी है। फ्रांस व बेल्जियम मे यह पुरानी रुढि की अवशेष मात्र रह गई है। नीदरलैंन्ड मे सभाभागो की प्रथा सक्रिय है, यद्यपि वहां पर भी अब प्रवृत्ति इसके विरुद्ध है। वहां प्रत्येक अधिवेशन के पूर्व सभा इन सभाभागो* मे विभक्त की जाती है। बेल्जियम के सभाभागो का काम गैर सरकारी सदस्यो के विधेयको पर प्रारम्भिक विचार करना तथा आयव्ययक सम्बन्धी विधेयको पर विचार करना है।

---

* नीदरलैंन्ड मे 'सेक्शन्स' से मिलती-जुलती एक और प्रथा है, जिसे 'प्रिपरेटरी कमेटी' कहते हैं। 'प्रिपरेटरी कमेटियाँ' भी एक तरह के सभाभाग हैं, पर उनमे विशेषज्ञो का रहना आवश्यक माना जाता है। ऐसे विधेयक, जो राजनैतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, 'प्रिपरेटरी कमेटी' को सौपे जाते है।

अध्याय 5

समितियों को कार्य-व्यवस्था

समितियों की कार्य-व्यवस्था पर हम निम्न दृष्टियों से विचार कर सकते है —

(1) समितियों की नियुक्ति;

(2) समितियों के सदस्यों की नियुक्ति;

(3) समितियों के सदस्यों की सख्या;

(4) समितियों की अवधि;

(5) समिति के अध्यक्ष;

(6) समितियों के निर्देश पद; तथा

(7) समिति की कार्यविधि।

समितियों की नियुक्ति

सभी ससदों मे, समितियों की नियुक्ति वहाँ की सभा की कार्य-प्रक्रिया तथा सचालन सम्बन्धी नियमों के अनुसार होती है, पर फ्रास तथा नीदरलैण्ड इसके अपवाद है; जहाँ उन देशों के सविधान मे ही यह उल्लिखित है कि वहाँ विधेयकों पर समितियों द्वारा विचार किया जाएगा। कुछ देशों मे, समितियों की नियुक्ति विधान-सभा द्वारा बनाए गए अधिनियमों द्वारा होती है, जैसे स्वीडन, फिनलैण्ड और अमरीका मे। स्वीडन मे रिक्सडैग की समितियाँ रिक्सडैग ऐक्ट के अनुसार बनी होती हैं। उसी तरह अमरीका मे स्थायी समितियाँ 'लेजिस्लेटिव रिऑर्गेनाइजेशन ऐक्ट' के अनुसार अनिवार्य नियुक्त की जाती है। फिनलैण्ड में भी 'पार्लियामेन्ट ऐक्ट' में यह विहित है कि प्रत्येक सत्र के शुरू होने के 5 दिन तक ससदीय समितियाँ नियुक्त हो जानी चाहिएँ। भारत के सविधान* मे किसी समिति की नियुक्ति का

* इस नियम का एक अपवाद है और वह है राजभाषा के प्रश्न पर नियुक्त की गई ससद्-सदस्यों की समिति। इसी तरह सदस्यों के वेतन तथा भत्ते

आदेश नहीं है। यह केवल संसद् का निजी मामला है और लोक-सभा तथा राज्य-सभा, जितनी चाहे उतनी, समितियाँ नियुक्त कर सकती है।

समितियों की नियुक्ति, सभा द्वारा की जाती है। 1911 तक, अमरीका की स्थायी समितियो की नियुक्ति, अध्यक्ष द्वारा होती थी, पर अब उनकी भी नियुक्ति सभा द्वारा ही होती है। भारत मे, यद्यपि अन्ततोगत्वा समितियाँ नियुक्त करने का अधिकार सभा को ही प्राप्त है, पर यदि कोई सदस्य किसी नई समिति की नियुक्ति के लिए सुझाव देना चाहता हो तो यह भी आवश्यक है कि उसे इसके लिए अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त हो।

समितियो की नियुक्ति का समय अलग-अलग देशो मे विभिन्न समितियों के अनुसार अलग-अलग होता है। इंग्लैण्ड की पद्धति का अनुकरण करनेवाले सभी देशों मे प्रवर समितियों या विधेयकों पर विचार करनेवाली स्थायी समितियो की नियुक्ति विधेयकों के द्वितीय वाचन की अवस्था मे होती है। इसी तरह सम्पूर्ण सदन समिति की नियुक्ति भी प्राय विधेयकों पर विचार के द्वितीय वाचन की अवस्था पर होती है। लेकिन 'कमेटी ऑन सप्लाई' और 'कमेटी ऑन वेज एण्ड मीन्स' की नियुक्ति प्रत्येक सत्र के आरम्भ में होती है। भारत में स्थायी समितियों की नियुक्ति का समय अलग-अलग है, जैसे प्राक्कलन-समिति और लोक-लेखा-समिति दोनो 1 मई से कार्य आरम्भ करती हैं और अन्य समितियाँ जनवरी आदि से।

समितियों की संख्या के विषय मे, इधर संसदीय प्रक्रिया के पंडितो मे मतभेद रहा है। कुछ लोग थोडी समितियाँ निर्माण करने के पक्ष मे हैं तो कुछ अनेक। जहाँ स्थायी समितियाँ नियुक्त करने की प्रथा है, वहाँ अनेक समितियाँ निर्माण करना अवश्यम्भावी हो जाता है, क्योकि प्रत्येक विभाग या विषय के लिए एक स्थायी समिति की नियुक्ति करनी पड़ती है, जैसा कि हम अमरीका, कनाडा, जर्मनी, आदि देशों मे देखते है, पर जहाँ प्रवर अथवा विशिष्ट समितियो का अधिक प्रचार है, वहाँ अब भी कम समितियाँ बनाने की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है।

सम्बन्धी समिति भी इस नियम का अपवाद है, जिसके बारे मे 'सदस्यो के वेतन व भत्ते अधिनियम' मे विधान है।

समिति के सदस्यो की नियुक्ति :

समिति के सदस्यो की नियुक्ति के बारे मे निम्न मुख्य प्रथाएँ गिनाई जा सकती है :—

(1) सभा द्वारा समिति के सदस्यो की नियुक्ति,

(2) 'कमेटी ऑफ सेलेक्शन' द्वारा सदस्यो का चुना जाना;

(3) राजनैतिक दलो द्वारा सदस्यो का चुनाव;

(4) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशन, तथा.

(5) स्थानापन्न नियुक्ति ।

(1) **सभा द्वारा नियुक्ति :**—इग्लैण्ड के 'हाउस ऑफ कॉमन्स' की प्रवर समितियो मे सदस्यो की नियुक्ति सभा द्वारा होती है । भारत मे भी सभी प्रवर व कुछ यथार्थ समितियो की नियुक्ति सभा द्वारा ही होती है । सभा द्वारा नियुक्ति के दो ढग है (क) सभा द्वारा प्रस्ताव पारित कर नियुक्ति, तथा (ख) सदस्यो के चुनाव द्वारा । प्रथम पद्धति मे सभा द्वारा समिति-स्थापना-प्रस्ताव मे ही सदस्यो के नाम भी होते हैं, जैसा कि प्रवर व अन्य समितियो के बारे मे होता है । चुनाव का उदाहरण लोक-सभा की प्राक्कलन व लोक-लेखा समितियाँ हैं । इसमे सभा के सदस्य अक्सर अनुपाती प्रतिनिधित्व के आधार पर समितियो के सदस्य चुनते हैं ।

(2) **चुनाव समिति द्वारा चुना जाना :**—यह प्रथा इग्लैण्ड के 'हाउस ऑफ कॉमन्स', स्विट्जरलैण्ड की 'नेशनल कॉउंसिल' तथा दक्षिणी अफ्रीका के दोनो सदनो मे पाई जाती है । इग्लैण्ड मे इसका तरीका यह है कि सेलेक्शन कमेटी, जो स्वय एक प्रवर समिति होती है, दलो के सचेतको की सहायता से सदस्यो को पहले चुन लेती है, बाद मे सदस्यो के नाम सभा को सूचित किए जाते है । इस समिति को, स्थायी समिति के विषय मे विशेषज्ञ चुनने का भी अधिकार होता है । इस समिति को, सदस्यो को पदच्युत करने का भी अधिकार होता है । लेकिन वहाँ की 'कमेटी ऑन हाइब्रिड बिल' इसका अपवाद है, जिसमे सदस्यो की नियुक्ति अशत सभा चुनाव-समिति द्वारा होती है । दक्षिणी अफ्रीका मे, यह काम 'स्टैंडिंग रूल्स एण्ड ऑर्डर्स कमेटी' को सौपा गया है । जो स्वय एक प्रवर समिति है वहाँ 1916 मे, लागू किए गए एक नियम के अनुसार किसी प्रवर समिति की नियुक्ति के बाद पहले तीन दिनो मे यह समिति यह निर्धारित करती है कि सदन की दल्गत सख्या को ध्यान मे रखते

हुए किस दल के कितने सदस्य प्रवर समिति मे होगे। लेकिन इस नियम के साथ-साथ यह भी प्रथा है कि सभा स्वय भी सदस्यो को चुन सकती है अथवा सदस्य 'बैलट' अर्थात् शलाका द्वारा चुने जाते हैं, अथवा यदि प्रवर समिति के विचाराधीन कोई न्याय विषयक मामला हो तो स्वय सभापति द्वारा सदस्य चुने जा सकते हैं।

कनाडा मे भी समिति के सदस्यो का चुनाव एक 'स्ट्राइकिंग कमेटी' द्वारा किया जाता है। इन सदस्यो मे दो मन्त्री, सरकारी सचेतक व विरोधी दल के दो सदस्य अवश्य होते है। कुछ समितियो जैसे 'एग्रीकल्चर कमेटी' मे सदस्य के चुनाव मे इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि वे उस विषय के विशारद हो। आयरलैण्ड, इजराएल, सूडान तथा श्रीलंका मे भी समितियो के सदस्यो का चुनाव, एक चुनाव-समिति पर छोड दिया जाता है।

(3) **राजनैतिक दलो द्वारा नियुक्ति किया जाना :**— यह प्रथा अमरीका और यूरोप की अनेक ससदीय समितियो मे पाई जाती है। तरीका यह है कि प्रत्येक राजनैतिक दल अनुपाती प्रतिनिधित्व के आधार पर अपने प्रतिनिधि* चुन लेता है, जिसे सभा या अध्यक्ष द्वारा सूचित किया जाता है। चुनाव अक्सर वरीयता के आधार पर होता है, अर्थात् यदि कोई सदस्य सभा का पुराना सदस्य हो तो उसे समिति का सदस्य होने का पहले अवसर दिया जाता है। फ्रास मे, ऐसे चुने हुए प्रतिनिधियो की नामावली पहले ब्यूरो को देनी पडती है, जो प्रेसीडेन्ट को भेजने के पूर्व एक वार उस पर विचार कर लेते हैं। नीदरलैण्ड, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैण्ड, जर्मनी, आदि देशो मे भी अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रथा द्वारा समिति के सदस्यो का चुना जाना, वहाँ की प्रक्रिया तथा कार्य-सचालन सम्बन्धी नियमो का एक आवश्यक अग है। आस्ट्रेलिया के 'हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव' और भारत की लोक-सभा मे यद्यपि अनुपाती प्रतिनिधित्व के आधार पर सदस्यों की नियुक्ति अनिवार्य नही होती फिर भी यथासम्भव सदन मे राजनैतिक दलो की सख्या के आधार पर ही सदस्य चुने जाते हैं। डेनमार्क मे भारत की तरह यह प्रथा है कि मन्त्री समिति के सदस्य नियुक्त नही किए जा सकते। अमरीका की प्रवर समितियो के बारे मे प्रथा यह है कि अध्यक्ष तो बहुमत प्राप्त दल के प्रतिनिधियो को चुनता है, पर विरोधी दल के सदस्य स्वयं विरोधी दल के नेता द्वारा चुने जाते हैं।

---

*फ्रास मे, प्रत्येक दल को चौदह सदस्यो पर एक सदस्य समिति मे नियुक्त करने का अधिकार होता है (देखिए 'पार्लियामेन्टरी एफेयर्स' स्प्रिंग, 1958)

(4) अध्यक्ष द्वारा नियुक्ति :—इटली की सीनेट में, समितियों के सदस्यों की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा होती है। अध्यक्ष नियुक्ति से पूर्व राजनैतिक दलों से परामर्श कर लेता है। ऐसी ही प्रथा नीदरलैण्ड के सेकेन्ड चेम्बर व आस्ट्रेलिया की सीनेट की स्थायी समितियों और स्पेन की समितियों के विषय में है। भारतीय लोक-सभा की कार्य-मन्त्रणा-समिति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा प्रस्तावों सम्बन्धी समिति, इत्यादि के सदस्यों की नियुक्ति भी अध्यक्ष द्वारा ही की जाती है। इसी तरह राज्य-सभा की समितियों के सदस्य भी सभा के सभापति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

(5) स्थानापन्न नियुक्ति :—स्थानापन्न नियुक्ति का अर्थ सदस्यता से वंचित न होते हुए, कुछ समय के लिए अपनी जगह किसी दूसरे सदस्य को समिति में रहने देने का अधिकार देना है। यह प्रथा पश्चिमी यूरोप की देन मालूम पड़ती है, क्योंकि ब्राजील को छोड़ कर यह बाहरी यूरोप के देशों में नहीं दीख पड़ती। यूरोप में, यह प्रथा फ्रांस की नेशनल एसेम्बली, संघीय जर्मन गणराज्य की बुन्डेस्टैग नीदरलैण्ड के सैकन्ड चेम्बर में तथा स्वीडन में पाई जाती है। जब कोई स्थायी सदस्य अपने स्थान पर किसी अन्य सदस्य को समिति में भेजना चाहे तो उसे समिति के सभापति को इस सम्बन्ध में सूचना देनी पड़ती है। स्थानापन्न नियुक्ति के बारे में, आस्ट्रिया की पार्लियामेन्ट में एक मजेदार प्रथा यह है कि फाइनेन्स कमेटी के सदस्य बजट पर विचार जारी रहते हुए किसी भी समय बदले जा सकते हैं। वहाँ प्रत्येक विभाग के लिए एक स्थायी समिति है। जब एक विभाग के आयव्ययक पर बहस हो, तब फाइनेन्स कमेटी में इस विभाग से सम्बन्ध रखनेवाली स्थायी समिति के सदस्य फाइनेन्स कमेटी में आकर भाग ले सकते हैं। कहीं-कहीं पर इस प्रकार की स्थानापन्न नियुक्ति पर प्रतिबन्ध भी है, जैसे फिनलैण्ड में केवल तृतीयांश सदस्य ही स्थानापन्न हो सकते हैं; बेल्जियम व फ्रांस में आधे सदस्यों की ही स्थानापन्न नियुक्ति की जा सकती है।

समिति के सदस्यों की नियुक्ति के बारे में कुछ अन्य उल्लेखनीय बातें इस प्रकार है :—

(1) अमरीका में यह नियम है कि वहाँ एक सदस्य एक ही समिति का सदस्य हो सकता है, लेकिन 'कमेटी ऑन दि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलम्बिया' तथा 'कमेटी ऑन अनअमेरिकन एक्टिविटीज' इसके अपवाद हैं; फ्रांस और स्विट्ज़र-

लैण्ड में भी इसी तरह के नियन्त्रण की व्यवस्था बनाई जाती है। स्विट्ज़रलैण्ड की नेशनल काउंसिल के नियमों में यह विहित है कि प्रत्येक सदस्य अधिक से अधिक दो स्थायी समितियों और दो तदर्थ समितियों का सदस्य हो सकेगा। इसी तरह सदस्यता विषयक प्रतिबन्ध अमरीका, बर्मा, इन्डोनेशिया, नार्वे, यू० ए० आर०, इज़राएल, फ्रांस, रूमानिया, आदि में भी पाए जाते है।

(2) अमरीका के हाउस ऑफ रिप्रेज़ेन्टेटिव में यह प्रथा है कि यदि कोई समिति का सदस्य भूतपूर्व कांग्रेस का सदस्य रहा हो और वह दुबारा चुना गया हो तो उसे समिति का सदस्य अवश्य नियुक्त किया जाता है।

(3) यह आवश्यक नहीं कि एक सदन की समिति में, केवल उसी सदन के सदस्य हों। सयुक्त समिति न कहलाते हुए भी, समिति में दोनों सदनों के सदस्यों के होने की प्रथा कुछ देशों में प्रचलित है। उदाहरणार्थ, स्विट्ज़रलैण्ड की 'कमेटी ऑन पार्डन्स' में जो कि मूलत: नेशनल काउंसिल की समिति है, काउंसिल ऑफ स्टेट के भी सदस्य होते है। भारत की लोक-लेखा-समिति भी इस बात का उदाहरण है।

(4) सघीय जर्मन गणराज्य की द्वितीय सभा (बुन्डेस्रेट) में समितियों की सदस्यता उस सभा तक सीमित नहीं रहती। उनमें राज्य सरकार के मन्त्रीगण अथवा सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य सदस्य भी नियुक्त हो सकते हैं।

(5) कुछ ससदों में यह नियम है कि यदि किसी सदस्य का समिति के विचाराधीन विषय से वैयक्तिक अथवा आर्थिक सम्बन्ध हो तो उसकी नियुक्ति उस समिति के लिए नहीं की जाती।

समिति के सदस्यों की संख्या :—सामान्यतया यह कहा जा सकता है कि स्थायी समितियों के सदस्यों की सख्या, विशिष्ट या प्रवर समितियों और ऐसी समितियों के सदस्यों की सख्या से जिनका विधेयक से कोई सम्बन्ध न हो, अधिक होती है।

किसी समिति में कितने सदस्य हों, यह प्राय प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों में दिया रहता है, पर स्विट्ज़रलैण्ड और इटली इसके अपवाद हैं। स्विट्ज़रलैण्ड की फेडरल एसेम्बली के सदस्यों की संख्या, वहां के ब्यूरो द्वारा

निर्धारित की जाती हैं। इटली में यह नियम प्रचलित है कि वहाँ की समिति के सदस्यों की संख्या वहाँ के चेम्बर व सीनेट के सदस्यों की संख्या पर निर्भर होती है।

कनाडा में, वहाँ के हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव की विशेष समितियों के सम्बन्ध में वहाँ के स्टेन्डिंग आर्डर्स में ही यह विहित है कि विशिष्ट समिति के सदस्यों की संख्या 15 से अधिक न होगी। इंग्लैण्ड में स्थायी समितियों के सदस्यों की संख्या सामान्यतः 20 होती है, पर इनके साथ 20 विशेषज्ञ भी नियुक्त करने की प्रथा है, जो संसद् सदस्य होते हैं। अमरीका में स्थायी समितियों के सदस्यों की संख्या प्रत्येक समिति के अनुसार अलग-अलग है, पर साधारणतया सीनेट की स्थायी समितियों में 10 से 15 तक सदस्य होते हैं और हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव की समितियों के सदस्य 25 तक होते हैं। भारत में लोक-सभा की समितियों के सदस्यों की संख्या साधारणतया 15 होती है, पर प्राक्कलन-समिति व लोक-लेखा समिति की सदस्य-संख्या क्रमशः 30 तथा 22 है। राज्य-सभा की समितियों की संख्या साधारणतया 10 होती है।

कुछ समय से नीदरलैण्ड, स्विट्जरलैण्ड, बेल्जियम की संसदों व अमरीकी सीनेट की समितियों की सदस्य-संख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है। कहा जाता है कि यह उन देशों की संसदों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि होने का परिणाम है।

समिति की अवधि :—समिति की अवधि के बारे में विभिन्न संसदों में जो प्रथाएँ मिलती हैं, उनमें मुख्य निम्न हैं —

(1) जब तक विधान-सभा हो, तब तक की अवधि के लिए,

(2) प्रत्येक सत्र के लिए;

(3) नियमित समय के लिए, तथा

(4) कार्य-विशेष की समाप्ति होने तक।

जर्मनी, स्विट्जरलैण्ड, आस्ट्रिया, जापान तथा बेल्जियम की स्थायी समितियों की अवधि, उन देशों की सभा की अवधि होती है। आस्ट्रेलिया में भी समितियों की अवधि, वहाँ की सभा की अवधि के बराबर होती है। इंग्लैण्ड में, समितियाँ अधिकतर सत्र की अवधि तक ही होती है। फ्रांस में, काउन्सिल की समितियाँ अधिकतर नियतकालिक होती हैं और उनका पुनर्गठन 3 वर्ष के बाद किया जाता है। भारतीय लोक-सभा की, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा

सकल्पो से सम्बन्ध रखनेवाली समिति, अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति सरकारी आश्वासनो सम्बन्धी समिति, सभा की बैठको से अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति तथा प्राक्कलन व लोक-लेखा-समिति की अवधि एक वर्ष की होती है। विशिष्ट समितियाँ सभी देशो मे अपना कार्य करने के बाद समाप्त हो जाती है।

कुछ ससदो मे, ऐसी समितियाँ है, जिनकी अवधि के बारे मे वहाँ के प्रक्रिया तथा कार्य-सचालन सम्बन्धी नियमो मे कोई उल्लेख नही मिलता। इनके बारे में यह प्रथा है कि ये समितियाँ तब तक काम करती हैं, जब तक वे स्थानापन्न न हो जाएँ। भारतीय लोक-सभा की कार्य-मन्त्रणा-समिति, याचिका-समिति, विशेषाधिकार-समिति तथा नियम-समिति के बारे मे इससे मिलता-जुलता नियम यह है कि ये समितियाँ 'समय समय पर' नियुक्त की जाएँगी। यह बात दूसरी है कि प्रथा से ये समितियाँ भी प्रतिवर्ष पुनर्गठित की जाती है।

साधारणतया यह देखा गया है कि ससदें समिति की अवधि को बहुत लम्बा करने के पक्ष मे नही होती। समिति के उत्साह तथा उसकी कार्य-कुशलता को कायम रखने के लिए उसमे नए-नए सदस्यो का होना आवश्यक माना जाता है। नियत काल के बाद समिति की पुनर्रचना इसी उद्देश्य से की जाती है।

समिति के सभापति :—समिति के सभापति की नियुक्ति के बारे मे मुख्यत: 5 पद्धतियाँ है

(1) समिति के सदस्यो द्वारा चुना जाना,

(2) सभाध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किया जाना,

(3) दल द्वारा नियुक्ति,

(4) स्वय समिति द्वारा चुना जाना, तथा

(5) सभा द्वारा चुना जाना।

पहली पद्धति के उदाहरण कनाडा, बेल्जियम, रूमानिया, यूगोस्लाविया, दक्षिणी अफ्रीका, फिनलैण्ड आदि देशो मे मिलते हैं। इग्लैण्ड मे भी सम्पूर्ण सदन समिति, स्थायी समितियाँ तथा 'कमेटी ऑन अपोज्ड प्राइवेट बिल्स' को छोडकर शेष समितियों के अध्यक्षो की नियुक्ति समिति के सदस्यों द्वारा चुन कर की जाती है।

दूसरी पद्धति के उदाहरण मुख्यत भारत मे मिलते है। भारतीय लोक-सभा की समितियो के सभापति की नियुक्ति स्वय लोक-सभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, किन्तु यदि उपाध्यक्ष स्वय किसी समिति का सदस्य हो तो वह उस समिति का सभापति नियुक्त होता है। यह भी प्रथा है कि यदि सभापति-तालिका का सदस्य समिति का सदस्य हो तो वह समिति का सभापति बनता है। इसी तरह बेल्जियम की सीनेट की कुछ समितियो का सभापति अध्यक्ष स्वय होता है। कही-कही पर ऐसी भी प्रथा है कि सभाध्यक्ष स्वय समिति का सभापति होता है, जैसे बेल्जियम के हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव की स्थायी समितियो मे।

तीसरी पद्धति के उदाहरण फ्रांस और संघीय जर्मन गणराज्य मे मिलते है। वहाँ समितियों के सभापति चुने जाते है, और चुनाव विभिन्न राजनैतिक दलो की *सलाह से किया जाता है। जर्मनी मे इस पद्धति को 'डि हान्ड' कहते है।*

चौथी पद्धति का उदाहरण केवल स्विट्जरलैण्ड मे मिलता है, जहाँ एसेम्बली की 'फाइनैंन्स कमेटी' स्वय अपना सभापति चुन लेती है।

सभा द्वारा चुने जाने की पद्धति अमरीका में पाई जाती है। पर अधिकतर पुराने सदस्यो के ही सभापति चुने जाने की पद्धति है। दक्षिणी अफ्रीका की सम्पूर्ण सदन समितियो के सभापति भी सभा द्वारा चुने जाते हैं। वहाँ प्रत्येक नवीन ससद के आरम्भ मे सम्पूर्ण सदन समितियों के लिए, सभा द्वारा एक सभापति तथा एक उपसभापति चुने जाने की प्रथा है। विशिष्ट समिति द्वारा, समितियो के सभापति के चुने जाने की प्रथा का उदाहरण भी स्विट्जरलैण्ड मे मिलता है। वहाँ तदर्थ समितियाँ अपने आप अपना सभापति नही चुनती, वरन् यह कार्य एक ब्यूरो *को सौपा जाता है।*

अधिकतर यह देखा गया है कि समितियों के सभापति सदन के अध्यक्ष के अन्तर्गत ही काम करते है, पर कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं, जहाँ समिति के सभापति को स्वतत्र अधिकार हैं। भारतीय ससदीय समितियाँ सभाध्यक्ष के निर्देश से ही चलती हैं। सभाध्यक्ष को यह अधिकार होता है कि वह समिति के सभापतियो को समय-समय पर* निर्देश दे।

---

* सभाध्यक्ष के निर्देश देने के अधिकार की सक्रियता का उदाहरण इस तथ्य से मिलता है कि अभी तक लोक-सभा के अध्यक्ष ने समितियो की बावत

भारतीय समितियों के सभापति का यह कर्त्तव्य है कि वह समिति की कार्यवाही का निर्देशन करे। यदि समिति के सदस्यों में मत-विभाजन होने पर बराबर मत हों तो निर्णायक मत देने का भी अधिकार सभापति को होता है। सभापति का यह कर्त्तव्य होता है कि वह समय समय पर सभाध्यक्ष को समिति की कार्य-प्रगति की सूचना दे। यदि समिति का कार्य समाप्त न हुआ हो तो सभापति का यह कर्त्तव्य होता है कि वह सभा से समय वृद्धि की माग करे। यह भी सभापति का काम है कि वह समिति के प्रतिवेदन को पूरा करे व सभा में पेश करे।

समिति के सभापतियों को अनेक अधिकार प्राप्त होने सम्बन्धी उदाहरण फ्रास की समितियों में पाए जाते हैं। 'नेशनल एसेम्बली' का प्रेसिडेन्ट वहाँ समिति की कार्यवाही में विरले ही हस्तक्षेप करता है। जर्मनी की 'बिजिनेस कमेटी' के सभापति को भी विशद अधिकार प्राप्त होते हैं।

समिति के निर्देश पद —समिति के निर्देश पद मुख्यतः निम्न वर्गों में आते हैं :—

(1) विधेयकों की जाँच से सम्बन्धित,

(2) सभा के कुछ कार्यों को सम्भालनेवाले,

(3) सभा को सलाह देनेवाले,तथा

(4) अध्यक्ष की मदद करनेवाले।

भारतीय संसदीय समितियों के सदर्भ में पहले प्रकार के निर्देश पदों का उदाहरण विभिन्न प्रवर व सयुक्त प्रवर समितियों के निर्देश पद है। द्वितीय प्रकार के उदाहरण प्राक्कलन व लोक-लेखा-समिति के निर्देश पद हैं। तृतीय प्रकार के उदाहरण कार्य मन्त्रणा-समिति तथा सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति के निर्देश पद हैं। चौथे प्रकार के उदाहरण आवास-समिति, सामान्य प्रयोजन समिति आदि के निर्देश पद हैं।

सामान्यत. स्थायी समितियों के निर्देश पद, प्रक्रिया-नियमों में ही दिए हुए होते हैं, पर विशेष प्रयोजन के लिए नियुक्त समितियों के निर्देश पद समिति नियुक्त

---

70 निर्देश दिए है। (देखिए, अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्देश, द्वितीय सस्करण, 1967)

करते समय निर्धारित किए जाते है। इस सम्बन्ध में इग्लैण्ड की प्रथा उल्लेखनीय है। वहाँ 'सेलेक्ट' अथवा 'सेशनल कमेटी' (जैसे सेलेक्ट कमेटी ऑन एस्टीमेट्स) के निर्देश पद हर बार समिति नियुक्त करते समय प्रस्ताव मे बताए जाते है। इसके विपरीत वहाँ की 'सेलेक्ट कमेटी ऑन पब्लिक एकाउन्ट्स' के निर्देश पद स्थायी रूप से "स्टैन्डिंग ऑर्डर्स" अर्थात् सभा के स्थायी निर्देशो मे दिए हुए है। भारतीय संसद् समितियो के निर्देश पद राज्य सभा तथा लोक सभा के प्रक्रिया नियमो मे स्पष्ट रूप मे दिए हुए है। अमरीका मे स्थायी समितियों के निर्देश पद प्रक्रिया-नियमो मे दिए होते हैं, पर बेल्जियम व नीदरलैण्ड मे प्रत्येक स्थायी समिति के लिए अलग-अलग निर्देश पद न देकर सामूहिक रूप मे सारी स्थायी समितियों के लिए निर्देश पद जारी करने की प्रथा है।

निर्देश पदो से ही सम्बन्धित समिति के अधिकारो का प्रश्न है। कहीं-कहीं समितियों को संवैधानिक मामलो के सूत्रपात करने का अधिकार होता है। कहीं-कही वे केवल सभा को सुझाव देने का काम करती है। सूत्रपात के उदाहरण, स्विट्जरलैण्ड की 'फेडरल एसेम्बली' तथा फ्रास की 'नेशनल एसेम्बली' की समितियाँ हैं, जो सभा मे कोई भी प्रस्ताव या विधेयक ला सकती हैं। जब समितियो से सभा द्वारा कोई सलाह मागी जाती है, तब यह आवश्यक नही कि सभा समिति के सुझाव को मान ही ले, किन्तु बहुधा यह सुझाव मान ही लिया जाता है। कहीं-कहीं ऐसे उदाहरण भी मिलते है, जहाँ समिति स्वय विचाराधीन विषय पर अपना मत प्रकट करती है, जैसा फ्रास की 'नेशनल एसेम्बली' की समितियो मे होता है। इग्लैण्ड की स्थायी समितियो को तुलनात्मक दृष्टि से कम अधिकार होते हैं उसके विपरीत अमरीकी स्थायी समितियाँ विधेयको मे चाहे जैसा परिवर्तन कर सकती है। अमरीका मे संसदीय समितियो के अधिकारो के बारे मे यह उल्लेखनीय है कि जब तक 'हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव, व 'सीनेट' की 'एप्रोप्रियेशन कमटी' ने विनियोजन विधेयको पर विचार कर अपना मत न दे दिया हो, तब तक विधेयक पारित नही हो सकता। अमरीका व फ्रास मे समितियो को निर्णय लेने तक के अधिकार होते है। यह उस असाधारण प्रथा का परिणाम है जिसे 'वोटिंग विदाउट डिबेट' अर्थात् 'बगैर विवाद के निर्णय लेना' कहते हैं। इसी तरह की प्रथा इटली मे भी है, जहाँ समितियो को यथार्थ मे विधि-निर्माण करने के अधिकार हैं। इग्लण्ड मे, संसदीय समितियों को सभा मे विधेयक पेश करने का कोई अधिकार नही, पर कर लगानेवाले या खर्च अनुमोदित करनेवाले विधेयक सम्पूर्ण सदन समिति मे लाए जा सकते हैं। आस्ट्रेलिया

में भी इंग्लैण्ड की तरह की ही पद्धति है, जहाँ जाँच-समितियों की नियुक्ति की प्रथा है, वहाँ स्वभावतः ही ऐसी समितियों को अधिकार अधिक मिले होते हैं। उदाहरणार्थ, इटली की 'स्पेशल कमेटी ऑन इनक्वायरी' को वही अधिकार है, जो किसी न्यायिक संस्था को होते हैं। ये समितियाँ सभागृह के बाहर बैठक भी बुला सकती है।

समिति की कार्यविधि :—यद्यपि समिति के निर्देश पद, समिति की रचना, समिति की अवधि, आदि के बारे में नियम, प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों में दिए हुए होते है, तथापि प्रायः प्रत्येक देश में यह प्रथा है कि कार्य-प्रणाली के विस्तृत नियम *(जिन्हें आंतरिक कार्य-विधि के नियम कहते हैं) समितियाँ स्वयं* बनाती हैं। इन आन्तरिक कार्य-विधि के नियमों में समिति की बैठकों के नियम, उपसमितियों की प्रथा, प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की पद्धति, आदि दी हुई होती है। आन्तरिक नियमों के तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि यद्यपि स्थूल बातों में सभी देशों की समितियों की कार्य-विधि एक-सी है, पर ब्यौरे में उनमें परस्पर भेद है। यह अन्तर एक ही देश की विभिन्न समितियों की कार्यविधि में भी नजर आता है। नीचे आन्तरिक कार्यविधि के कुछ नियमों का वर्णन किया गया है :—

(1) **गणपूर्ति :**—*इंग्लैण्ड की प्रायः सभी समितियों में यह नियम है कि* समिति की बैठकें व उनके कार्य तब तक विधिमान्य माने जायेंगे, जब उनमें सदस्य बहुसंख्या में उपस्थित हों। पर अमरीकी समितियों में यह नियम नहीं है। जर्मनी के बुन्डेस्टॅग में इसके विपरीत यह प्रथा है कि यदि बहुसंख्या न हो तो समिति की कार्यवाही बन्द कर दी जाती है। वहाँ समिति की बैठक तभी बुलाई जाती है, जब फिर सदस्य बहुसंख्या में उपस्थित हो। फिनलैण्ड में गणपूर्ति के लिए दो-तिहाई सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक होता है। नीदरलैण्ड के सेकन्ड चेम्बर में गणपूर्ति के लिए बहुसंख्या की आवश्यकता तभी होती है, जब सभापति तथा उपसभापति को चुनना हो। भारत व इटली में, गणपूर्ति के लिए केवल एक-तृतीयांश सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होती है। इटली के चैम्बर की समितियों में तो गणपूर्ति केवल चतुर्थांश है। दक्षिणी अफ्रीका की सम्पूर्ण सदन समितियों में गणपूर्ति के लिए उतनी ही संख्या में सदस्यों का होना आवश्यक होता है, जितनी संख्या सदन की बैठक के लिए आवश्यक होती है। ऐसी ही प्रथा अन्य देशों की सम्पूर्ण सदन समितियों में भी है।

कुछ देशों में गणपूर्ति की आवश्यकता दिन-प्रतिदिन के कार्य के लिए नहीं मानी जाती, वरन् केवल निर्णय लेने या विशेष अवसरों पर आवश्यक होती है, जैसे नीदरलैण्ड के सेकन्ड-चैम्बर की समितियों में।

(2) **बैठकें** :—कनाडा में समिति की बैठकें बुलाने के लिए एक विचित्र पद्धति है और वह यह है कि बगैर सात दिन पहले नोटिस दिए समिति की बैठकें नहीं बुलाई जा सकती। अमरीका में, समिति की बैठक बुलाना समिति की स्वेच्छा पर अवलंबित नहीं, वरन् अनिवार्य सा है। वहाँ के कार्य-प्रक्रिया-नियमों में यह विहित है कि प्रत्येक समिति नियमित रूप से साप्ताहिक तौर पर अथवा अर्ध-साप्ताहिक तौर पर बैठक बुलाएगी। समितियों की बैठकें अधिकतर सभा के अवकाश-काल में होती हैं, पर सभा का अधिवेशन चालू रहते हुए भी कई देशों में समिति की बैठकें हो सकती हैं। अमरीका में इस तरह की स्वतंत्रता सभी समितियों को नहीं होती, वरन् कुछ खास समितियों को ही होती है, जैसे 'कमेटी ऑन एक्स्पेन्डीचर इन दि एक्जीक्यूटिव डिपार्टमेन्ट', 'कमेटी ऑन रूल्स' तथा 'कमेटी ऑन *अनअमेरिकन एक्टीविटीज'। इग्लैण्ड में इसके विरुद्ध यह नियम है कि अवकाश*-काल में समिति की बैठकें हो ही नहीं सकती।

फ्रांस की नेशनल एसेम्बली में यह प्रथा है कि समितियाँ हर बुधवार गुरुवार और शुक्रवार को सुबह बैठा करेंगी। इग्लैण्ड में भी समितियों की बैठकें सुबह हुआ करती हैं, ताकि सदस्य बाकी दिन में सभा की बैठकों में उपस्थित रह सकें। दक्षिणी अफ्रीका में भी यही नियम है कि यदि समद् का सत्र चल रहा हो तो सदन की अनुमति के बिना वे सोमवार, बुधवार तथा शुक्रवार को नहीं बैठ सकती। नीदरलैण्ड में यह प्रथा है कि जिस दिन सभा की बैठक होती है, उसी दिन सुबह समितियों की बैठकें बुलाई जा सकती हैं। भारतीय लोक-सभा में भी समितियों की बैठकें सभा जारी रहते हुए केवल 11 बजे के पहले और 3 बजे के बाद बुलाई जा सकती हैं। लेकिन भारत में समितियों की बैठकों के लिए अवकाश-काल और अन-वकाश-काल का कोई प्रतिबन्ध नहीं होता।

बेल्जियम में यह प्रथा है कि वहाँ समिति की प्रत्येक बैठक की सूचना सरकार को मिलनी चाहिए। वहाँ यद्यपि समिति की बैठकों के लिए कोई समय निश्चित नहीं है, फिर भी सभा की बैठक रहते हुए उसी समय समितियों की बैठक नहीं होती। प्रायः सभी देशों में समिति की बैठक केवल सभा-भवन में ही बुलाई जाती

है, पर कहीं-कहीं इसके अपवाद भी है, उदाहरणार्थ, भारत मे ही लोक-सभा की प्रवर समितियो की बैठक कई वार दिल्ली के बाहर हुई है, पर इस सम्बन्ध में लोक-सभा के अध्यक्ष का यह आदेश है कि यथासम्भव ऐसी बैठकें, यदि वह जगह राज्य की राजधानी हो, तो वहाँ के एसेम्बली भवन मे ही हो।

(3) **कार्यवाही की गोपनीयता :**—समितियों की कार्यवाही अधिकांश देशों मे गुप्त रखी जाती है। *कहीं-कहीं समिति की कार्यवाही देखने के लिए अपरिचितो* को इजाजत दी जाती है, पर यह केवल अन्य कार्यों के समय ही दी जाती है, जब समिति अपने निर्णय पर विचार कर रही हो, तब नहीं। अमरीका के 'हाउस ऑफ रिप्रेज़ेन्टेटिव्स' की समितियो मे पहले गोपनीयता की यही रीति थी, पर 'लेजिस्लेटिव रिऑर्गेनाइज़ेशन ऐक्ट' 1946 से अब वहाँ की समितियाँ सबके लिए खुली है *(अपवाद है केवल समिति के 'एक्जीक्यूटिव सेशन्स')।* इसी तरह की प्रथा, अल्बानिया, बुल्गेरिया व युगोस्लाविया की समितियो मे भी प्रचलित है।

गोपनीयता के विषय मे, संघीय जर्मन गणराज्य मे पद्धति जरा निराली है और वह यह है कि सदन का प्रत्येक सदस्य समिति की बैठकों मे प्रेक्षक के नाते उपस्थित रह सकता है। विधेयकों के प्रवर्तकों द्वारा समिति की बैठक मे भाग लिया जाना तो वहाँ आम बात है। वहाँ सभा के अध्यक्ष को भी समिति की बैठकों मे भाग लेने का अधिकार होता है। फिनलैण्ड मे यह प्रथा है कि वहाँ की सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष प्रत्येक समिति की बैठक मे सम्मिलित हो सकते हैं। इसी तरह जब तक कि समिति को कोई खास आपत्ति न हो, मंत्रिगण भी समिति की बैठकों मे उपस्थित हो सकते है, लेकिन इनको छोडकर बाकी लोगो के लिए समिति में प्रवेश निषिद्ध है। दक्षिणी अफ्रीका मे भी सदन के सदस्यो को प्रवर समितियों की बैठकों मे उपस्थित रहने का अधिकार रहता है, पर जब समिति विचार कर रही हो, तब उन्हे उठ जाना पड़ता है, *अन्यथा समिति की कार्यवाही बिल्कुल गुप्त मानी* जाती है।

फ्रांस मे समिति की बैठकों मे उपस्थित होने का मंत्रिमण्डल के सदस्यों को *अधिकार प्राप्त है। किन्हीं परिस्थितियों मे कुछ अन्य समितियों के सदस्य व 'एक्ज़ी-*क्यूटिव काउंसिल' के सदस्यों को भी उपस्थित रहने का अधिकार होता है, पर यह आम प्रथा नहीं है। इंग्लैण्ड की स्थायी समितियों की बैठकों मे बाहरी आदमियों को प्रवेश का अधिकार होता है, पर जब समिति चाहे उन्हें बाहर जाने का आदेश दे

सकती है। स्वीडन की समितियों की बैठकों मे 'रिकस्टैग' के अन्य सदस्यों को बैठने का अधिकार नही होता, पर किसी विषय पर विस्तार करने के लिए उन्हे समिति द्वारा बुलाया जा सकता है। नीदरलैण्ड की विशिष्ट समितियों मे भी इसी तरह की प्रथा है। यह उल्लेखनीय है कि भारत मे समिति की बैठकें हमेशा गुप्त रहती हैं।

(4) साक्ष्य :—प्राय प्रत्येक ससदीय समिति को (सपूर्ण सदन समितियों को छोड़कर) साक्ष्य लेने का अधिकार* होता है। कनाडा की समितियाँ साक्ष्य लेने के अधिकार के बारे मे अत्यधिक सक्रिय रही हैं। अन्य देशो मे साधारणतया समितियाँ ऐसे ही लोगो को साक्ष्य देने के लिए बुलाती हैं, जो उसके लिए तैयार हों, पर कनाडा की समितियो मे ऐसे दर्जनों उदाहरण है, जहाँ साक्षी ने साक्ष्य देने से इन्कार कर दिया व फिर समिति को विशेषाधिकार-भग के लिए साक्षी को दड देना पड़ा। कनाडा के 'हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव' की समितियों के बारे मे यह प्रथा है कि वे साक्ष्य लेने के पहले वहाँ समिति के किसी न किसी सदस्य को, समिति के सभापति को लिखित सूचना देनी पड़ती है।

अमरीका मे प्रथा है कि वहाँ साक्षी अपने साथ अपना वकील भी ला सकता है। व्यक्तिगत साक्ष्य के अतिरिक्त वहाँ सभी समितियों को आवश्यक कागजात मगाने का भी अधिकार होता है। ससदीय प्रथा (राष्ट्रपति प्रथा के विरुद्ध) का अनुकरण करनेवाले देशो मे प्राय समिति को मत्रियों की साक्ष्य लेने का अधिकार नही होता, पर फ्रास और आस्ट्रेलिया मे यह अधिकार दिया गया है। फ्रास की स्थायी समितियाँ मत्रियो का भी साक्ष्य ले सकती है। उनमे विचाराधीन विषय के विशेषज्ञो का साक्ष्य लेने की भी प्रथा है। आस्ट्रेलिया मे यह प्रतिबन्ध है कि समिति केवल उसी सदन के मत्री की साक्ष्य ले सकती है, जिस सदन का मत्री हो। डेनमार्क मे 'पार्लियामेन्टरी कमेटी' को छोड़कर अन्य समितियों को साक्ष्य लेने का अधिकार नही होता। 'पार्लियामेन्टरी कमेटी' के सम्मुख साक्ष्य देने वाले को कोई कानूनी सरक्षण भी प्राप्त नही होता। फिनलैण्ड मे, इसके विपरीत यह है कि वहाँ साक्षी के बयान पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती। नारवे मे, समितियाँ अपने

---

* दक्षिणी अफ्रीका मे एक बड़ी मजेदार पद्धति है और वह यह कि प्रवर समितियाँ साक्षी तो बुला सकती हैं, पर यदि साक्षी समद्र से 6 मील से अधिक की दूरी मे आनेवाला हो तो उसके लिए सभापति की अनुमति होनी चाहिए।

आप किसी को साक्ष्य लेने नही बुला सकती और जब कभी उन्हे साक्ष्य लेनी होनी है, उन्हे 'स्टूटिगेट' अथवा 'उडेल्स्टिगेट' की अनुमति लेनी पड़ती है। फ्रांस में समितियाँ अनौपचारिक तौर पर तो किसी का साक्ष्य ले सकती हैं, पर जब उन्हें शपथ दिला कर किसी का साक्ष्य लेना होता है तो उन्हें उस सम्बन्ध में सभा की खास अनुमति लेनी पड़ती है। भारत मे, सभी समितियो को साक्ष्य लेने के अधिकार प्राप्त है। इसी तरह लिखित कागजात आदि मगाने का भी समितियो को अधिकार प्राप्त है। अधिकतर विधेयकों पर विचार करनेवाली प्रवर समितियों तथा प्राक्कलन व लोक-लेखा-समिति मे ही साक्ष्य लेने की प्रथा है। थीलका में साक्ष्य लेने की प्रथा मे यह विचित्रता है कि कोई भी व्यक्ति समिति के सम्मुख साक्ष्य देने के लिए उद्यत हो सकता है, पर साक्ष्य लेना या न लेना समिति का अधिकार है।

(5) **उपसमितियाँ** :—प्राय सभी देशों की समितियाँ अपने कार्य के सुचारु रूप से सपादन के लिए उपसमितियाँ नियुक्त करती हैं। उपसमितियो से गणपूर्ति की समस्या भी हल हो जाती है। अधिकतर नीति के प्रश्नो को छोड़कर विस्तृत जाँच के प्रश्नों पर उपसमितियाँ नियुक्त की जाती हैं। उपसमितियों की नियुक्ति के बारे में कुछ प्रतिबन्ध भी हैं, जैसे इग्लैण्ड में उपसमितियाँ नियुक्त करने के लिए 'हाउस ऑफ कॉमन्स' की स्पष्ट अनुमति चाहिए, जो समिति नियुक्त करनेवाले प्रस्ताव मे ही दी रहती है। यही कारण है कि वहाँ यह प्रथा केवल 'एस्टीमेट्स कमेटी' और 'किचेन कमेटी' मे नजर आती है। इसके विपरीत अमरीकी समितियो मे उपसमितियो की प्रथा का बाहुल्य* है। वहाँ प्राय प्रत्येक समिति की 8-10 उपसमितियाँ होती है। भारत मे अधिकतर प्राक्कलन व लोक-लेखा-समिति मे उपसमितियो की नियुक्ति का प्रचलन नजर आता है। प्रवर समितियाँ भी कभी-कभी

* अमरीका मे प्राय प्रत्येक स्थायी समिति उपसमितियाँ नियुक्त करती है। यहाँ तक कि कांग्रेस के एक अधिकारी ने कहा था यदि उपसमिति में एक कुशल सभापति हो और वह यदि एक विशेष क्षेत्र मे अपने कर्मचारियों के साथ काम कर रहा हो तो जो मुख्य समिति है, उसे उपसमिति के प्रतिवेदन के व्याकरण को देखने के अतिरिक्त और कोई काम नही रहता। (देखिए—'सब कमेटीज़: द मिनियेचर लेजिस्लेचर्स ऑफ कांग्रेस'—जार्ज गुडविन, 'अमेरिकन पोलिटिकल साइन्स रिव्यू' सितम्बर, 1962. पृष्ठ : 596--604)

उपसमितियाँ नियुक्त करती हैं। उपसमितियाँ नियुक्त करने की प्रथा आस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी और रूस में भी पाई जाती है। जहाँ-जहाँ उपसमितियाँ नियुक्त की जाती हैं, वहाँ-वहाँ सामान्यतः यह प्रथा है कि उपसमितियाँ अपना प्रतिवेदन समिति को पेश करती हैं, न कि सभा को। उपसमितियों के अतिरिक्त भारत की कुछ संसदीय समितियों में "अध्ययन-गुट" नियुक्त करने की भी प्रथा है। ये एक तरह की अनौपचारिक उपसमितियाँ हैं। उपसमितियों की प्रक्रिया, सामान्यतः सदन के कार्य-प्रक्रिया-नियमों में ही रहती है, उदाहरणार्थ, अमरीकी उपसमितियों के बारे में यह नियम है कि उनके द्वारा ली गई सारी साक्ष्य खुली होगी। यही नहीं उपसमितियाँ साक्ष्य ले रही हों, उनकी सदस्यता के कम से कम एक तृतीयांश सदस्य उपस्थित होने चाहिएँ।

(6) *विधेयकों पर विचार :* – *विभिन्न देशों में समिति द्वारा विधेयकों पर* विचार करने की प्रथाएँ विभिन्न हैं। 'हाउस ऑफ कॉमन्स' की स्थायी समितियों में यह प्रथा है कि यदि विधेयक वित्तीय विधेयक हो, तो समिति उसमें कोई ऐसा *संशोधन नहीं सुझा सकती जो खर्च बढ़ाता हो।* इसके विपरीत इटली और फ्रांस में, समितियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे विधेयकों में खर्च बढ़ाने-वाले संशोधन भी ला सकें। विधेयकों पर विचार करनेवाली समितियों पर भी समय का नियन्त्रण रहता है, उदाहरणार्थ 'हाउस ऑफ कॉमन्स' की "कमेटी ऑन सप्लाई" को अपना काम 26 दिन के अन्दर समाप्त करना पड़ता है। फ्रांस की 'नेशनल एसेम्बली' में भी यह प्रथा है कि विधेयक पर प्रतिवेदन 3 महीने के अन्दर ही मिल जाना चाहिए। अमरीका में समयावधि विधेयकों के अनुसार सभा द्वारा निर्धारित की जाती है।

क्या समिति को एक बार सौंपे गए विधेयक वापिस लिए जा सकते हैं? इंग्लैण्ड के 'हाउस ऑफ कॉमन्स' में यह प्रथा है कि एक बार विधेयक समिति को सौंपे जाने के बाद वापिस नहीं लिया जा सकता। ऐसी हालत में, यदि सरकार विधेयक को आगे बढ़ने देना नहीं चाहती, तो समिति ने जो भी फेरबदल किया हो, उसके साथ जब विधेयक *सभा के सामने आता है, तब सरकार सभा के सम्मुख दूसरा* विधेयक उपस्थित करती है। स्विट्जरलैण्ड में, एक बार विधेयक एसेम्बली द्वारा मंजूर होने पर वापिस नहीं लिया जा सकता। अमरीका में, कोई विधेयक सरकार द्वारा नहीं *लाया जाता।* वहाँ सारे विधेयक सदस्यों द्वारा ही सभा के सम्मुख

लाए जाते हैं। अतएव उनके वापिस लिए जाने का प्रश्न नहीं उठता, पर दल के दबाव से प्रेसीडेन्ट उनमें फेरबदल कर सकता है। भारतीय लोकसभा की प्रवर समितियों में यह प्रथा है कि यदि मंत्री (जो समिति का सदस्य होता है) चाहे तो वह समिति की ओर से सभा को यह सिफारिश कर सकता है कि विधेयक वापिस ले लिया जाए।

अमरीका में, चूंकि विधेयक सरकार द्वारा भली-भांति विचार करने के बाद नहीं पेश किए जाते, इसलिए समितियों में उनकी जाँच नितान्त सूक्ष्म होती है। परिणामतः समितियों में विचाराधीन विधेयकों की संख्याएँ बहुत होती हैं। कहते हैं कि चौथी कांग्रेस के प्रथम सत्र में 'हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव' में 5,361 व सीनेट में 1 757 विधेयक पेश किए गए थे, पर इस अवधि में कांग्रेस ने कुल 390 विधेयक पारित किए थे, अर्थात् शेष सारे विधेयक समितियों में विचाराधीन थे।

(7) **प्रतिवेदन :** प्रायः प्रत्येक देश में समिति का प्रतिवेदन समिति के सभापति द्वारा पेश किए जाने की प्रथा है, पर अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अन्य सदस्यों को भी प्रतिवेदन पेश करने का अधिकार होता है। सम्पूर्ण सदन समिति के विषय में अमरीका में यह नियम है कि इस समिति का प्रतिवेदन अध्यक्ष द्वारा ही पेश किया जाए। इग्लैण्ड में प्रतिवेदन के साथ ही कार्यवाही का वृत्तान्त भी प्रस्तुत किया जाता है। अमरीका में यह कार्यवाही का वृत्तान्त पेश किया जाता है। फ्रांस की समितियों का अनुकरण करनेवाली समितियों में यह प्रथा है कि हरएक समिति का एक 'रिपोर्टेयर' अर्थात् प्रतिवेदन होता है, जिसका काम प्रतिवेदन लिखना होता है। 'रिपोर्टेयर' समिति का अधिकारी होता है व उसकी नियुक्ति स्थायी अर्थात् हमेशा के लिए होती है। यह आवश्यक नहीं कि 'रिपोर्टेयर' सत्तारूढ दल का ही व्यक्ति हो। वस्तुतः यह फ्रांस की विधान-सभा की स्वतंत्रता का उदाहरण है। इस सम्बन्ध में नीदरलैन्ड की एक विशेष प्रथा का उल्लेख करना चाहिए। वहाँ समितियाँ सरकारी राय लिए बिना ही एक प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश करती हैं। सरकार इसका एसेम्बली में उत्तर देती है, जिसे 'स्टेटमेन्ट ऑफ रिप्लाई' कहते हैं। यह प्रस्तुत हो जाने के बाद समिति एक सामान्य प्रावचयन के साथ पुनः यह पत्रव्यवहार सभा के सामने पेश करती है। बेल्जियम में, एक और नवीन प्रथा है और वह यह कि प्रतिवेदन लिखने के लिए केवल 'रिपोर्टेयर' ही नहीं, विशेषज्ञ सलाहकार भी नियुक्त किए जाते हैं। फ्रांस में, समिति के प्रतिवेदनों के सिवा उसकी कार्यवाही का संक्षिप्त

लेखा 'साप्ताहिक संक्षिप्त समाचार' में भी प्रकाशित किया जाता है। दक्षिणी अफ्रीका की प्रवर समितियों में यह नियम है कि वहाँ प्रतिवेदन के साथ साक्ष्य का सारा लेखा भी सभा को पेश किया जाए। कनाडा में, समिति के प्रतिवेदनों पर अधिकतर विचार सम्पूर्ण सभा द्वारा न होकर सम्पूर्ण सदन समिति में किया जाता है।

अमरीका, इजराइल आदि देशों में प्रतिवेदन लिखने का काम विशेषकर समिति के सभापति को सौंपा गया है। इसी तरह की व्यवस्था आस्ट्रेलिया, बर्मा भारत, सूडान, जापान, व स्पेन में पाई जाती है।

अध्याय 6

भारतीय संसदीय समितियाँ

लोक-सभा व राज्य-सभा मे दो तरह की समितियाँ प्रचलित हैं, स्थायी समितियाँ व प्रवर समितियाँ। इन समितियो के अतिरिक्त दोनो सदनो मे कुछ ऐसी भी समितियाँ हैं, जो शुद्ध अर्थ मे तो ससदीय समितियाँ नही, पर इनमे ससद् सदस्य ही होते है और इनका उद्देश्य अध्यक्ष की मदद करना होता है। इस तीसरी श्रेणी की समितियो का उदाहरण है : लोक-सभा व राज्य-सभा की (1) आवास-समिति (2) सामान्य प्रयोजन समिति व (3) दोनो सदनो की एक सयुक्त पुस्तकालय समिति।

स्थायी समितियाँ : भारतीय ससद मे प्रस्तुत निम्न स्थायी समितियाँ है.—

(अ) **लोक-सभा की स्थायी समितियाँ :**

(1) लोक-लेखा-समिति,

(2) याचिका-समिति,

(3) नियम-समिति,

(4) प्राक्कलन-समिति,

(5) विशेषाधिकार-समिति,

(6) कार्य-मंत्रणा-समिति,

(7) सभा की बैठको से सदस्यो की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति,

(8) अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति,

(9) सरकारी आश्वासनो सम्बन्धी समिति,

(10) गैर सरकारी सदस्यो के विधेयको तथा संकल्पो सम्बन्धी समिति,

(11) सरकारी उपक्रमो सम्बन्धी समिति.

(ब) **राज्य सभा की स्थायी समितियाँ**

(12) याचना-समिति

(13) कार्य-मंत्रणा-समिति

(14) नियम-समिति

(15) विशेषाधिकार-समिति

(16) अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

(स) संयुक्त स्थायी समितियाँ .

(17) सदस्यों के वेतन व भत्ते सम्बन्धी समिति

(18) लाभ-पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति

अपने स्वरूप व उद्देश्य की दृष्टि से भारतीय संसदीय स्थायी समितियों को निम्न श्रेणियों में रखा जा सकता है

(अ) जांच करनेवाली समितियाँ :

1) याचना-समिति (लोक-सभा व राज्य-सभा)

(2) विशेषाधिकार-समिति (लोक-सभा व राज्य-सभा)

(ब) परीक्षा करनेवाली समितियाँ :

(1) सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति (लोक-सभा)

(2) अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति (लोक सभा व राज्य सभा)

(3) लाभपदों सम्बन्धी संयुक्त समिति

(स) सभा के कार्यों में मदद करनेवाली समितियाँ :

(1) सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति (लोक-सभा)

(2) कार्य-मंत्रणा-समिति (लोक-सभा व राज्य सभा)

(3) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति (लोक-सभा)

(4) नियम-समिति (लोक-सभा व राज्य-सभा)

(द) सदस्यों की सुविधाओं को देखनेवाली समितियाँ :

(1) सदस्यों के वेतन व भत्ते सम्बन्धी समिति लोक-सभा व राज्य सभा की

आवास समितियाँ तथा सामान्य प्रयोजन समितियाँ भी उपर्युक्त उद्देश्य 'द' की पूर्ति के लिए होती हैं। संयुक्त पुस्तकालय समिति उद्देश्य 'स' के लिए है।

नीचे उपर्युक्त स्थायी समितियों का वर्णन किया गया है :

लोक-लेखा-समिति (लोक-सभा): भारतीय लोक-लेखा-समिति का इतिहास अत्यधिक पुराना है। समिति की स्थापना 1922 में हुई थी। तब से अब तक समिति हर वर्ष नियुक्त होती रही है।

समिति का मुख्य उद्देश्य* भारत सरकार के व्यय के लिए सभा द्वारा अनुदत्त राशियों के विनियोग दिखानेवाले लेखाओं, भारत सरकार के वार्षिक वित्त-लेखाओं, और सभा के सामने रखे गए अन्य लेखाओं की जाँच करना है। सरकार के विनियोग लेखाओं और उनपर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की जाँच करते समय लोक-लेखा-समिति का यह भी कर्त्तव्य होता है कि निम्न बातों के सम्बन्ध में अपना समाधान करे :

1. लेखाओं में व्यय के रूप में दिखलाया गया धन, उस सेवा या प्रयोजन के लिए विधिवत् उपलब्ध और लगाए जाने योग्य था, जिसमें वह लगाया गया है या वह पारित किया गया है।
2. व्यय उस प्राधिकार के अनुसार है, जिसके वह अधीन है।
3. प्रत्येक पुनर्विनियोजन, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्मित नियमों के अन्तर्गत, इस सम्बन्ध में किए गए उपबन्धों के अनुसार किया गया है।

लोक-लेखा-समिति का यह कर्त्तव्य** होता है कि वह राज्य-निगमों, व्यापार तथा निर्माण-योजनाओं और परियोजनाओं की आय तथा व्यय दिखलाने वाले लेखा-

---

* आरम्भ में समिति को सैनिक व्यय की जाँच करने का अधिकार न था इस कार्य के लिए 'सैनिक लेखा-समिति' नाम की एक अलग समिति हुआ करती थी, किन्तु स्वतन्त्रता मिलने के बाद यह अधिकार लोक-लेखा-समिति को सौंपा गया।

** सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की स्थापना के फलस्वरूप अब कुछ राज्य-निगमों के विवरणों की जाँच का कार्य लेखा-समिति को नहीं करना पड़ता।

विवरणों तथा संतुलन-पत्रों और लाभ तथा हानि के लेखाओं के ऐसे विवरणों की जांच करे, जिन्हें तैयार करने की राष्ट्रपति ने अपेक्षा की हो या जो किसी खास निगम, व्यापार-संस्था या परियोजना के लिए वित्त-व्यवस्था विनियमित करनेवाले सांविहित निगमों के उपलब्धों के अन्तर्गत तैयार किए गए हों। समिति इस सम्बन्ध में उपरोक्त विषयों पर नियंत्रक तथा लोकलेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच भी करती है। समिति का यह भी कर्त्तव्य होता है कि वह ऐसी स्वायत्तशासी तथा अर्धस्वायत्तशासी संस्थाओं की आय तथा व्यय दिखलानेवाले लेखा विवरणों की जांच करे, जिनकी लेखा-परीक्षा नियन्त्रक तथा महालेखा-परीक्षक द्वारा राष्ट्रपति के निर्देशों के अन्तर्गत या संसद् की किसी संविधि से अनुसार की जाती है। समिति का यह भी कर्त्तव्य है कि वह इन मामलों में नियन्त्रक तथा महालेखा-परीक्षक के ऐसे प्रतिवेदनों पर विचार करे, जिनके सम्बन्ध में राष्ट्रपति ने उनसे किन्हीं प्राप्तियों की लेखा-परीक्षा करने की या भंडार और स्टाक की लेखा-परीक्षा करने की अपेक्षा की हो। समिति का यह भी कर्त्तव्य है कि यदि वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर सभा द्वारा अनुदत्त राशि से कुछ अधिक धन व्यय किया गया हो तो वह उन सभी मामलों में से प्रत्येक मामले के सम्बन्ध में उन परिस्थितियों की जांच करे, जिनके कारण अधिक व्यय हुआ हो। जांच के पश्चात् उपयुक्त सिफारिशें करना भी समिति के कर्तव्यों के अन्तर्गत होता है। समिति का एक और महत्वपूर्ण कार्य है और वह है अतिरिक्त व्ययों पर जांच। संविधान के अनुच्छेद 115 में विहित है कि यदि किसी वर्ष में अनुदत्त व्यय से अधिक व्यय हुआ हो तो उसके लिए राष्ट्रपति पुनः लोक सभा में 'अनुमोदन' की मांग पेश कराएगा। ऐसी मांगों के विषय में लोक-सभा ने अपने नियमों में यह विहित किया है कि उन पर लोक लेखा समिति की राय ली जाएगी। अतएव लोक-लेखा समिति को अतिरिक्त व्ययों के सम्बन्ध में सभा को सन्तुष्ट करना पड़ता है कि वे व्यय अनिवार्य थे।

समिति के 22 सदस्य होते हैं जिनमें 15 लोक-सभा 7 राज्य-सभा के होते हैं। सन् 1953 में यह तय किया गया कि राज्य-सभा के सदस्य भी समिति में शामिल होंगे। पहले यह प्रथा न थी उस समिति के कुल 15 सदस्य हुआ करते थे। समिति के कार्य में नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक का विशेष हाथ होता है।

समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति 8 सदस्यों से होती है। समिति का सभापति, अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से नियुक्त किया जाता है, किन्तु यदि उपाध्यक्ष समिति का सदस्य हो तो वही समिति का सभापति होता

है। समिति को, अधिकारियों के बयान या परीक्षा के अधीन लेखों से सम्बन्धित साक्ष्य लेने का अधिकार होता है। समिति विशिष्ट जाँच के लिए ऐसी उपसमितियाँ भी नियुक्त कर सकती है, जिन्हें अविभक्त समिति की शक्तियाँ प्राप्त होती है।

समिति ने अपनी कार्यविधि के विषय मे विस्तृत आन्तरिक नियम बनाए हैं, जिनके अनुसार समिति की कार्यविधि इस प्रकार है :

नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक द्वारा केन्द्रीय सरकार के लेखाओं पर लेखा-परीक्षा-प्रतिवेदन सभा के सम्मुख उपस्थापित किए जाने के तुरन्त बाद समिति उनकी परीक्षा के लिए अपना कार्यक्रम निश्चित करती है। इस कार्यक्रम की प्रतिलिपि मंत्रालयों को भेजी जाती है। उसके बाद कार्यक्रम के अनुसार मंत्रालयों से प्रतिनिधि समिति के सामने साक्ष्य देने आते हैं। इन बैठकों मे, नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक और उसके अधिकारी भी उपस्थित रहते हैं। समिति प्रत्येक अनुदान के अन्तर्गत व्यय की जाँच करती है। यदि लेखा-परीक्षा-प्रतिवेदन में कोई त्रुटि बतलाई गई हो तो वह क्यों और कैसे हुई है, इसकी परीक्षा भी समिति करती है। प्रत्यक्ष जाँच के बाद भी यदि किसी विषय में कोई जानकारी बाकी रहती हो तो समिति उन पर लिखित ज्ञापन मंत्रालयों से मंगाती है। समिति की बैठकों में बाहर का कोई आदमी उपस्थित नही रह सकता। समिति के कार्य के बारे मे विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है। समिति की सारी कार्यवाही का शब्दश: विवरण रखा जाता है। समिति की जाँच मे तत्स्थान परीक्षा करने की भी प्रथा है। अपनी जाँच पूरी होने पर, समिति अपना प्रतिवेदन लोक-सभा को पेश करती है। प्रतिवेदन, पेश किए जाने के पूर्व, मन्त्रालयों को तथ्य-प्रमाण के लिए भेजे जाते हैं।

समिति की सिफारिशें यथाशीघ्र सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं, अतएव जब कभी समिति की सिफारिशों पर सरकार कार्रवाई करती है तो समिति को सूचित किया जाता है। समिति इस बात की पुन. जाँच करती है कार्यान्विति पूर्ण रूप से हुई है या नही कि उसकी सिफारिशों की समिति अपने प्रतिवेदनों के साथ इस सम्बन्ध मे लोक-सभा को सूचित करती है। समिति के प्रतिवेदनों पर साधारण तौर पर सभा मे बहस नही होती पर तृतीय लोक-सभा मे 22 अगस्त, 1966 को समिति के 55 वें प्रतिवेदन पर विशेष कारणों से बहस की गई थी।

समिति ने पहली लोक-सभा मे 25 प्रतिवेदन, द्वितीय लोक-सभा मे 43, तृतीय लोक-सभा मे 66 और चौथी लोक-सभा मे अभी तक 5 प्रतिवेदन पेश किए

हैं। लोक-लेखा-समिति को संसद् का पहरेदार* (वित्तीय मामलों में) माना जाता है। यह सत्य है कि सरकारी विभाग, यदि संसद् की किसी समिति से सर्वाधिक डरते है, तो वह लोक-लेखा-समिति है।

याचिका-समिति (लोक-सभा) —याचिका-समिति की स्थापना 1924 मे तत्कालीन 'लेजिस्लेटिव एसेम्बली' मे हुई थी। 1931 तक यह समिति 'कमेटी ऑन पब्लिक पिटीशन्स' के नाम से ज्ञात थी। स्वतन्त्रता मिलने के बाद इस समिति का पुनर्गठन हुआ है। अपनी संसद् होने के नाते किसी नागरिक को यह अधिकार है कि वह सर्वोच्च संस्था को अपनी याचना भेज सके। याचिकाओं के माध्यम से संसद्-सदस्यों को भी लोक-मत जानने मे आसानी होती है। यही 'याचिका-समिति' का उद्देश्य है।

प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के अनुसार समिति के निम्न 3 उद्देश्य है :—

(1) समिति उसे सौंपी गई प्रत्येक याचिका की जाँच करेगी और यदि याचिका मे नियमों का पालन किया गया हो तो समिति निर्देश दे सकेगी कि उसे परिचालित किया जाए। यदि याचिका के परिचालित किए जाने का निर्देश दिया गया हो तो अध्यक्ष किसी भी समय निर्देश दे सकेगा कि याचिका को परिचालित किया जाए।

(2) याचिका उसके विस्तृत अथवा संक्षिप्त रूप मे समिति या अध्यक्ष के निर्देश के अनुसार परिचालित की जाएगी।

(3) समिति का यह भी कर्त्तव्य होगा कि ऐसी साक्ष्य प्राप्त करने के बाद, जैसी कि वह ठीक समझे, उसे सौंपी गई याचिका मे की गई विशिष्ट शिकायतें सभा को प्रतिवेदित करे और विचाराधीन मामले से सम्बन्धित

---

* लोक-लेखा-समिति की संसद् सदस्यों मे इतनी प्रतिष्ठा है कि इस समिति के प्रति कोई दोषारोपण स्वयं सभा के विशेषाधिकार भंग होने के बराबर माना जाता है। इसका अत्याधुनिक उदाहरण समिति की 34 वी रिपोर्ट (तृतीय लोक-सभा) है—जिसमे भारत सेवक समाज के लेखाओं की त्रुटियों की आलोचना थी। इस आलोचना का प्रत्युत्तर किसी ने देने का प्रयत्न किया था और उससे सभा मे गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई थी।

ठोस रूप मे या भविष्य मे दोष को, रोकने के लिए प्रतिकारक उपायो का सुझाव दे।"

जब याचिकाएँ सभा मे पेश की जा चुकी होती है तो उन्हे एक क्रम-संख्या दी जाती है। उसके बाद वे यथाशीघ्र समिति के सम्मुख प्रस्तुत की जाती है। यदि याचिका सभा के सम्मुख किसी विधेयक से सम्बन्धित हो तो समिति प्रायः उसे संसद-सदस्यो को वितरित करने का आदेश देती है। यदि विधेयक केवल सभा के सम्मुख ही न हो, वरन् सभा उस पर विचार कर रही हो तो समिति तुरन्त बैठक बुला कर उस पर विचार करती है।

समिति हर लोक-सभा के आरम्भ मे नियुक्त की जाती है, पर इसकी अवधि एक वर्ष की होती है। समिति के 15 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष सदस्य नियुक्त करते समय विभिन्न दलो के प्रतिनिधित्व को ध्यान मे रखता है। वह कुछ निर्दलीय सदस्यो के भी नाम निर्देशित करने की उपादेयता पर विचार करता है। मंत्रियो को समिति का सदस्य होने का अधिकार नही होता। समिति का सभापति अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यो मे से नियुक्त किया जाता है। यदि समिति का कोई सदस्य किसी कारण से कार्य करने मे असमर्थ हो तो अध्यक्ष उसके स्थान पर अन्य सदस्य नियुक्त करता है। समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति-संख्या 5 होनी है। समिति को व्यक्तियो को हाजिर कराने या पत्रों अथवा अभिलेखो को पेश कराने की शक्ति होती है, यदि वैसा कराना उसके कर्त्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक हो। किसी व्यक्ति की साक्ष्य या किसी दस्तावेज का पेश किया जाना समिति के प्रयोजन के लिए संगत है या नही यदि यह प्रश्न उठता है तो अध्यक्ष की सलाह ली जाती है और उसका निर्णय अन्तिम माना जाता है। समिति स्वय यह निश्चय करती है कि उसके सामने दी गई साक्ष्य को गोपनीय या गुप्त माना जाए अथवा नहीं। एक बार समिति के सामने पेश किए जाने पर दस्तावेज वापस नही लिया जा सकता।

किस प्रकार की याचिकाओ पर समिति द्वारा चर्चा की जाएगी; इस विषय पर निम्न आदेश है "ऐसे विषयो पर, जो किसी न्यायालय अथवा विधिक अधिकरण अथवा अधिकारी अथवा अर्धन्यायिक-संस्था अथवा आयोग के विचाराधीन हो, विचार नही किया जा सकता। यदि विषय, उपरोक्त विषयो जैसा हो, तो सभा को उस पर साधारण कार्यवाही किए जाने मे कोई हस्तक्षेप नही करना चाहिए। 'इसी

प्रकार यदि कोई ऐसा विषय हो, जो राज्य विधान-सभा में उठाया जाना चाहिए तो उसमें भी समिति हस्तक्षेप नहीं करती। यदि कोई याचिका ऐसी हो, जिसका उद्देश्य उसके अन्तर्हित निवेदन की सुनवाई सामान्य तौर पर हो सकने के बावजूद, सभा में उसके प्रस्तुतीकरण द्वारा याचिका की सुनवाई करनेवाले व्यक्तियों पर जोर डालना हो तो उसे समिति मंजूर नहीं करती। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को किसी सरकारी नियम के विरुद्ध व्यक्तिगत आपत्ति हो तो उन मामलों पर भी समिति विचार नहीं करती। यदि याचिकाएँ सर्व-सामान्य आपत्ति या आक्षेप का विषय हो, तो उस पर विचार किया जा सकता है। कर्ज या आर्थिक सहायता के सम्बन्ध में प्राप्त याचिकाओं पर भी समिति विचार नहीं करती। यदि किसी याचिका का विषय राज्य-सरकार से सम्बन्धित हो तो उस याचिका को राज्य-विधान-सभा की याचिका समिति के सम्मुख भेज दिया जाता है। निम्न प्रकार की याचिकाओं पर भी समिति विचार नहीं करती :—

(1) सरकारी, अर्धसरकारी व निगमों के कर्मचारियों के सेवाशर्तों सम्बन्धी मामले,

(2) नौकरी दिलाने के लिए की गई याचिकाएँ,

(3) गुमनाम शिकायतें,

(4) तुच्छ विषयों से सम्बन्धित याचिकाएँ,

समिति की कार्य प्रणाली इस प्रकार है। प्रत्येक याचिका को श्रेणी 'अ' व श्रेणी 'ब' में विभाजित किया जाता है। श्रेणी 'अ' में अधिक गंभीर विषयों वाली याचिकाएँ रखी जाती हैं। श्रेणी 'अ' की याचिकाएँ मंत्रालयों को भेजी जाती हैं व उनमें तथ्य मांगे जाते हैं और उन पर समिति फिर विचार करती है। श्रेणी 'ब' की याचिकाएँ, यदि वे उचित हैं तो, मंत्रालयों को उचित कार्रवाई के लिए भेज दी जाती हैं।

समिति ने, प्रथम लोक-सभा के कार्य-काल में 2019 याचिकाओं व निवेदनों पर विचार किया था। इनमें 351 याचिकाएँ ग्राह्य थीं। इस काल में समिति की 31 बैठकें हुई थीं और समिति ने 12 प्रतिवेदन पेश किए थे। 351 याचिकाएँ, जो ग्राह्य थीं, उनमें से 311 याचिकाएँ सभा के सम्मुख पेश विधेयकों के सम्बन्ध में थी, 6 राज्य पुनर्गठन के विषय में और शेष अन्य विषयों के बारे में थीं। द्वितीय लोक-सभा के काल में, समिति ने 15 तृतीय लोक सभा के काल में 5, और

चौथी लोक-सभा की अभी तक की अवधि मे समिति ने 2 प्रतिवेदन पेश किए हैं। समिति के लिए यह आवश्यक नही कि वह प्रत्येक याचिका पर प्रतिवेदन दे। जब कभी कोई विशेष महत्त्व का प्रश्न याचिका मे होता है, तभी समिति संसद् को प्रतिवेदन देती है।

नियम-समिति (लोक-सभा)—सविधान के अनुच्छेद 118(1) मे कहा गया है कि सविधान के उपबन्धो के अधीन रहते हुए प्रत्येक सदन अपने प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम बनाएगा। इसी अनुच्छेद के पालनार्थ 1 अप्रैल, 1950 को सभाध्यक्ष ने नियम समिति की पहली बार स्थापना की थी। नियम-समिति तब से प्रथम लोक-सभा के प्रारम्भ से लगभग प्रतिवर्ष गठित होती रही है।

लोक-सभा की नियम समिति के सदस्य, अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित किए जाते है व उसकी अवधि एक वर्ष होती है। इस समिति के सदस्यो की सख्या, सभापति को मिलाकर, कुल 15 होती है। सदस्य नियुक्त करते समय अध्यक्ष साधारणत राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियों से सलाह लेता है। अध्यक्ष ही समिति का पदेन सभापति होता है। यदि अध्यक्ष किसी कारण से समिति के सभापति के रूप मे कार्य करने से असमर्थ हो तो वह अपने स्थान पर समिति का अन्य सभापति नियुक्त करता है।

समिति के बैठक के लिए कम-से-कम 5 सदस्य होने चाहिएँ। जब कोई महत्त्वपूर्ण नियम विचाराधीन होता है तो सभा के विभिन्न दलीय नेताओ को भी विशेष आमन्त्रण द्वारा समिति की बैठक मे बुला लिया जाता है। इसी प्रकार जब कोई नियम-परिवर्तन सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया गया हो तो सम्बन्धित मन्त्री को भी बैठक मे आमन्त्रित किया जाता है। क्लिष्ट कानूनी विषयों पर विचार करते समय महान्यायवादी को बुलाने की भी प्रथा है।

समिति ने प्रथम लोक-सभा के काल मे एक, द्वितीय लोक-सभा के काल मे 3, तृतीय लोक-सभा के काल मे 4 व चौथी लोक-सभा की अभी तक की अवधि मे 3 प्रतिवेदन पेश किए है।

समिति के प्रतिवेदन साधारणतया उपाध्यक्ष द्वारा सभा-पटल पर रखे जाते हैं। प्रतिवेदन के सभा-पटल पर रखे जाने के 7 दिन के अन्दर, यदि कोई सदस्य चाहे तो सशोधन पेश कर सकता है। ये सशोधन पुन. समिति के सामने विचारार्थ

जाते है। जब दुबारा समिति का पेश किया गया प्रतिवेदन सभा द्वारा मान्य कर लिया जाता है, तब उसके सुझाव लागू किए जाते हैं। सभा द्वारा स्वीकृति की यह पद्धति इसलिए आवश्यक मानी जाती है कि सविधान के पूर्वोक्त अनुच्छेद के अनुसार सभा की कार्यविधि करने का अधिकार केवल सभा को ही है।

जब नियम समिति सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-सचालन सम्बन्धी नियमो मे सशोधन सुझाती है तो वह सदस्यो व जनता के सूचनार्थ भारत सरकार के राजपत्र (विशेष) भाग 1, खण्ड 1 मे प्रकाशित किया जाता है।

समिति ने अपने एक प्रतिवेदन मे यह निर्धारित किया है कि नियम, आदेश या प्रथा द्वारा प्रक्रिया के सचालन के सम्बन्ध में निम्न सिद्धान्तो का पालन किया जाना चाहिए —

(1) यथासम्भव प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय के सम्बन्ध मे प्रक्रिया-नियमो मे व्यवस्था होनी चाहिए।

(2) ऐसे विषयो मे, जहाँ कठोरता लाना नही और यही वाछनीय है कि प्रथा अनुभव के साथ-साथ विकसित हो, प्रक्रिया-नियमो मे व्यहृत, अध्यक्ष पद से दिए गए निर्णयो व आदेशो का ही प्रयोग करना चाहिए।

(3) कुछ अवधि के बाद, जब प्रथाएँ व रीतियाँ निश्चित हो जाएँ, उन्हें प्रक्रिया-नियमो अथवा अध्यक्ष के आदेशो मे शामिल कर लेना चाहिए।

प्राक्कलन-समिति (लोक-सभा)—प्राक्कलन-समिति का जन्म 10 अप्रैल, 1950 को हुआ था। यद्यपि पहले भी प्राक्कलन-समिति निर्माण करने के प्रयत्न किए जा चुके थे, पर ससद का निर्माण होकर उसके प्रक्रिया तथा कार्य-सचालन सम्बन्धी नियमो के बनने तक उसका जन्म न हो सका था। उक्त नियमो के अनुसार प्राक्कलन समिति के निम्न कृत्य* है :—

---

* सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की स्थापना के फलस्वरूप अब प्राक्कलन-समिति को कुछ राज्य-निगम व सरकारी कम्पनियो के प्राक्कलनो की जाँच नही करनी पडती। पहले इनके लिए समिति एक विशेष उपसमिति नियुक्त किया करती थी।

(1) प्राक्कलनो से सम्बन्धित नीति के अनुकूल मितव्ययिताएँ, सघटन मे सुधार, कार्यपटुता या प्रशासनिक सुधार किस प्रकार किए जा सकते है, इस सम्बन्ध मे प्रतिवेदन करना।

(2) प्रशासन मे कार्यपटुता और मितव्ययिता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियो का सुझाव देना।

(3) प्राक्कलनो मे अन्तर्निहित नीति की सीमा मे रहते हुए धन ठीक ढग से लगाया गया है या नही, इसकी जॉच करना।

(4) प्राक्कलन किस रूप मे ससद में उपस्थापित किए जाएँगे, इसका सुझाव देना।

पहले समिति के 25 सदस्य हुआ करते थे, पर सन् 1956 से इसके 30 सदस्य होते आए है, जो प्रतिवर्ष सभा द्वारा उसके सदस्यो मे से अनुपाती प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल सक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किए जाते है। यह उल्लेखनीय है कि मन्त्री समिति के सदस्य नही होते। यदि समिति मे निर्वाचित होने के बाद कोई सदस्य मन्त्री नियुक्त किया जाता है तो उसे समिति की सदस्यता से वचित होना पडता है। समिति का सभापति, अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों मे से नियुक्त किया जाता है, पर यदि उपाध्यक्ष समिति का सदस्य हो तो वही समिति का सभापति बनता है। समिति की बैठक गठित करने के लिए कम-से-कम 10 सदस्यो का उपस्थित होना आवश्यक होता है।

समिति की आन्तरिक कार्यप्रणाली इस प्रकार है: प्रत्येक वर्ष के शुरू मे समिति सर्वप्रथम उस वर्ष मे परीक्षा के लिए विषय, जैसे विकासेतर व्यय मे वृद्धि का प्रश्न, 'रेलो के व्यापारिक मामले' अथवा कोई भी मन्त्रालय यथा रक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय आदि चुनती है। तदुपरान्त इन मन्त्रालयो या विषयो के बारे मे, 'प्रारम्भिक जानकारी' मॅगवाई जाती है। जानकारी आने पर, समिति उसके आधार पर एक प्रश्नावली बनाती है, जो मन्त्रालयो को उत्तर भेजने के लिए प्रेषित की जाती है। इस लिखित जानकारी के प्राप्त करने के अतिरिक्त समिति सम्बन्धित स्थानो या कार्यालयो की तत्स्थान परीक्षा के लिए भी जाती है। इस परीक्षा व प्रश्नोत्तरो के आधार पर, समिति सम्बद्ध मन्त्रालयो के अधिकारियो की साक्ष्य लेती है उनके विचार जानने के बाद समिति अपना निर्णय देती है। चूंकि केवल सरकारी मत जानने से ही सारी स्थिति का बोध नही होता, अतएव गैर-

सरकारी विशेषज्ञों की राय लेने की भी प्रथा है। समिति के विचार, प्रतिवेदनों के रूप में, सभा को पेश किए जाते हैं।

चूंकि रक्षा विषयक प्रश्नों की जाँच उसी प्रकार खुली तौर पर नहीं की जा सकती, जिस प्रकार से अन्य प्रश्नों की जाँच की जा सकती है, अतएव अध्यक्ष के आदेश से रक्षा-मन्त्रालय सम्बन्धी जांच के लिए एक विशेष प्रथा प्रचलित है जो यह है कि समिति एक विशेष उपसमिति नियुक्त करती है और वही रक्षा विषयक सारे प्रश्नों की जांच अध्यक्ष के आदेशानुसार करती है। इस विशेष उपसमिति के अतिरिक्त 'अध्ययन-मण्डल' नियुक्त करने की प्रथा भी प्रचलित है।

समिति के प्रतिवेदनों पर सरकार द्वारा उपयुक्त कदम उठाए जाते हैं और इन कार्रवाइयों के सम्बन्ध में मन्त्रालय समिति को सूचित करते रहते हैं। समिति उन पर विचार कर पुन सभा को प्रतिवेदन देती है। प्रथा के अनुसार समिति के प्रतिवेदनों पर सभा में कोई बहस नहीं होती, पर उनकी सिफारिशों को सरकार वही मान्यता देती है, जो मान्यता वह सभा के आदेशों को देती है। समिति को भारत की सचित राशि पर प्रभारित राशि की भी जाँच करने का अधिकार होता है, यह बात दूसरी है कि वह उसमें कोई कटौती करने का सुझाव नहीं दे सकती।

समिति ने, अभी तक 350 से अधिक प्रतिवेदन पेश किए हैं, जिनके माध्यम से प्राय सभी मन्त्रालयों की जाँच की जा चुकी है। इसके सिवा समिति ने आय-व्ययक सुधार, योजना-आयोग, सचिवालय-पुनर्गठन, वित्तीय व प्रशासनिक सुधार, असैनिक योजनातिरिक्त व्यय में वृद्धि, सरकारी उपक्रमों में कर्मचारियों सम्बन्धी नीति इत्यादि महत्त्वपूर्ण विषयों पर भी प्रतिवेदन दिए हैं।

भारतीय ससद् की सारी समितियों में लोक-लेखा-समिति के बाद, प्राक्कलन-समिति का ही स्थान आता है। कार्य की दृष्टि से भी देखें तो किसी अन्य समिति की उसके कार्य-काल में अभी तक के समय में इतनी बैठकें नहीं हुई हैं, जितनी प्राक्कलन-समिति की बैठकें। केवल द्वितीय लोक-सभा के कार्य-काल में हुई हैं। उदाहरणार्थ, द्वितीय लोक-सभा के कार्य-काल में समिति की 246 बैठकें हुई थी और समिति ने 40 हजार से अधिक पृष्ठों की सामग्री पर विचार किया था।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति—सरकारी उपक्रमों (अर्थात् निगमों, स्वायत्त सस्थाओं व कम्पनियों) पर समदीय नियन्त्रण कई वर्षों से एक विवादास्पद

विषय रहा है। इग्लैण्ड मे इस विषय पर विचार करने के लिए दो प्रवर समितियां नियुक्त हुई। अन्ततोगत्वा 1955 मे, वहाँ 'सेलेक्ट कमेटी ऑन नेशनलाइज्ड इण्डस्ट्रीज' की स्थापना हुई। जैसे अन्य मामलो मे भारतीय ससद् ने ससदों की जननी, 'हाउस ऑफ कॉमन्स' की प्रथाएँ अपनाई हैं, उसी प्रकार सरकारी उपक्रमो पर *ससदीय नियन्त्रण के लिए भी बहुत वर्षो से ससद्-सदस्यों व अन्य स्वतन्त्र* विचारको की यह माग थी कि इन उपक्रमो की जांच के लिए एक ससदीय समिति नियुक्त की जाए। वैसे तो पाठको ने लोक-लेखा-समिति तथा प्राक्कलन-समिति के वर्णन के अन्तर्गत पढ़ा ही होगा कि ये समितियां उपक्रमो के प्राक्कलनो तथा लेखाओ की जांच करती थी। वास्तव मे प्राक्कलन-समिति ने उपक्रमो पर 50 के करीब प्रतिवेदन भी पेश किए थे, पर यह अनुभव किया जाता था कि चूँकि इन समितियो को उपक्रमो के सिवा अन्य विषयो की भी जाँच करनी पड़ती है और उपक्रमो की सख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है अतएव उन पर विचार करने के लिए एक स्वतन्त्र ससदीय समिति होनी चाहिए। *स्वतन्त्र समिति की मांग का* एक यह भी उद्देश्य था कि इनकी जाँच एक अलग ढग से होनी चाहिए, क्योकि ये उपक्रम सरकारी विभाग जैसे नही, बल्कि व्यापारिक ढग के है, जहां अर्थ के नियोजन अथवा उसकी उत्पादकता का माप भिन्न नही है।

अतएव 1963 के नवम्बर मे, ससद् पारित एक प्रस्ताव द्वारा इस समिति की स्थापना हुई। प्रस्ताव मे समिति के जो कृत्य बताए गए है, वे इस प्रकार हैं :—

(1) *सरकारी उपक्रमो के वार्षिक प्रतिवेदनों व लेखो की परीक्षा करना।*

(2) नियत्रक तथा महालेखा-परीक्षक ने यदि इन उपक्रमो पर कोई लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन दिया हो, तो उसकी जाँच करना।

(3) सरकारी उपक्रमो की स्वायत्तता तथा कार्य-कुशलता को ध्यान मे रखते हुए यह देखना कि उनका कारोबार स्वस्थ व्यावसायिक सिद्धांतों व सुचारित व्यापारिक नियमो के अनुसार हो रहा है या नही।

(4) प्राक्कलन-समिति को तथा लोक-लेखा-समिति को सौंपे गए अन्य ऐसे सरकारी उपक्रमो सम्बन्धी कृत्यो को निभाना, जो ऊपर दिए गए (1), (2) और (3) *के अन्तर्गत कृत्यो मे नही आते। तथा*

(5) अन्य ऐसे कृत्य, जो अध्यक्ष द्वारा सौंपे जाएँ ।

समिति को उपक्रमों के दिन-प्रतिदिन के व्यवहार व प्रशासन में हस्तक्षेप करने की मनाही है। इसी प्रकार उन विषयों की जाँच करने की भी मनाही है, जिनके लिए कानून ने अन्य कोई व्यवस्था की हो, जैसे अध्यापकों और कर्मचारियों के बीच झगड़ों को निपटाने के लिए नियुक्त न्यायालय, वस्तुओं की कीमतें निर्धारित करने के लिए 'टैरिफ कमीशन' इत्यादि से सम्बद्ध विषय ।

समिति, सयुक्त समिति तो नहीं पर, लोक-लेखा-समिति की तरह इसमें भी लोक-सभा व राज्य सभा दोनों सदनों के सदस्य इस प्रकार होते हैं 10 लोक-सभा के व 5 राज्य-सभा के। पूर्वोक्त प्रस्ताव के अनुसार समिति का कार्य-काल तृतीय लोक-सभा की अवधि तक था। पर नवम्बर, 1965 में नियमों में परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप अब यह समिति अन्य वित्तीय समितियों के समान प्रतिवर्ष नियुक्त की जाती है। समिति का सभापति, अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से नाम निर्देशित किया जाता है।

समिति की कार्यप्रणाली प्राक्कलन-समिति की कार्य-प्रणाली जैसी है। वर्ष के आरम्भ में समिति यह निश्चित करती है कि वह कौन-कौन-से उपक्रमों की जाँच करेगी। फिर सम्बद्ध उपक्रमों पर आवश्यक जानकारी प्राप्त की जाती है। यदि समिति को उचित लगता हो वह उन उपक्रमों का दौरा भी करती है। समिति 'चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स' अथवा अन्य गैर-सरकारी संस्थाओं व व्यक्तियों के मत भी मालूम करती है। तदुपरान्त समिति मन्त्रालय के अधिकारियों व उपक्रमों के अधिकारियों की साक्ष्य लेती है और फिर अपना प्रतिवेदन पेश करती है। चूँकि समिति को उपक्रमों के लेखाओं की भी जाँच करनी पड़ती है, इसलिए यदि परीक्षाधीन उपक्रमों पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन में कुछ त्रुटियाँ मिलती हों तो नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक की भी इस सम्बन्ध में साक्ष्य ली जाती है।

समिति ने, तृतीय लोक-सभा की अवधि में 40 प्रतिवेदन पेश किए थे, जिनमें अनेक उपक्रमों (उदाहरणार्थ, 'फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया', 'दुर्गापुर स्टील प्लान्ट', इत्यादि) पर थे व कुछ उपक्रमों सम्बन्धी एक सामान्य, पर महत्त्वपूर्ण विषयों (जैसे उपक्रमों की उपनगरी तथा कारखाने की इमारतों) इत्यादि पर थे। चौथी लोक सभा के अभी तक के काल में समिति ने 2 प्रतिवेदन पेश किए हैं।

विशेषाधिकार-समिति (लोक-सभा)—विशेषाधिकार-समिति की स्थापना पहली बार 1 अप्रैल, 1950 को हुई थी। तब से यह समिति प्रतिवर्ष मई के महीने मे नियुक्त की जाती है।

समिति का कार्य, उसको सौंपे गए प्रत्येक प्रश्न की जाँच कर, प्रत्येक मामले के तथ्य के अनुसार यह निर्धारित करना होता है कि किसी विशेषाधिकार का भंग हुआ है या नही और यदि हुआ है तो वह किस प्रकार का है और किन परिस्थितियो मे हुआ है, ताकि तत्सम्बन्धी उपयुक्त सिफारिश की जाए।

समिति के 15 सदस्य होते है। अध्यक्ष सदस्य नियुक्त करते समय विभिन्न राजनैतिक दलो के हको, हितो तथा सख्या को ध्यान मे रखता है। वह विभिन्न दलो की सलाह भी लेता है। समिति की आकस्मिक रिक्तता-पूर्त्ति, अध्यक्ष द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के नामनिर्देशन द्वारा की जाती है। समिति का सभापति अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यो मे से ही नियुक्त किया जाता है। समिति की बैठकें गठित करने के लिए गणपूर्त्ति 5 होती है। समिति यदि चाहे तो व्यक्तियों को हाजिर या पत्रो अथवा अभिलेखो को पेश करा सकती है। समिति किसी प्रश्न पर विचार करने के बाद उस पर अपनी सिफारिशे प्रतिवेदन के रूप मे सभा को पेश करती है। साधारणतया प्रतिवेदन सभा द्वारा निश्चित समय के अन्दर पेश किया जाता है। यदि सभा ने कोई समय निश्चित न किया हो तो प्रतिवेदन उस तिथि से एक मास के अन्दर पेश किया जाता है, जिस तिथि को विशेषाधिकार का प्रश्न सभा ने समिति को सौपा हो। समिति के प्रतिवेदन आरम्भिक भी होते हैं और अन्तिम भी। समिति के प्रतिवेदन सभा मे प्रस्ताव द्वारा स्वीकृत होते हैं। साधारणतया, यदि समिति ने यह सिफारिश की हो कि विशेषाधिकार का भग नही हुआ है तो उस पर कोई बहस नही होती, उदाहरणार्थ, देशपाडे, दशरथ, देव व सुन्दरैया आदि के मामलो को देखा जा सकता है। यदि विशेषाधिकार भग हुआ हो और समिति ने यह सिफारिश की हो कि विशेषाधिकार भग करने वाले द्वारा क्षमा माग लेने के कारण उसके खिलाफ कोई कारंवाई न की जाए तो उन परिस्थितियो मे भी प्रतिवेदन पर कोई बहस नही होती। अभी तक समिति ने केवल एक बार विशेषाधिकार भग करनेवाले को दण्ड देने की सिफारिश सभा को की है

वह सिफारिश ब्लिट्ज के सम्पादक द्वारा सभा के विशेषाधिकार-भंग* करने के प्रसिद्ध मामले में की गई थी।

समिति की सिफारिशों को, सभा किस तरह कार्यान्वित करे, यह बतलाना भी समिति का कर्त्तव्य होता है। जब इस तरह की कार्यविधि समिति द्वारा बनाई जाती है, तब सभा द्वारा उस प्रतिवेदन पर चर्चा कर उसे अन्तिम रूप से स्वीकृति दी जाती है।

जब विशेषाधिकार के समान प्रश्न, दोनों सदनों के सम्मुख रहते हैं, तब दोनों सदनों की विशेषाधिकार-समितियों द्वारा संयुक्त बैठकें करने की भी प्रथा है। इस सम्बन्ध में, 1954 में हुई संयुक्त विशेषाधिकार समितियों की बैठकों में निम्न सिद्धान्त स्वीकार किए गए थे

(1) जब किसी सदन में सदस्य, अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा अन्य सदन के विशेषाधिकार के भंग किए जाने का प्रश्न उठाया जाए तो पहली सभा के अध्यक्ष का यह कर्त्तव्य होता है कि वह दूसरे सदन के अध्यक्ष को इसकी सूचना दे। लेकिन यदि प्रश्न उठानेवाले सदस्य को पूरी तरह सुनकर या अन्य कागजात की जाँच कर अध्यक्ष इस नतीजे पर पहुँचता हो कि किसी विशेषाधिकार का भंग नहीं हुआ है अथवा मामला इतना मामूली है कि उसकी जाँच-पड़ताल करने की जरूरत नहीं तो अध्यक्ष ऐसी परिस्थिति में विशेषाधिकार-प्रस्ताव को अस्वीकृत कर सकता है।

(2) जब किसी एक सदन से स्वीकृत कोई मामला अन्य सदन के अध्यक्ष को सूचित किया गया हो तब अन्य सदन का अध्यक्ष, उस मामले की उसी तरह जाँच करवाएगा, जिस तरह वह अपने सदन या अपने

---

* करंजिया द्वारा सभा के विशेषाधिकार-भंग पर समिति की रिपोर्ट को, सभा ने 19 अगस्त, 1961 को स्वीकृति दी थी। समिति ने सिफारिश की थी कि श्री करंजिया का अपराध अक्षम्य है, इसलिए उसे संसद की 'बार' के सम्मुख बुलाया जाए तदनुसार श्री करंजिया को 29 अगस्त, 1961 को सदन के न्यायाधिकरण के सामने आना पड़ा, जहाँ अध्यक्ष ने उनकी निर्भर्त्सना की।

सदन के किसी सदस्य के विशेषाधिकार-भंग की हालत मे करता।

(3) जाँच करने के बाद अध्यक्ष जिस सदन से मामला आया हो, उसे जाँच की एक रिपोर्ट तथा कार्रवाई की गई तत्सम्बन्धी की सूचना देगा।

(4) यदि विशेषाधिकार-भंग करनेवाले सदस्य अधिकारी अथवा कर्मचारी ने माफी माग ली हो तो उस हालत मे भी विशेषाधिकार-भंग की सूचना नही दी जाएगी।

विशेषाधिकार-समिति ने, 1958 मे जिस सैद्धान्तिक प्रश्न पर विचार किया था वह यह था कि यदि कोई संसद्-सदस्य अपराधिक आरोप पर गिरफ्तार हो तो उसे सामान्यतया हथकडियाँ पहनाई जानी चाहिएँ अथवा नही। समिति ने अपने चौथे प्रतिवेदन मे इस विषय मे सिफारिश की कि हथकडियो का उपयोग खासकर संसद्-सदस्यो के साथ उसी अवस्था मे किया जाए, जबकि बन्दी अत्यधिक उदण्ड हो अथवा यह आशंका हो कि वह हिंसा का प्रयोग करेगा। इसी प्रतिवेदन मे समिति ने यह भी मत दिया है कि मद्रास-सुरक्षा अधिनियम 11(4) के समान नियम हर एक राज्य मे लागू हो ताकि अध्यक्ष को संसद्-सदस्य की गिरफ्तारी की सूचना भेजी जा सके।

समिति ने प्रथम लोकसभा के कार्य-काल मे 4 प्रतिवेदन, द्वितीय लोक सभा के कार्य-काल मे 113 तृतीय लोक-सभा के काल मे प्रतिवेदन* पेश किए है। चौथी लोक-सभा के काल मे समिति ने अभी तक 3 प्रतिवेदन पेश किए है।

---

* 1 इन प्रतिवेदनो के नाम इस प्रकार हैं

प्रथम लोक-सभा—

(1) देशपाडे के मामले पर प्रतिवेदन;

(2) दशरथ के जेल मामले पर प्रतिवेदन,

(3) मिन्हा के मामले पर प्रतिवेदन;

(4) सुन्दरैया के मामले पर प्रतिवेदन।

द्वितीय लोक-सभा—

(1) सभा की कार्यवाही से सम्बन्धित कागजातो को न्यायालयो मे पेश

कार्यमंत्रणा-समिति (लोक-सभा) : कार्यमंत्रणा-समिति की स्थापना पहली बार 14 जुलाई, 1952 को हुई थी। इसकी स्थापना बडी दिलचस्प है। समिति के गठित होने तक, अध्यक्ष को हमेशा यह चिन्ता रहती थी कि वह वित्तीय विधेयकों को छोडकर, अन्य विधेयकों के बीच किस तरह उनकी अपेक्षाकृत महत्ता निर्धारित करें, क्योंकि समयाभाव के कारण सारे विधेयकों पर तो कभी भी सभा द्वारा विचार किया जा सकता था। अतः अध्यक्ष ने, 28 मार्च, 1951 को प्रधानमंत्री

करने की प्रक्रिया;

(2) स्वचालित वोट मशीन के स्थापना से सम्बन्धित कागजातों को निर्वाचन-अधिकरण में भेजने का प्रश्न;

(3) बम्बई विधानसभा के सचिव का निवेदन कि श्री एल० बी० वालवी संसद-सदस्य को बम्बई विधानसभा की विशेषाधिकार-समिति के सुझाव पेश करने की आज्ञा दी जाए,

(4) व (5) संसद् सदस्यों को हथकड़ी पहनाने का प्रश्न;

(6) संसद-सदस्यों द्वारा, ऐसे सदन के सामने, जिसका वह सदस्य न हो, साक्ष्य देने की विधि,

(7) 'ज्वाइन्ट कमेटी ऑन मर्चेन्ट शिपिंग बिल' की रिपोर्ट पर हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड द्वारा आरोप,

(8) केरल के मुख्यमन्त्री द्वारा केन्द्रीय गृहमन्त्री को भेजा गया तार;

(9) ओ० पी० मथाई द्वारा प्रकाशित पत्र;

(10) एक संसद्-सदस्य के जाली हस्ताक्षर,

(11) धीरेन भौमिक द्वारा लोक-सभा के अध्यक्ष तथा सभा पर आरोप;

(12) ब्लिट्ज में आचार्य कृपलानी पर आरोप।

(13) ब्लिट्ज के सम्पादक द्वारा विशेषाधिकार-भंग किए जाने पर कार्यवाही;

2 तृतीय लोक-सभा के प्रारम्भ से इन प्रतिवेदनों को केवल क्रम संख्या दी जाती है और उन्हें विशेषाधिकार के प्रश्न के अनुसार नाम नहीं दिया जाता।

के सामने अमरीका की समिति-प्रथा के आधार पर एक प्रस्ताव रखा कि एक समिति नियुक्त की जाए, जो इन विधेयको के अपेक्षाकृत महत्त्व को ध्यान में रखते हुए, तदनुसार सभा के समय के बटवारे की सलाह दे। प्रधानमंत्री इस सुझाव से सहमत हुए तथा नियम-समिति द्वारा इस सुझाव पर विचार किए जाने के बाद इस समिति की स्थापना हुई।

प्रक्रिया तथा कार्य-सचालन सम्बन्धी नियमो के अनुसार समिति के निम्न कर्त्तव्य हैं . —

(1) ऐसे सरकारी विधेयको के प्रक्रम या प्रक्रमों तथा अन्य सरकारी कार्यों पर चर्चा करने के लिए समय के बटवारे की सिफारिश करना, जिन्हे अध्यक्ष सदन के नेता के परामर्श से समिति को सौपे जाने का आदेश दे।

(2) प्रस्तावित समय-सूची में यह दर्शाना कि विधेयक के विभिन्न प्रक्रम तथा अन्य सरकारी कार्य किस-किस समय पूरे होगे।

(3) ऐसे अन्य कृत्य, जो समय-समय पर अध्यक्ष द्वारा सौपे गए हो।

ऐसे विधेयक, जो सभा मे पेश न किए गए हो अथवा जो सभा के सम्मुख बताया नही है, साधारणतया समिति के सामने समय-निर्देश के लिए नही भेजे जाते। यदि सभा मे पेश होने के पहले इन विधेयको की प्रतियाँ, समिति के सदस्यो के बीच वितरित की जा चुकी हो तो उनके लिए समय-निर्देशन करना समिति का कर्त्तव्य होता है। कभी-कभी समिति स्वय भी सरकार को कार्य-मत्रणा देती है, जैसे प्रथम लोक-सभा के दसवें अधिवेशन मे, 'टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी रिपोर्ट', 'प्रेस कमीशन रिपोर्ट' आदि के लिए समय निर्धारण के बारे मे समिति ने अपनी राय दी थी। यदि विधेयको के विषय परस्पर अनुकूल हो, तो एक से अधिक विधेयकों पर सामूहिक रूप से विचार किए जाने के लिए समय के नियतन हेतु कार्य-मत्रणा-समिति अपनी सिफारिश करती है। यदि किसी सत्र मे, सारी कार्यवाही पूर्ण होने की सभावना न हो तो समिति उसके अगले सत्र मे कार्यवाही जारी रखने के बारे मे भी सलाह देती है। यदि समय कम हो तो सत्र की अवधि बढाने अथवा प्रतिदिन अधिक देर तक सभा की बैठक कराने की सलाह देना भी समिति के कृत्यो मे शामिल है। लोक-सभा की कार्य-मत्रणा-समिति ने केवल विभिन्न विधेयको के लिए ही समय-वितरण के सुझाव नही दिए है, वरन् एक ही विधेयक की विभिन्न अवस्थाओ के लिए भी

समय नियतन किया है। वैसे तो समिति स्वयं कार्यक्रम पर विचार करती है, पर ऐसे भी उदाहरण हैं जब कि समिति ने इस प्रयोजन के लिए उपसमिति नियुक्त की है। कार्य-मंत्रणा समिति का कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए भी उपयोग किया गया है। 1955 में, प्रथम लोक-सभा के ग्यारहवें अधिवेशन में कार्य-मंत्रणा-समिति की एक उपसमिति को, अनुपूरक अनुदानों के पुस्तकों में अनुदानों का किस विस्तार से उल्लेख किया जाना चाहिए इस बात पर विचार करने का काम सौंपा गया था। समिति का यह प्रतिवेदन वित्त मंत्रालय को उचित कार्रवाई के लिए सौंपा गया था।

अध्यक्ष द्वारा हर लोक-सभा के आरम्भ में अथवा समय-समय पर समिति नाम-निर्देशित की जाती है। इसके 15 सदस्य होते हैं, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल होता है, जो समिति का सभापति होता है। उपाध्यक्ष भी साधारणतया इस समिति का सदस्य होता है। समिति की बैठक के लिए कम से कम 5 सदस्य उपस्थित होने चाहिएँ। समिति की बैठक प्रायः प्रत्येक सत्र के आरम्भ में बुलाई जाती है, किन्तु यदि आवश्यक हो तो समिति की बैठकें अन्य समय में भी हो सकती हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष सभापति का स्थान ग्रहण करता है। प्रथा के अनुसार समिति प्रतिवर्ष एक स्थायी उपसमिति नियुक्त करती है, जिसका काम सदन में अनियत दिनवाले प्रस्ताव की ग्राह्य सूचनाओं को विवाद के लिए चुनना होता है।

चूँकि समिति का उद्देश्य अधिवेशन में उपलब्ध समय का सर्वोचित उपयोग सुझाना होता है तदर्थ समिति के सदस्य सभा के सभी दलों में से लिए जाते हैं, ताकि समय विभाजन करते समय उन सभी दलों के मतों को ध्यान में रखा जा सके। इसके सिवा विभिन्न मतों के सदस्य भी समिति की बैठकों के लिए बुलाए जाते हैं जिससे कि समिति की सिफारिशें सभी को मान्य हो सकें। कभी-कभी मंत्रियों को भी समिति की बैठकों में बुलाया जाता है, जैसा कि 'सभापति शुल्क विधेयक' के समय हुआ था।

समिति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह विधेयकों के बारे में अपना कार्यक्रम अध्यक्ष को सूचित करे, पर प्रथा यह है कि कार्यक्रम प्रतिवेदन के रूप में उपाध्यक्ष द्वारा सभा को सौंपा जाता है। संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा प्रतिवेदन के स्वीकृति प्रस्ताव को पारित कराए जाने पर, वह कार्यक्रम सभा पर लागू हुआ माना जाता है। इसका एक अपवाद है और वह है सदन के नेता (अर्थात् प्रधान मंत्री) का आग्रह ऐसी अवस्था में नेता को, अध्यक्ष से अपने मत के लिए निवेदन

करना पड़ता है और फिर अध्यक्ष सभा के मत को ध्यान मे रखते हुए अपवाद की आवश्यकता स्वीकार करते हैं।

समिति ने, प्रथम लोक-सभा के कार्य-काल मे 48 द्वितीय लोक-सभा के काल मे 69 तृतीय लोक-सभा के काल मे 50 और चौथी लोक-सभा के अभी तक के काल मे 7 प्रतिवेदन पेश किए है। समिति ने ससदीय कार्यक्रम के बारे मे, जो सामान्य नियम बनाए हैं, वे मुख्यत इस प्रकार हैं :

(1) यदि यह पहले ही से नियत कर लिया गया हो कि सत्र किस दिन समाप्त होगा तो सरकार को अपना विधान-कार्य इस तरह निश्चित करना चाहिए कि वह सत्र की अवधि मे ही समाप्त किया जा सके। कार्यक्रम को आरम्भ मे अधिक विराट रूप देना और बाद मे समय के अभाव मे अध्यादेश वगैरा लागू करना समिति की दृष्टि मे उपयुक्त नही।

(2) अनियत दिनवाले प्रस्ताव पर विवाद इस तरह सचालित किया जाना चाहिए कि कोई एक सदस्य एक अधिवेशन मे एक से अधिक प्रस्ताव न पेश कर सके।

सदस्यो की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति (लोक-सभा)—इस समिति की स्थापना पहली बार 1954 मे हुई थी। प्रक्रिया तथा कार्य-सचालन सम्बन्धी नियमो के अन्तर्गत समिति के निम्न कृत्य है

(1) (अ) सभा की बैठको से अनुपस्थित रहने की अनुमति के लिए सदस्यों के सारे आवेदन-पत्रों पर विचार करना।

(ब) ऐसे प्रत्येक मामले की जाँच करना, जिसमे कोई सदस्य अनुज्ञा के बिना सभा की बैठक से साठ दिन या अधिक कालावधि तक अनुपस्थित रहा हो और तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन करना कि अनुपस्थिति माफ की जानी चाहिए या नही अथवा यह सिफारिश करना की परिस्थितियो को देखते हुए यह उचित है कि सभा सदस्य का स्थान रिक्त घोषित करना चाहिए।

(2) सदन मे सदस्यो की उपस्थिति के सम्बन्ध मे ऐसे अन्य कार्य करना, जो सभा ने समिति को सौंपे हों।

जब कभी कोई सदस्य सदन की बैठकों से लगातार साठ दिन से अधिक अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है तो सर्व प्रथम उसे एक पत्र भेजा जाता है ताकि वह अपनी अनुपस्थिति का कारण बता सके। उत्तर आने पर समिति उस पर विचार करती है। अनुपस्थिति मान्य की जाए या नहीं, इस पर समिति विचार प्रकट करती है। ये विचार सभा को प्रतिवेदन के रूप में पेश किए जाते हैं। समिति ने अनुपस्थिति स्वीकार कर ली हो, वहाँ समिति को प्रतिवेदन पेश होने के बाद अध्यक्ष निम्न शब्दों में सभा की अनुमति की याचना करते हैं

'सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने अपने प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि श्री······ ··को प्रतिवेदन में अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की जाए या अनुपस्थिति माफ की जाए।' यदि समिति ने अनुपस्थिति स्वीकार न की हो, तो सभा में प्रस्ताव रखना पड़ता है ताकि सदस्य को अपना स्थान रिक्त करने का आदेश दिया जा सके। प्रक्रिया-नियमों में यह भी कहा गया है कि यदि कोई सदस्य, जिसे इन नियमों के अन्तर्गत उपस्थिति की अनुमति प्रदान की गई हो सभा के सत्र में उपस्थित हो जाए तो उसकी पुन उपस्थिति की तिथि से छुट्टी का असमाप्त भाग व्यपगत माना जाएगा।

समिति के 15 सदस्य होते हैं। समिति का सभापति अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से नियुक्त किया जाता है। समिति की बैठक के लिए कम से कम 5 सदस्य उपस्थित होने चाहिएँ। समिति की बैठक ऐसे दिन और ऐसे समय होती है जो समिति का सभापति निश्चित करे। समिति का प्रतिवेदन सभापति द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में समिति के किसी अन्य सदस्य द्वारा सभा को पेश किया जाता है।

सभा से अनुपस्थिति सम्बन्धी आवेदनों पर विचार करने के लिए समिति ने निम्न सिद्धान्त निर्धारित किए हैं

(1) अनुपस्थिति के प्रत्येक आवेदन पर उसमें दिए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा।

(2) अनुपस्थिति के प्रत्येक आवेदन में किस दिन से किस दिन तक की अनुपस्थिति रहेगी, इस बात का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए व उसके कारण भी दिए जाने चाहिएँ।

(3) अनुपस्थिति की माग पहले साठ दिन से अधिक अवधि के लिए नही की जानी चाहिए ।

समिति ने अपने कार्य-काल मे प्रस्तुत प्रनिवेदन (प्रथम लोक-सभा) मे एक और महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त प्रतिपादित किया है और वह यह है :

"सभा के प्रति प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य सर्वश्रेष्ठ है और इसलिए समिति का यह विचार है कि सदस्यों को तभी सदन से अनुपस्थित रहना चाहिए जब यह बिल्कुल अनिवार्य हो और इसके लिए यथेष्ट कारण हो। यह आवश्यक है कि इस मामले में अन्य मामलो की तरह ही स्वस्थ प्रथाएँ स्थापित की जायें। इसलिए समिति का विचार है कि अनुपस्थिति की अनुमति भविष्य मे तब तक न दी जाए, जब तक कि अनुपस्थिति के यथेष्ट कारण न हो।"

समिति ने अभी तक 67 प्रतिवेदन पेश किए है, जिनमे 20 प्रथम लोक-सभा की अवधि में, 2[illegible] द्वितीय लोक-सभा की अवधि मे, 19 तृतीय लोक-सभा के कार्य-काल मे और दो अभी तक की अवधि में चौथे लोक-सभा मे प्रस्तुत किए गए है ।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति (लोक-सभा)—अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति की स्थापना 1 दिसम्बर, 1953 मे हुई थी। इसका इतिहास बड़ा मनोरजक है। 1। अप्रैल, 1950 को डाक्टर अम्बेडकर (तत्कालीन न्यायमंत्री) ने कुछ कानूनो को खण्ड 'सी' के राज्यो मे लागू किए जाने के लिए प्रस्तावित विधेयक पर भाषण देते हुए कहा था

"सम्भव है कि मे आगे सदन को यह सुझाव दूँ कि जैसा कि 'हाउस ऑफ कॉमन्स' मे अभी हाल मे हुआ है, लोक-सभा की एक स्थायी समिति नियुक्त करे, जो अधीनस्थ विधान की परीक्षा करे और ससद को यह सूचित करे कि अधीनस्थ विधान ने ससद् के मूल इरादो का अतिक्रमण किया है या उसने मूल सिद्धान्तो मे कोई गड़बड़ पैदा की है या नही। इस मामले पर हमें स्वतन्त्र रूप से विचार करना चाहिए।"

इस कथन पर अध्यक्ष महोदय ने 24 जून, 1950 को डाक्टर अम्बेडकर को एक पत्र लिखा, जिसके साथ उक्त विषय पर एक ज्ञापन भी था। इस पत्र-व्यवहार

के फलस्वरूप और नियम-समिति द्वारा विचार किए जाने के बाद इस समिति की नियुक्ति हुई थी।

समिति का उद्देश्य यह देखना होता है कि विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियों का प्रयोग, संविधान द्वारा संसद को प्रदत्त या संसद द्वारा प्रत्यायोजित अधिकारों के अन्तर्गत उचित रूप में किया गया है या नहीं। यह आवश्यक नहीं है कि समिति केवल ऐसे ही विनियम, उपनियम आदि की जांच करे, जो सभा-पटल पर रखे जा चुके हों। अगस्त, 1955 तक स्थिति ऐसी ही थी। पर अध्यक्ष के आदेशानुसार तब से समिति को प्रत्येक उपनियम, अधिनियम आदि की जांच का अधिकार है। समिति को, ऐसे विधेयकों की जांच करने का भी अधिकार है, जो सरकार को आदेश जारी करने या अधिकार प्रदान करने हैं। इसी प्रकार अधिकार प्रदान करनेवाले किसी भी अधिनियम के संशोधन-विधेयक पर भी विचार करने का समिति को अधिकार होता है। इन विधेयकों की जांच का अधिकार देने का यह उद्देश्य है कि समिति यह भली प्रकार देख सके कि उन अधिनियमों में, सभा-पटल पर अधीनस्थ आदेश के रखने की उचित व्यवस्था की गई है या नहीं। समिति के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह केवल अधीनस्थ नियमों की ही जांच करे। जैसा कि समिति ने प्रथम लोक-सभा के अपने द्वितीय व तृतीय प्रतिवेदनों में स्थापित किया है यह मूल अधिनियम के अन्तर्गत नियम बनाने पर भी अपना मत प्रकट कर सकती है।

आरम्भ में समिति की सदस्यता कुल 10 थी, पर 1054 से सदस्य-संख्या 15 कर दी गई है। मंत्री, समिति के सदस्य नहीं होते। समिति की अवधि एक वर्ष की होती है।

समिति की प्रक्रिया इस प्रकार है संविधान द्वारा प्रत्यायोजित प्रत्येक विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि सदन के पटल पर रखे जाते हैं। इन्हें क्रम संख्या दी जाती है व राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है कुछ ऐसे भी नियम आदि होते हैं, जिन्हें सदन के पटल पर रखने की आवश्यकता नहीं होती, पर ऐसे नियम आदि को भी राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। इन सारे नियमों, उपनियमों (जिन्हें आदेश भी कहते हैं) आदि पर लोक-सभा-सचिवालय द्वारा पहले जांच की जाती है, ताकि उनमें किसी प्रकार के स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो वह प्राप्त हो जाए। इसके बाद समिति उनकी जांच करती है।

जांच मे निम्न बातें देखी जाती हैं :

(1) उपनियम, आदेश आदि, सविधान अथवा उस नियम के सामान्य उद्देश्यो के अनुकूल है या नही।' जिसके अनुसार वह बनाया गया है।

(2) उनमें ऐसा विषय अन्तर्विष्ट है या नही, जिसे अधिक समुचित ढंग से निपटाने के लिए समिति की राय में ससद का नियम होना चाहिए।

(3) उसमे कोई करारोपण अन्तर्निहित है या नही।

(4) उसमे न्यायालयो के क्षेत्राधिकार मे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रुकावट होती है या नही।

(5) वह उन उपबन्धो मे से किसी को भूतलक्षी प्रभाव देता है या नही, जिनके सम्बन्ध मे सविधान या अधिनियम स्पष्ट रूप से कोई शक्ति या अधिकार प्रदान नही करते।

(6) उसमें भारत की सचित निधि या लोक-राजस्व मे से व्यय अन्तग्रस्त है या नही।

(7) उसमे सविधान या उस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियो का असामान्य अथवा अप्रत्याशित उपयोग किया गया प्रतीत होता है या नही, जिसके अनुसार वह बनाया गया है।

(8) उसके प्रकाशन मे या ससद के समक्ष रखे जाने मे अनुचित विलम्ब हुआ प्रतीत होता है या नही।

(9) किसी कारण से उसके रूप या अभिप्राय के लिए किसी व्याख्या की आवश्यकता है या नही।

समिति अपने विचार प्रतिवेदन के रूप मे पेश करती है। यदि समिति की राय हो कि कोई आदेश पूर्णत या अशतः रद्द कर देना चाहिए या उसमे कोई संशोधन करना चाहिए तो इस प्रकार की सिफारिश प्रतिवेदन मे शामिल कर ली जाती है। इसी प्रकार यदि समिति की राय मे आदेशो से सम्बन्धित कोई अन्य प्रक्रियाएँ सभा को सूचित करने योग्य हो तो वे भी प्रतिवेदन मे शामिल कर ली जाती हैं। समिति ने, अभी तक 25 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं, जिनमे 6 प्रथम लोक-

सभा के कार्य काल मे 13 द्वितीय लोक-सभा के काल मे और 6 तृतीय लोक-सभा के काल मे पेश हुए थे।

समिति ने मुख्यत (3) दिशाओ मे कार्य किया है

(1) अधीनस्थ विधान के बारे में समान स्वरूप लाना खासकर इन अधीनस्थ विधानो के सभा-पटल पर रखने व सभा द्वारा उनमे संशोधन करने के अधिकार के बारे में।

(2) अधीनस्थ नियमो का उचित प्रकाशन व उनकी भाषा में सुधार।

(3) इस दृष्टि से नियमो की जाँच करना कि वे संविधान, मूल अधिनियमो तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो के अनुरूप है या नही। समिति की जाँच सभी अधीनस्थ नियमो पर लागू होती है, भले ही वे नियम सभा-पटल पर रखे गए हों या नही।

समिति की अभी तक की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :

(1) वैधानिक अधिकार देनेवाले विधेयको के साथ हमेशा एक ज्ञापन होना चाहिए, जो विधेयक के बारे मे विस्तारपूर्वक जानकारी देता हो। इस सम्बन्ध मे समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट मे कहा है :

अ विधेयको के साथ दिए गए ज्ञापनो मे, अधीनस्थ अधिकारियों को क्या शक्तियाँ दी गई हैं, इसका स्पष्ट विवरण दिया जाना चाहिए। इसी तरह ज्ञापन मे यह उल्लेख होना चाहिए कि किन-किन बातो पर अधीनस्थ विधान की आवश्यकता है। इसमे अधीनस्थ अधिकारियों के अधिकारो का भी उल्लेख होना चाहिए।

ब सभा के सम्मुख उन सभी अवशिष्ट विधेयकों के बारे मे सरकार को एक ज्ञापन देना चाहिए, जिनमे नियम-निर्माण के अधिकारो का प्रस्ताव हो।

(2) वैधानिक अधिकारो को अधीनस्थ करनेवाले सभी अधिनियमों मे समानता होनी चाहिए। इस सम्बन्ध मे समिति ने कहा है :

अ भविष्य मे अधीनस्थ नियम बनाने का अधिकार देनेवाले अधि-

नियमों में यह स्पष्ट रूप से विहित किया जाना चाहिए कि अधीनस्थ विधान सभा-पटल पर रखा जाएगा।

ब ये सारे अधीनस्थ नियत सभा-पटल पर प्रकाशित होने के पूर्व 30 दिन के लिए रखे जाने चाहिए।

स भविष्य में अधिनियमों में यह भी बताया जाना चाहिए कि अधीनस्थ विधान में, जो सभा-पटल पर रखा जाएगा, सभा कोई संशोधन सुझा सकती है या नहीं।

(3) अधीनस्थ विधान यथाशीघ्र सभा के पटल पर रखे जाने चाहिए।

(4) यदि अधीनस्थ विधान को सभा-पटल पर रखने में विलम्ब होता हो तो मंत्री महोदय को चाहिए कि वे सभा को विलम्ब का कारण बताएँ और यह भी बताएँ कि जिन अधिनियमों के अन्तर्गत वह अधीनस्थ विधान रखा जानेवाला है, उसका प्रयोजन क्या है।

(5) भले ही सभा ने सरकार को अधीनस्थ विधान बनाने का अधिकार दे दिया हो, पर वह विधान यदि वैवित्तीय अथवा आर्थिक विषय से सम्बन्ध रखता हो तो तभी लागू होगा, जब उसे सभा स्वीकार कर ले समिति के मत में यह प्रक्रिया सरल होते हुए भी सरकार को अधीनस्थ विधान बनाने से वंचित नहीं करती और सभा की शक्ति में भी कोई न्यूनता नहीं लाती।

(6) आदेशों को, उनके राजपत्र में प्रकाशित होने से 7 दिन के अन्दर, सभापटल पर रखा जाना चाहिए।

(7) अधिनियमों के अन्तर्गत बनाए गए नियमों व आदेशों को समस्त देश में प्रचारित करना आवश्यक है।

(8) सभापटल पर किसी अधीनस्थ नियम का विहित दिनों के लिए रखना, उसकी स्वीकृति के लिए पर्याप्त नहीं होता यदि सभा की स्वीकृति लेनी हो तो उस उद्देश्य का एक प्रस्ताव पेश किया जाना चाहिए।

(9) विधेयक के पारित होते ही यथा सम्भव अधीनस्थ नियम बनाए जाने चाहिए, पर यदि यह न हो सके तो कम से कम 6 महीने के अन्दर

ऐसे नियम, उपनियम इत्यादि अवश्य बन जाने चाहिएँ।

(10) जिन आदेशों को सभापटल पर रखा जाना हो, वे सरकारी पत्र मे मे छपने के 15 दिन के अन्दर पटल पर रखे जाएँ। यदि उस समय सभा का सत्र न हो रहा हो तो ऐसे आदेश अगले सत्र के शुरू मे ही रखे जाने चाहिएँ।

(11) यदि कोई उत्पादन-शुल्क लगाए जाने का प्रस्ताव, सभा के सम्मुख हो तो जब तक उसे सभा की स्वीकृति न मिल जाए, तब तक शुल्क नही लगाया चाहिए।

(12) विधिक संस्थाओं मे संसद-सदस्यों की नियुक्ति सरकार द्वारा नही की जानी चाहिए, वरन् ऐसी नियुक्ति सभा के चुनाव द्वारा होनी चाहिए।

इसमे कोई सन्देह नही कि समिति का कार्य महत्त्वपूर्ण है। दिन-प्रतिदिन बढते हुए विधान-कार्य मे, सरकार को अधिकाधिक विधान बनाने का अधिकार दिया जाना स्वाभाविक है, पर इसका अर्थ यह नही कि अधीनस्थ विधान-निर्माण के रूप में वे सभा की सत्ता को ही कुठित करने का प्रयास करे। स्वतंत्रता के पूर्व, जो अधिनियम बनाए जाते थे, उनमे विरले ही ऐसी व्यवस्था होती कि अधीनस्थ विधान सभा-पटल पर रखा जाए।

सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति (लोक-सभा) :— इस समिति की स्थापना अध्यक्ष द्वारा 1 दिसम्बर, 1953 को की गई* थी। प्रक्रिया कार्य-सचालन सम्बन्धी नियमों के अनुसार समिति के निम्न कृत्य हैं —

(1) मंत्रियों द्वारा समय-समय पर सभा मे दिए गए आश्वासनो, प्रतिज्ञाओ, वचनो आदि की छानबीन करना।

(2) निम्न बातो पर प्रतिवेदन करना :—

(क) आश्वासनो प्रतिज्ञाओ, वचनो आदि का कहाँ तक परिपालन किया गया है।

* इस प्रकार की समिति विश्व की अन्य संसदो मे नही पाई जाती, इसीलिए इसे 'लोक-सभा का आविष्कार' कहा गया है।

(ख) परिपालन उस प्रयोजन के लिए आवश्यक न्यूनतम समय के भीतर हुआ है या नहीं।

इस समिति के निर्माण के पूर्व यह कार्य 30 ससदीय कार्य-विभाग द्वारा किया जाता था, जो स्वय शासकीय सरकार का एक भाग था, पर इस समिति के निर्माण के साथ-साथ अब आश्वासनो की पूर्ति पर लोक-सभा का नियन्त्रण हो गया है।

(1) *किसी मत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य आश्वासन माना जाए या नही।*

(2) कोई आश्वासन पूर्ण रूप से पारिपालित हुआ है या नही, तथा

(3) परिपालन उचित समय मे हुआ है या नही।

समिति की कार्य-विधि इस प्रकार है समिति ने मत्रियो द्वारा दिए गए आश्वासनो के कुछ मानक प्रपत्रो की सूची तैयार की है। ये प्रपत्र समिति की मदद के लिए होते हैं। जब कभी सभा मे आश्वासन दिए जाते है, तो ससदीय मामलो का विभाग, इन आश्वासनो की विभिन्न प्रपत्रो के अनुसार वर्गीकरण करता है। बाद में ससदीय मामलो का विभाग इन प्रपत्रो को, जिन पर सरकार द्वारा की गई *आश्वासन-पूर्ति भी उल्लिखित होती है, सभापटल पर रखता है। जहाँ आश्वासन*-पूर्ति हो गई हो, वहाँ जाँच की कोई आवश्यकता नही होती, पर जहाँ आश्वासन क्रियान्वित न हुआ हो, वहाँ समिति द्वारा उन पर विचार किया जाता है। विचार करने के बाद समिति सभा को प्रतिवेदन पेश करती है।

पहले समिति के 6 सदस्य हुआ करते थे, पर 1954 से अब इसमे 15 सदस्य होते है। सदस्य अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं। मत्री इस समिति का सदस्य नही हो सकता यदि कोई सदस्य नियुक्ति के बाद मत्री बन जाता हो तो उसे सदस्यता से वचित होना पडता है। प्रचलित प्रथा के अनुसार अध्यक्ष सदस्यो की नियुक्ति करने के पूर्व विभिन्न दलो के प्रतिनिधियो से सलाह लेता है। समिति का सभापति अध्यक्ष द्वारा सदस्यो मे से नियुक्त किया जाता है। समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति 5 होती है। प्रथम लोक-सभा के काल मे समिति का 3 बार गठन किया गया था, पर अब यह नियम है कि समिति एक वर्ष से अधिक समय के लिए नही नियुक्त होती।

समिति ने सबसे पहला काम यह किया कि मत्रियो द्वारा विभिन्न प्रकार

के आश्वासनों की एक सूची तैयार की, ताकि यह जाना जा सके कि कौन-सा आश्वासन है और कौन-सी बात केवल इच्छा। यह सूची बाद में दुहरा गई और समिति के पहले प्रतिवेदन में शामिल कर ली गई। समिति ने इसके अतिरिक्त प्रथम लोक-सभा के कार्य-काल में 3 अन्य प्रतिवेदन पेश किए थे। द्वितीय लोक-सभा के काल में समिति ने दो प्रतिवेदन पेश किए, तृतीय लोक-सभा के काल में और चौथी लोक-सभा के काल में अभी तक 3 प्रतिवेदन पेश किए हैं। आश्वासनों की संख्या की दृष्टि से, समिति ने प्रथम लोक-सभा के कार्य-काल में 4,931 आश्वासन व द्वितीय लोक-सभा के कार्य-काल में 4,378 आश्वासनों की जाँच की थी।

अभी तक समिति की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार है —

(1) आश्वासनों को दो महीनों की अवधि में कार्यान्वित करना चाहिए। *यदि मंत्रालय के लिए यह सम्भव न हो तो उसे चाहिए कि वह समिति के सामने अपनी कठिनाइयाँ रखे, ताकि समिति यह तय कर सके कि कहाँ तक कठिनाइयाँ मंत्रालय के लिए दुस्सह हैं।*

(2) आश्वासनों को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में सामान्य उत्तर नहीं दिया जाना चाहिए। उत्तर स्पष्ट और सर्व-दृष्टि से पूर्ण होना चाहिए।

(3) सरकार का कार्य केवल उचित अधिकारियों को आश्वासन सम्बन्धी आदेश देकर ही खत्म नहीं होता। उन्हें चाहिए कि वह उसकी अनुवर्ती कार्यवाही भी करे।

(4) जब किसी आश्वासन को कार्यान्वित नहीं किया जा सके तो उस सम्बन्ध में अनुभूत कठिनाइयों का उल्लेख किया जाना चाहिए।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति (लोक-सभा) —

इस समिति की स्थापना अध्यक्ष द्वारा 1 दिसम्बर, 1953 को की गई थी। नियमों के अनुसार इनके निम्न उद्देश्य हैं —

(1) कार्य-सूची में विधेयक को शामिल करने की अनुमति के प्रस्ताव को सम्मिलित करने के पूर्व, प्रत्येक ऐसे विधेयक की जाँच करना, जिसके द्वारा संविधान में संशोधन अभीष्ट हो और जिसकी सूचना गैर-सरकारी सदस्य द्वारा दी गई हो।

(2) गैर-सरकारी सदस्यो के सब विधेयको के सूची मे शामिल किए जाने के बाद, सभा द्वारा विचार किए जाने से पूर्व उनकी जांच करना और उन्हें उनकी आवश्यकता तथा महत्त्व के अनुसार दो वर्गों अर्थात् 'क' और 'ख' मे वर्गित करना ।

(3) यह सिफारिश करना कि गैर-सरकारी सदस्यो के प्रत्येक विधेयक के प्रक्रम या प्रक्रमो पर चर्चा के लिए कितना समय निर्धारित किया जाना चाहिए और इस प्रकार तैयार की गई समय-सूची मे यह भी दर्शाना कि दिन मे किस-किस समय पर विधेयक के विभिन्न प्रक्रम पूरे होंगे ।

(4) गैर-सरकारी सदस्यो के ऐसे प्रत्येक विधेयक की जांच करना, जिसका सभा मे इस आधार पर विरोध किया जाए कि विधेयक द्वारा ऐसे विधान का सूत्रपात होता है, जो सभा की विधायिनी शक्ति से परे है, किन्तु अध्यक्ष ऐसी आपत्ति को ऊपरी दृष्टि से ठीक समझता है ।

(5) गैर-सरकारी सदस्यों के सकल्पों और सहायक विषयो की चर्चा के लिए समय सीमा की सिफारिश करना । तथा

(6) गैर-सरकारी विधेयक तथा सकल्पो के विषय मे ऐसे और कार्य करना, जो अध्यक्ष द्वारा आदिष्ट हो ।

विधेयक का वर्गीकरण करने मे साधारणतया उसके महत्त्व और आवश्यकता को ध्यान मे रखना पडता है । यह उल्लेखनीय है कि जो विधेयक कम आवश्यक होते हैं, उन्हें 'ख' वर्ग दिया जाता है । वर्गीकरण मे यदि आवश्यकता पडे तो फेर-बदल भी किया जा सकता है । ऐसे परिवर्तनो पर समिति पुन विचार कर सकती है ।

विधेयको के वर्गीकरण के समय, विधेयक लाने वाले गैर-सरकारी सदस्य तथा सम्बन्धित मत्रालयो के प्रतिनिधियो को भी बुलाया जाता है । समिति गैर-सरकारी विधेयको पर विचार करने के लिए समय भी निर्धारित करती है । अध्यक्ष द्वारा विशेष रूप से आदिष्ट बिल पर विचार करने के नाते समिति ने प्रथम लोक-सभा की अवधि मे डाक्टर एन॰ बी॰ खरे के 'दि कन्टेम्प्ट आफ पार्लियामेन्ट बिल' पर विचार किया था ।

1953 में समिति की स्थापना के समय 10 सदस्य थे, पर 1954 से समिति के 15 सदस्य हैं। समिति अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित की जाती है और एक बार नियुक्त होने पर उसकी अवधि एक वर्ष तक होती है। कृत्यों के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए उपाध्यक्ष को इस समिति में शामिल किया जाता है। वही इसके सभापति बनाए जाते हैं। अध्यक्ष को अधिकार होता है कि वह ऐसे सदस्य को समिति से हटा दे, जो समिति के सभापति की अनुज्ञा के बिना उसकी दो या अधिक बैठकों से लगातार अनुपस्थित रहा हो। समिति की बैठक के लिए कम-से-कम 5 सदस्य उपस्थित होना आवश्यक होता है।

समिति को व्यक्तियों को हाजिर कराने या पत्रों अथवा अभिलेखों (रिकार्ड्स) को पेश कराने की शक्ति होती है। यदि प्रश्न उठे कि किसी व्यक्ति की साक्ष्य या किसी दस्तावेज का पेश किया जाना समिति के प्रयोजनों के लिए संगत है या नहीं, तो वह प्रश्न अध्यक्ष की सलाह के लिए भेजा जाता है और उसका निर्णय अन्तिम होता है।

समिति द्वारा अपने प्रतिवेदन के सभा में पेश किए जाने के बाद यह प्रस्ताव पेश किया जाता है कि सभा प्रतिवेदन को स्वीकार करे। सभा प्रतिवेदन को संशोधनों के साथ भी स्वीकार कर सकती है। वह प्रस्ताव हमेशा गैर-सरकारी विधेयकों वाले दिन की कार्यसूची में पहली मद के रूप में होता है। जब प्रतिवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तब समिति द्वारा विधेयकों के वर्गीकरण और विधेयकों या संकल्पों के सम्बन्ध में समय के बटवारे का आदेश 'लोक-सभा-समाचार' में सूचित किया जाता है।

समिति ने प्रथम लोक-सभा के कार्य-काल में 68 प्रतिवेदन पेश किए थे, जिनके अतिरिक्त डाक्टर खरे के विधेयक पर एक प्रतिवेदन भी था। द्वितीय व तृतीय लोक-सभा के कार्य-काल में प्रत्येक सत्र में एक प्रतिवेदन पेश करने की प्रथा रही है। तृतीय लोक-सभा के कार्य काल में समिति ने 100 प्रतिवेदन पेश किए थे। चौथी लोक-सभा की अभी तक की अवधि में, समिति ने 12 प्रतिवेदन पेश किए हैं।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के वर्गीकरण में, समिति जिन सिद्धान्तों को ध्यान में रखती है, वे इस प्रकार हैं

(1) जनमत को ध्यान मे रखते हुए विधेयक आवश्यक है।

(2) विधेयक ऐसा है कि वह विद्यमान अधिनियमों की किसी त्रुटि को दूर करता है।

(3) विधेयक मे कोई ऐसी बात नहीं है जो सविधान मे दिए गए राज्य-नीति के निर्देशात्मक सिद्धान्तो के विरुद्ध हो।

(4) सभा के सम्मुख विचारार्थ वैधानिक कार्यक्रम मे ऐसा कोई और विधेयक न हो।

(5) सरकार द्वारा आगे उस विषय पर कोई विस्तृत विधेयक लाने की सभावना न हो।

(6) सरकार द्वारा विस्तृत विधेयक लाने की सभावना होते हुए भी, विषय इतने अधिक महत्त्व व जल्दी का है कि उस पर विचार द्वारा सरकार की तत्सम्बन्धी नीति स्पष्ट हो सकती है।

प्रथम लोक-सभा के कार्य-काल मे समिति ने अपने प्रथम प्रतिवेदन मे सविधान मे सशोधन सुझाने वाले गैर-सरकारी विधेयको के बारे मे भी कुछ महत्त्व-पूर्ण सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया था, जो 26 फरवरी, 1954 को सभा द्वारा मान्य स्वीकार कर लिए गए। सक्षेप मे ये सिद्धान्त इस प्रकार हैं :—

(1) सविधान-सशोधन-विधेयक, तभी सभा के सम्मुख लाए जाने चाहिए जब ऐसा प्रकट हो चुका हो कि सविधान के अनुच्छेदो का अर्थ दूसरा लगाया जा रहा है, वह नहीं जो अभिप्रेत था। उस समय भी लाए जा सकते हैं, जब कोई बहुत ही स्पष्ट असगति प्रतीत होती हो। ऐसे विधेयक सामान्यत सरकार द्वारा ही सभा के सम्मुख लाए जाने चाहिए।

(2) ऐसा विधेयक लाए जाने के पूर्व काफी समय व्यतीत हुआ होना चाहिए, ताकि सविधान के व्यवहार मे परिणामो का उचित अन्दाजा लग सके।

(3) यदि इस सम्बन्ध मे किसी गैर-सरकारी सदस्य ने कोई विधेयक लाने का प्रस्ताव दिया हो और उसी सरकार भी यदि तत्सम्बन्धित विधेयक

लाने का विचार कर रही हो तो दोनों पर एक साथ विचार किया जाना चाहिए, ताकि एक संयुक्त विधेयक सभा के सामने लाया जा सके।

(4) किसी-किसी अवस्था में अत्यधिक महत्व के विषय पर गैर-सरकारी विधेयकों को भी सभा के सामने लाने देना चाहिए, ताकि जनमत क्या है, इसका अन्दाज लग सके और सभा उस प्रश्न पर पुनः विचार कर सके।

याचिका समिति (राज्य-सभा): – राज्य-सभा की याचिका-समिति की स्थापना पहली बार 22 मई, 1952 को हुई थी। समिति तब से प्रति वर्ष नियुक्त की जाती रही है। समिति के 10 सदस्य होते हैं। समिति का सभापति अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से ही नामनिर्देशित किया जाता है।' यदि उपाध्यक्ष समिति का सदस्य हो तो वही सभापति नियुक्त होता है। यदि समिति की बैठक में सभापति किसी कारण से उपस्थित न रह सके तो समिति उस बैठक के लिए दूसरा सभापति चुनती है। यदि किसी कारण से सभापति उस पद का काम न कर सके तो दूसरा सभापति उस अवधि विशेष के लिए अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है।

समिति का यह कर्त्तव्य होता है कि वह उन सारी याचिकाओं पर, जिन्हें सदस्यों ने पेश किया हो अथवा जिनकी सूचना सचिव ने दी हो, विचार करे। राज्य-सभा की इस समिति के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि 1964 तक यह समिति केवल उन्हीं याचिकाओं पर विचार करती थी, जो विधेयकों से सम्बन्धित हों। राज्य-सभा के प्रक्रिया-नियमों में अभी हाल में हुए संशोधन के परिणाम-स्वरूप अब याचिका-समिति विधेयक सम्बन्धी याचिकाओं के अतिरिक्त ऐसी अन्य याचिकाओं पर भी विचार करती है, जो किसी न्यायालय में विचाराधीन विषय से सम्बन्ध अथवा भारत सरकार से असम्बन्धित मामलों पर न हों। अतएव जब कोई याचिका, समिति को सौंपी जाती है तो समिति का काम यह देखना होता है कि वह याचिका उस विचाराधीन विधेयक के आनुषंगिक कागजात के रूप में विभाजित की जाए या नहीं। जहाँ समिति इस प्रकार की सिफारिश नहीं करती, वहाँ अध्यक्ष द्वारा यह निश्चय किया जाता है कि याचिका प्रसारित की जाए या नहीं। समिति की यह सिफारिश एक प्रतिवेदन के रूप में सभा को सूचित की जाती

है, जिसमे याचिका का विषय और याचना करनेवालो का नाम होता है। उसमे इस तथ्य का भी उल्लेख होना है कि याचिका नियमो के अनुरूप है या नही। यही नही, उसमे समिति की तत्सम्बन्धी सिफारिशें भी दी होती हैं। यह उल्लेखनीय है कि समिति ने अभी तक 18 प्रतिवेदन पेश किए है।

कार्यमन्त्रणा-समिति (राज्य-सभा) :—इस समिति की स्थापना पहली बार 22 मई, 1952 को हुई थी। समिति समय-समय पर सभापति द्वारा नामनिर्देशित की जाती है। जब तक समिति की पुनर्रचना न की जाए, पहली समिति ही काम करती है, पर अब नवीन प्रथा यह है कि समिति प्रत्येक वर्ष नियुक्त की जाती है।

समिति के 10 सदस्य होते है। सदस्यो के स्थान की असामयिक रिक्तता-पूर्ति अध्यक्ष द्वारा सभा के किसी अन्य सदस्य को नामनिर्देशित कर की जाती है। साधारणतया अध्यक्ष ही समिति का सभापति-पद ग्रहण करता है। यदि वह किसी कारण से समिति की बैठको मे उपस्थित न हो सके तो वह किसी दूसरे सदस्य को सभापति-पद ग्रहण करने के लिए नामनिर्देशित करता है। समिति की बैठकों के लिए कम से कम 5 सदस्यो का उपस्थित रहना आवश्यक होता है।

समिति का काम, अध्यक्ष द्वारा सभा के नेता की सलाह से, सौंपे गए सरकारी विधेयको की विभिन्न अवस्थाओ पर, बहस के लिए समय के बटवारे की सिफारिशें करना है। इसके सिवा समिति का काम और ऐसे कृत्यो पर विचार करना है, जो अध्यक्ष ने समिति को सौंपे हों।

समिति कोई प्रतिवेदन पेश नही करती। समिति ने जो कार्य-मन्त्रणा दी हो उसे प्रश्नकाल के तुरन्त बाद अध्यक्ष यह कहते हुए प्रस्तुत करता है कि उसने समिति की सलाह से अमुक कार्यक्रम निश्चित किया है। बाद मे, दूसरे दिन यह कार्यक्रम राज्य-सभा की बुलेटिन मे प्रकाशित किया जाता है। नियमो मे यह व्यवस्था है कि सभा को कार्यक्रम सूचित करने के बाद, अध्यक्ष ने जिसे आदेश दिया हो, वही सदस्य उठकर यह प्रस्ताव कर सकता है कि समिति ने जो समय-नियतन सुझाया है, उसमे सभा सहमत है। ऐसा प्रस्ताव पारित होने पर समिति के सुझाव सभा के आदेश जैसे माने जाते हैं, पर परम्परा यह है कि बगैर प्रस्ताव पारित हुए ही अध्यक्ष द्वारा सूचित समय नियतन लागू हो जाता है। यह उल्लेखनीय है कि समिति ने शुरुवात मे दो प्रतिवेदन पेश किए थे।

नियम-समिति (राज्य-सभा) :—नियम-समिति की स्थापना पहली बार 22 मई, 1952 को हुई थी। समिति प्रतिवर्ष नियुक्त की जाती है।

समिति के 15 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष इस समिति का सभापति होता है। सारे सदस्य अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाते हैं। समिति की आकस्मिक रिक्तता-पूर्ति अध्यक्ष द्वारा की जाती है। इसी प्रकार यदि किसी कारण से अध्यक्ष सभापति पद ग्रहण न कर सके तो वह उस बैठक के लिए सभापति-पद ग्रहण करने के लिए किसी अन्य सदस्य को भी आदेश दे सकता है। समिति की बैठक के लिए कम से कम 5 सदस्यों का उपस्थित रहना आवश्यक होता है। जहां तक हो सके, सभापति स्वयं कोई मत नहीं देता, पर विचाराधीन विषय पर मतदान की आवश्यकता होने पर सभापति का मत निर्णायक मत होता है।

समिति ने अभी तक दो प्रतिवेदन पेश किए हैं।

विशेषाधिकार-समिति (राज्य-सभा) :—समिति की स्थापना पहली बार 22 मई, 1952 को हुई थी। समिति तब से प्रतिवर्ष नियुक्त की जाती रही है। यद्यपि नियमों में यह व्यवस्था है कि 'समिति समय समय पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त की जाएगी'।

समिति के 10 सदस्य होते हैं। सदस्य अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाते हैं। समिति का सभापति, अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से ही नियुक्त किया जाता है। यदि सभापति किसी कारण से सभापति पद न ग्रहण कर सके तो उसके स्थान पर अन्य सदस्य द्वारा सभापति नियुक्त किया जाता है। समिति की बैठक के लिए कम से कम 5 सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक होता है।

समिति का काम, उसे सौंपे गए प्रत्येक विशेषाधिकार के प्रश्न पर, तथ्यों की जांच करते हुए, विशेषाधिकार भंग के स्वरूप व उसके कारणों को बताते हुए उपयुक्त सिफारिशें करना है। समिति उन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए प्रक्रिया भी बनाती है। सभा द्वारा सौंपे गए विशेषाधिकार के प्रश्नों के अतिरिक्त अध्यक्ष भी समिति को कोई विशेषाधिकार का प्रश्न सौंप सकता है।

समिति को, यदि वह उपयुक्त समझे तो व्यक्तियों, कागजातों और अभि-लेखों के मंगवाने का अधिकार होता है। सरकार केवल एक ही तर्क पर कागजात

आदि प्रस्तुत करने से इन्कार कर सकती है कि उन कागजातों का पेश करना देश के हित में नहीं होगा। विवादास्पद बात होने पर अध्यक्ष की सलाह ली जाती है व उसका निर्णय अन्तिम माना जाता है। समिति स्वयं निर्धारित करती है कि किसी साक्ष्य को गोपनीय माना जाए या नहीं।

सामान्यतः सभा निश्चित करती है कि कितने समय में समिति अपना प्रतिवेदन पेश करेगी। यदि सभा ने ऐसा कोई समय निर्धारित न किया हो तो समिति प्रश्न सौंपे जाने के एक महीने के अन्दर ही अपना प्रतिवेदन पेश करती है। नियमों में यह भी व्यवस्था है कि समिति प्रस्ताव पारित कर प्रतिवेदन पेश करने की अवधि बढ़ा सकती है। समिति अनन्तिम भी हो सकता है और अन्तिम भी। प्रतिवेदन सभापति द्वारा पेश किया जाता है। यदि सभापति अनुपस्थित हो तो उसके स्थान पर कोई अन्य सदस्य भी प्रतिवेदन पेश कर सकता है।

समिति का प्रतिवेदन पेश होने के बाद, समिति के सभापति अथवा समिति के किसी अन्य सदस्य के नाम से यह प्रस्ताव यथाशीघ्र पेश किया जाता है कि सभा प्रतिवेदन पर विचार करे। प्रस्ताव पर संशोधनात्मक प्रस्ताव भी पेश हो सकते हैं और यह भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है कि प्रतिवेदन पुनः समिति को विचारार्थ सौंपा जाए। सभा द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाने पर समिति की सिफारिशें मंजूर कर ली जाती हैं।

समिति ने अभी तक कुल 11 प्रतिवेदन पेश किए हैं। समिति ने अपने पहले प्रतिवेदन में, एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त प्रतिपादित किया था, जो इस प्रकार है: "बिना सभा की अनुमति के सभा के किसी सदस्य अथवा अधिकारी को सभा अथवा उसकी समितियों की किसी कार्यवाही से सम्बन्धित साक्ष्य न्यायालय में नहीं देनी चाहिए और न उस कार्यवाही से सम्बन्धित किन्हीं कागजात को पेश करना चाहिए।" यदि सभा का सत्र न चल रहा हो तो न्याय के संपादन में बाधा न होने की दृष्टि से, अध्यक्ष किसी सदस्य अथवा सभा के अधिकारी को उक्त कागजात आदि पेश करने अथवा साक्ष्य देने का अधिकार दे सकता है, पर ऐसी साक्ष्य देने या कागजात आदि प्रस्तुत करने पर, अध्यक्ष मामले की अगले सत्र में तुरन्त सूचना देता है। यदि अध्यक्ष को ऐसा लगता हो कि प्रश्न बहुत महत्त्व का है और उसके सम्बन्ध में सभा की राय लेना आवश्यक ही है तो उस हालत में वह न्यायालय बता भी सकते हैं कि जब तक सभा की राय न ले ली जाए, किसी सदस्य अथवा अधिकारी की साक्ष्य अथवा कागजात की पेशी स्थगित की जाए।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति (राज्य-सभा)— इस समिति की स्थापना पहली वार 1965 मे, राज्य-सभा के नवीन प्रक्रिया नियमो के अनुसार 30–9–1964 को हुई थी। समिति का काम, यह देखना होता है कि ससद् दवारा प्रदत्त अधिकारो का उचित प्रयोग किया गया है या नही। समिति के 15 सदस्य होते हैं, जो राज्य-सभा के अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित किए जाते हैं। समिति का सभापति सदस्यो मे से ही एक होता है। समिति की गणपूर्ति के लिए 5 सदस्यो की आवश्यकता होती है। समिति को साक्ष्य लेने का पूरा अधिकार होता है। अधीनस्थ विधानो (अर्थात् विनिमय, नियम, उपनियम, आदेश इत्यादि) के विषय मे, जब वे सभा-पटल पर रखे जा चुके हो—समिति को यह देखना पड़ता है कि—

(1) उपनियम आदेश आदि, मूल अधिनियम के उन सामान्य उद्देश्यो के अनुरूप हैं या नही, जिसके अनुकरण मे वह बनाया गया है।

(2) उसमे ऐसा विषय अन्तर्विष्ट है या नही, जिसे अधिक समुचित ढंग से निपटाने के लिए समिति की राय मे ससद् का अधिनियम होना चाहिए।

(3) उसमे कोई कर-आरोपण अन्तर्विष्ट है या नही।

(4) उसके द्वारा न्यायालयो के क्षेत्राधिकार मे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रुकावट तो नही होती।

(5) वह उन उपबन्धो मे से, किसी को भूतलक्षी प्रभाव देता है या नही, जिनके सम्बन्ध मे अधिनियम ने स्पष्ट रूप से कोई शक्ति प्रदान न की हो।

(6) उसमे भारत की संचित निधि या लोक-राजस्व मे से व्यय अन्तग्रस्त है या नही।

(7) उसमे उस मूल अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियो का असामान्य अथवा अप्रत्याशित उपयोग किया गया प्रतीत होता है या नही, जिसके अनुकरण मे वह बनाया गया है।

(8) उसके प्रकाशन या ससद् के सामने रखे जाने म अनुचित विलम्ब हुआ प्रतीत होता है या नही।

(9) *किसी कारण से उसके रूप या अभिप्राय के लिए किसी विशदीकरण की आवश्यकता है या नहीं।*

यह उल्लेखनीय है कि समिति ने अभी तक 3 प्रतिवेदन पेश किए हैं।

सदस्यों के वेतन व भत्ते सम्बन्धी संयुक्त समिति—जैसा कि पहले बताया जा चुका है भारतीय संसदीय समितियों में यही एक मात्र ऐसी समिति है, जिसका गठन किसी अधिनियम के द्वारा हुआ है। संसद सदस्य वेतन और भत्ता अधिनियम, 1954 की धारा 9 के अनुसार इस समिति की स्थापना 16 सितम्बर 1954 को हुई थी। समिति का काम निम्न विषयों के बारे में नियम बनाना है।

(1) किसी यात्रा के लिए मार्ग निर्धारित करना।

(2) प्राप्य दैनिक भत्ते के लिए किसी दिन का अंश किस तरह माना जाएगा।

(3) जब किसी यात्रा या उसके अंश के लिए सदस्यों को वाहन की सुविधा प्रदान की गई हो, तब उस समय के लिए यात्रा-भत्ता किस प्रकार मिले।

(4) उस स्थिति में भत्ते की दर निश्चित करना, जब कोई सदस्य किसी ऐसे स्थान से यात्रा आरम्भ करता हो अथवा वहां समाप्त करता हो, जो उसका स्थायी निवास-स्थान न हो।

(5) अधिनियम के अधीन प्राप्य यात्रा या दैनिक भत्ते के लिए सदस्यों द्वारा किस रूप में प्रमाणपत्र दिया जाना चाहिए, यह निश्चित करना।

(6) अधिनियम की धारा 8 में उल्लिखित चिकित्सा, निवास, टेलीफोन, तथा डाक सुविधाओं पर विचार करना, तथा।

(7) अधिनियम के अन्तर्गत दैनिक व यात्रा-भत्ते के विषयों पर सामान्यतः विचार करना।

समिति के 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 राज्य-सभा के होते हैं। राज्य-सभा के सदस्य उस सभा के सभापति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं व लोक-सभा के सदस्य लोक-सभा के अध्यक्ष द्वारा।

संयुक्त समिति एकबार नियुक्त होने के बाद संसद के अवधि-काल तक पदस्य रहती है। समिति के सदस्यों की रिक्ततापूर्ति, यदि सदस्य राज्य-सभा के हों तो राज्य-सभा के सभापति द्वारा और यदि लोक-सभा के हों तो लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित करके की जाती है। संसदीय विषयों का मंत्री इस समिति का सभापति होता है।

लोक-सभा के प्रक्रिया नियमों में समिति का कोई उल्लेख नहीं है। अतएव समिति ने अपनी आन्तरिक कार्यवाही के नियम स्वयं बनाए हैं। समिति की बैठक के लिए कम से कम 5 सदस्यों को उपस्थित रहना आवश्यक होता है। समिति के सभापति को निर्णयात्मक मत देने का अधिकार होता है। समिति को उपसमितियाँ नियुक्त करने का भी अधिकार होता है। समिति की बैठकें गुप्त होती हैं।

लाभ-पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति– इस समिति की स्थापना पहली बार 7 सितम्बर, 1559 को हुई थी। 1954 में, लोक-सभा ने संविधान के अनुच्छेद 102 (1) के अनुसार संसद् सदस्यों के अनर्हता सम्बन्धी विविध प्रश्नों पर विचार करने के लिए एक तदर्थ लाभ-पद-समिति नियुक्त की थी। उस समिति ने अन्य सिफारिशों के साथ-साथ यह भी सिफारिश की थी कि एक स्थायी समिति नियुक्त की जाए जो लाभ पदों पर विचार कर सके। बाद में, संसद (अनर्हता-निवारण) विधेयक पर विचार करने के लिए जो संयुक्त प्रवर समिति गठित हुई थी, उस समिति ने भी यह सिफारिश की थी कि एक स्थायी समिति नियुक्त की जानी चाहिए। यद्यपि उक्त विधेयक के पारित होने पर बननेवाले अधिनियम में स्थायी संयुक्त समिति की कोई व्यवस्था नहीं थी फिर भी सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि वह [illegible] में एक स्थायी संयुक्त समिति के बनाने का प्रस्ताव लाने का [illegible] करेगी। इसी आश्वासन के अनुरूप द्वितीय लोक सभा के लिए 31 अगस्त, 19 9 में एक स्थायी समिति नियुक्त की गई थी। तृतीय लोक सभा के लिए समिति जून, 196[illegible] में नियुक्त की गई थी चौथी लोक-सभा में समिति की नियुक्ति 5 जून 196[illegible] को हुई थी।

समिति के 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 10 लोक-सभा व 5 राज्य-सभा के होते हैं। समिति की बैठक के लिए कम से कम 5 सदस्यों का उपस्थित रहना आवश्यक होता है। अन्य मामलों में, लोक सभा की अन्य समितियों की कार्य-प्रक्रिया व नियम इस पर भी लागू होते हैं।

समिति के कृत्य इस प्रकार हैं :

(1) संसद् (अनर्हता-निवारण) विधेयक, 1957 जिस संयुक्त समिति को विचारार्थ सौंपा गया था, उस समिति द्वारा विचार की गई समितियों को छोड़ कर, अन्य सभी विद्यमान व भविष्य में स्थापित होने वाली ऐसी समितियों की रचना के विषय में विचार करना, जिसकी सदस्यता दोनों सदनों के विद्यमान सदस्यों अथवा होने वाले सदस्यों के लिए, संविधान के अनुच्छेद 102 के अन्तर्गत वर्जित हो।

(2) इसके द्वारा परीक्षित समितियों के बारे में यह निर्धारित करना कि कौन से पद सदस्यों के लिए वर्ज्य हैं और कौन से अवर्ज्य।

(3) समय-समय पर संसद् (अनर्हता-निवारण) अधिनियम, 1959 के अनुबन्धों की जाँच करना तथा उनमें संशोधन सुझाना।

समिति ने, अभी तक 7 प्रतिवेदन 5 द्वितीय लोक-सभा की अवधि में व 2 तृतीय लोक-सभा की अवधि में पेश किए हैं। इनमें समिति और आयोग के सदस्य नियुक्त होने के नाते संसद्-सदस्यों द्वारा प्राप्य भत्ते के प्रश्न तथा राष्ट्रीय उद्योगों के व्यवस्थापक मण्डलों में संसद्-सदस्यों के होने के प्रश्नों पर विचार किया है।

प्रवर समितियाँ.—भारतीय संसदीय समितियों में प्रवर समितियों की प्रथा अत्यधिक पुरानी रही है। ये समितियाँ 1921 से दोनों सभाओं में प्रचलित हैं।

लोकसभा की प्रवर समितियाँ :—लोक-सभा की प्रवर समितियाँ विधेयकों पर विचार होते समय विचार की दूसरी अवस्था में प्रस्ताव द्वारा नियुक्त की जाती हैं। प्रस्ताव में ही यह उल्लिखित होता है कि समिति में कितने और कौन सदस्य होंगे। समिति की सदस्यता के बारे में कोई संख्या निश्चित नहीं है और विधेयकों के विषय के अनुसार उसमें कम अथवा अधिक सदस्य हो सकते हैं। साधारणतया इन समितियों में 30 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। लोक-सभा की प्रवर समिति के सदस्य लोक-सभा के ही हो सकते हैं, पर प्रवर समितियों में विधेयक के विषय से सम्बन्धित मन्त्री के सभापति होने की प्रथा भी प्रचलित है। मन्त्री राज्य-सभा का भी सदस्य हो सकता है, अतएव मन्त्रियों के विषय में यह उक्त

प्रथा का अपवाद हो सकता है। सदस्यों की नियुक्ति विभिन्न राजनैतिक दलों की संख्या के आधार पर की जाती है। प्रथा के अनुसार, प्रवर समिति के नियुक्त होने से पूर्व विभिन्न दल अपने-अपने दल के सदस्यों के नाम सूचित कर देते हैं।

प्रवर समितियों के सभापति, अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यो मे से नियुक्त किए जाते हैं। यदि उपाध्यक्ष भी समिति का सदस्य हो तो वही सभापति नियुक्त किया जाता है। अन्य सदस्यों मे सभापतियो की तालिका के सदस्य भी होते हैं। सभापति को प्रक्रिया सम्बन्धी सारे प्रश्नो को तय करने का अधिकार होता है।

प्रवर समितियो की कोई अवधि निश्चित नही होती और उनका अस्तित्व तब तक रहता है, जब तक उनका प्रतिवेदन सभा के समक्ष पेश न हो जाए। समितियो की बैठकें ससद्-भवन मे ही हो सकती हैं। इन बैठको मे, समिति के सदस्यो के अतिरिक्त सभा के अन्य सदस्य भी उपस्थित हो सकते हैं। इन सदस्यो को समिति के विचार-विनिमय मे भाग लेने का अधिकार नही होता और वे मत विभाजन के समय मत भी नही दे सकते। उपर्युक्त सदस्यो के भाग लेने के अपवाद को छोड़कर अन्य दृष्टि से समिति की बैठकें गुप्त होती हैं और उनमे प्रारूपकार व सम्बन्धित मन्त्रालय के अधिकारियो के सिवा और कोई उपस्थित नही रह सकता।

प्रवर समितियो मे उपसमितियो को नियुक्त करने की भी प्रथा है, किन्तु उसका अधिक प्रयोग नही होता।

प्रवर समितियो को वैसे तो बडे अधिकार प्राप्त हैं, पर उन पर कुछ नियन्त्रण भी हैं, जैसे, विचाराधीन विधेयक की किसी एक पूरी धारा को हटाने का सुझाव देनेवाले नकारात्मक प्रस्ताव समिति मे पारित नही हो सकते। यदि कोई सशोधन सविधान के अनुच्छेद 117(1) मे सम्बन्धित हो तो उस सशोधन के पेश किए जाने से पूर्व राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार समिति विधेयक के सिद्धान्तो पर विचार नही कर सकती, क्योंकि सिद्धान्तों पर विचार पहले ही सभा मे हो चुका होता है व सभा उसे स्वीकृति दे चुकी होती है।

प्रवर समितियो को साक्ष्य लेने का अधिकार होता है और वे प्रायः साक्ष्य लेती भी हैं। साधारणतया प्रवर समितियाँ सार्वजनिक सस्थाओ आदि के निवेदनों

पर ही साक्ष्य लेती हैं। साक्ष्य लेने से पहले विचाराधीन विषयों पर साक्षियों से ज्ञापन लेने की प्रथा प्रचलित है। इसी प्रकार कभी-कभी समितियाँ तत्स्थान परीक्षा के लिए भी जाती हैं। समिति के सभापति को समय-समय पर अध्यक्ष को यह सूचित करना पड़ता है कि समिति ने विचाराधीन विषय पर किस सीमा तक विचार किया है। यदि समिति को अपना प्रतिवेदन पेश करने में बहुत समय अपेक्षित हो तो अध्यक्ष इसकी सूचना सभा को भी देता है।

अन्य समितियों के विपरीत, प्रवर समितियों में यह प्रथा है कि वे विधेयक के उन्हें सौंपे जाने के प्रस्ताव के पारित होते ही यथाशीघ्र अपना कार्य आरम्भ कर देती हैं। सामान्यत समिति की नियुक्ति के समय ही सभा यह आदेश देती है कि समिति अमुक अवधि तक सभा को अपना प्रतिवेदन पेश करेगी। यदि ऐसा किया जाना सम्भव न हो तो समिति 3 महीने की अवधि के अन्दर अपना प्रतिवेदन पेश करती है। यदि समिति के लिए समय अत्यधिक थोड़ा हो तो सभा अपने आदेश में परिवर्तन भी कर सकती है। ऐसा करने की अनुमति सभा के जारी रहते हुए सभा द्वारा दी जाती है। यदि सभा का सत्र न चल रहा हो तो अध्यक्ष को भी अनुमति देने का अधिकार होता है।

अपने प्रतिवेदन में समिति को यह बताना पड़ता है कि विधेयक का प्रकाशन नियमानुसार किया गया है या नहीं। इसी प्रकार यदि विधेयक में कोई परिवर्तन किया गया हो तो यह भी प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से बताना पड़ता है। प्रतिवेदन में निम्न बातें क्रमश: देनी पड़ती हैं

(क) समिति का गठन,

(ख) समिति का प्रतिवेदन,

(ग) प्रतिवेदन के बारे में विमति टिप्पणी,

(घ) समिति द्वारा संशोधित विधेयक,

(ङ) समिति के निर्माण के लिए पेश किया गया प्रस्ताव,

(च) समिति की बैठकों की कार्यवाही।

राज्य सभा की प्रवर समितियां :—राज्य-सभा में प्रवर समितियों की प्रथा भी लोक सभा से मिलती-जुलती है। समिति की नियुक्ति सभा द्वारा प्रस्ताव पारित कर की जाती है। यह वही प्रस्ताव होता है जिसके आधार पर विधेयक पर विचार

किया जाता है। साधारणतया प्रस्ताव मे ही यह दिया होता है कि कौन-कौन व कितने सदस्य समिति मे होंगे। यदि किसी सदस्य की इच्छा के विपरीत उसका नाम सुझाया हो तो वह सदस्य नही नियुक्त किया जाता। अतएव प्रस्तावक का यह कर्त्तव्य होता है कि वह उन प्रस्तावित सदस्यो की पहले राय ले ले, जिनका नाम सुझाया जा रहा हो।

समिति का सभापति, समिति के सदस्यो मे से सभाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। यदि उपसभापति समिति का सदस्य हो तो वही सभापति बनाया जाता है। यदि किसी कारण से सभापति अपने पद से कार्य नही कर सकता हो तो दूसरा सभापति नियुक्त किया जाता है। इसी तरह यदि सभापति किसी बैठक मे उपस्थिति न रह सके तो समिति उस बैठक के लिए दूसरा सभापति चुनती है। सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है।

समिति की बैठको का दिन व समय साधारणतया सभापति द्वारा निश्चित किया जाता है। यदि सभापति आसानी से बैठक न बुला सके तो सचिव को यह अधिकार होता है कि वह विचाराधीन विधेयक से सम्बन्धित मन्त्री के परामर्श से बैठक बुलवाए। समिति की बैठकें सभा की बैठक चालू रहते हुए हो सकती हैं।

समिति की बैठकों के लिए कम से कम तृतीयांश सदस्य उपस्थित होने चाहिएँ। सभापति का यह कर्त्तव्य होता है कि वह गणपूर्ति होने तक, समिति की बैठक स्थगित कर दे अथवा किसी दूसरे दिन के लिए, समिति की बैठक रद्द कर दे। यदि इस प्रकार दो बार समिति की बैठकें रद्द की गई हों तो सभापति का यह कर्त्तव्य होता है कि वह इसकी सूचना सभा को दे। समिति के सदस्यों की उपस्थिति के सम्बन्ध मे भी नियम कठोर होते हैं। यह नियम है कि यदि कोई सदस्य समिति की बैठकों मे लगातार दो या अधिक बार सभापति की आज्ञा के बिना अनुपस्थित हो तो उनके विरुद्ध सभा मे यह प्रस्ताव पेश किया जा सकता है कि उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाए।

ऐसी प्रथा है कि समिति के सदस्यों के अतिरिक्त सभा के अन्य सदस्य भी समिति की बैठकों मे (जब वह किसी विषय पर विचार कर रही हो) उपस्थित हो

सकते हैं, पर ऐसे सदस्य न तो समिति के अंग के नाते बैठ सकते हैं और न उसकी कार्यवाही में ही भाग ले सकते हैं।

प्रवर समितियों को उपसमितियाँ नियुक्त करने का अधिकार होता है। साधारणतया उपसमितियाँ विधेयकों से सम्बन्धित किसी विशेष बात पर विचार करने के लिए नियुक्त की जाती हैं। ऐसी उपसमितियाँ नियुक्त करते समय विचारणीय विषय को स्पष्ट रूप से बताया जाता है। उपसमिति के प्रतिवेदन पर मुख्य समिति द्वारा विचार किया जाता है और तदुपरान्त मुख्य समिति अपना प्रतिवेदन पेश करती है। समिति को अपनी प्रक्रिया के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित करने का अधिकार होता है, किन्तु अध्यक्ष इस प्रक्रिया में फेर बदल कर सकता है। इसी प्रकार अध्यक्ष, समिति के सभापति को समय-समय पर आदेश भी दे सकता है। *प्रक्रिया के सम्बन्ध में, यदि कोई विवाद हो तो अध्यक्ष की उस सम्बन्ध में राय ली* जाती है और उसका निर्णय अन्तिम होता है।

समिति को साक्ष्य लेने का अधिकार होता है जिसके अन्तर्गत वह व्यक्तियों को बुला सकती है और कागजात आदि भी मगवा सकती है। यदि कोई विवाद उपस्थित हो कि कोई साक्ष्य आवश्यक है या नहीं तो मामला अध्यक्ष को सौंपा जाता है और उसका निर्णय *अन्तिम माना जाता है।* केवल एक ही अवस्था है जिसमें सरकार कागजात आदि पेश करने से इन्कार कर सकती है और वह है देश की सुरक्षा का प्रश्न। समिति के सम्मुख पेश किया गया कोई कागज-पत्र समिति की *आज्ञा के बिना वापस नहीं लिया जा सकता और न उसमें कोई फेर-बदल ही किया* जा सकता है। यदि समिति उपयुक्त समझे तो वह विधेयकों के विषयों से सम्बन्धित विशेषज्ञों की भी साक्ष्य ले सकती है। समिति स्वयं निर्धारित करती है कि उसके समक्ष दी गई साक्ष्य का कौन सा भाग गुप्त रखा जाएगा और कौन-सा सभा-पटल पर रखा जाएगा। जब तक साक्ष्य सभा-पटल पर न दी जाए, तब तक वह गोपनीय मानी जाती है।

समिति को अपना प्रतिवेदन सभा में निर्धारित अवधि के अन्दर पेश करना पड़ता है। यदि सभा ने ऐसी कोई अवधि निर्धारित न की हो तो वह तीन महीने के *अन्दर ही प्रस्तुत किया जाता है। सभा के आदेश पर अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।*

समिति के प्रतिवेदन, अनन्तिम हो सकते हैं और अन्तिम भी। प्रतिवेदन में

समिति को बताना पड़ता है कि नियमो द्वारा अपेक्षित ढंग से विधेयक प्रकाशित हुआ है या नहीं और यदि प्रकाशित हुआ है तो किस दिन। यदि प्रतिवेदन में समिति ने कोई संशोधन किया हो तो समिति यह सुझा सकती है कि विधेयक को फिर सदस्यो में वितरित कराया जाए। प्रतिवेदन सभापति द्वारा सभा को पेश किया जाता है। प्रतिवेदन मे विमति-टिप्पण का उल्लेख करने की भी प्रथा है।

संयुक्त प्रवर समितियाँ :— लोक-सभा और राज्य-सभा की संयुक्त प्रवर समितियाँ भी उसी तरह नियुक्त की जाती है, जिस तरह इन सदनो की अलग-अलग प्रवर समितियाँ नियुक्त की जाती है। किसी सदन में विधेयक पर विचार होते समय यह प्रस्ताव लाया जा सकता है कि विधेयक पर विचार करने के लिए एक संयुक्त प्रवर समिति नियुक्त की जाए। ऐसे प्रस्ताव में यह उल्लिखित रहता है कि जिस सभा मे प्रस्ताव प्रस्तुत हो, उस सभा के कितने व कौन-कौन सदस्य उस पर विचार करेंगे। दूसरे सदन के सहयोग के बारे में सदन की यह सिफारिश होती है कि प्रस्ताव के अनुरूप दूसरा सदन संयुक्त समिति के लिए सदस्य नियुक्त करे। जब दूसरा सदन सहयोग का प्रस्ताव पारित कर लेता है तो उसकी सूचना पहले सदन को दे दी जाती है और इस प्रकार संयुक्त प्रवर समिति नियुक्त होती है।

समिति के सदस्यो की संख्या निश्चित नहीं होती पर लोक-सभा और राज्य-सभा के सदस्यों का अनुपात 2 : 1 होता है। महत्त्वपूर्ण विधेयकों पर विचार करने के लिए नियुक्त संयुक्त प्रवर समितियो का सभापति अधिकतर मन्त्री होता है।

प्रक्रिया की दृष्टि से संयुक्त प्रवर समितियों की प्रक्रिया वैसी ही होती है, जैसी कि प्रवर समितियों में। राज्य-सभा में तो संयुक्त प्रवर समिति नियुक्त करते समय प्रस्ताव में यह स्पष्ट उल्लिखित रहता है कि आवश्यक फेर-बदल की पद्धति संयुक्त प्रवर समितियों में उसी तरह की रहेगी जिस तरह कि प्रवर समिति में होती है।

संयुक्त प्रवर समितियों में भी उपसमितियाँ नियुक्त करने की प्रथा है। ये उपसमितियाँ विधेयक की विशेष धाराओं पर विचार करने के लिए नियुक्त की जाती है (उदाहरणार्थ, 'ज्वाइन्ट कमेटी ऑन कम्पनीज बिल,' 1953 के लिए दो उप-समितियाँ नियुक्त की गई थी।)

संयुक्त प्रवर समितियों में भी, सभा द्वारा निश्चित अवधि के अन्दर प्रति-

वेदन पेश करने की प्रथा है। यदि अध्यक्ष ने अवधि बढ़ा दी हो तो दूसरे सदन के अध्यक्ष से भी अवधि बढ़ाने की अनुमति ली जाती है। संयुक्त प्रवर समितियों के प्रतिवेदन दोनों सदनों को पेश किए जाते हैं। जिस सभा में प्रस्ताव आया हो उस सभा में वहाँ का सभापति प्रतिवेदन पेश करता है, पर दूसरे सदन में उस सदन की समिति का सदस्य प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है।

जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, साधारण प्रवर समितियों में प्रथा है कि प्रतिवेदन जब सभा में पेश हो जाता है तो केवल प्रतिवेदन पर ही बहस होती है और विधेयक के सिद्धान्त पर नहीं। संयुक्त प्रवर समितियों के प्रतिवेदन के विषय में यह प्रथा है कि जिस सदन में संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया हो, उस सदन में तो विधेयक के सिद्धान्त पर बहस नहीं होती, पर अन्य सदन में हो सकती है अर्थात् एक सभा द्वारा किए गए सिद्धान्त-अनुमोदन से दूसरी सभा बाध्य नहीं होती।

अन्य संसदीय समितियाँ :—जैसा कि आरम्भ में बताया गया था, ये समितियाँ पूर्ण अर्थ में संसदीय समितियाँ नहीं होती, फिर भी ये संसद्-समितियों के पर्याप्त निकट हैं, और संसद् का आवश्यक अंग बन गई हैं, इस तरह की समितियाँ प्राय सभी संसदों में पाई जाती हैं। लोक-सभा के प्रक्रिया-नियमों में इन्हें प्रक्रिया के मुख्य अंगों के रूप में तो नहीं, पर परिशिष्ट* रूप में अवश्य स्थान दिया गया है। लोक-सभा के अध्यक्ष के आदेश, इन समितियों पर उसी तरह लागू होते हैं, जिस तरह कि स्थायी और प्रवर समितियों पर। राज्य-सभा की इस श्रेणी की समितियों के बारे में वहाँ के कार्य-प्रक्रिया-नियमों में भी कोई उल्लेख नहीं है। राज्य-सभा और लोक-सभा दोनों में, इनके सम्बन्ध में सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन समितियों के लिए सचिवालय सम्बन्धी सहायता लोक-सभा और राज्य-सभा सचिवालयों द्वारा दी जाती है। यही संसदीय समितियों की एक आवश्यक पहचान है। ये समितियाँ इस प्रकार हैं :

* देखिए, परिशिष्ट 2, 'लोक-सभा के कार्य-प्रक्रिया तथा संचालन सम्बन्धी नियम' (पाँचवाँ संस्करण, 1967)

आवास-समिति (लोक-सभा) :— यह एक तरह की स्थायी समिति है। इस समिति के निम्न कृत्य होते हैं —

(1) लोक-सभा के सदस्यों के निवास-स्थान सम्बन्धी सभी प्रश्नों के बारे में कार्यवाही करना, और

(2) सदस्यों को दिल्ली में उनके निवास स्थानों और होस्टलों में दी गई आवास भोजन तथा चिकित्सा-सहायता सम्बन्धी सुविधाओं की देख-भाल करना।

इस समिति के 12 सदस्य होते हैं। ये सदस्य अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाते हैं। समिति की कार्यावधि एक साल होती है।

समिति आवश्यकतानुसार उपसमितियाँ नियुक्त कर सकती है। एक स्थायी उपसमिति भी होती है, जो आवास-उपसमितियाँ कहलाती है। उपसमिति का कार्य, सदस्यों को निवास-स्थान के सम्बन्ध में सलाह देना होता है। चूंकि आवास (निवास तथा संसद-भवन) दोनों में राज्य-सभा व लोक सभा की कुछ समान, किन्तु संयुक्त समस्याएँ भी होती है अतएव दोनों सदनों की आवास-समितियों के सभापतियों की संयुक्त बैठक करने की भी प्रथा प्रचलित है।

समिति का कार्य सलाहात्मक होता है। समिति औपचारिक रूप से कोई प्रतिवेदन पेश नहीं करती। उसकी सिफारिशें अध्यक्ष को सूचित की जाती हैं। यदि समिति की सिफारिश के विरुद्ध किसी सदस्य को कुछ कहना हो तो वह अध्यक्ष से अपील कर सकता है।

सामान्य प्रयोजन-समिति (लोक-सभा) :—सामान्य प्रयोजन-समिति की स्थापना 26 नवम्बर, 1954 को हुई थी। समिति का उद्देश्य अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर सौंपे गए सभा सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार कर अध्यक्ष को सलाह देना है। सामान्यतः ऐसे सब विषय, जो किसी न किसी पूर्वोक्त संसद् समितियों के अन्तर्गत न

---

* इस तरह की समिति स्थापित करने का प्रस्ताव एक बार इंग्लैंड में भी हुआ था, पर वहाँ यह विचार प्रकट किया गया कि सभा द्वारा स्वयं ऐसे मामलों पर विचार किया जाना चाहिए।

जाते हों सामान्य प्रयोजन-समिति को सौंपे जाते हैं। अध्यक्ष समिति का सभापति होता है। सभापतियों की तालिका में उल्लिखित किसी सदस्य को इसका उपसभापति बनाया जाता है व विभिन्न दलों के नेता इसके सदस्य होते हैं। समिति कोई प्रतिवेदन पेश नहीं करती। प्रत्येक बैठक की कार्यवाही लिखी जाती है, जो सदस्यों को सूचनार्थ भेजी जाती है। समिति कभी-कभी उपसमितियाँ भी नियुक्त करती है, उदाहरणार्थ छपाई, स्थान वा संसद्-भवन के रख-रखाव पर विचार करने के लिए 1957 में उपसमिति नियुक्त की गई थी समिति तत्स्थान परीक्षा के लिए भी जाती है। समिति ने, अभी तक जिन विषयों पर विचार किया है, उनमें से कुछ के उदाहरण इस प्रकार हैं :

(1) सभा की बैठक की अवधि,

(2) सभा के किसी सदस्य की मृत्यु पर सभा का स्थगन

(3) सभा में स्वचालित मतदान-व्यवस्था,

(4) सभा में मनाई जानेवाली छुट्टियाँ,

(5) संसदीय कागजातों की त्वरित व उत्कृष्ट छपाई की व्यवस्था।

जैसा कि समिति की प्रथम बैठक में अध्यक्ष ने कहा था, समिति का वास्तविक उद्देश्य सभा के विभिन्न दलों के नेताओं का विश्वास प्राप्त करना होना है, ताकि वह सभा सम्बन्धी कार्यवाही पर विश्वास के साथ बढ़ सकें। पहली और दूसरी लोक-सभा में तो यह समिति नियुक्त होती रही, पर तृतीय लोक-सभा में यह समिति नियुक्त नहीं की गई। चौथी लोक-सभा में यह समिति पुनः गठित की गई है।

पुस्तकालय-समिति (लोक-सभा) .—यह एक तरह की स्थायी समिति है। पुस्तकालय-समिति की स्थापना पहलीबार 18 नवम्बर 1950 को हुई थी। इसमें लोक-सभा के उपाध्यक्ष तथा पाँच अन्य सदस्य और राज्य-सभा के तीन सदस्य होते हैं। राज्य-सभा के सदस्य राज्य-सभा के अध्यक्ष के परामर्श से नियुक्त किए जाते हैं। समिति की अवधि एक वर्ष की होती है। लोक-सभा का उपाध्यक्ष समिति का पदेन सभापति होता है।

समिति के निम्न उद्देश्य होते हैं

(1) संसद्-पुस्तकालय से सम्बन्धित ऐसे विषयों पर विचार करना और

मन्त्रणा देना, जो अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर उसे सौंपे जाएँ।

(2) पुस्तकालय की उन्नति के लिए दिए गए सुझावों पर विचार करना, तथा

(3) पुस्तकालय की सेवाओं से पूरा-पूरा लाभ उठाने के लिए सदस्यों की सहायता करना।

सामान्य प्रयोजन-समिति (राज्य-सभा) :—इस समिति की स्थापना पहली बार 28 मई, 1956 को हुई थी। समिति तब से प्रतिवर्ष नियुक्त होती आई है। समिति के 16 सदस्य होते हैं। समिति की अभी तक केवल एक बैठक हुई, जिसमें इसने राज्य-सभा के वाद-विवाद का विवरण हिन्दी में छापे जाने के प्रश्न पर विचार किया था।

आवास-समिति (राज्य-सभा) :—यह समिति पहली बार 22 मई, 1952 के दिन नियुक्त हुई थी। इस समिति के 7 सदस्य हैं। समिति सदस्यों के आवास सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार करती है। सामान्य आवास विषयक प्रश्नों पर लोक-सभा व राज्य-सभा दोनों की आवास-समितियों की संयुक्त बैठक भी होती है।

भारतीय संसदीय समितियों के कार्यों की परीक्षा बहुत कम लोगों ने की है। यह स्वाभाविक ही है और जैसा कि उपर्युक्त वर्णन से पता चल गया होगा, प्रवर समितियों, याचिका-समिति तथा लोक-सभा की लोक-लेखा-समिति को छोड़कर, शेष समितियाँ अत्यधिक थोड़े समय पहले निर्मित हुई हैं। ब्रिटिश विद्वान मौरिस जोन्स ने अपनी पुस्तक भारतीय संसद् में, भारतीय संसदीय समितियों के बारे में जो कुछ कहा* है वह उल्लेखनीय है। जोन्स के कथनानुसार—

---

* कुछ संसदीय समितियों के बारे में आलोचनाएँ भी गई हैं। उदाहरणार्थ अमरीकी प्रशासन-विशारद एप्पल्बी ने, अपने दूसरे प्रतिवेदन में लोक-लेखा व प्राक्कलन-समिति के बारे में कहा था कि 'लोक लेखा तथा प्राक्कलन समितियों के प्रतिवेदन व शासन सम्बन्धी लोक-सभा में हुए *वाद-विवाद को पढ़कर मेरा मन क्षोभित होता है।'* ऐसे ही विचार अशोकचन्द्र ने अपनी पुस्तक 'इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन' में भी व्यक्त किए हैं। (देखिए, पाल एच० एप्पेल्बी, *रिएक्जामिनेशन ऑफ इण्डियन* एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पृष्ठ 42,

'भारतीय संसदीय समितियों का सारा गठन, सरकारी कृत्यों के ऊपर, निरीक्षण की भावना को प्रतिबिम्बित व दृढ करता है। यह राजनीति के विद्यार्थी को ब्रिटिश पार्लियामेन्टरी व्यवस्था की यत्किंचित् विभेद के साथ याद दिलाती है। और तो और (जैसा कि पहले ही इंगित किया जा चुका है) यह भारतीय शासकीय सरकार को, जिसके पीछे इतना अधिक बहुमत है, निरकुश बनने की प्रवृत्ति से रोकती है।'

स्वयं ससद्-सदस्यों में समिति-प्रथा के प्रति अत्यधिक आस्था के चिन्ह नजर आते हैं। ससद्-सदस्य हीरेन मुकर्जी ने अपनी पुस्तक 'इन्डिया एण्ड पार्लियामेन्ट' में कहा है दिन प्रतिदिन जैसे-जैसे हम योजनाओं के साथ आगे बढते है ससद के औपचारिक सत्रों में कमी कर, समिति के कार्यों में वृद्धि कराना अधिक आवश्यक प्रतीत होता है, क्योंकि इनमे सदस्यों का योगदान अधिक ठोस व उपयोगी है।

अध्याय 7

विदेशों की कुछ संसदीय समितियां

समितियों के बारे में सामान्य प्रक्रिया तो सभी देशों में एक-सी होती है, पर अपनी-अपनी विशिष्ट परम्पराओं के अनुसार कुछ देशों में ऐसी समितियां भी हैं, जो अन्यत्र नहीं दीख पड़ती। यदि उनसे मिलती-जुलती अन्य देशों में कतिपय समितियाँ है भी, तो उनका वहां की समिति-प्रथा में अधिक महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। नीचे इसी प्रकार की कुछ विशेष समितियों का परिचय दिया गया है। परिचय में, जो समितियां शामिल की गई हैं, वे इस प्रकार हैं

इंग्लैंड :

(1) स्टैच्यूटरी इन्स्ट्रूमेन्ट्स कमेटी,

(2) स्काटिश स्टैंडिंग कमेटी

(3) सलेक्ट कमेटी आन नैशनलाइज्ड इन्डस्ट्रीज,

(4) कमेटी ऑन बज एन्ड मीन्स,

(5) कमेटी आन सप्लाई,

अमरीका

(6) कमेटी आन अनअमेरिकन एक्टिविटीज,

(7) कमेटी आन वेटरन्स एफेयर्स

(8) कमेटी आन रूल्स

(9) कमेटी आन दि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलम्बिया,

(10) कमेटी आन हाउस एडमिनिस्ट्रेशन,

फ्रांस :

(11) फाइनेन्स कमेटी,

(12) कमेटी ऑन पार्लियामेन्टरी इम्यूनिटीज,

आस्ट्रेलिया :

(13) ज्वाइन्ट कमेटी ऑन पब्लिक एकाउन्ट्स

कनाडा :

(14) स्पेशल कमेटी ऑन एस्टिमेट्स

(1) स्टेच्युटरी इन्स्ट्रूमेन्ट्स कमेटी (हाउस ऑफ कॉमन्स) इंग्लैण्ड :

यद्यपि इस समिति की स्थापना के बारे मे पहली बार सुझाव 1931 में, 'कमेटी ऑन मिनिस्टर्स पावर्स' ने दिया था, तथापि इसकी स्थापना 1943-44 में हुई। शुरू मे अर्थात् महायुद्ध के काल में यह आपत्कालीन शक्तियों के अन्तर्गत बनाए गए नियमों के निरीक्षण के लिए नियुक्त की गई थी, पर इसकी उपादेयता के कारण 1952-53 की 'सेलेक्ट कमेटी ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन' ने प्रति वर्ष इसके स्थापित किए जाने की सिफारिश की। तब से प्रत्येक सत्र मे यह समिति नियुक्त होती रही है।

पहले यह समिति उन्ही 'स्टेच्युटरी इन्स्ट्रूमेन्ट्स' अर्थात् सांविधिक नियमो की परीक्षा कर सकती थी, जिनके बारे में संसद् ने विशेष निर्णय लिया हो तथा जिसके बारे मे संसद् के किसी सदस्य ने आपत्ति न उठाई हो। 'सप्लाई एण्ड सर्विसेज (ट्रांजिशनल पावर्स) एक्ट, 1946' के द्वारा समिति के क्षेत्र मे काफी विस्तार हुआ है। समिति के कृत्य अब इस प्रकार हैं :

"सभा-पटल पर रखे गए प्रत्येक अधीनस्थ विधान की परीक्षा कर, उनके निम्न पहलुओं की ओर सभा का ध्यान दिलाना :

(1) जो लोक वित्त से व्यय कराते हों।

(2) जो किसी ऐसे अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए हों, जिन्हें न्यायालयों के विचारार्थ पेश नही किया जा सकता।

(3) जिसमे अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकारो का कोई असाधारण उपयोग कल्पित हो।

(4) जहाँ मूल अधिनियम में उसकी पिछले अवधि से लागू होने का आदेश न होते हुए भी इस तरह का आशय निहित हो।

(5) अनुचित विलम्ब के कारण, जिसे संसद् के सम्मुख न रखा जा सका हो या प्रकाशित नहीं किया जा सका हो।

(6) जिसके स्वरूप व आशय पर विस्तृत विचार की आवश्यकता हो।"

समिति के 11 सदस्य होते हैं व इसकी बैठक गठित करने के लिए 3 सदस्यों की आवश्यकता होती है। समिति के सदस्य चुनाव-समिति (सेलेक्शन कमेटी) द्वारा चुने जाते है। प्रथा के अनुसार सभापति विरोधी-पक्ष का सदस्य होता है। प्रत्येक सत्र मे समिति की लगभग 11-12 बैठकें हो सकती हैं। अपने कार्य मे इसे अध्यक्ष की सलाह भी प्राप्त होती है। समिति दलबन्दी के आधार पर कार्य नहीं करती।

समिति ने अभी तक हाउस ऑफ कामन्स को अनेक प्रतिवेदन पेश किए हैं। यह उल्लेखनीय है कि समिति ने 1944 से 1952 तक के 8 वर्षों मे 6,9000 'इन्स्ट्रूमेन्ट्स' की परीक्षा की थी।

समिति के अधिकारो के बारे मे दो बातें उल्लेखनीय हैं: (1) इसका निरीक्षण केवल 'इन्स्ट्रूमेन्ट्स' के स्वरूप तक ही सीमित रहता है न कि नीति तक (2) यह 'हाउस ऑफ कामन्स' को, अधीनस्थ नियमों को स्वीकार या अस्वीकार करने की ही सिफारिश कर सकती है, उनमे कोई संशोधन नहीं सुझा सकती।

(2) स्काटिश स्टैंडिंग कमेटी (हाउस ऑफ कामन्स) : इंग्लैण्ड :

'हाउस ऑफ कॉमन्स' की यह एक बहुत पुरानी स्थायी समिति है। इस समिति का उद्देश्य 'हाउस ऑफ कॉमन्स' मे स्काटलैण्ड के मामलो मे, स्काटलैण्ड के सभासदों को विशेष प्रतिनिधित्व देना है। यह समिति प्रतिवर्ष नियुक्त की जाती है। इसमें स्काटलैण्ड से चुने हुए सारे संसद्-सदस्य होते हैं तथा कुछ ऐसे भी सदस्य होते हैं, जो 'सेलेक्शन कमेटी' द्वारा किसी विधेयक विशेष के लिए नामनिर्देशित किए गए हों। प्राय ऐसे नाम-निर्देशित सदस्यो की संख्या 10 से कम व 15 से अधिक नहीं होती। इन अतिरिक्त सदस्यो का चुनाव, सभा मे प्रत्येक दल की सदस्य-संख्या को, ध्यान, मे रखते हुए किया जाता है। विधेयक पर विचार हो चुकने के बाद, ये अतिरिक्त सदस्य समिति से हट जाते हैं। अपनी स्थापना के प्रथम 40 वर्षों तक 'स्काटिश स्टैंडिंग कमेटी' केवल सरकारी विधेयकों पर विचार करती थी, किन्तु

1948 में पारित किए गए 'स्टैंन्डिंग ऑर्डर्स नम्बर 60 तथा 61' के अनुसार समिति को दो अन्य अधिकार दे दिए गए हैं, जो किसी अन्य स्थायी समिति को प्राप्त नही है। इन अधिकारों के ही कारण इस समिति को 'स्काटिश ग्रैन्ड कमेटी' के नाम से भी लोग पुकारते है। ये अधिकार इस प्रकार हैं:

(क) विधेयक के सिद्धान्त पर विचार करना : अन्य विधेयकों के बारे में, सिद्धान्त, स्वयं सभा द्वारा निश्चित किया जाता है व समितियाँ केवल विधेयक के खण्डों पर विचार करती है। यदि विधेयक 'स्काटिश स्टैंन्डिंग कमेटी' को सौंपा गया हो तो समिति सिद्धान्त पर भी विचार कर सकती है इस विशेषाधिकार के देने मे अत्यधिक सावधानी बरती गई है और नियम यह है कि सभा को समिति की प्रत्येक अवस्था या स्थिति पर नियन्त्रण रखने का अधिकार है। यह भी व्यवस्था है कि यदि सभा के कोई 10 सदस्य इस अधिकार के प्रयोग का विरोध करे तो 'स्काटिश स्टैंन्डिंग कमेटी' से सिद्धान्त-परीक्षा का अधिकार छीना जा सकता है।

(ख) स्काटलैण्ड सम्बन्धी अनुमानो पर विचार 'स्टैंन्डिंग आर्डर, 61' के अनुसार स्काटलैण्ड सम्बन्धी सभी व्यय-प्राक्कलनों की परीक्षा करने का अधिकार उक्त समिति को दिया गया है, पर समिति उनमे कमी या वृद्धि नहीं कर सकती। यदि समिति कोई कटौती कराना चाहे तो उसे इस सम्बन्ध मे 'कमेटी ऑन सप्लाई' को सिफारिश करनी पडती है, जो उसमे कमी करा सकती है।

समिति के ऊपर कितने ही प्रतिबन्ध भी है, जो या तो परम्परा के कारण है या 'स्टैंन्डिंग ऑर्डर्स' द्वारा लागू किए गए हैं। इन प्रतिबन्धो का उद्देश्य यह है कि कहीं स्काटलैण्ड के बारे मे कमेटी के कारण, हाउस अपनी प्रभुसत्ता न खो बैठे। उदाहरणार्थ, स्काटलैण्ड मे बैठक कराने के लिए समिति कोई प्रस्ताव पारित नही कर सकती और न इस सम्बन्ध मे सभा को कोई प्रतिवेदन ही पेश कर सकती है। अनुदानो पर विचार करते समय भी समिति, सभा को कोई विशेष प्रतिवेदन पेश नही कर सकती।

समिति का सभापति बहुधा स्काटलैण्डवासी होता है, पर यह आवश्यक नही कि वह स्काटिश निर्वाचन-क्षेत्र से ही चुना गया हो। सभापति की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा सभापति की नामिका मे से करने की प्रथा है।

समिति के कार्य की सराहना करते हुए 'टाइम्स' के एक विशेष लेखक ने

कहा है : "पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर' के अन्तर्गत स्काटलैण्ड आज अपने विधि-निर्माण तथा वित्त-व्यवस्था के बारे में काफी स्वतन्त्र नजर आता है।" इस लेखक ने 1948 के अधिवेशनों के प्रक्रमणों की प्रशंसा करते हुए आगे कहा है : 'स्काटिश कमेटी के प्रारम्भ और विकास में ब्रिटिश वैधानिक पद्धति के प्रयोगात्मक स्वरूप का उत्कृष्ट उदाहरण मिलता* है।

(3) सेलेक्ट कमेटी ऑन नेशनलाइज्ड इन्डस्ट्रीज (रिपोर्ट एण्ड एकाउन्ट्स) हाउस ऑफ कॉमन्स, इंग्लैण्ड :

इस समिति की स्थापना इंग्लैण्ड में पहली बार 1955 में हुई थी। इसके पूर्व वहां दो विशेष प्रवर समितियां इस बात की जांच कर चुकी थी कि राष्ट्रीय उद्योगों पर संसदीय जांच का सर्वोत्तम उपाय क्या होना चाहिए। 1955 में नियुक्त समिति के कृत्यों पर यह प्रतिबन्ध था कि समिति राष्ट्रीय उद्योगों के बारे में निम्न बातों पर विचार नहीं करेगी

(1) ऐसी बातें जो किसी मन्त्री की जिम्मेदारी के अन्तर्गत हों।

(2) वेतन व नौकरी की हालतें।

(3) उद्योगों का दिन-प्रतिदिन का प्रशासन।

(4) ऐसे मामले, जो तत्सम्बन्धी नियुक्त सांविधिक संस्थाओं द्वारा विधिवत् कार्यान्वित होते हों।

---

* इस समिति के अतिरिक्त 'हाउस ऑफ कॉमन्स' में एक और संस्था है, जिसका नाम 'दि स्काटिश ग्रैण्ड काउंसिल' है। इसमें स्काटलैण्ड सम्बन्धी मामलों यथा प्राक्कलन आदि पर भी चर्चा की जाती है। 'स्काटिश स्टैण्डिंग कमेटी और इस काउंसिल में यह अन्तर है कि जहां समिति में विधेयकों में संशोधन किए जा सकते हैं, इस काउंसिल में केवल बहस मात्र हो सकती है। इसके विरुद्ध काउंसिल में ही प्राक्कलनों पर भी विचार हो सकता है, जबकि समिति में केवल विधेयकों पर ही विचार किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में समिति और काउंसिल एक दूसरे की अनुपूरक संस्थाएं हैं। (देखिए 'नोट्स ऑन दि पार्लियामेन्ट कोर्स,'—एम० आर० वर्मा—पृष्ठ 19)

इन प्रतिबन्धों सहित काम करने में समिति ने कठिनाई महसूस की और यह सिफारिश की कि उसके कृत्यों मे विस्तार किया जाए। तदनुसार 1956 से, अब समिति के कृत्य इस प्रकार है. "अधिनियम द्वारा स्थापित ऐसे राष्ट्रीय उद्योगों के लेखाओ तथा प्रतिवेदनो की जाँच करना, जिनके व्यवस्थापक मण्डल की नियुक्ति सरकारी मन्त्रियो द्वारा की जाती हो व जिसकी प्राप्तियाँ मुख्यतः पार्लियामेन्ट द्वारा अनुमोदित राशियों या एक्सचैकर की राशियो से न होती।"

समिति के 13 सदस्य होते है इसकी बैठक करने के लिए कम से-कम 5 सदस्यों की आवश्यकता होती है। समिति की कार्य-प्रणाली प्राक्कलन-समिति की कार्य-प्रणाली के अनुरूप ही होती है। समिति प्रत्येक वर्ष जाँच के लिए एक निगम की स्थापना करती है। निगम के सदस्य चुनने के बाद, समिति उनसे उनकी कार्यवाही पर एक ज्ञापन मगाती है। समिति द्वारा साक्ष्य लेने की प्रथा है।

समिति ने अभी तक 5 प्रतिवेदन पेश किए हैं, जिनमे पहला ब्रिटेन के 'एलिक्ट्रिसिटी बोर्ड' के बारे मे, दूसरा 'नैशनल कोल बोर्ड' के बारे मे, तीसरा 'एयर कारपोरेशन' के बारे मे, चौथा समिति के लिए एक सलाहकार के बारे में और पाँचवां 'ब्रिटिश रेलवेज' के बारे में है। इसके सिवा समिति ने कुछ विशेष प्रतिवेदन भी पेश किए हैं।

(4) कमेटी ऑन वेज एण्ड मीन्स (हाउस ऑफ कॉमन्स) इंग्लैण्ड :

'कमेटी ऑन वेज एण्ड मीन्स', इंग्लैण्ड की दो प्रसिद्ध सम्पूर्ण सदन समितियों में से एक है। समिति की स्थापना प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ में महारानी के भाषण के तुरन्त बाद की जाती है।

समिति के उद्देश्य · (1) कमेटी ऑन सप्लाई द्वारा पारित किए गए अनुदानों की माँग के लिए व्यय-राशि का अनुमोदन करना तथा (2) उक्त व्यय के लिए समुचित आय प्राप्त कराना है। पहले उद्देश्य के अन्तर्गत, समिति का काम 'कन्सोलिडेटेड फण्ड' से राशि निकाले जाने के निर्णय को पारित करना होता है। जब यह प्रस्ताव पारित हो जाता है, तब 'हाउस ऑफ कॉमन्स', 'कन्सोलिडेटेड फण्ड बिल' पारित करता है। इसके बाद समिति 'कन्सोलिडेटेड फण्ड एप्रोप्रियेशन बिल' भी पारित करता है।

'कन्सोलिडेटेड फण्ड बिल' के भेद को समझ लेना, पाठकों के लिए उपयुक्त

होगा। भारत में, अनुदानों की मांगें सभा द्वारा स्वीकृत होने पर, एक ही बार सभा में विनियोग-विधेयक लाया जाता है, परन्तु इंग्लैण्ड में पहले 'कमेटी ऑन सप्लाई' द्वारा अनुमोदित व्यय राशि के 'एक्सचैकर' अर्थात् कोष से निकाले जाने के लिए एक विधेयक पारित करना पड़ता है बाद में एक और विधेयक पारित करना पड़ता है, जिसे 'कन्सोलिडेटेड फन्ड (एप्रोप्रियेशन) बिल' कहते है, जिसमें इसका भी उल्लेख होता है कि प्रत्येक विभाग द्वारा किस मद में कितना खर्च किया जाएगा। यह विधेयक भारत में पारित 'विनियोग-विधेयक' जैसा होता है।

जहाँ तक आय के प्रस्तावों पर विचार किए जाने का प्रश्न है, समिति केवल नए करों पर विचार करती है, क्योंकि इंग्लैण्ड में स्थायी करों को 'फाइनेन्स बिल' में शामिल नहीं किया जाता।

'हाउस ऑफ कॉमन्स' के सभी सदस्य सम्पूर्ण सदन समिति होने के नाते इसके सदस्य होते हैं, पर अध्यक्ष इसका सदस्य नहीं होता। 'स्टैंडिंग ऑर्डर, 29 तथा 31' के अधीन 'वेज एण्ड मीन्स कमेटी' के सभापति के वही अधिकार होते है, जो अध्यक्ष के होते है।

समिति की प्रक्रिया इस प्रकार है : जैसे ही 'कमेटी ऑन सप्लाई' में अनुदान पारित होते हैं, समिति नियुक्त हो जाती है। समिति पहले पूर्वोक्त 'एक्सचैकर कन्ट्रोल' के लिए आवश्यक, 'जनरल कन्सोलिडेटेड बिल' पर प्रस्ताव पारित करती है। इस प्रस्ताव के बाद, सम्पूर्ण 'हाउस ऑफ कॉमन्स' की बैठक होती है और वह उक्त विधेयक को पारित करता है। इसके बाद कमेटी पुनः 'कन्सोलिडेटेड एप्रोप्रियेशन बिल' पर विचार करती है। यही पद्धति 'फाइनेन्स बिल' के सम्बन्ध में लागू करती है। 'फाइनेन्स बिल' पर विचार कर समिति जो प्रस्ताव पारित करती है, उसे 'बजट रिजोल्यूशन' कहा जाता है।

इन समितियों के बारे में एक और उल्लेखनीय बात यह है कि समिति को किसी भी विषय पर निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार नहीं होता। यह अधिकार केवल सदन को ही प्राप्त है। 'इन्टरपार्लियामेन्टरी यूनियन' के शब्दों में, "यद्यपि आज सम्पूर्ण सदन समिति की प्रथा एक कालदोष है, क्योंकि सदन को अपने कार्य के बारे में सारे अधिकार प्राप्त हैं, तथापि यह प्रथा इस लिए जारी है कि इस प्रकार

की समिति मे सभी सदस्यो को सामान्य विषयो पर बोलने का अधिकार रहता है, जिसे वे छोटी समितियो को अर्थात् कुछ सदस्यो को न देना चाहे ।"

(5) कमेटी ऑन सप्लाई (हाउस ऑफ कॉमन्स) इंग्लैण्ड :

'कमेटी ऑन वेज एण्ड मीन्स' की भांति 'कमेटी ऑन सप्लाई' की प्रथा भी (जैसा कि पाठको ने अध्याय 2 मे देखा है) बहुत पुरानी है । समिति की नियुक्ति महारानी के भाषण के बाद तुरन्त 'स्टैंडिंग ऑर्डर 15' के अनुसार की जाती है । जिस दिन भाषण पर बहस समाप्त होने को होती है, उसी दिन निम्न प्रस्ताव पारित किया जाता है : 'कि कल यह सदन एक समिति के रूप मे 'सप्लाई' (अर्थात् व्यय-प्रस्तावो) पर विचार करने के लिए एकत्रित होगा' ।

समिति का उद्देश्य उन सारे व्यय-अनुमानो पर विचार करना है, जो निम्न वर्गो मे होते है

- (क) सामान्य वार्षिक अनुदान
- (ख) अनुपूरक अनुदान
- (ग) लेखानुदान
- (घ) अतिरिक्त अनुदान
- (ड) 'वोट ऑफ क्रेडिट' तथा
- (च) 'एक्सेप्शनल ग्रान्ट'

समिति की कार्यविधि सक्षेप मे इस प्रकार है

'स्टैंडिंग आर्डर 16' के अनुसार समिति मे 5 अगस्त के पहले 26 दिनो तक अनुदानो पर बहस हो सकती है । जिस दिन समिति की बैठक होनेवाली हो, उस दिन सभा की कार्यसूची मे यह पहला काम दिखलाया जाता है । विरोधी पक्ष को यह तय करने का अधिकार होता है कि प्रत्येक दिन कौन-कौन से अनुदानो पर विचार किया जाएगा । यह आवश्यक नही कि उस दिन सारे के सारे अनुदानो पर बहस हो ही जाए । जब समाप्ति का समय आता है, 'गिलोटिन' अर्थात् 'विवाद बन्ध' नियम लागू किया जाता है और शेष अनुदान पारित हुए माने जाते हैं । जब सारी मांगें पारित हो चुकती है, तो समिति अपने आप खत्म हो जाती है ।

पहले 'कमेटी ऑन सप्लाई' मे, वास्तव मे व्यय-प्रस्तावो की परीक्षा हुआ

करनी थी, पर अब व्ययों में निहित नीति की चर्चा पर ही अधिक जोर दिया जाता है। जब बहस हो चुकती है तो प्रत्येक दिन निर्णय लिए जाते हैं, जो सभा को सूचित किए जाते हैं। इसके साथ ही इस सम्बन्ध में सभा की सहमति ली जाती है कि इसी तरह अगले दिन भी अनुदानों पर विचार करने के लिए समिति की बैठक । समिति के ऊपर एक प्रतिबन्ध है और वह यह कि 'एप्रोप्रियेशन एक्ट' अर्थात् ऊपर विनियोग को कम करने का प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती, न उनमें अन्तर्हित नीति पर बहस ही कर सकती है।

(6) कमेटी ऑन अनअमेरिकन एक्टिविटीज (हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव), अमरीका :

यह समिति 1938 में, एक अस्थायी समिति के रूप में स्थापित की गई थी। सन् 1945 तक यह इसी तरह चलती रही। तत्पश्चात् यह एक स्थायी समिति के रूप में परिवर्तित की गई। इसके पहले सभापति रिप्रेजेन्टेटिव मार्टिन डाइस थे। बाद में रिप्रेजेन्टेटिव जे पार्नेल टामस की अध्यक्षता में समिति जिन दो कार्यों के लिए अत्यन्त प्रसिद्ध हुई, वे थे (1) मिथ्या शपथ के गुनाह पर एल्जेर हिस्स व अन्य कुछ लोगों को अपराधी साबित किया जाना, तथा (2) हालीवुड फिल्म व्यवसाय में कम्यूनिस्टों की घुसपैठ का मामला।

इस तरह की दो और समितियाँ पहले ही हो चुकी थीं, जो इस प्रकार हैं . (1) इन्टर्नल सिक्यूरिटी सब कमेटी ऑफ दि सिनेट जुडिशयरी कमेटी, व (2) पर्मानेन्ट इनवेस्टिगेशन्स सब कमेटी ऑफ दि सिनेट कमेटी ऑन गवर्नमेन्ट आपरेशन्स। इन दोनों समितियों के अध्यक्ष सिनेटर मैकार्थी थे।

'लेजिस्लेटिव रिआर्गेनाइजेशन एक्ट, 1946 'के अनुसार समिति का उद्देश्य निम्न विषयों की जाँच करना है

(1) अमरीका में किए गए अमरीका विरोधी प्रचार का विस्तार, स्वरूप तथा उद्देश्य।

(2) विदेशों या देश-द्रोहियों द्वारा संविधान के अन्तर्गत आयोजित राज-व्यवस्था के उन्मूलनार्थ की जानेवाली कार्रवाइयाँ।

(3) इनसे सम्बन्धित अन्य ऐसे विषय, जो अमरीका-विरोधी कार्यों को नियन्त्रित करने में कांग्रेस की मदद करनेवाले हों।

यह समिति अपना प्रतिवेदन 'हाउस ऑफ रिप्रेज़ेन्टेटिव' को पेश करती है। यदि सभा का सत्र न चल रहा हो तो उक्त प्रतिवेदन सभा के मुख्य क्लर्क* (अर्थात् अधिकारी) को भी पेश किया जा सकता है। समिति के प्रतिवेदन मे, समिति द्वारा जाँच के वृत्तान्त के अतिरिक्त समिति की सिफारिशें भी होती है।

समिति के 9 सदस्य होते है। ये सदस्य दो से अधिक अन्य समितियों के सदस्य नही हो सकते।

अपने कार्य के लिए समिति को, चाहे सभा का सत्र चालू हो या नही निम्न कार्य करने के अधिकार है

(1) इसकी दृष्टि मे योग्य तथा आवश्यक साक्षियों की जाँच व कागजातों की पेशी कराना,

(2) समिति के सभापति या उसकी उपसमिति की स्वीकृति से किसी व्यक्ति के नाम 'सब पेना' अर्थात् उपस्थिति समादेश जारी करना।

समिति को साम्यवादी प्रचार की रोकथाम के बारे मे प्रस्ताव पारित करने का अधिकार है, जैसा कि 20 मार्च, 1947 के इसके प्रस्ताव से प्रकट होता है। समिति को अमरीका विरोधी प्रचार से अमरीका की रक्षा करने के लिए कुछ साम्यवादी संस्थाओ को गैर-कानूनी घोषित करने के सम्बन्ध मे विधेयक प्रस्तावित करने का भी अधिकार होता है। इस अधिकार के परिणाम स्वरूप ही 'सबवर्सिव एक्टिविटीज कन्ट्रोल एक्ट, 1950' पारित हुआ था।

यह उल्लेखनीय है कि समिति की कोई स्थायी उपसमिति नही है।

(7) कमेटी ऑन वेटरन्स एफेयर्स (हाउस ऑफ रिप्रेज़ेन्टेटिव), अमरीका :

यह समिति 1947 मे, 'लेजिस्लेटिव रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, 1947' के अन्तर्गत परिणामस्वरूप स्थापित हुई थी। इससे पहले इससे मिलते-जुलते विषयों पर विचार करने के लिए, विभिन्न समितियाँ हुआ करती थी, जैसे 'कमेटी ऑन वर्ल्ड वार वेटरन्स लेजिस्लेशन,' 'कमेटी ऑन पेन्शन्स एण्ड रिवोल्यूशनरी क्लेम्स', आदि।

---

* इंग्लैण्ड, अमरीका तथा कुछ अन्य देशों मे सभा के सचिव को 'क्लर्क' कहने की पद्धति है।

इस समिति के कृत्य इस प्रकार हैं

(1) सामान्य तौर पर भूतपूर्व सैनिकों सम्बन्धी सभी मामले।

(2) युद्धों से सम्बन्धित, अमरीका की सभी खास व आम पेन्शनों का प्रश्न।

(3) सेना में काम करने के नाते सरकार द्वारा जारी किए गए बीमा सम्बन्धी प्रश्न।

(4) भूतपूर्व सैनिकों की शिक्षा, व्यावसायिक पुनःस्थापन तथा मुआवजे सम्बन्धी मामलों पर विचार।

(5) नाविकों व सैनिकों को असैनिक सहायता।

(6) सैनिकों के असैनिक जीवन में पदान्तरण की व्यवस्था।

समिति के 27 सदस्य होते हैं। समिति की स्थायी उपसमितियां निम्न प्रकार हैं —

(1) शासन सम्बन्धी उपसमिति

(2) मुआवजा सम्बन्धी उपसमिति

(3) शिक्षा तथा ट्रेनिंग सम्बन्धी उपसमिति

(4) अस्पतालों सम्बन्धी उपसमिति

(5) आवास सम्बन्धी उपसमिति

(6) बीमा सम्बन्धी उपसमिति

(7) स्पेन युद्ध सम्बन्धी उपसमिति

समिति को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है, जिनमें एक यह है कि सभा में समिति द्वारा प्रस्तावित, भूतपूर्व सैनिकों के पेन्शन सम्बन्धी सामान्य विधेयक किसी समय विचारार्थ लाए जा सकते हैं।

(8) कमेटी ऑन रूल्स (हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव), अमरीका।

यह समिति 'हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव' की बहुत पुरानी समितियों में से एक है। यह पहले एक प्रवर समिति के रूप में 1781 में स्थापित हुई थी। बीच में यह एक स्थायी समिति के रूप में परिवर्तित हुई, पर पुनः प्रवर समिति हो गई।

सन् 1949 से यह पुनः एक स्थायी समिति के रूप में काम कर रही है।

आरम्भ में यह समिति सभा को नियम बनाने में मदद करने के उद्देश्य से निर्मित हुई थी, पर धीरे-धीरे सदन के आदेशों तथा अध्यक्ष के निर्णयों से इसकी शक्तियों में परिवर्धन हुआ और अब यह 'हाउस' के प्रशासन की मुख्य समिति है। *'लेजिस्लेटिव रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, 1946' के अनुसार समिति के निम्न कृत्य है :*

(1) 'हाउस' के नियम, नियम तथा कार्यवाही सम्बन्धी आदेशों पर, तथा

(2) कांग्रेस में अवकाश-कालों तथा अन्तिम स्थगन पर, विचार करना

इन कृत्यों के अन्तर्गत, समिति नियमों में परिवर्तन करने व नवीन नियम बनाए जाने के प्रस्तावों पर विचार करती है। समिति अन्य समितियों की नियुक्ति व उनके द्वारा जांच किए जाने विषयक प्रस्तावों पर विचार करती है। यह भी समिति का कर्तव्य है कि वह सभा की बैठकों के बारे में प्रस्ताव पारित करे। 'एलेक्ट्रोनिक रोल' के मतय दीर्घाओं का उपयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए' समिति इस सम्बन्ध में भी विचार करती है।

समिति के 12 सदस्य होते है, जो सभा में दोनों दलों की सदस्य संख्या को ध्यान में रखते हुए चुने जाते है। 1946 तक, अध्यक्ष इस समिति के सदस्य नहीं हो सकते थे, क्योंकि 1910 में सदन ने ही यह प्रस्ताव पारित किया था कि अध्यक्ष इस समिति के सदस्य नहीं होंगे, परन्तु अब अध्यक्ष भी इस समिति के सदस्य हो सकते हैं।

यह समिति इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि सदन जितने विधेयकों पर विचार कर सकता है, उससे कहीं अधिक विधेयक विभिन्न स्थायी समितियों द्वारा सभा को विचारार्थ पेश किए जाते है। अतएव इन विधेयकों में एक क्रम निर्धारित करना आवश्यक होता है। यही समिति का मुख्य काम है। इस सम्बन्ध में, 1883 से ही समिति का यह एक महत्त्वपूर्ण अधिकार रहा है कि वह विधेयकों या उनके खंडों पर विचार करने के लिए एक सभा को विशेष आदेश दे ताकि उन विधेयकों पर अन्य विधेयकों की अपेक्षा पहले विचार किया जा सके। यदि समिति इस प्रकार की सिफारिश न करे तो सामान्य तौर पर *नियमों के अन्तर्गत* दो-तिहाई बहुमत से सभा को यह निश्चित करना पड़ता है कि अमुक विधेयक विचारार्थ पहले लिया जाएगा। यह वस्तुत. एक अत्यन्त कठिन काम होता है। प्रमुखता देने के लिए समिति किसी विधेयक में सुधार या उसके पुन लेखन का आदेश भी अन्य समितियों

को दे सकती है। समिति को स्वय किसी विधेयक को तुरन्त बनाने व उसे सभा मे पेश करने का अधिकार होता है।

समिति को नियम, उपनियम तथा कार्यवाही सम्बन्धी आदेश पर, 3 दिन के अन्दर प्रतिवेदन पेश करना पड़ता है। यदि उसके प्रतिवेदन पर सभा मे तुरन्त बहस न हो सके तो उस पर कार्यक्रम के अनुसार किसी अन्य दिन भी विचार किया जा सकता है। समिति किसी समय सभा को नियमो, उपनियमो तथा कार्यवाही के आदेशो पर सूचना दे सकती है।

समिति की कोई स्थायी उपसमिति नही है।

(9) कमेटी ऑन दि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलम्बिया (हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव), अमरीका

इस समिति की स्थापना पहली बार 1806 मे हुई थी।

सक्षेप मे, समिति का काम 'डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलम्बिया' के नगरपालिका-कार्य सम्बन्धी सारे विधेयकों का निर्माण व उन पर विचार करना है। 'लेजिस्लेटिव रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट' के अनुसार समिति के कृत्य इस प्रकार हैं

विनियोजनो को छोड़कर 'डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलम्बिया' के निम्न नगरपालन सम्बन्धी सारे सुझावो पर विचार करना

(क) जन-स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, सफाई व छुआछूत के रोगो सम्बन्धी नियम

(ख) मादक द्रवो के विक्रय सम्बन्धी नियन्त्रण

(ग) औषधियो तथा खाद्यपदार्थों मे मिलावट

(घ) विक्रय-कर

(ङ) बीमा 'एक्सीक्यूटर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स विल्स' तथा तलाक

(च) म्यूनिसिपल तथा बाल-अपराध सम्बन्धी अदालते

(छ) समितियो के निर्माण तथा सगठन सम्बन्धी मामले

(ज) 'म्यूनिसिपल कोड' तथा 'क्रिमिनल' व 'कॉरपोरेट' कानूनो मे सशोधन

इन्ही कृत्यों के निष्पादन के लिए सीनेट की भी एक 'कमेटी ऑन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलम्बिया' है।

समिति के 25 सदस्य होते हैं।

समिति की निम्न स्थायी उपसमितियाँ है :

(1) असैनिक सुरक्षा सम्बन्धी उपसमिति

(2) अपराधो की जाँच सम्बन्धी उपसमिति

(3) आर्थिक मामलों सम्बन्धी उपसमिति

(4) स्वास्थ्य शिक्षा तथा मनोरंजन विषयक उपसमिति

(5) न्याय सम्बन्धी उपसमिति

(6) पुलिस, आग से सुरक्षा तथा यातायात सम्बन्धी उपसमिति

(7) सामुदायिक उपयोग के साधनो, बीमा तथा बैंको सम्बन्धी उपसमिति

(10) कमेटी ऑन हाउस एडमिनिस्ट्रेशन (यॉफ रिप्रेजेन्टेटिव), अमरीका :

इस समिति की स्थापना पहली बार 2 जनवरी, 1947 को, 'लेजिस्लेटिव रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, 1946' के अनुसार हुई थी। इसके पहले समिति के प्रयोजनो से मिलते-जुलते कुछ प्रयोजनो पर विचार करने के लिए 'कमेटी ऑन एकाउन्ट', 'कमेटी ऑन एनराल्ड बिल्स', 'कमेटी ऑन डिस्पोजीशन ऑफ एक्सीक्यूटिव पेपर्स', 'कमेटी ऑन प्रिन्टिंग', 'कमेटी ऑन एलेक्शन्स', 'कमेटी ऑन एलेक्शन ऑफ प्रेसीडेन्ट एण्ड रिप्रजेन्टेटिव्स इन काग्रेस' तथा 'कमेटी ऑन मेमोरियल्स' प्रभृति 7 समितियाँ हुआ करती थी। 'कमेटी ऑन हाउस एडमिनिस्ट्रेशन' इन सभी भूतपूर्व समितियो के कार्य निष्पादित करती है। समिति अब सभा के भोजनालयो की व्यवस्था भी करती है, जो पहले 'कमेटी ऑन एकाउन्ट' द्वारा की जाती थी। इसी तरह अब यह समिति 'लाइब्रेरी ऑफ काग्रेस' तथा 'हाउस लाइब्रेरी' आदि से सम्बद्ध विषयों की देखभाल करती है, जो पहले 'ज्वाइन्ट कमेटी ऑन लाइब्रेरी' किया करती थी। इसी तरह यह समिति अब काग्रेस के अभिलेखो की छपाई आदि के लिए भी जिम्मेदार है, जिसके लिए पहले एक 'ज्वाइन्ट कमेटी ऑन प्रिन्टिंग' हुआ करती थी।

सभा के नियमो के अनुसार समिति के निम्न कृत्य हैं :

'निम्न लिखित विषयो के बारे मे विधेयक बनाना व प्रस्तावो पर विचार करना :

(क) 'हाउस' द्वारा लोगो की नियुक्ति करना, जिसमे सदस्यो व समितियो के सचिवो की नियुक्ति भी तथा वाद-विववाद का शब्दश विवरण लिखनेवाले रिपोर्टर्स शामिल हो।

(ख) 'हाउस' की आकस्मिकता-निधि मे व्यय

(ग) आकस्मिकता-निधि से सम्बद्ध सारे लेखों की लेखा-परीक्षा, आदि

(घ) 'हाउस' के लेखों से सम्बन्ध रखनेवाली बातें

(च) आकस्मिकता-निधि से हुए विनियोजन, इत्यादि

(अधिक ब्योरे के लिए, परिशिष्ट 4 देखिए।)

समिति, सभा द्वारा प्रत्येक विधेयक या उसके सशोधन के पारित हो जाने के बाद यह देखती है कि वे निर्णय अथवा विधेयक भली-भाँति 'हाउस' के रजिस्टर मे दर्ज हो गए हैं या नही। इसी प्रकार यह देखना भी समिति की जिम्मेदारी होती है कि विधेयको और निर्णयो के पारित हो जाने पर, अध्यक्ष के उन पर हस्ताक्षर हो गए हैं या नही और वे अमरीका के राष्ट्रपति को भेजे गए हैं या नहीं। सीनेट मे इससे मिलती-जुलती एक 'कमेटी ऑन रूल्स एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन' है। सयुक्त विधेयको व उनके सशोधनो तथा निर्णयो के विषय मे समिति को सीनेट कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से काम करना पडता है। समिति का यह भी काम है कि वह सदस्यो द्वारा की गई यात्राओं की सूचना 'सार्जेन्ट एट आर्म्स ऑफ दि हाउस' को दे। अमरीका के 'हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव' मे यह प्रथा है कि वहाँ सदस्य प्रतिदिन 'हाउस' तथा 'सीनेट' के दिवगत सदस्यो की स्मृति मे श्रद्धाजलियाँ अर्पित करते हैं। इस अवसर के लिए उचित कार्यक्रम बनाना भी समिति का काम होता है।

'कमेटी ऑन रूल्स' की भाँति ही इस समिति को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है, उदाहरणार्थ यह (1) सदस्यो के अधिकार व उनके स्थान (2) 'हाउस' की आकस्मिकता-निधि से व्यय आदि विषयो पर सभा को जब चाहे प्रतिवेदन दे सकती है। समिति का यह भी उत्तरदायित्व है कि वह कांग्रेस के नियमानुरूप हुई प्रथम बैठक के छह महीने के अन्दर अलास्का मे हुए 'कन्टेस्टेड एलेक्शन' को छोडकर, बाकी सारे 'कन्टेस्टेड एलेक्शन्स' के बारे मे सभा को सूचना दे।

उक्त समिति के 25 सदस्य होते हैं।

समिति की निम्न स्थायी उपसमितियाँ हैं

(1) लेखा विषयक उपसमिति

(2) चुनाव सम्बन्धी उपसमिति

(3) छपाई सम्बन्धी उपसमिति

(4) 'एनराल्ड बिल्स' व लाइब्रेरी सम्बन्धी उपसमिति

(11) फाइनेन्स कमेटी (नेशनल एसेम्बली), फ्रांस :—

फ्रांस की यह समिति वहाँ की स्थायी समितियों में सबसे पुरानी है। रेस्टोरेशन काल तथा तीसरे गणतन्त्र-काल में बजट पर बहस करने के लिए एक 'कमेटी ऑन बजट' स्थापित की जाती थी। बाद में, 1955 में इसका नाम 'फाइनेन्स कमेटी' रखा गया। पहले एक 'एकाउन्ट कमेटी' हुआ करती थी। 'फाइनेन्स कमेटी' का निर्माण होने के बाद उसका कार्य भी इसी समिति को सौंपा गया।

समिति की कार्यविधि इस प्रकार है : प्रत्येक वर्ष समिति एक 'जनरल रिपोर्टेयर' अर्थात् सामान्य प्रतिवेदक तथा कई विशेष (प्रतिवेदक) नियुक्त करती है, जिन्हें विभिन्न सरकारी विभागों के प्राक्कलन, परीक्षार्थ सौंपे जाते हैं। फ्रांस की बजट-प्रथा के अनुसार, बजट चेम्बर में पेश किए जाने के पूर्व मसौदे के रूप में इस समिति को सौंपा जाता है। विचार करने के बाद समिति 'चैम्बर' को एक प्रतिवेदन पेश करती है। समिति कभी कभी विधेयकों पर भी बहस करती है, पर उसे विधेयकों में निहित सिद्धान्त पर बहस करने का अधिकार नहीं होता।

समिति के 44 सदस्य होते हैं। जब समिति बजट पर बहस करती है, तब जिन विभागों के अनुदान, समिति के विचाराधीन होते हैं, उन विभागों से सम्बन्धित विभागीय समिति का एक सदस्य इस समिति में शामिल किया जाता है। इसी तरह 'फाइनेन्स कमेटी' सदस्य भी विभागीय समितियों की कार्यवाही में सलाहकार के नाते उपस्थित रहते हैं। अक्सर भूतपूर्व मंत्री समिति के सदस्य होते हैं। कहा जाता है कि किसी अन्य स्थायी समिति में इतनी संख्या भूतपूर्व मंत्री समिति के सदस्य नहीं पाए जाते, जितने इस समिति में होते हैं। तीसरे गणतंत्र के युग में इस समिति की प्रतिष्ठा इतनी अधिक बढ़ गई थी कि इसका प्रतिवेदन होना वित्त-मंत्री बनने की दिशा में पहला कदम था। समिति के सदस्य, दल के आधार पर चुने जाते हैं, पर वस्तुतः यह समिति दलबन्दी के आधार पर काम नहीं करती।

समिति की जाँच केवल अनुदानों की ही जाँच तक ही समिति नहीं रहती, वरन् उनके लेखाओं तक भी व्याप्त है। 1947 के बाद से समिति के कार्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। समिति की उपसमितियों ने राष्ट्रीय वित्त-व्यवस्था के सुधार के प्रश्न से लेकर, सरकारी विभागों में वाहनों के दुरुपयोग जैसे न्यून महत्त्व के विषयों की जाँच की है।

(12) कमेटी ऑन पार्लियामेन्टरी इम्युनिटीज (नेशनल एसेम्बली), फ्रांस :

इस समिति की स्थापना पहली बार 8 मार्च, 1949 को स्टैंडिंग आर्डर 18 के अनुसार हुई थी। समिति को सदस्यों के अनुलंघनीयता (इनवायोलैबिलिटी) सम्बन्धित सभी प्रश्नों पर विचार करना होता है। यदि किसी सदस्य को दंड देना हो तो तत्सम्बन्धी कोई निर्णय करना भी समिति का काम होता है। यदि किसी सदस्य को पहले ही दंड दिया जा चुका हो तो उस दंड के स्थगित किए जाने या दंड को कम करने के प्रश्न पर भी समिति विचार करती है। इस समिति की आवश्यकता इसलिए समझी जाती है कि इसके माध्यम से एसेम्बली स्वयं देख सके कि सदस्य वास्तव में दोषी था और वह विरोधी दल के द्वेष का शिकार नहीं है।

समिति की कार्यविधि इस प्रकार है — जैसे ही किसी आरोप के सम्बन्ध में कागजात सदस्यों को वितरित हो जाते हैं, समिति एक प्रतिवेदक नियुक्त करती है। तत्पश्चात् आरोप की जाँच के लिए एक उपसमिति नियुक्त की जाती है, जिसमें पूर्वोक्त प्रतिवेदक भी एक सदस्य होता है। उपसमिति के प्रतिवेदन पर समिति विचार करती है व अपना प्रतिवेदन सभा को देती है। समिति को 30 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सभा को देना पड़ता है। जिस दिन प्रतिवेदन पेश होनेवाला हो, उस दिन सभा के कार्यक्रम में प्रतिवेदन का पेश किया जाना पहला काम होना है।

(13) ज्वाइन्ट कमेटी ऑन पब्लिक एकाउन्ट (आस्ट्रेलिया) :

यह आस्ट्रेलिया की पार्लियामेन्ट के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति है। समिति की स्थापना पी० ए० सी० एक्ट 1951 के अन्तर्गत हुई थी। समिति के 10 सदस्य होते हैं, जिनमें 3 सीनेट के और 7 हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव के होते हैं। समिति के सदस्य पार्लियामेन्ट की अवधि तक के लिए नियुक्त किए जाते हैं।

समिति के कृत्य इस प्रकार हैं :—

(क) कॉमनवेल्थ की प्राप्तियों तथा व्ययों के लेखे की तथा आडिट एक्ट 1921 के उपबन्ध (1) के अनुसार लोक-लेखा परीक्षक द्वारा संसद को पेश किए गए सारे विवरणों और प्रतिवेदनों की परीक्षा करना।

(ख) उपर्युक्त लेखाओं, विवरणों तथा प्रतिवेदनों के किसी भी विषय अथवा उन विषयों से सम्बन्धित परिस्थितियों पर अपने उपयुक्त मत में संसद् के दोनों सदनों को सूचित करना।

(ग) लोक लेखा प्रणाली के अन्तर्गत प्राप्तियों अथवा सरकारी व्यय के बारे में उपयुक्त सुझाव देना।

(घ) संसद् के किसी सदन द्वारा निर्दिष्ट लोक लेखा से सम्बन्धित विषय पर जाँच करना व उसके बारे में सदन को प्रतिवेदन देना।

(ङ) अन्य ऐसे कृत्य, जो संसद् के दोनों सदनों ने 'ज्वाइन्ट स्टैंडिंग ऑर्डर' द्वारा उसे सौंपे हों।

समिति का एक और महत्वपूर्ण कार्य प्रत्येक वर्ष अनुपूरक अनुदानों (जो भारतीय पद्धति के 'अतिरिक्त अनुदान' के समान हैं) की परीक्षा करना है। सामान्य अर्थ में, समिति का यह काम होता है कि वह देखे कि 'कॉमनवेल्थ कन्सो-*लिडेटेड रिजर्व फन्ड' से जो व्यय हुआ है, वह मितव्ययिता के साथ हुआ है।*

समिति की अवधि दो मास होती है। समिति को, लोगों की साक्ष्य लेने व कागजात आदि मंगवाने का अधिकार होता है। अपने कार्य में, भारतीय लोक-लेखा-समिति के समान ही, आस्ट्रेलिया की इस समिति को, नियन्त्रक तथा महा लेखा-परीक्षक की मदद मिलती है।

समिति का प्रतिवेदन संसद् के दोनों सदनों को पेश किया जाता है। समिति का प्रतिवेदन पेश करने के लिए कोई खास कार्यक्रम नहीं होता। समिति के प्रति-वेदनों पर सभा में बहस नहीं होती। समिति के प्रतिवेदन का स्वरूप, जैसा कि उनके पढ़ने से पता चलता है, भारतीय प्राक्कलन-समिति के प्रतिवेदनों जैसा होता है। इसका कारण यह है कि आस्ट्रेलिया में प्राक्कलन-समिति नहीं है, अतएव वास्तव में यह समिति, लोक-लेखा-समिति और प्राक्कलन-समिति दोनों के कृत्यों को निभाती है। अभी तक समिति ने कुल 80 प्रतिवेदन पेश किए हैं। समिति के प्रति-

वेदनों पर की गई कार्रवाई, 'ट्रेज़री मिनिट्स' के रूप में समिति द्वारा सभा को सूचित की जाती है।

(14) स्टैंडिंग कमेटी ऑन एस्टीमेट्स (हाउस ऑफ कॉमन्स), कनाडा :

इस समिति की स्थापना पहली बार 1955 में हुई थी। इंग्लैण्ड में इस का प्रचलन देख कर 1921 में कुछ सदस्यों ने समिति की स्थापना की माग की थी, किन्तु तब यह माग स्वीकार न हो सकी थी। चार साल बाद पुनः इस तरह की एक समिति की नियुक्ति का प्रस्ताव कुछ सदस्यों ने पेश किया, पर सभा ने उसे भी स्वीकार नहीं किया। 1929 में, स्वयं प्रधान मंत्री ने 'कमेटी ऑन स्टैंडिंग ऑर्डर्स' को, यह आदेश दिया कि वह इस बात पर विचार करे कि इस तरह की समिति नियुक्त की जाए अथवा नहीं। उपयुक्त समिति ने इस सम्बन्ध में जो सिफारिश की सभा ने पुन उसे स्वीकार नहीं किया। 1947 में, जब वहाँ की 'पब्लिक एकाउन्ट कमेटी' ने, यह सिफारिश की थी कि एक 'एस्टीमेट कमेटी' निर्मित की जाए, तब से इस समिति माग वहाँ प्रबल होने लगी थी। अन्त में, प्रयोग के तौर पर 1955 में, समिति की स्थापना हुई। तब से यह समिति प्रत्येक सत्र में नियुक्त की जाती है। 1957 तक यह समिति* विशिष्ट समिति के रूप में थी, पर बाद में इसे स्थायी समिति के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। समिति के सदस्यों की संख्या 26 से 35 तक होती हैं। समिति, सभा के विशेष निर्णय द्वारा नियुक्त की जाती है। समिति का काम उसे सौंपे गए प्राक्कलनों पर विचार करना होता है। कभी-कभी 'कमेटी ऑन सप्लाई' के सम्मुख उपस्थित प्राक्कलनों में से कुछ प्राक्कलन भी इस समिति को सौंपे जाते हैं जैसे कि मार्च, 1956 में हुआ था।

समिति की बैठकों में, सम्बन्धित विभाग के मंत्री तथा अधिकारी साक्ष्य देने आते हैं। समिति की बैठकें पत्र-संवाददाताओं के लिए खुली रहती हैं, पर यदि

* 'प्रोसिज्योर इन दि कैनेडियन हाउस ऑफ कॉमन्स' के लेखक डाउसन के अनुसार समिति अब भी विकास की अवस्था में है। कुछ लोगों का मत है कि समिति अपना उद्देश्य बहुत दूर तक खो बैठी है। जहाँ पहले इससे वित्तीय नियंत्रण की बहुत अधिक अपेक्षा की जाती थी, अब विशेष अपेक्षा नहीं की जाती। (देखिए, डाउसन प्रोसिज्योर इन दि हाउस ऑफ कॉमन्स,' पृष्ठ 222)

आवश्यक हो तो समिति की गुप्त बैठकें भी हो सकती हैं। अपनी कार्यप्रक्रिया तय करने के लिए समिति, एक उपसमिति नियुक्त करती है, जो 'सब कमेटी ऑन एजेन्डा एण्ड प्रोसिज्योर' कहलाती है।

समिति का प्रतिवेदन सभा को पेश किया जाता है और वह पेश होते ही 'कमेटी ऑन सप्लाई' के विचाराधीन माना जाता है। समिति के प्रतिवेदन प्रायः संक्षिप्त और छोटे होते है। समिति के प्रतिवेदनों से 'कमेटी ऑन सप्लाई' को काफी मदद मिलती है।

विभिन्न देशों की समितियों की पारस्परिक तुलना. विदेशों में हमें समितियों की मुख्य 3 प्रकार की पद्धतियां मिलती हैं। (1) इंग्लैण्ड द्वारा प्रभावित पद्धति, (2) अमरीका द्वारा प्रभावित पद्धति, (3) फ्रांस द्वारा प्रभावित पद्धति। आस्ट्रेलिया व अन्य उपनिवेशों की समिति-प्रथा इंग्लैण्ड से प्रभावित है। अमरीका की प्रथा कुछ यूरोपीय देशों में व जापान में नजर आती है। फ्रांस द्वारा प्रभावित पद्धति अधिकतर यूरोपीय देशों में नजर आती है। ये पद्धतियाँ क्या हैं? इंग्लैण्ड की पद्धति का मूल अर्थ है सामान्य कार्यों के लिए सम्पूर्ण सदन समिति तथा आवश्यकतानुसार कुछ खास कामों के लिए अथवा सत्र विशेष के लिए प्रवर समितियों का उपयोग करना। महत्वपूर्ण जाँच योग्य विषयों के लिए संसद्-सदस्यों व अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के आयोग की नियुक्ति भी इंग्लैण्ड की पद्धति की विशेषता है। अमरीका की पद्धति की मुख्य विशेषता विभागीय समितियों का उपयोग है। फ्रांस की पद्धति का अर्थ है, विभागीय समितियों के साथ-साथ प्रवर समितियों का उपयोग। अन्य देशों ने, इन मूल पद्धतियों का, अपनी परिस्थितियों के अनुसार फेर बदल कर उपयोग किया है। उदाहरणार्थ, कनाडा में अमरीका का अनुकरण करते हुए स्थायी विषय समितियों का प्रचलन है। इसी तरह वहाँ ब्रिटिश पद्धति का अनुकरण करते हुए सम्पूर्ण सदन समितियों का भी उपयोग होता है।

प्रत्येक पद्धति के अपने गुण-दोष है। इंग्लैण्ड की पद्धति का यह फायदा है कि इसमे वैधानिक कार्यों में सभा का नेतृत्व बना रहता है, क्योंकि प्रत्येक विधेयक की नीति सदन में ही निर्धारित होती है। समिति का काम केवल उसकी सूक्ष्म बातों की परीक्षा करना रहता है। इसके विपरीत अमरीका व फ्रांस में स्थायी समितियाँ नीति-निर्धारण व विस्तृत जाँच दोनों ही कार्य करती हैं। हर्बर्ट मारिसन ने यह अन्तर निम्न शब्दों में व्यक्त किया है

यह प्रकट है कि स्थूल रूप में अपवादों को, यदि छोड़ दिया जाए तो सरकार की नीतियों की परीक्षा करना तथा उनमें अन्तर्हित नीतियों पर आक्षेप करना, संसद् का ही कार्य है। यह सिद्धान्त दो कारणों से कायम रहा है : एक स्वयं संसद् की यह इच्छा कि उसके अपने अधिकार व सत्ता में कमी न हो व दूसरे सरकार की भी यह इच्छा कि वह समितियों की दास न हो जाए। अमरीका व फ्रांस में स्थिति इनके विपरीत है। आयव्ययक तथा विधेयकों की जाँच करना वहाँ समितियों का ही काम होता है इनका प्रभाव स्वयं संसद् के प्रभाव की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होता है। हमारी संसद् (ब्रिटिश पार्लियामेन्ट) ने यह प्रक्रिया नहीं अपनाई है। मुझे विश्वास है कि इस तरह की प्रक्रिया अपनाना, संसदीय सत्ता के लिए हानिकारक सिद्ध होगा।'

इंग्लैंड से प्रभावित समिति-प्रथा में एक और लाभ बताया जाता है और वह यह कि संसद् फैसला करने का कार्य नहीं करती, जबकि समिति यह कार्य करती है। वह कार्य कानून के मुताबिक, संसद् के संयुक्त अधिवेशन अथवा अधिकरण के ही अधीन रहता है। इसके विपरीत* अमरीकी समितियाँ ऐसी खुली जाँच करती हैं, जिसमें राजनीति भी अक्सर मिली होती है।

---

* इस अन्तर को हर्मन फाइनर ने, बड़े अच्छे शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया है

"सदाचार, न्याय तथा आत्मसंयम की भावनाएँ......यद्यपि पार्लियामेण्ट सार्वभौम है, वह कानून चाहे जो कर सकती है, इसकी प्रथाएँ उदार, संयमित व इसके निरीक्षण के अन्तर्गत आनेवाले लोगों के अधिकार के प्रति अधिक उदार हैं। उनकी कार्यवाही की कुछ रिपोर्टों से पता चलता है कि वह कार्यवाही मर्मभेदी होती है, पर आततायी नहीं, कठोर होती है, पर कटु नहीं, दृढ़ होती है, पर दीन-हीन करने वाली नहीं है। यह कार्यवाही उदार होती है और उद्देश्यपूर्ण नहीं। उसमें जनता का हित होता है, वैयक्तिक रोष की भावना नहीं होती उसमें न्याय की भावना होती है और इस नियम का पालन दृष्टिगोचर होता है कि जब तक किसी व्यक्ति का अपराध सिद्ध न हो जाए वह निर्दोष समझा जाना चाहिए। पार्लियामेन्ट की जनता व नागरिकों के प्रति इस तरह का व्यवहार नहीं होता कि वे शत्रु हैं और सार्वजनिक

नीति अपनाई जाए या नहीं। इंग्लैण्ड में (जैसा कि पाठकों को पता होगा) मंत्रिमण्डल काफी स्थिर होता है और इसलिए वह अपना वैधानिक कार्यक्रम अबाध रूप से कार्यान्वित कर सकता है। फ्रांस में इसके विरुद्ध, अभी तक मंत्रिमण्डल बहुधा अस्थायी रहे हैं, अतएव 'नेशनल असेम्बली' को वहाँ अपनी समितियों में आस्था रखनी पड़ती है। अमरीका में तो संविधान ने ही कार्यकारिणी को कांग्रेस से बिल्कुल स्वतन्त्र रखा है। अतएव कांग्रेस को विधेयकों के बारे में स्वयं ही सब कुछ करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में वहाँ समितियों के पास सम्पूर्ण अधिकार रहना स्वाभाविक* ही है।

कनाडा में, समितियों में अमरीकी समितियों का अनुकरण नजर आता है, किन्तु उनमें वह प्रभावोत्पादकता नहीं, जो अमरीकी समितियों में है। इंग्लैण्ड की तरह ही वहाँ भी मंत्रिमण्डल का समितियों पर प्रभाव नजर आता है। 'कैनेडियन

---

* इस प्रथा-भेद को लार्ड कैम्पियन ने इस प्रकार व्यक्त किया है :

"अधिकारों के विभक्तीकरण का सिद्धान्त, जो अमरीका में प्रमुखता से प्रचलित है, फ्रांस में भी अपने कुछ भावुक अनुयायी रखता है। 'हाउस ऑफ रिप्रेजन्टेटिव' को, कार्यकारिणी की सहायता की अनुपलब्धता की स्थिति में स्वयं ही विधि-निर्माण आदि की अपनी व्यवस्था करनी पड़ी। ...इसी तरह की व्यवस्था 'फ्रेन्च चैम्बर' में लाई गई, किन्तु वहाँ ऐसा किए जाने के लिए यथेष्ट कारण नहीं था। वस्तुतः 'फ्रेन्च चैम्बर' को सरकार के प्रति नियन्त्रण का अधिकार रहता है। यह प्रथा फ्रांस में क्यों अपनाई गई और 'संसदीय' पद्धति का पूर्ण रूपेण अनुकरण क्यों नहीं किया गया, इसके कारण जानना महत्त्वपूर्ण है। इसके दो कारण हैं एक तो यह कि वहाँ बहुत से छोटे-छोटे गुट होते हैं, न कि एक दो बड़ी पार्टियाँ और दूसरे यह कि 'चैम्बर' तो मंत्रिमण्डल को बर्खास्त कर सकता है, पर मंत्रिमण्डल को यह अधिकार नहीं कि वह 'चैम्बर' को बरखास्त कर सके, क्योंकि अधिकतर 'चैम्बर' ही अधिक स्थायी रहता है। यही कारण है कि 'चैम्बर' को अपनी कृति अर्थात् मंत्रिमण्डल में एक प्रकार की अनास्था रहती है। 'चैम्बर' स्थायी (परमानेन्ट कमीशन्स) नियुक्त करता है जो कम से कम 'चैम्बर' की अवधि तक तो कायम रहते ही हैं।'

गवर्नमेन्ट एण्ड पॉलिटिक्स' नामक पुस्तक मे क्लोकी ने इस सम्बन्ध में एक बहुत ही उपयुक्त उदाहरण दिया है और वह है, वहाँ की लोक-लेखा-समिति का। यह समिति 50-60 सदस्यो की समिति होती है और हर साल नियुक्त की जाती है। इसके सम्बन्ध मे क्लोकी का कहना है कि पिछले 10 वर्षों मे कभी समिति की बैठक नही हुई। समिति को 'ब्रेनगन स्कैन्डल' विषयक प्रारम्भिक जाँच का एक कार्य अभी सौंपा गया था। क्लोकी आगे लिखता है कि यह आवश्यक नही कि समिति की सिफारिशें स्वीकार ही हो जाएँ। इस प्रकार कनाडा की समिति-प्रथा ऊपरी तौर पर अमरीका की समिति-प्रथा का अनुकरण करती प्रतीत होती है, किन्तु वास्तविकता यह है कि यह इग्लैण्ड की समितियो से भिन्न नही हैं।

भारतीय समितियो के सम्बन्ध मे यह कहा जा सकता है कि जहाँ तक उनके अधिकारो और उपयोग का सम्बन्ध है, ये इग्लैण्ड की प्रथा का ही अनुकरण करती हैं, किन्तु प्रवर समितियो के अधिकार व प्रयोग भारत मे अपना विशिष्ट स्थान रखते है। अन्य (किसी देश मे उपनिवेशो को छोडकर) विधेयको पर विचार करने के लिए प्रवर समिति का प्रयोग नही होता, वहाँ या तो सम्पूर्ण सदन समितियाँ हुआ करती हैं या स्थायी समितियाँ। हो सकता है कि यह ब्रिटिश राज्य की देन हो। वस्तुतः प्रवर समितियो की रचना ही ऐसी होती है कि किसी भी विधेयक को प्रवर समिति को सौपे जाने विषयक प्रस्ताव मे सरकार को सदस्यो के नाम सुझाने का अवसर प्राप्त होता है। स्थायी समितियो के सम्बन्ध मे यह बात लागू नही होती, क्योकि सदस्य पहले से ही सभा द्वारा वर्ष भर के लिए चुन लिए जाते हैं। इस प्रकार विदेशी सरकार विधान-निर्माण के अधिकार एसेम्बली को देना चाहती थी, साथ ही वह यह भी चाहती थी कि उस विधि-निर्माण की प्रक्रिया मे सरकार का काफी हाथ रहे। प्रवर समितियो की पद्धति रूढिगत होने पर भी अब वस्तुतः भारतीय समिति प्रथा का एक आवश्यक अंग बन गई है।

अध्याय 8

समितियों की नई दिशा

अन्य सभी प्रक्रियाओं की तरह समितियों की प्रक्रियाओं व तत्सम्बन्धी धारणाओं का भी विकास होता रहा है। 100 वर्ष, पूर्व जिस तरह विधि-निर्माण या विधि-सभा नियन्त्रणात्मक कार्य के लिए समितियों की आवश्यकता महसूस होती थी, आज समितियों के अन्तर्गत उपसमितियों व खास तरह की समितियों (जैसे स्थायी समितियो) की आवश्यकता मानी जाने लगी है। इसी प्रकार, समितियो की उपादेयता को स्वीकार करते हुए भी लोग उनसे सम्भावित खतरों को भी उपेक्षा से नहीं देखते। उदाहरणार्थ, लोगो को यह भय होने लगा है कि समितियाँ कहीं सभा से अधिक बलवती न हो जाएँ। समिति व्यवस्था मे, जो नवीन प्रवृत्तियाँ नजर आती हैं, उनमे मुख्य प्रवृत्तियों को इस प्रकार गिनाया जा सकता है।

(1) समितियो के आवश्यकता से अधिक प्रबल होने का भय

(2) दोनों सदनों के बीच अधिक सम्पर्क की आवश्यकता जिसके परिणाम स्वरूप संयुक्त समितियो की संख्या मे वृद्धि

(3) स्थायी समितियो मे अधिक आस्था व सम्पूर्ण सदन समितियों की अपेक्षा रुचि

(4) उपसमितियो का व्यापक प्रसार

(1) समितियो के आवश्यकता से अधिक प्रबल होने का भय :—जैसा कि पाठकों ने तीसरे अध्याय मे पढा होगा, समिति प्रथा का आरम्भ इसलिए हुआ था कि वे सभा के नियन्त्रणात्मक व विधि-निर्माण विषयक कार्यों का भार संभाल सकें। यह उल्लेखनीय है कि नियन्त्रण का कार्य-क्षेत्र समितियों ने इस हद तक विस्तृत कर दिया कि समितियों का अस्तित्व सरकारी विभागों के लिए अवरोधक होने लगा। फ्रांस की स्थायी समितियों के बारे मे लिडरडेल लिखता है, "दोनों महायुद्धों के बीच के युग में समितियों के विरुद्ध काफी हद तक यह आरोप लगाया जाना

था कि उनके कारण सरकारी विभागो के काम मे हस्तक्षेप होता था और वह संसदीय प्रक्रिया की एक अकुशल व अस्पष्ट पद्धति थी। 'वस्तुतः अमरीका मे जांच-समितियाँ तो एक भयावह रूप ग्रहण कर चुकी हैं। वहाँ समितियाँ, चाहे जिसकी साक्ष्य ले सकती है। 'कमेटी ऑन अनअमेरिकन एक्टिविटीज' द्वारा की गई, 'मेकार्थी मेस' की जाँच इस आरोप की पुष्टि करती है। वहाँ समितियाँ, साक्षी को उसके साक्ष्य की गोपनीयता का कोई आश्वासन न देते हुए, न्यायालय की तरह जांच करती हैं। लेकिन इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि सभा को विधि-निर्माण कार्य मे मदद देने के नाम पर, समितियों के प्रभुता सपन्न होने का भय हो चला है। अमरीका की समितियो के बारे में एक साक्षी ने स्पष्टतः यह कहा था ; 'आज काँग्रेस एक सगठित सस्था की तरह कार्य नही करती वरन् वह सर्वदा असमन्वित छोटी-छोटी सभाओ या समितियो का एक समुच्चय जान पड़ती है' । अमरीका की ही 'कमेटी ऑन अनअमेरिकन एक्टिविटीज' के अन्तर्गत ससद् के अधिकारो को उल्लंघन मिलता है, उदाहरणार्थ, उक्त समिति द्वारा 'लायेल्टी', 'सबवर्शन' आदि शब्दो की परिभाषा तय किया जाना वस्तुत ससदीय अधिकार सीमा का उल्लघन है।

समितियो की इन प्रवृत्तियो के प्रति लोग जागरूक हैं और उनके नियन्त्रण की दिशा मे प्रयत्न किए जा रहे हैं। अमरीकी समितियो के साक्ष्य लेने के अधिकार का विरोध रूजवेल्ट और ट्रूमन दोनो ने किया था, लेकिन न्यायालयो ने इस विषय मे समिति के अधिकारो का समर्थन किया था। अतएव एक नया रास्ता खोजने का प्रयत्न किया जा रहा है, जैसे (1) साक्ष्य को गोपनीय माना जाए (2) साक्षी को, जाँच करनेवाले से भी कुछ प्रश्न पूछने का अधिकार होना चाहिए, तथा (3) 'सीनेट' को यह अधिकार होना चाहिए कि वह किसी भी समिति को जाँच करने से वंचित कर सके। 'हाउस ऑफ कॉमन्स' ने इस विषय मे पहले से ही संयम दिखलाया है। इंग्लैण्ड में, 'हिंसक अपराध' तथा 'देश-द्रोह' आदि से सम्बन्ध मामलो पर राजनैतिक आधार पर विचार नही होता, वरन् उन पर न्यायालयो मे विधिवत् विचार होता है। जैसा कि हर्मन फाइनर ने कहा है (पिछले अध्याय मे उदाहरण देखिए), इस सम्बन्ध मे ब्रिटिश पार्लियामेन्ट का व्यवहार अधिक उदार व अधिक मर्यादित रहता है"।

जहाँ तक विधि-निर्माण के कार्य मे ससद् के अधिकारो के उल्लघन का प्रश्न है, इंग्लैण्ड मे ससद् ने शुरू से ही इस सम्बन्ध में उचित कदम उठाए हैं। उदाहरणार्थ संविधान से सम्बन्ध रखनेवाले विधेयक वहाँ समितियो को नहीं सौंपे जाते। इसी

प्रकार अन्य महत्त्वपूर्ण विधेयक भी समितियों को नहीं सौंपे जाते हैं। व्हीयरे इस सम्बन्ध में लिखता है; '1945 में, समितियों के अधिक अधिकार सम्बन्धी अपने प्रस्ताव को सामने रखते हुए, लेबर पार्टी की सरकार ने यह माना था कि सविधान जैसे महत्त्वपूर्ण विषय से सम्बन्धित विधेयकों को, स्थायी समितियों में वह जांच के लिए नहीं भेजेगी, वरन् यह कार्य संपूर्ण सदन-समिति को ही सौंपा जाएगा। वास्तव में, जब समय-समय पर हाउस ऑफ लार्डस के निलम्बनकारी निषेधाधिकार को कम करने के लिए 'पालियामेन्ट बिल ऑफ 1947' लाया गया तो वह सम्पूर्ण सदन-समिति अर्थात् एक तरह से सारे सदन के सामने ही विचारार्थ लाया गया था, न कि स्थायी समितियों के सामने। 'वैसे भी इंग्लैण्ड में यह पद्धति प्रचलित है कि समितियाँ कितना ही महत्त्व प्राप्त कर लें, वे सभा के महत्त्व को कम नहीं कर सकतीं। एरिक टेलर के शब्दों में, 'कदाचित् ही किसी अन्य देश की प्रतिनिधि-सभा में समितियों का स्थान उतना न्यून होगा, जितना ब्रिटेन में। कुछ देशों में विधान-सभाओं ने अपनी समितियों के माध्यम से, अपने हाथों में कार्यकारिणी के कृत्यों को लेने की चेष्टा की है। अमरीका में कांग्रेस की ऐसी समितियाँ हैं, जो नीति निर्धारित करती है और सरकार के कार्य में हस्तक्षेप करती हैं। फ्रांस के तृतीय गणतन्त्र-काल में, प्रतिनिधियों द्वारा चुने गए ब्यूरो इसी तरह का कार्य और भी अधिक मात्रा में करते थे। इस तरह का कोई अधिकार इंग्लैण्ड की समितियों को न तो है और न रहा है। वास्तव में इस तरह की धारणा ही हमारे (ब्रिटेन के) सविधान के प्रतिकूल है। इस देश में विधायिका कानून बनाती है और नीति की आलोचना करती है। इसकी समितियाँ केवल सभा की सहायक संस्थाएँ हैं और विधायी और आलोचनात्मक यन्त्र के साधन हैं'। फ्रांस में भी पाँचवें गणतन्त्र के काल से समितियों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। तृतीय व चतुर्थ गणतन्त्र के काल में समितियों को विधि-निर्माण के विषय में पूरी आजादी थी, पर पाँचवें गणतन्त्र के काल में यह नियम बना दिया गया कि जब किसी सरकारी विधेयक पर सभा विचार करेगी तो विधेयक का पाठ वही होना चाहिए जो सरकारी पक्ष द्वारा पेश किया गया हो, न कि वह जो समिति ने संशोधन कर अपनाया हो।

समितियों के आवश्यकता से अधिक प्रबल होने के बारे में 'इन्टर पालियामेन्टरी यूनियन' ने, विश्व की 41 संसदों के अध्ययन विषयक, ग्रन्थ 'पार्लियामेन्ट्स' में जनता का ध्यान आकर्षित कराया है। पुस्तक के शब्दों में, समितियों की आव-

श्यकता व उन्हे दी गई आजादी पर यथोचित प्रतिबन्ध* होना चाहिए। संसद् की प्रभुता अविभाज्य है। और समितियों को संसद् की प्रभुता का अतिक्रमण नही करना चाहिए। उन्हे अपना कार्य करने की जो स्वतन्त्रता इस समय प्राप्त है, उसके कारण उन्हे अपना कार्य क्षेत्र इतना नही बढाना चाहिए जो निश्चित मर्यादा से बाहर हो। समितियो का कार्य, महत्त्वपूर्ण व प्रभावकारी भले ही हो, पर काफी विवेक से किया जाना चाहिए ताकि वे कोई ऐसा काम न करें, जो वस्तुत: संसद् का ही परमाधिकार हो।

(2) दो सदनों के बीच अधिक सम्पर्क: संयुक्त समितियों की वृद्धि :

द्वितीय सदन के संदर्भ मे युक्त कथन पूर्णत सगत और उपयुक्त है। यह उल्लेखनीय है कि जिस समय विधि-सभाओं मे, द्वितीय सदन निर्मित किए गए थे, उस समय वे वर्ग विशेष के अधिकारो की सुरक्षा के लिए स्थापित किए गए थे। इंग्लैण्ड कहीं-कहीं पर द्वितीय सदन जनमत को नियन्त्रित करने के साधन के रूप मे अपनाए गए। यही बात भारत के सम्बन्ध मे कही जा सकती है। अनेक देशो मे द्वितीय सदन की संस्थाएँ प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यो के समान अधिकार के संरक्षण के लिए संगठित की गई। अमरीका व यूरोप के अन्य देशो मे ऐसा ही हुआ है। इन मूल ध्येयो के परस्पर भिन्न होते हुए भी द्वितीय सदनों ने अपने संकुचित उद्देश्यो से आगे बढकर प्रत्येक देश मे अपनी उपादेयता निर्विवाद रूप से सिद्ध की है। इन सदनो मे भी समितियो का बोलबाला रहा है। समितियो का बोलबाला रहने के कारण ही, संयुक्त समितियो की आवश्यकता प्रतीत हुई है और अब अधिकाधिक संयुक्त समितियो के प्रयोग पर बल दिया जा रहा है।

जैसा कि अध्याय 3 मे बताया गया है, कि आस्ट्रेलिया मे जितनी संविहित समितियाँ है, वे सभी संयुक्त समितियाँ हैं। लेकिन अमरीका, स्वीडन आदि देशों में भी, पिछले कुछ वर्षों मे संयुक्त समितियो के प्रति झुकाव** दीखता है। अमरीका

* कुछ हद तक समितियो के प्रति यह व्यवहार ठीक ही लगता है, क्योंकि सरकारी अधिकारी दिन-ब दिन व्यावसायिक ज्ञान वृद्धि के कारण अब शासन पर अधिक नियन्त्रण रखने मे समर्थ हैं और संसदीय समितियो द्वारा नियन्त्रण किए जाने की अब अधिक आवश्यकता नही रह गई है।

** गैलोवे लिखता है 'युद्धोपरान्त काल मे, नियुक्त की गई संयुक्त समितियो की सफलता से प्रभावित होकर लोगों ने 'कान्फ्रैंस कमेटी'

की 79 वीं कांग्रेस के काल में 4 स्थायी व 3 प्रवर संयुक्त समितियाँ नियुक्त हुई थी। 80 वीं कांग्रेस के काल में इनकी संख्या क्रमश. 7 व 4 थी। 8 वीं कांग्रेस के काल में 8 संयुक्त स्थायी समितियाँ नियुक्त की गई थी।

कहा जाता है कि स्वीडन में अधिकांश विधि-निर्माण, 9 संयुक्त समितियों द्वारा ही होता है। वहाँ यह प्रथा है कि संयुक्त समितियाँ एक साथ दोनों सदनों को अलग-अलग प्रतिवेदन पेश करती हैं और दोनों सदन साथ-साथ उन पर विचार करते हैं।

भारत में भी संयुक्त समितियों के अधिकाधिक प्रयोग की प्रवृत्ति दीखती है। जहाँ 1947 तक केवल कभी-कभी संयुक्त प्रवर समितियाँ स्थापित होती थी, वहाँ अब संयुक्त प्रवर समितियों का काफी उपयोग होता है। प्राय. प्रत्येक महत्त्वपूर्ण विधेयक पर संयुक्त प्रवर समिति द्वारा ही विचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्थायी संयुक्त समितियों का भी इधर प्रचलन अधिक देखने में आता है, जैसा कि अध्याय 6 में बताया गया है। अब सदस्यों के भत्ते तथा लाभपदों के लिए संयुक्त समितियाँ विद्यमान हैं। इसके सिवा पुस्तकालय के लिए भी, यद्यपि संयुक्त समिति की व्यवस्था नहीं है, फिर भी सम्बन्ध समिति में लोक-लेखा समिति की तरह राज्य-सभा का सहयोग लिया जाता है। अभी हाल में नियुक्त सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति* में भी (यद्यपि वह संयुक्त नहीं है) लोक-सभा व राज्य-सभा दोनों के सदस्य हैं।

रूप में, शासन पर नियंत्रण व दो सदनों के बीच समन्वय के लिए संयुक्त समितियों के अधिकाधिक प्रयोग का सुझाव दिया है। 1950 में, कांग्रेस के पुनर्गठन विषयक एक प्रश्नावली के उत्तर में लोगों ने जो सुझाव दिए थे, उनमें संयुक्त समितियों के अधिक प्रयोग का सुझाव सबसे अधिक लोगों ने दिया था। (यहाँतक कि) 82 वीं कांग्रेस में लोगों ने ऐसे कितने ही प्रस्ताव और विधेयक कांग्रेस के सम्मुख पेश किए थे, जिनका उद्देश्य आयव्ययक, कांग्रेस का पुनर्गठन, आर्थिक विकास, वायु मार्ग-नीति आदि विषयों पर संयुक्त समितियों का निर्माण कराना था।"

* इस समिति की स्थापना 1961 में ही हो जाती, पर जब लोक-सभा में *इस तरह का प्रस्ताव लाया गया तो राज्य-सभा ने उस पर आपत्ति* उठाई और यह आग्रह किया कि समिति में राज्य सभा के भी सदस्य होने चाहिए।

(3) स्थायी समितियों में अधिक आस्था :—यह एक बिल्कुल ही नई प्रवृत्ति है। अमरीका व अन्य देशो मे पहले से ही स्थायी समितियाँ अधिक कार्यशील व महत्त्वपूर्ण रही हैं, पर इग्लैण्ड मे भी, जैसा कि वहाँ की 'सेलेक्ट कमेटी ऑन प्रोसिज्योर' के विभिन्न प्रतिवेदनो से प्रकट होता है, स्थायी समितियों के प्रति आस्था अधिक बढ़ रही है। 1945 मे, नियुक्त 'सेलेक्ट कमेटी ऑन प्रोसिज्योर' ने, अपने प्रतिवेदन मे कहा था 'अधिकतर सब विधेयक स्थायी समितियों को ही सौंपे जाने चाहिए। यथा सम्भव उतनी स्थायी समितियो नियुक्त की जाएँ, जितनी सभा के सामने आनेवाले विधेयको पर शीघ्रता से विचार करने के लिए आवश्यक हो।' इस सिफारिश के अनुरूप समितियो की सख्या वहाँ बढा कर 6 कर दी गई और सभा ने उनकी सदस्य-संख्या में भी वृद्धि की। 1958 की 'सेलेक्ट कमेटी ऑन प्रोसिज्योर' ने, इस दिशा मे वित्त-विधेयक के विषय मे पुन कहा है कि विधेयक पर 'कमेटी ऑफ दि होल हाउस' मे विचार होने की अपेक्षा उसके कुछ भागो पर स्थायी समितियों द्वारा विचार किया जाना चाहिए। हेराल्ड लास्की, रैम्जे म्योर, एमरी, आकलैण्ड, क्रिप्स, ग्रिमान्ड, हालिश, जेनिंग्स आदि ससद्-प्रक्रिया-विशारदो ने इन प्रवर समितियों के अतिरिक्त स्थायी समितियों के प्रयोग की भी माग की है। इन समितियो से यह लाभ होगा कि सदस्यो का ससदीय कार्यक्रम में ज्यादा हाथ रहेगा, जो विद्यमान प्रणाली मे नही रहता, क्योंकि जब विधेयको पर सभा में विचार होता है तो दलबन्दी शुरू हो जाती है और उनकी उपादेयता अथवा महत्ता के आधार पर सूक्ष्म विचार नही हो पाता। इस सम्बन्ध में 'हैन्डर्ड सोसाइटी' की 'पार्लियामेन्टरी रिफॉर्म' 1933-58 नामक पुस्तक के 'सर्वे ऑफ सजेस्टेड रिफॉर्म' मे समिति-प्रथा के सुधारो की चर्चा करते हुए कहा गया है :

> " जहाँ स्थायी समितियो के प्रति ससद् की अधिक आस्था दिखलाई देती है, वहाँ सम्पूर्ण समितियो सभाभागो के प्रति आस्था का ह्रास स्पष्ट प्रकट होता है, क्योंकि सम्पूर्ण सदन समितियो के अन्तर्गत एक सौ सदस्यो को हर विषय पर बहस में भाग लेने के लिए तैयार रहना पडता है, दूसरे इन समितियो की सदस्यता उन्हे अनुपयोगी बनाती है। इसका एक और कारण भी है और वह यह कि सभाभागो मे पर्ची डालकर सदस्य चुने जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनमे दलो का प्रतिनिधित्व उसी अनुपात मे नही रहता, जिस अनुपात मे सभा मे रहता है।

"यह स्पष्ट है कि पिछले कई सालों में, इस तरह की विभागीय समितियों की स्थापना के पक्ष में काफी आस्था रही है। यह भी स्पष्ट है कि इनका विरोध कम हुआ है। फिर भी समितियों की स्थापना सम्बन्धी निष्क्रियता के कारण, यह (यत्किंचित) विरोध अभी तक प्रबल सिद्ध हुआ है।

सम्भव है कि यह विरोध सदस्यों की इस आशंका का द्योतक हो कि कहीं उन्हें अपने अधिकार समिति को न देने पड़ें। कदाचित् तत्कालीन अध्यक्ष महोदय का यह कथन ठीक हो, जो उन्होंने 1931 में प्राक्कलनों के बारे में चर्चा करते हुए कहा था : 'यह सम्भव नहीं कि प्राक्कलनों पर आलोचना करने का अधिकार सदस्यों द्वारा एक छोटी समिति को सौंप दिया जाए।"

"यद्यपि राष्ट्रीय उद्योगों की जाँच के लिए सदन में एक विशेष समिति की नियुक्ति महत्वपूर्ण है। हाउस ऑफ कॉमन्स ने एक और स्थायी समिति स्थापित की है, जिसका नाम है 'वेल्श ग्रान्ड कमेटी। 'पार्लियामेंट एट वर्क' के लेखकों ने भी इसी प्रकार की धारणा व्यक्त की है। 1945 व 1948 की सेलेक्ट कमेटी ऑन प्रोसिज्योर की रिपोर्टों में इस बात पर काफी मतैक्य है कि सबके ससदीय सुधार के लिए समिति-प्रथा का अधिक प्रयोग होना चाहिए'।

कनाडा में भी इधर स्थायी समितियों के गठन किए जाने का कुछ विद्वानों ने आग्रह किया है। उनका कथन है कि सम्पूर्ण सदन समिति के स्थान पर, यदि स्थायी समितियाँ गठित की जाएँ तो पार्लियामेन्ट का काफी समय बच जाएगा। डॉसन* ने अपनी पुस्तक 'प्रोसिज्योर इन दि कैनेडियन हाउस ऑफ कॉमन्स' में लिखा

---

* डॉसन के शब्दों में *संसदीय नियमों में कोई परिवर्तन किए बिना* समितियों की प्रणाली में, जो एक सुधार किया जा सकता है, वह यह है कि प्रायः सभी सरकारी विधान विधेयकों को स्थायी समितियों के पास भेजा जाए। कुछ थोड़े से विधेयकों, जैसे बजट से सम्बन्धित तथा विनियोग विधेयकों को इस प्रकार की व्यवस्था से मुक्त किया जा सकता है। यदि शेष विधेयक समिति को सौंप दिए जाएँ तो सदन का बोझ कम हो जाएगा और समितियों की यह प्रतिष्ठा भी बढ़ जाएगी, जिसका आज पर्याप्त अभाव है"।

वह आगे और भी कहता है, निर्विरोध प्राक्कलनों के लिए स्थायी

है कि जब कभी कनाडा की समिति-प्रथा का पुनरावलोकन हो, वहां की वर्तमान विशिष्ट समितियां स्थायी समितियों मे परिवर्तित कर देनी चाहिए।

यह प्रवृत्ति भारत में भी नजर आती है, किन्तु समिति-व्यवस्था के सम्बन्ध मे अभी कोई खास परिवर्तन नहीं किया गया है। 'इन्डियन ब्यूरो ऑफ पार्लियामेन्टरी एफेयर्स' की एक विचारगोष्ठी में भाषण देते हुए लोक-सभा के भूतपूर्व सचिव तथा आजकल राज्य-सभा के सदस्य श्री एम० एन० कौल ने भावी संसदीय कार्यों का खाका खींचते हुए कहा था : 'संसद का समय अधिक आवश्यक व महत्वपूर्ण विषयों के लिए बचाया जाना चाहिए। संसद में नीति और सिद्धान्तों पर बहस होनी चाहिए न कि सूक्ष्म बातों पर। सूक्ष्म बातों पर विचार करने के लिए समितियों का अधिक उपयोग किया जाना चाहिए और समिति की व्यवस्था भी नए ढंग से की जानी चाहिए। उदाहरणार्थ, इन समितियों की बैठकों में पत्र-संवाददाताओं को जाने देना चाहिए और समिति की कार्यवाही प्रकाशित कर हर सदस्य को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसका परिणाम यह होगा कि जब सभा के सम्मुख समिति का प्रतिवेदन आएगा, तब लोगों को उन्ही बातों को पुनः दुहराने की इच्छा कम रहेगी। इसके साथ ही अध्यक्ष को यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि वह उन संशोधनों को अस्वीकार कर दे, जिनपर समिति द्वारा विचार किया जा चुका हो और जिन्हें वह महत्वपूर्ण नहीं समझता हो। इस प्रक्रिया को स्वीकार करने से सभा का बहुत सा समय बच जाएगा, क्योंकि कई समितियां एक साथ बैठ सकेंगी। इससे समाचार-पत्रों व जनता को वाद-विवाद की प्रगति की जानकारी रहेगी। इससे सदस्य भी अपने समय का अधिक उपयोग कर सकेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी रुचि के विधेयक सभा के सम्मुख आने तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। उपर्युक्त सारे सुझावों का यह अर्थ होगा कि सभा छोटी छोटी संस्थाओं के रूप में बैठ कर कार्य कर सकेगी। सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति व राज्य-सभा की अभी हाल में स्थापित अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, इसी प्रवृत्ति के उदाहरण हैं।

समितियों का उपयोग करने की वर्तमान प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया जा सकता है और विभागों के नियमित रूप से फेर-बदल की व्यवस्था की जा सकती है, जिससे कि सभी सेवाओं का प्रत्येक दो या तीन वर्षों की अवधि में परीक्षण किया जा सके।" (देखिए—'डैमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन कनाडा', डॉसन, पृष्ठ 253 और 228)

(4) उपसमितियों का व्यापक प्रसार :—उपसमितियो की प्रथा अमरीका मे बहुत दिनो से प्रचलित थी किन्तु अब वह और भी अधिक प्रचलित प्रतीत होती है। जिन उपसमितियो ने महत्त्वपूर्ण कार्य कर नाम कमाया है, उनमे निम्न उल्लेखनीय हैं: 1950 की 'सिनेट आर्म्ड सर्विसेज प्रिपेयर्डनैस सबकमेटी', 1950-51 की 'सब कमेटी ऑन बैंकिंग एण्ड करेन्सी' तथा 'सब कमेटी ऑफ दि हाउस ज्युडीशियरी कमेटी'। उपसमिति की प्रथा यहाँ इतनी अधिक विकसित हो चुकी है कि 1950-51 के काल मे निम्न तीन उपसमितियो ने अपने-अपने कार्य-सचालन के लिए स्वतन्त्र नियम बनाए थे :

(1) प्रोक्योरमेन्ट एण्ड बिल्डिंग्ज सबकमेटी ऑफ दि हाउस कमेटी ऑन एक्स्पेन्डीचर इन एक्जीक्यूटिव डिपार्टमेन्ट

(2) इनवेस्टीगेशन्स सबकमेटी ऑफ दि सीनेट कमेटी ऑन एक्स्पेन्डीचर इन एक्जीक्यूटिव डिपार्टमेन्ट, तथा

(3) सबकमेटी ऑफ दि सीनेट कमेटी ऑन आर्म्ड सर्विसेज

1950 मे, 'फॉरेन रिलेशन्स कमेटी' ने, इस दिशा मे एक और कदम उठाया था और वह था एक 'कन्सल्टेटिव सबकमेटी' की स्थापना। इस तरह की सलाहकारी उपसमितियाँ अब प्रत्येक विभाग के लिए नियुक्त की जाती हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, उपसमितियो से गणपूर्ति की समस्या हल होती है। दूसरे उपसमितियो के माध्यम से नए सदस्यो को भी महत्त्वपूर्ण कार्य करने का अवसर मिलता है।

उपसमितियो की उपादेयता के बारे मे, 'सीनेट एक्स्पेन्डीचर कमेटी' के प्रधान, सिनेटर जॉर्ज डी० ईकेन ने कहा है 'मेरे विचार मे यही (उपसमिति-व्यवस्था) हमारे कार्य की सबसे युक्तिसगत रीति है। इसमे जाँच व साक्ष्य के समय पूरी समिति की अपेक्षा बैठकें बुलाने मे कही कम झझट होती है। यह प्रथा काफी अच्छी तरह काम कर चुकी है और मैं उपसमिति-प्रथा के पक्ष मे हूँ।' इसी तरह सिनेटर ला फोलेट ने कहा है : 'मेरा ख्याल है कि विधेयक विशेष के लिए उपसमितियाँ नियुक्त करने के स्थान पर स्थायी उपसमितियाँ नियुक्त होनी चाहिए। विषय विशेष की पूर्णता या विशेषता की अपेक्षा वाले विधेयको के लिए, विधायको का भी विशेषज्ञ होना आवश्यक है। उपसमितियों से यह विशेषज्ञता प्राप्त होने मे

सहायता मिलती है। 'एक अन्य लेखक ने कहा है; 'ऐसे प्रश्नों पर, जिनमें अधिक विशेषज्ञता दिखलाने की जरूरत है, उपसमितियाँ विशेषज्ञता दिखलाने का मौका प्रदान करती हैं। वे पद्धति की प्रौढता में लोच लाने में भी मदद करती हैं, क्योंकि उससे पद्धति समिति के कम प्रौढ सदस्यों को विधान सम्बन्धी कार्य करने का मौका मिलता है।

भारत में भी इधर उपसमितियों के अधिक प्रयोग पर जोर दिया गया है। जहाँ पहले लोक-सभा की प्राक्कलन व लोक-लेखा-समितियाँ एक दो उपसमितियाँ नियुक्त करती थी, अब वे पांच अथवा छः उपसमितियाँ या अध्ययनगुट हर साल बनाती है। इसी तरह अन्य स्थायी समितियाँ भी उपसमितियों का अधिकाधिक प्रयोग करने लगी है। उपसमितियों के अधिक प्रयोग के लिए अभी काफी विस्तृत क्षेत्र है। पूर्वोक्त संसदीय विकास के प्रसंग में ही श्री कौल ने कहा है; 'अभी हमारे यहाँ दो समितियाँ है, जो प्राक्कलनों पर विचार करती हैं और लेखाओं की विस्तृत जाँच करती है। प्राक्कलनों की जाँच इतना विशाल कार्य है कि एक साल में केवल कुछ प्राक्कलनों की ही जाँच हो सकती है और अधिकांश प्राक्कलन बगैर जाँच के ही सभा द्वारा पारित हो जाते है। लेकिन यह जरूरी है कि संसदीय वित्तीय नियन्त्रण सूक्ष्म हो इसलिए प्राक्कलन-समिति में कई उपसमितियाँ नियुक्त करने की प्रथा अपनाई जानी चाहिए, जिसके अन्तर्गत एक-एक या अधिक मन्त्रालयों की स्वतन्त्र रूप से जाँच हो सके।...... ..इसी तरह लोक-लेखा-समिति को भी उपसमितियों के माध्यम से काम करना चाहिए, जो न केवल सरकारी व्यय व्यवहारों की जाँच करे, वरन् आय-व्यवहारों की भी जाँच करे। इस समय समिति के पास यह जानने का साधन नही है कि कर और शुल्क के रूप में सरकार को जो प्राप्तियाँ होनी चाहिएँ, वे प्राप्त हो गई हैं या नही। इसी तरह समिति मुख्यत नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत लेखा-परीक्षा-प्रतिवेदन के आधार पर ही आगे बढ़ती है। उसके पास स्वतन्त्र रूप से सरकारी मन्त्रालय या विभाग की जाँच करने का कोई साधन नही है। यदि वह उपसमिति के माध्यम से काम करे तो समिति का काम अधिक विस्तृत और प्रबल हो सकता है।

परिशिष्ट 1

कुछ विदेशों की संसदें व उनकी समितियाँ

इंग्लैंड : हाउस ऑफ कॉमन्स

(1) सपूर्ण सदन समितियाँ

(क) कमेटी ऑन बिल्स

(ख) कमेटी ऑन वेज मीन्स

(ग) कमेटी ऑन सप्लाई

(2) स्थायी समितियाँ

(क) स्काटिश स्टैंन्डिंग कमेटी

(ख) 5 अन्य स्थायी समितियाँ, जो क्रमश ए, बी सी, डी, ई समिति के नाम से ज्ञात है।

(3) प्रवर समितियाँ

(क) सेलक्ट कमेटी ऑन एस्टीमेट्स

(ख) सेलेक्ट कमेटी ऑन किचेन एण्ड रिफ्रेशमेन्ट रूम्स

(ग) सेलेक्ट कमेटी ऑन प्रिविलेजेस

(घ) सेलेक्ट कमेटी ऑन पब्लिक अकाउन्ट्स

(ङ) सेलेक्ट कमेटी ऑन पब्लिक पिटीशन्स

(च) सेलेक्ट कमेटी ऑन पब्लिकेशन्स, डिबेट एण्ड रिपोर्ट

(छ) सेलेक्ट कमेटी ऑन सेलेक्शन्स

(ज) सेलेक्ट कमेटी ऑन स्टैच्यूटरी इन्स्ट्रूमेन्ट्स

(झ) सेलेक्ट कमेटी ऑन स्टैन्डिंग आर्डर्स

(ञ) सेलेक्ट कमेटी ऑन अनअपोज्ड बिल्स

(ट) सेलेक्ट कमेटी ऑन आर्मी एक्ट एण्ड एयरफोर्स एक्ट

(ठ) सेलेक्ट कमेटी ऑन कोर्ट ऑफ रेफरीज

(ड) सेलेक्ट कमेटी ऑन हाउस ऑफ कॉमन्स एकॉमोडेशन

(ढ) सेलेक्ट कमेटी ऑन मेम्बर्स ऐक्स्पेन्सेज

(ण) सेलेक्ट कमेटी ऑन पोस्ट ऑफिस एण्ड स्टेट ओन्ड रेलवेज

नोट : इनके अतिरिक्त कभी-कभी दोनों सदनों की संयुक्त समितियां नियुक्त करने की प्रथा भी प्रचलित है।

अमरीका : हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव

(क) संपूर्ण सदन समितियां :

(1) कमेटी ऑफ दि होल ऑन प्राइवेट कैलेन्डर

(2) कमेटी ऑफ दि होल ऑन यूनियन कैलेन्डर

(ख) स्थायी समितियां :

(1) कमेटी ऑन एग्रीकल्चर

(2) कमेटी ऑन एप्रोप्रिएशन्स

(3) कमेटी ऑन आर्म्ड सर्विसेज

(4) कमेटी ऑन बैंकिंग एण्ड करेन्सी

(5) कमेटी ऑन पोस्ट ऑफिस एण्ड सिविल सर्विस

(6) कमेटी ऑन दि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलम्बिया

(7) कमेटी ऑन एजुकेशन एण्ड लेबर

(8) कमेटी ऑन एक्सपेन्डीचर इन दि एक्जीक्यूटिव डिपार्टमेन्ट

(9) कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स

(10) कमेटी ऑन हाउस एडमिनिस्ट्रेशन

(11) कमेटी ऑन इन्टर स्टेट एण्ड फॉरेन कॉमर्स

(12) कमेटी ऑन ज्युडिशियरी

(13) कमेटी ऑन मर्चेन्ट मेरीन एण्ड फिशरीज

(14) कमेटी ऑन पब्लिक लैन्ड

(15) कमेटी ऑन पब्लिक वर्क्स

(16) कमेटी ऑन रूल्स

(17) कमेटी ऑन अनअमरिकन एक्टीविटीज

(18) कमेटी ऑन वेटरन्स अफेयर्स

(19) कमेटी ऑन वेज एण्ड मीन्स

अमरीका : सीनेट

(क) स्थायी समितियाँ :

(1) कमेटी ऑन एग्रीकल्चर एण्ड फॉरेस्ट्री

(2) कमेटी ऑन एप्रोप्रियेशन्स

(3) कमेटी ऑन आर्म्ड सर्विसेज

(4) कमेटी ऑन बैंकिंग एण्ड करेन्सी

(5) कमेटी ऑन पोस्ट ऑफिस एण्ड सिविल सर्विस

(6) कमेटी ऑन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलम्बिया

(7) कमेटी ऑन गवर्नमेन्ट आपरेशन्स

(8) कमेटी ऑन फाइनेन्स

(9) कमेटी ऑन फॉरेन रिलेशन्स

(10) कमेटी ऑन इन्टरस्टेट एण्ड फॉरेन कॉमर्स

(11) कमेटी ऑन ज्युडिशियरी

(12) कमेटी ऑन लेबर एण्ड पब्लिक वेलफेयर

(13) कमेटी ऑन इन्टीरियर एण्ड इन्स्यूलर अफेयर्स

(14) कमेटी ऑन पब्लिक वर्क्स

(15) कमेटी ऑन रूल्स एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन

नोट : इनके अतिरिक्त दोनो सदनो की संयुक्त समितियाँ नियुक्त करने की भी प्रथा प्रचलित है

फ्रांस : नेशनल एसेम्बली तथा सीनेट

स्थायी समितियां :

(1) कमेटी ऑन इकॉनॉमिक अफेयर्स
(2) कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स
(3) कमेटी ऑन एग्रीकल्चर
(4) कमेटी ऑन ऐल्कोहलिक ड्रिंक्स
(5) कमेटी ऑन डिफेन्स
(6) कमेटी ऑन एज्यूकेशन
(7) कमेटी ऑन फैमिली, पब्लिक हेल्थ एण्ड पॉपुलेशन
(8) कमेटी ऑन फाइनेन्स
(9) कमेटी ऑन इन्टीरियर
(01) कमेटी ऑन जस्टिस
(11) कमेटी ऑन मर्चेन्ट मैरीन एण्ड फिशिंग
(12) कमेटी ऑन कम्यूनिकेशन्स ट्रांसपोर्ट एण्ड टूरिज्म
(13) कमेटी ऑन पेन्शन्स
(14) कमेटी ऑन रेडियो, सिनेमा एण्ड टेलीविजन
(15) कमेटी ऑन इन्डस्ट्रियल प्रोडक्सन एण्ड इनर्जी
(16) कमेटी ऑन फ्रैंचाइज रूल्स एण्ड कॉन्सटीट्यूशनल ला
(17) कमेटी ऑन रिकॉन्स्ट्रक्शन, वार डैमेज एण्ड हाउसिंग
(18) कमेटी ऑन लेबर एण्ड सोशल सिक्यूरिटी
(19) कमेटी ओवरसीज टेरिटरीज

अन्य समितियां :

(1) अकाउन्ट कमेटी
(2) कमेटी ऑन पार्लियामेन्टरी इम्यूनिटीज
(3) कमेटी ऑफ कोऑर्डिनेशन

(4) स्पेशल कमेटी (जो अनेक हैं)

नोट : इनके अतिरिक्त दोनो सदनो की संयुक्त समितियाँ व नेशनल एसेम्बली मे 10 सभाभाग नियुक्त करने की भी प्रथा प्रचलित है।

कनाडा : हाउस ऑफ कॉमन्स

स्थायी समितियाँ :

(1) कमेटी ऑन प्रिविलेजेज एण्ड इलेक्शन

(2) कमेटी ऑन रेल्वेज, कैनाल्स एण्ड टेलिग्राम लाइन्स

(3) कमेटी ऑन मिस्लेनियस प्राइवेट बिल्स

(4) कमेटी ऑन बैंकिंग एण्ड कॉमर्स

(5) कमेटी ऑन पब्लिक अकाउन्ट

(6) कमेटी ऑन एग्रीकल्चर एण्ड कॉलोनाइजेशन

(7) कमटी ऑन स्टैंन्डिग ऑर्डर्स

(8) कमेटी ऑन मैरीन एण्ड फ़िशरीज

(9) कमेटी ऑन माइन्स, फॉरेस्ट एण्ड वाटर्स

(10) कमेटी ऑन इन्डस्ट्रियल एण्ड इन्टरनेशनल रिशन्स

(11) कमेटी ऑन डिबेट्स

(12) कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स

(13) कमेटी ऑन एस्टीमेट्स

(14) कमेटी ऑन प्राइवेट बिल्स

(15) कमेटी ऑन रेस्टोरेन्ट

(16) कमेटी ऑन वेटरन्स अफेयर्स

(17) कमेटी ऑन लाइब्रेरी

(18) कमेटी ऑन प्रिंटिंग

सम्पूर्ण सदन समितियाँ :

(1) कमेटी ऑन वेज एण्ड मीन्स

(2) कमेटी ऑन सप्लाई

नोट : इनके अतिरिक्त वहाँ प्रवर समितियाँ तथा संयुक्त समितियाँ बनाने की भी प्रथा प्रचलित है।

सीनेट :

स्थायी समितियाँ :

(1) कमेटी ऑन स्टैंन्डिंग ऑर्डर्स

(2) कमेटी ऑन बैंकिंग एण्ड कॉमर्स

(3) कमेटी ऑन रेल्वेज, टैलिग्राफ एण्ड हार्बर्स

(4) कमेटी ऑन मिसलेनियस प्राइवेट बिल्स

(5) कमेटी ऑन इन्टर्नल इकॉनॉमी एण्ड रिपोर्टिंग

(6) कमेटी ऑन डिबेट एण्ड रिपोर्टिंग

(7) कमेटी ऑन डाइवोर्स

(8) कमेटी ऑन रेस्टोरेन्ट

(9) कमेटी ऑन एग्रीकल्चर एण्ड फॉरेस्ट्री

(10) कमेटी ऑन इरिगेशन एण्ड लेबर

(11) कमेटी ऑन ट्रेड रिलेशन्स

(12) कमेटी ऑन सिविल सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन

(13) कमेटी ऑन पब्लिक हेल्थ इन्स्पेक्शन ऑफ फूड

(14) कमेटी ऑन पब्लिक बिल्डिंग्ज एण्ड गुड्स

संयुक्त समितियाँ :

(1) ज्वाइन्ट कमेटी ऑफ दि लाइब्रेरी ऑफ पार्लियामेन्ट

(2) ज्वाइन्ट कमेटी ऑफ दि प्रिंटिंग ऑफ पब्लिकेशन्स

आस्ट्रेलिया : हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव

स्थायी समितियाँ :

(1) स्टैंन्डिंग कमेटी ऑन हाउस

(2) स्टैन्डिंग कमेटी ऑन लाइब्रेरी

(3) स्टैन्डिंग कमेटी ऑन प्रिंटिंग

(4) स्टैन्डिंग कमेटी ऑन प्रिविलेजेज

(5) स्टैन्डिंग कमेटी ऑन स्टैन्डिंग ऑर्डर्स

सम्पूर्ण सदन समितियाँ :

(1) कमेटी ऑन सप्लाई

(2) कमेटी ऑन वेज एण्ड मीन्स

संयुक्त समितियाँ :

(1) ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी ऑन बिल्स

(2) ज्वाइन्ट कमेटी ऑन पब्लिक अकाउन्ट्स

नोट संयुक्त सदन समितियों के दो प्रकार हैं—एक अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त संयुक्त सदन समिति और दूसरी अन्य सामान्य प्रकार की समिति जैसे पार्लियामेन्टरी स्टैन्डिंग कमेटी ऑन पब्लिक वर्क्स, ज्वाइन्ट कमेटी ऑन दि ब्राडकास्टिंग ऑफ पार्लियामेन्टरी प्रोसीडिंग्स ।

अन्य :

(1) सेलेक्ट कमेटी ऑन बिल्स

सीनेट :

स्थायी समितियाँ :

(1) स्टैन्डिंग ऑर्डर्स कमेटी

(2) लाइब्रेरी कमेटी

(3) हाउस कमेटी

(4) प्रिंटिंग कमेटी

(5) रेग्यूलेशन्स एण्ड आर्डिनेंसेज कमेटी

(6) डिस्प्यूटेड रिटर्न्स एण्ड क्वालिफिकेशन्स कमेटी

सम्पूर्ण सदन समिति :

(1) कमेटी ऑफ दि होल सीनेट

नोट : इनके अतिरिक्त वहाँ ऐसे विषयों पर जो स्थायी समितियों के अन्तर्गत न आते हों, प्रवर समिति नियुक्त करने की प्रथा है। ये प्रवर समितियाँ सयुक्त प्रवर समितियाँ भी हो सकती हैं।

आयरलैण्ड : डायल ऐरिन (निम्न सदन)

सम्पूर्ण सदन समितियाँ :

(1) कमेटी ऑन वेज एण्ड मीन्स

(2) कमेटी ऑन सप्लाई

(3) फाइनेन्स कमेटी

स्थायी समितियाँ :

(1) कमेटी ऑन पब्लिक अकाउन्ट्स

(2) कमेटी ऑन पब्लिक पिटीशन्स

प्रवर समितियाँ :

(1) सेलेक्ट कमेटी ऑन लाइब्रेरी

(2) सेलेक्ट कमेटी ऑन रेस्टोरेन्ट

(3) सेलेक्ट कमेटी ऑन कन्सॉलिडेशन बिल्स

(4) सेलेक्ट कमेटी ऑन सेलेक्शन ऑफ मेम्बर्स फॉर कमेटीज

(5) सेलेक्ट कमेटी ऑन प्रोसिज्योर एण्ड प्रिविलेजेज

(6) सेलेक्ट कमेटी ऑन प्राइवेट बिल्स, स्टैंडिंग ऑर्डर्स

स्यान ऐरिन :

प्रवर समितियाँ :

(1) सेलेक्ट कमेटी ऑन लाइब्रेरी

(2) सेलेक्ट कमेटी ऑन रेस्टोरेन्ट

(3) सेलेक्ट कमेटी ऑन कन्सॉलिडेशन बिल्स

(4) सेलेक्ट कमेटी ऑन सेलेक्शन

(5) सेलेक्ट कमेटी ऑन प्रोसिज्योर एण्ड प्रिविलेजेज

(6) सेलेक्ट कमेटी ऑन प्राइवेट बिल्स, स्टैंडिंग ऑर्डर्स

नोट : इसके अतिरिक्त दोनो सदनो मे विशिष्ट समितियो के नियुक्त करने की भी प्रथा प्रचलित है । 'प्राइवेट बिल्स' के सम्बन्ध मे संयुक्त समितियाँ नियुक्त करने की भी प्रथा है ।

नीदरलैण्ड : फर्स्ट चेम्बर*

स्थायी समितियाँ :

(1) कमेटी ऑन डोमेस्टिक मैटर्स
(2) कमेटी ऑन स्टेनोग्राफिक सर्विसेज
(3) क्रिडेन्शियल्स कमेटी
(4) कमेटी ऑन इनफॉर्मेशन ऑन फॉरेन अफेयर्स
(5) कमेटी ऑन इन्टरफार्मेशन इकॉनॉमिक कोऑपरेशन
(6) कमेटी ऑन इन्डोनेशियन एण्ड डच वेस्ट-इन्डीज अफेयर्स

सेकन्ड चेम्बर*

स्थायी समितियाँ :

(1) कमेटी ऑन डोमेस्टिक मैटर्स
(2) कमेटी ऑन स्टेनोग्राफिक सर्विसेज
(3) क्रिडेन्शयल्स कमेटी
(4) कमेटी ऑन इनफॉर्मेशन ऑन फॉरेन अफेयर्स
(5) कमेटी ऑन इन्टरनेशनल इकॉनॉमिक कोऑपरेशन
(6) कमेटी ऑन इन्डोनेशियन एण्ड डच वेस्ट-इन्डीज अफेयर्स
(7) बजट कमेटी

नोट इन स्थायी समितियो के अतिरिक्त दोनो सदनो मे 4 सभाभाग (सेक्शन्स) नियुक्त करने की भी प्रथा प्रचलित है ।

---

* इनका डच भाषा में नाम क्रमश 'एर्स्टे कामे' तथा 'द्वे डे कामे' है ।

फिनलैण्ड : डायट

स्थायी समितियाँ :

(1) कमेटी ऑन फन्डामेन्टल लाज

(2) कमेटी ऑन लाज

(3) कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स

(4) कमेटी ऑन फाइनेन्स

(5) कमेटी ऑन बैंक

(6) कमेटी ऑन इकॉनोमिक्स

(7) कमेटी ऑन ला एण्ड इकॉनोमी

(8) कमेटी ऑन कल्चरल अफेयर्स

(9) कमेटी ऑन एग्रीकल्चर

(10) कमेटी ऑन लबर

(11) कमेटी ऑन कम्यूनिकेशन्स एण्ड डिफेन्स

नोट : इनके अतिरिक्त समय-समय पर अन्य विशेष समितियों के नियुक्त करने की भी प्रथा प्रचलित है।

लक्सेम्बर्ग : चेम्बर

स्थायी समितियाँ :

(1) कमेटी ऑन अकाउन्ट

(2) कमेटी ऑन पेटीशन्स

अन्य : इन स्थायी समितियों के अतिरिक्त 3 सभाभाग (सेक्शन्स) व समय-समय पर अन्य विशेष समितियाँ भी नियुक्त की जाती हैं।

नार्वे : स्टूर्टिगेट तथा उन्लेस्टिगेट

स्थायी समितियाँ :

(1) कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन

(2) कमेटी ऑन फाइनेन्स स्टम्स

(3) कमेटी ऑन जस्टिस

(4) कमेटी ऑन चर्च एण्ड एजुकेशन

(5) कमेटी ऑन म्युनिसिपल अफेयर्स

(6) कमेटी ऑन एग्रीकल्चर

(7) कमेटी ऑन मिलिट्री

(8) कमेटी ऑन कम्यूनिकेशन्स

(9) कमेटी ऑन नेविगेशन एण्ड फिशरीज

(10) कमेटी ऑन फॉरेस्ट वाटरकोर्स एण्ड इन्डस्ट्री

(11) कमेटी ऑन सोशल अफेयर्स

(12) कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स

अन्य :

(1) प्रोटोकॉल कमेटी
(2) क्रिडेन्शियल्स कमेटी
(3) इलेक्शन्स कमेटी

नोट : इनके सिवा समय-समय पर विशेष समितियाँ नियुक्त करने की भी प्रथा प्रचलित है।

स्वीडेन : रिक्स्डेग

स्थायी समितियाँ :

(1) कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स

(2) कमेटी ऑन दि कान्स्टीट्यूशन

(3) कमेटी ऑन सप्लाई

(4) कमेटी ऑफ वेज एण्ड मीन्स

(5) कमेटी आन बैंकिंग

(6), (7), (8) कमेटी ऑन लाज (तीन समितियाँ)

(9) कमेटी ऑन एग्रीकल्चर

(10) कमेटी ऑन मिस्लेनियस अफेयर्स

अन्य : इनके अतिरिक्त कुछ विशेष समितियाँ नियुक्त करने की प्रथा भी वहाँ प्रचलित है।

डेनमार्क : फलवेटिंगेट*

स्थायी समितियाँ :

(1) कमेटी ऑन स्टैन्डिग ऑर्डर्स

(2) कमेटी ऑन पेटीशन्स

(3) कमेटी ऑन दि रिपोर्टस ऑफ दि स्टेट आडिटर्स

(4) कमेटी ऑन इलेक्शन्स ऑफ मेम्बर्स

(5) कमेटी ऑन फाइनेन्स

(6) कमेटी ऑन बिल्स रिलेटिंग टु दि सैलेरीज ऑफ सिविल सर्वेन्ट्स

अन्य :

(1) पार्लियामेन्टरी कमेटी

जापान : श्यूगीइन तथा सागीइन**

(1) कमेटी फॉर केबिनेट

(2) कमेटी फॉर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन

(3) कमेटी फॉर ज्युडिशियल अफेयर्स

(4) कमेटी फॉर फॉरेन अफेयर्स

---

* कुछ वर्ष पूर्व डेनमार्क में एक दूसरी सभा भी हुआ करती थी, जिसका नाम लागस्टिंगेट था। उसमें निम्न स्थायी समितियाँ हुआ करती थीं :

(1) कमेटी ऑन स्टैन्डिग ऑर्डर्स, (2) कमेटी ऑन पेटीशन्स (3) कमेटी ऑन दि रिपोर्ट ऑफ स्टेट आडिटर्स, (4) कमेटी ऑन इलेक्शन्स ऑफ मेम्बर्स, कमेटी ऑन फाइनेन्स (6) कमेटी ऑन बिल्स रिलेटिंग टु दि सैलेरी ऑफ सिविल सर्वेन्ट्स।

** ये जापान के 'डायट', जिसका जापानी नाम 'कोककई' है की दो सभाएँ हैं, जैसी भारत में लोकसभा और राज्य-सभा।

(5) कमेटी फॉर फाइनेन्स

(6) कमेटी फॉर एजुकेशन

(7) कमेटी फॉर सोशल एन्ड लेबर अफेयर्स

(8) कमेटी फॉर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एण्ड फिशरीज

(9) कमेटी फॉर कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्री

(10) कमेटी फॉर ट्रासपोर्ट

(11) कमेटी फॉर कम्यूनिकेशन्स

(12) कमेटी फॉर कन्स्ट्रक्शन

(13) कमेटी फॉर बजट

(14) कमेटी फॉर आडिट

(15) कमेटी फॉर मैनेजमेन्ट

(16) *कमेटी फॉर डिसिप्लिनरी मैटर्स*

नोट : इनके अतिरिक्त दोनो सदनो मे विशेष उद्देश्यो के लिए प्रवर समितियाँ तथा दोनो सदनो की एक सयुक्त समिति नियुक्त करने की भी प्रथा है ।

सीलोन : (श्रीलका) हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव

विशेष समितियाँ :

(1) कमेटी ऑफ सेलेक्शन

(2) हाउस कमेटी

(3) स्टैन्डिंग ऑर्डर्स कमेटी

(4) *पब्लिक अकाउन्ट कमेटी*

(5) पब्लिक पेटीशन्स कमेटी

अन्य : इनके अतिरिक्त यहाँ सपूर्ण सदन समिति, विधेयको पर विचार करने के लिए स्थायी समितियाँ तथा प्रवर समितियाँ भी नियुक्त करने की प्रथा है ।

साउथ अफ्रीका : हाउस ऑफ एसेम्बली

सम्पूर्ण समितियाँ :

(1) कमेटी ऑन सप्लाई

(2) कमेटी ऑन वेज एण्ड मीन्स

प्रवर समितियाँ :

(1) सेलेक्ट कमेटी ऑन अनअपोज्ड प्राइवेट बिल्स

(2) सेलेक्ट कमेटी ऑन अपोज्ड प्राइवेट बिल्स

अन्य :

(1) प्रिंटिंग कमेटी

(2) बिजिनेस कमेटी

(3) कमेटी ऑन स्टैंडिंग रूल्ड एण्ड ऑर्डर्स

(4) पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी

(5) रेलवेज एण्ड हारबर्स कमेटी

(6) पेन्शन्स ग्रान्ट्स एण्ड ग्रेचुइटीज कमेटी

(7) क्राउन लैंड्स कमेटी

(8) नेटिव अफेयर्स कमेटी

(9) इरिगेशन मैटर्स कमेटी

(10) इन्टरनल अरेंजमेन्ट्स कमेटी

(11) लाइब्रेरी ऑफ पार्लियामेन्ट कमेटी

इज़रायल : नेसेट

स्थायी समितियाँ :

(1) नेसेट कमेटी

(2) फाइनेन्स कमेटी

(3) इकॉनॉमिक कमेटी

परिशिष्ट 2

भारतीय संसद् की तदर्थ समितियाँ

स्वतन्त्रता के पहले भारत की सेन्ट्रल लेजिस्लेटिव एसेम्बली में तदर्थ समितियों का बहुत कम प्रयोग हुआ करता था। प्रवर समितियों को यदि छोड़ दिया जाए तो केवल एक ही समिति ऐसी थी, जो समय-समय पर नियुक्त की जाती थी और काम खत्म होने के बाद समाप्त हो जाती थी। यह थी रेलवे अभिसमय समिति। स्वतन्त्रता के उपरान्त संसदीय गतिविधियों के अधिक क्रियाशील होने के परिणामस्वरूप पिछले 10 वर्षों में 8 तदर्थ समितियाँ नियुक्त हो चुकी हैं। नीचे इन्हीं तदर्थ समितियों का परिचय दिया गया है :

(1) **रेल अभिसमय समितियाँ :**—1924 में, लेजिस्लेटिव एसेम्बली ने, एक प्रस्ताव पारित किया था कि रेलवे विभाग का वित्त, सामान्य वित्त से अलग कर दिया जाए व रेलवे विभाग द्वारा सामान्य वित्त खाते में एक निश्चित दर पर लाभांश दिया जाना चाहिए। 1943 में, जब सरकार द्वारा लाभांश की दर तय करने के लिए एसेम्बली में एक प्रस्ताव लाया गया तो सदस्यों के भारी विरोध के कारण रेल-मन्त्री को झुकना पड़ा और उन्हें यह प्रस्ताव लाना पड़ा कि दर निश्चित करने के लिए एसेम्बली के सदस्यों की एक समिति नियुक्त की जाए। इस ने, अपने प्रतिवेदन में दर के सम्बन्ध में विचार प्रकट करने के अतिरिक्त यह भी सिफारिश की थी कि इसी प्रकार हर पाँचवें साल एक संसदीय समिति नियुक्त की जानी चाहिए। इसी सिफारिश के अनुरूप 1943 से हर पाँचवें साल रेल अभिसमय समिति नियुक्त होती रही है। 1949 की रेल अभिसमय समिति के अध्यक्ष, लोक-सभा के अध्यक्ष श्री मावलंकर थे। 1954 की अभिसमय समिति के सभापति, लोक-सभा के उपाध्यक्ष श्री अनन्तशयनम् आयंगार थे 1954 के बाद 1959 में पुन अभिसमय समिति नियुक्त होनी चाहिए थी, पर 1959-60 का रेल आयव्ययक पेश करते समय, रेल-मन्त्री ने सभा को सूचित किया कि चूँकि तृतीय पंच-वर्षीय योजना 1961-62 से, आरम्भ होनेवाली है, अतएव अभिसमय समिति 1960 में नियुक्त करने का विचार है, ताकि रेल-वित्त व्यवस्था भी पंचवर्षीय योजना के अनुरूप

हो सके। इस विचार के अनुरूप 22 अप्रैल, 1960 को एक नवीन रेल अभिसमय समिति नियुक्त की गई।

समिति की नियुक्ति सभा द्वारा संकल्प पारित कर की जाती है। संकल्प में ही यह उल्लेख होता है कि लोक-सभा के कितने सदस्य होंगे व राज्य-सभा के कितने। पिछली समिति के 18 सदस्य थे, जिनमें 12 लोक-सभा व 6 राज्य-सभा के थे। समिति के सदस्य राज्य-सभा और लोक-सभा के अध्यक्षों द्वारा नाम-निर्देशित किए जाते हैं। समिति के प्रतिवेदन पर, सभा में बहस होती है तथा समिति की सिफारिशें स्वीकार करने के लिए सभा में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, जिसके अनुसार रेल-वित्त व सामान्य वित्त के सम्बन्ध नए सिरे से निश्चित किए जाते हैं।

(2) सदस्य के आचरण पर विचार करने के लिए नियुक्त समिति:— संसदीय इतिहास में स्वयं संसद्-सदस्य के व्यवहार की जाँच करने की आवश्यकता विरले ही उठती है। इंग्लैण्ड के इतने पुराने संसदीय इतिहास में भी केवल एक ही ऐसा अवसर आया था जब कि जाँच की आवश्यकता प्रतीत हुई थी; वह अवसर था, मिस्टर आर० आई० जी० बूथबी विषयक मामले का। यद्यपि भारतीय संसदीय व्यवस्था का इतिहास केवल 50 साल पुराना है, फिर भी इसी अल्पावधि में सन् 1950 में एक ऐसा अवसर आया जब तत्कालीन संसद्-सदस्य श्री एच० जी० मुद्गल के आचरण की जाँच किए जाने की आवश्यकता पड़ी। इंग्लैण्ड की पद्धति का अनुकरण करते हुए जाँच के लिए भी एक संसदीय समिति की नियुक्ति की गई, जिसमें लोक-सभा के चार सदस्य (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी, प्रो० के० टी० शाह, सैयद नौशेरअली तथा श्री काशीनाथ राव वैद्य) थे। समिति 8 जून, 1951 के एक प्रस्ताव द्वारा नियुक्त की गई थी। प्रस्ताव में ही समिति के सदस्यों की संख्या, गणपूर्ति के नियम तथा साक्ष्य लेने के अधिकारों की चर्चा थी। प्रस्ताव में यह भी बताया गया था कि अध्यक्ष को समय-समय पर समिति को आदेश देने का अधिकार रहेगा।

संक्षेप में, श्री मुद्गल का अपराध यह था कि उन्होंने बम्बई के सराफा बाजार के सम्बन्ध में तेजी व्यापार मुद्राक शुल्क आदि का सभा में प्रचार किया था, जो सभा की प्रतिष्ठा के खिलाफ तथा सदस्यों के आचरण के स्तर से निम्न था।

समिति की कई बैठकें हुई थी, जिनमे उसने श्री मुद्गल और अन्य लोगों की साक्ष्य ली थी। समिति ने, अपनी कार्यप्रक्रिया के विस्तृत नियम बनाए थे, जैसे सारी साक्ष्य शपथ ग्रहण कर ली जानी चाहिए, समिति की बैठकें गुप्त होनी चाहिएँ, आदि।

समिति ने, अपना प्रतिवेदन 25 जुलाई, 1951 को अध्यक्ष को पेश किया था, जो सभा के सम्मुख 11 अगस्त को पेश किया गया था। समिति का प्रतिवेदन 24 सितम्बर को, सभा द्वारा बहस के बाद स्वीकृत कर लिया गया। जिस समय बहस समाप्त होने को थी श्री मुद्गल ने अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को दे दिया। त्यागपत्र के कारण समिति ने श्री मुद्गल को सदन से निष्कासित करने की सिफारिश की जो लागू न हो सकी, पर सभा ने यह प्रस्ताव पारित किया कि श्री मुद्गल सदन से निष्कासित किए जाने योग्य थे और उनका इस प्रकार त्यागपत्र देना लोक-सभा का अपमान किए जाने जैसा है।

(3) सदस्यों के लाभ-पदों सम्बन्धी समिति

यह समिति राज्य-सभा के अध्यक्ष की सलाह से, लोक-सभा के अध्यक्ष ने 24 अगस्त, 1954 को नियुक्त की थी। समिति का उद्देश्य था, संविधान के अनुच्छेद 102 (1) के अनुसार संसद् सदस्यों के अनर्हता सम्बन्धी विविध प्रश्नों पर विचार करना। विचार-विमर्श कर एक बृहत् अधिनियम का किस तरह निर्माण किया जाए, यह सुझाव देना भी समिति का उद्देश्य था। समिति के 15 सदस्य थे, जिनमें लोक-सभा के 10 व राज्य-सभा के 5 सदस्य थे।

लगभग 200 समितियों व राज्य व केन्द्रीय सरकार के आधीन अन्य संस्थाओं में संसद सदस्यों के होने के प्रश्न के अतिरिक्त इस समिति ने यह भी जाँच की थी कि लाभ के पद के बारे में क्या सिद्धान्त निश्चित होना चाहिए। समिति ने इस सम्बन्ध मे जो सिद्धान्त बनाए थे, वे इस प्रकार हैं :

वेतन की दृष्टि से निम्न पद लाभ-पद समझे जाने चाहिएँ —

(क) ऐसा पद, जहाँ उस पद से प्राप्त वेतन, भले ही सदस्य के अपने स्थायी व्यवसाय के न कर पाने या उससे नुकसान होने से कम हो।

(ख) ऐसा पद, जिसमें वेतन की व्यवस्था हो, भले ही सदस्य स्वयं वेतन न लेता हो।

(ग) ऐसा पद, जिसमे वेतन की व्यवस्था हो, भले ही वेतन देना व्यवहार मे नही रह गया हो।

(घ) ऐसा पद, जिसके लिए व्यय भले ही सरकारी कोष से न किया जाता हो।

(ङ) ऐसा पद, जो भले ही पैसे के रूप मे पदाधीन कोई लाभ न पहुँचाता हो, पर जो सदस्य को एक विशेष सम्मान या महत्व प्रदान करता हो।

समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि एक वृहत् विधेयक सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उक्त विधेयक अब अधिनियम बन चुका है और वह संसद् (अनर्हता-निवारण) अधिनियम, 1959 के नाम से ज्ञात है।

समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि इन सस्थाओ के अतिरिक्त भविष्य मे, जो लाभ-पद निर्धारित किए जाएँगे, उनके सम्बन्ध मे जाँच करने के लिए एक स्थायी ससदीय समिति नियुक्त की जानी चाहिए। इसी सिफारिश के अनुरूप अब एक संयुक्त लाभ-पद समिति नियुक्त की गई है।

(4) पंचवर्षीय योजना के मसौदे पर विचार करने के लिए नियुक्त संसदीय समितियाँ

संसदीय समितियो की नियुक्ति भारतीय संसदीय समितियो के इतिहास में एक नवीन प्रयोग है। जिस समय द्वितीय पचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार हो *रहा था, संसद के कई सदस्यो ने यह इच्छा प्रकट की कि योजना पर अपने विचार* प्रकट करने का उन्हें भी अवसर मिलना चाहिए। सभा के पास इतना समय न था *कि योजना के विभिन्न पहलुओ पर सभा मे विस्तार से विचार किया जा सके।* अतएव कार्य मन्त्रणा समिति ने यह सिफारिश की कि संसद् की कुछ तदर्थ समितियाँ *नियुक्त की जाएँ, जो मसौदे पर विचार कर सकें। लोक-सभा के इस निर्णय के* बाद राज्य-सभा में भी यह प्रस्ताव पारित किया गया कि इस तरह की समितियाँ *बनाई जाएँ। तदनुसार 14 मई 1956 को, चार समितियाँ, समिति 'ए', समिति* 'बी', समिति 'सी', तथा समिति 'डी', के नाम से नियुक्त की गईं।

समिति के सदस्यों की संख्या इस प्रकार थी :

समिति	राज्य-सभा	लोक-सभा	कुल
समिति 'ए'	20	60	80
समिति 'बी'	37	77	114
समिति 'सी'	×	×	91
समिति 'डी'	32	47	79

समिति की नियुक्ति, सभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अन्तर्गत की गई थी। समितियों को, जो विषय सौंपे गए वे इस प्रकार थे :

समिति 'ए' : नीति

समिति 'बी' : खनिज उद्योग, यातायात तथा संचार।

समिति 'सी' : भूमि-सुधार, कृषि, जिसके अन्तर्गत पशु-पालन भी शामिल है।

समिति 'डी' : समाज-सेवा, श्रम-नीति, आयोजना के लिए जन-सहयोग।

यह उल्लेखनीय है कि समिति 'ए' की 3 बैठकें हुईं। समिति 'बी' की 7 बैठकें हुईं, जो 2 आरम्भिक बैठकों के अतिरिक्त थीं। समिति 'सी' की 6 बैठकें हुईं, जिनके अतिरिक्त उसकी एक आरम्भिक बैठक भी हुई थी। समिति 'डी' की 7 बैठकें हुई थीं, जिनके अतिरिक्त उसकी एक आरम्भिक बैठक हुई थी।

समिति के प्रतिवेदन के विषय में एक नवीन पद्धति अपनाई गई थी। समिति ने कोई प्रतिवेदन सभा के समक्ष पेश नहीं किया, वरन् उसकी कार्यवाही का विस्तृत लेखा सभा-पटल पर रखा गया था। इसके अतिरिक्त समितियों को जो सामग्री सरकार ने दी थी, उसकी प्रतियाँ भी संसद्-पुस्तकालय में रखवाई गई थीं, ताकि सारे सदस्य उसे देख सकें। तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिए भी इसी तरह की पद्धति अपनाई गई थी। इस समिति की 5 उपसमितियाँ थीं।

(5) संसद् भवन में लगाए जानेवाले शिलालेखों पर विचार करने के लिए नियुक्त समिति :

यह समिति अध्यक्ष द्वारा 27 अप्रैल, 1956 में नियुक्त की गई थी।

समिति अपना काम पूरा होने पर भंग कर दी गई। समिति के 3 सदस्य थे। अध्यक्ष समिति का सभापति था। समिति का उद्देश्य संसद्-भवन के लिए उपयुक्त शिलालेख चुनना था।

(6) संसदीय विधि सम्बन्धी तथा शासकीय शब्दावली के पर्यायवाची हिन्दी शब्द निर्माण करने के लिए नियुक्त समिति :

शासकीय, संसदीय तथा कानूनी शब्दों के पर्यायवाची हिन्दी शब्द निर्धारित करने के लिए संविधान-सभा ने 1949 में एक विशेषज्ञ-समिति नियुक्त की थी। 1953 तक इस समिति ने लगभग 26,000 शब्द संकलित किए, जिनमें से अन्तिम रूप देनेवाली समिति ने करीब 5,000 शब्द प्रमाणित भी कर दिए। 1953 में समिति के सदस्यों के अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण समिति भंग कर दी गई थी।

21,000 शब्दों पर विचार करना बाकी रह गया था। अतएव 25 मई, 1956 को लोक-सभा के अध्यक्ष ने, राज्य-सभा के अध्यक्ष की सलाह से एक और संसदीय समिति नियुक्त करने का निश्चय किया। समिति के नियुक्ति-आदेश में यह बताया गया था कि समिति के 11 सदस्य होंगे। समिति को, उपसमितियाँ नियुक्त करने का भी अधिकार दिया था। समिति को यह निर्देश दिया गया था कि वह 8 महीने की अवधि में अध्यक्ष को अपना प्रतिवेदन पेश करेगी। समिति के 38 सदस्य थे और उसके सभापति थे श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन। समिति ने अपनी रिपोर्ट 23 मार्च, 1957 को लोक-सभा के अध्यक्ष को पेश की और उसी दिन समिति बरखास्त हो गई।

(7) राज-भाषा के प्रश्न पर विचार करने के लिए नियुक्त संसदीय समिति :

यह समिति अपने तरह की अकेली समिति थी। सभी संसदीय समितियाँ (कम से कम भारत में) जैसा कि पाठकों ने अध्याय—6 में पढ़ा होगा, संसद में पारित प्रस्ताव द्वारा अथवा लोक सभा या राज्य सभा के कार्य-प्रक्रिया-नियमों के अनुसार स्थापित हुआ करती हैं। वस्तुतः यह समिति एक ऐसी समिति थी, जिसके बारे में स्वयं संविधान में व्यवस्था है। संविधान के अनुच्छेद 344 (4) में विहित है कि संविधान के प्रारम्भ में 5 वर्ष बाद व तदुपरान्त 10 वर्ष पश्चात् राष्ट्रपति

एक ऐसा आयोग नियुक्त करेंगे, जो हिन्दी की प्रगति व तत्सम्बन्धी अन्य विषयों पर विचार करेगा। इसी अनुच्छेद के खण्ड 4 में आगे यह भी विहित है कि जब उपर्युक्त आयोग अपना प्रतिवेदन पेश कर देगा, तब संसद्-सदस्यों की एक समिति नियुक्त की जाएगी, जिसमें 20 सदस्य लोक-सभा के व 10 सदस्य राज्य-सभा के होंगे। यह समिति आयोग की सिफारिशों पर विचार करेगी व राष्ट्रपति को अपना तत्सम्बन्धी मत व्यक्त करेगी।

इसी व्यवस्था के अनुसार 3 सितम्बर, 1957 को गृह-मन्त्री ने एक प्रस्ताव पेश किया और तदनुसार समिति की नियुक्ति हुई। जहाँ अन्य समितियों की कार्य-वाही सदन के कार्य-प्रक्रिया-नियमों के अनुसार होती है, वहाँ इस समिति ने अपने कार्य-प्रक्रिया-नियम स्वयं बनाए थे। समिति की कुल 26 बैठकें हुई थीं। समिति का प्रतिवेदन 8 फरवरी, 1959 को पेश किया गया था। यह उल्लेखनीय है कि जहाँ अन्य सभी संसदीय समितियों के प्रतिवेदन सभा को पेश किए जाते हैं, इस समिति का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को पेश किया गया था।

(8) राज्य-सभा के लिए प्रक्रिया-नियम बनाने के लिए नियुक्त समिति.

इस समिति की स्थापना 7 सितम्बर, 1962 को हुई थी। लोक-सभा के प्रक्रिया-नियम 1954 में बन चुके थे, पर राज्य-सभा के प्रक्रिया-नियम करीब 12 साल पहले संविधान-सभा के काल में बने थे। अतएव उन पर पुनः विचार कर संविधान के 118 वें अनुच्छेद के अनुसार इस समिति की स्थापना की गई। समिति के 15 सदस्य थे तथा उपाध्यक्ष इस समिति का सभापति था,

समिति ने, राज्य-सभा की संविधानीय शक्तियों तथा लोक-सभा के प्रक्रिया नियमों को ध्यान में रख नवम्बर 1963 में अपना प्रतिवेदन पेश किया।

समिति के प्रतिवेदन के फलस्वरूप अब राज्य-सभा में नवीन प्रक्रिया नियम लागू है।

समिति की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

(1) सरकार को दोनों सदनों में, इस प्रकार विधेयक सम्बन्धी कार्यक्रम बनाना चाहिए कि दोनों सदनों के बीच कार्य का समान रूप से वितरण हो।

(2) कार्य-मन्त्रणा-समिति के कृत्य अधिक व्यापक होने चाहिएँ, ताकि सरकारी विधेयक के सिवा अन्य कार्यक्रमो पर भी वह सलाह दे सके।

(3) राज्य-सभा मे ऐसे प्रश्न नही उठाए जाने चाहिएँ. जो किसी संसदीय समिति के विचाराधीन हो।

(4) लोक-सभा की तरह ही सदस्यो को अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय पर प्रस्ताव पेश करने का अधिकार होना चाहिए।

(5) एक नई समिति (अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति) की जानी चाहिए।

(9) राष्ट्रपति के भाषण के समय कुछ सदस्यों के आचरण सम्बन्धी समिति :

इस समिति की स्थापना अध्यक्ष द्वारा 19 फरवरी, 1963 को की गई थी। इस समिति के 15 सदस्य थे। समिति यह कार्य सौंपा गया था कि 18 फरवरी, 1963 को राष्ट्रपति के भाषण के समय, सर्व श्री रामसेवक यादव, मनी राम बागड़ी, बी० सिंह उत्तीया, बी० एन० मण्डल तथा स्वामी रामेश्वरानन्द नामक, संसद्-सदस्यो द्वारा किए गए शान्तिभग की सार्थकता पर विचार करे और इस बात की जाँच करे कि उन्होने उल्लघन किया था अथवा नही। समिति का प्रतिवेदन 12 मार्च, 1963 को पेश किया गया था। समिति के प्रतिवेदन पर, 19 मार्च, 1963 को सदन मे एक प्रस्ताव पेश किया गया, और सदन मे समिति के प्रतिवेदन के प्रति अपनी सहमति प्रकट की।

परिशिष्ट 3

भारतीय संसद् में सदस्यों की अनौपचारिक सलाहकार समितियाँ

1922 मे, केन्द्रीय लेजिस्लेटिव एसेम्बली मे, विभिन्न विभागो के लिए स्थायी सलाहकार समितियाँ नियुक्त की गई थी। ये समितियाँ, जैसा कि अध्याय 2 में कहा गया है, 1952 तक बनी रही। 1952 मे, प्रधान-मन्त्री ने लोक-सभा में यह प्रस्ताव रखा कि संविधान के लागू होने के बाद सरकार पूर्ण रूप से संसद् के प्रति उत्तरदायी हो चुकी है, ऐसी स्थिति मे सलाहकार समितियो की कोई आवश्यकता नही है। प्रस्ताव तो सभा ने पारित कर दिया, किन्तु किसी-न-किसी प्रकार विभिन्न विभागो से संसद्-सदस्यो के सम्बद्ध रहने की आवश्यकता फिर भी बनी रही। यह बात दूसरी थी कि संसद्-सदस्यो को किसी प्रकार की कोई कटौती आदि करने का अधिकार नही दिया गया। अतएव 1954 मे स्थायी समितियो के स्थान पर अनौपचारिक सलाहकार समितियो की प्रथा ने जन्म लिया।

आरम्भ मे प्रत्येक अनौपचारिक सलाहकार समिति मे, 30 40 की संख्या तक सदस्य हुआ करते थे, जो दोनो सदनो के सदस्यो मे से चुने जाते थे। 1956 से यह भेद समाप्त हो गया, और अब सदस्य उनकी रुचि के आधार पर चुने जाते हैं। समिति के सदस्यो की संख्या के बारे मे अब कोई दृढ नियम नही है तथा सदस्य 20 से लेकर 150 की संख्या तक हो सकते हैं।

इन समितियो मे कोई निर्णय नही लिए जाते। ये समितियाँ कोई प्रतिवेदन भी पेश नही करती हैं। उनका उद्देश्य विभागो के उच्चाधिकारियो, मन्त्रियो तथा संसद्-सदस्यो की आपस मे चर्चा कराना है। आरम्भ मे इन समितियो की संख्या 17-18 थी, पर अब 44 है। कभी-कभी विशिष्ट सलाहकार समितियाँ भी नियुक्त की जाती हैं, जैसे 1958 मे खाद्य-समस्या पर विचार करने के लिए नियुक्त विशिष्ट समिति। इस तरह की समितियाँ और विषयो पर भी नियुक्त हुई हैं। समितियो की बैठको मे मन्त्री, सभापतित्व ग्रहण करते हैं। 'संसदीय मामले का विभाग' इन समितियो का कार्य देखता है।

परिशिष्ट 4

अमरीकी कांग्रेस की स्थायी समितियाँ व उनके निर्देश-पद

सीनेट की स्थायी समितियाँ :

(1) कमेटी ऑन एग्रीकल्चर एण्ड फॉरेस्ट्री :

(1) सामान्यत कृषि सम्बन्धी सभी प्रश्न

(2) पशुपालन तथा मांस की वस्तुओं की जाँच

(3) पशु-रोग व पशु-उद्योग

(4) बीजों में मिलावट, कीटाणुओं से रक्षा व पक्षियों की सुरक्षित जगलों मे रक्षा

(5) कृषि-विद्यालय तथा प्रयोगशालाएँ

(6) सामान्यत जगल सम्बन्धी सभी प्रश्न तथा सुरक्षित जगल

(7) कृषि, अर्थ-शास्त्र तथा शोध

(8) औद्योगिक व कृषि रसायन

(9) दुग्ध-उद्योग

(10) कीट शास्त्र तथा पादप-निरोध

(11) मानवी खाद्य तथा गृह-अर्थशास्त्र

(12) वनस्पति-उद्योग, भूमि तथा कृषि इंजीनियरी

(13) कृषि-शिक्षा-विकास

(14) कृषि उधारी तथा फार्म बीमा

(15) ग्राम-बिजली-योजना

(16) कृषि-उत्पादन तथा विपणन व कृषि-वस्तुओं का मूल्य-निर्धारण

(17) फसल-बीमा तथा भूमि-सरक्षण

(2) कमेटी ऑन एप्रोप्रियेशन्स :

(1) सरकार के संचालन के लिए आवश्यक आय को प्राप्त कराना

(3) कमेटी ऑन आर्म्ड सर्विसेज :

(1) सुरक्षा सम्बन्धी सामान्यतः सभी प्रश्न
(2) युद्धविभाग तथा सैन्य
(3) जल-सेना-विभाग तथा उसका कार्यालय
(4) सैनिकों व नाविकों के घर
(5) सशस्त्र सेना के लोगों का वेतन, उनकी पदोन्नति तथा पद-निवृत्ति तथा विशेषाधिकार या लाभ सम्बन्धी प्रश्न
(6) स्थल-सेना तथा जल-सेना की संख्या तथा उनकी रचना
(7) चुनी हुई सेवाएँ
(8) किले, आयुधागार, सेना व नाविक अड्डे
(9) शस्त्रागार
(10) पनामा नहर की देखभाल तथा उसका संचालन, जिसमें 'केनाल ज़ोन' की व्यवस्था, सफाई आदि भी शामिल हैं।
(11) नाविक पेट्रोलियम तथा तैल-शैलों का प्रारक्षण विकास तथा उपयोग
(12) सामान्य सुरक्षार्थ सामरिक महत्त्व की तथा क्रांतिक सामग्री।

(4) कमेटी ऑन बैंकिंग एण्ड करेन्सी :

(1) सामान्य तौर पर बैंकों व मुद्रा सम्बन्धी सभी प्रश्न
(2) उद्योग व व्यापार को दी जानेवाली सहायता के प्रश्न, जो अन्य समितियों को न सौंपे गए हों।
(3) जमा-बीमा
(4) सार्वजनिक व निजी घर
(5) फेडरल रिज़र्व सिस्टम

(6) सोना व चांदी व उनकी मुद्राएँ

(7) नोटो के सचालन व उनकी वापसी सम्बन्धी प्रश्न

(8) डालर का मूल्य निर्धारण व उसके मूल्य मे वृद्धि का प्रश्न

(9) वस्तुओं के मूल्य, भाड़ो व सेवाओ पर नियन्त्रण

(5) कमेटी ऑन पोस्ट ऑफिस एण्ड सिविल सर्विस :

(1) सामान्यत फेडरल सिविल सर्विस सम्बन्धी सभी प्रश्न

(2) अमरीका के अधिकारी व अन्य कर्मचारियो के ओहदे, मुआवजे, वर्गीकरण तथा पदावकाश सम्बन्धी प्रश्न

(3) सामान्यत डाक-सेवा सम्बन्धी सभी प्रश्न; रेलवे मेल, समुद्री मेल आदि शामिल हो। (जिनमे पोस्ट रोड को छोड़कर)

(4) डाक-बचत-बैंक

(5) जनगणना व साख्यिकी सम्बन्धी अन्य प्रश्न

(6) राष्ट्रीय पुरातत्व

(6) कमेटी ऑन दि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलम्बिया :

(1) कोलम्बिया जिले के नगर-पालन से सम्बन्धित सभी प्रश्न

(2) जन-स्वास्थ्य, सुरक्षा, सफाई तथा सक्रामक रोगों पर नियन्त्रण

(3) मादक द्रव्यो की बिक्री पर नियन्त्रण

(4) खाद्य-पदार्थ व द्रव्यो पर नियन्त्रण

(5) कर व बिक्री-कर

(6) बीमा

(7) नागरिक व बाल-अपराध-न्यायालय

(8) सोसायटियो के सगठन व रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी प्रश्न

(9) नागरिक-कानून तथा दण्ड व निगम विधियो मे सशोधन

(7) कमेटी ऑन गवर्नमेन्ट ऑपरेशन्स :

(1) प्रश्न बजट तथा लेखा विषयक प्रश्न (विनियोजन को छोड़कर)·

(2) सरकार के कार्यकारिणी विभाग का पुनर्गठन

(3) इस समिति के निम्न कर्त्तव्य भी होगे :

(अ) अमरीका के 'कन्ट्रोलर जनरल' के प्रतिवेदनों को प्राप्त करने के बाद, उनकी जांच कर सीनेट को उचित सिफारिशें करना।

(ब) सरकारी कार्यों की सब स्तरों पर जांच करना, ताकि उनकी मितव्ययिता व कार्यकुशलता को देखा जा सके।

(स) सरकार की विधायिनी तथा कार्यकारिणी शाखाओ का पुनर्गठन करनेवाले कानूनो के प्रभाव का पूर्वानुमान करना।

(द) अमरीका व राज्य-सरकारो के मध्य तथा अमरीका व विदेशी सरकारो की अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओ के बीच सरकारी सम्बन्धो की जांच करना।

(8) कमेटी ऑन फाइनेन्स :

(1) आय सम्बन्धी सभी प्रश्न
(2) अमरीका का बन्ध-निहित ऋण
(3) सार्वजनिक धन की जमा
(4) निर्यात-शुल्क, वसूली के जिले तथा सामान के लाने व बाहर भेजने के बन्दरगाह
(5) परस्पर व्यापार सम्बन्धी करार
(6) शुल्क लगनेवाली वस्तुओं का यातायात
(7) अमरीका के आधीन द्वीपो की आय सम्बन्धी मामले
(8) तटकर *(आयात-निर्यात-शुल्क) आयात नियताश और तत्सम्बन्धी* उपाय
(9) राष्ट्रीय समाज-सुरक्षा सम्बन्धी प्रश्न
(10) वृद्धो के निर्वाह विषयक प्रश्न
(11) *अमरीका की सामान्य व खास लडाइयो से सम्बन्धित पेन्शनें*

(12) सशस्त्र सेना मे काम करने के कारण सरकार द्वारा किया गया बीमा

(13) वृद्धों के मुआवजे का प्रश्न

(9) कमेटी ऑन फॉरेन रिलेशन्स :

(1) विदेशों से अमरीका के सम्बन्ध

(2) सन्धियाँ

(3) अमरीका व अन्य देशो के बीच सीमा-निर्धारण

(4) अमरीकी नागरिकों की विदेशो में सुरक्षा तथा उनका देश-निकाला

(5) तटस्थता

(6) अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

(7) अमरीकी राष्ट्रीय रेडक्रास

(8) युद्ध घोषित करना तथा विदेशो मे हस्तक्षेप

(9) विदेशो मे राजदूतावासो के लिए भूमि तथा भवन प्राप्त कराना

(10) विदेशो से व्यापारिक सम्बन्धो मे वृद्धि तथा अमरीकी व्यापारिक हितो की रक्षा।

(11) राजदूतों व प्रतिनिधियो की सेवाओ सम्बन्धी प्रश्न

(12) राष्ट्र-संघ तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय तथा आर्थिक संस्थाएँ

(13) विदेशी ऋण

(10) कमेटी ऑन इन्टर-स्टेट एण्ड फॉरेन कॉमर्स :

(1) अन्तर्राज्यीय तथा विदेशी व्यापार सम्बन्धी सामान्यतः सभी प्रश्न

(2) अन्तरराज्यीय रेलो, बसो, ट्रको तथा पाइप लाइनो का नियन्त्रण

(3) टेलीफोन, टेलिग्राफ तथा रेडियो व टेलीविजन आदि संचार-साधन

(4) असैनिक विमान चालन-विज्ञान

(5) व्यापारिक नौकाएँ

(6) छोटे जहाजों व नौकाओ को रजिस्टर कराना तथा उन्हें लाइसेन्स देना

(7) समुद्री जहाजों का संचालन व तत्सम्बन्धित कानून

(8) समुद्र में जहाजों की टक्करों को रोकने के नियम तथा तत्सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था

(9) व्यापारी पोतों के अधिकारी व चालक

(10) जल-मार्ग से ले जाए जानेवाले परिवहनों का नियन्त्रण, व्यापारिक नावों की परीक्षा तथा मरम्मत, प्राणरक्षा आदि

(11) समुद्रतट तथा समुद्रतल का सर्वेक्षण

(12) समुद्रतट के रक्षक, जलदीप व प्राणरक्षक प्रकाश नौका तथा समुद्री पथभ्रम

(13) अमरीकी समुद्रतट-रक्षक दल तथा व्यापारिक नाविकों का प्रशिक्षण-केन्द्र

(14) जलवायु-ब्यूरो

(15) कमेटी ऑन आर्म्ड सर्विसेज के अन्तर्गत विषयों के अतिरिक्त, पनामा नहर के तथा अन्तरमहासमुद्री नहरों सम्बन्धी अन्य सभी प्रश्न

(16) स्थलमध्य जल मार्ग

(17) मत्स्य तथा जंगली जीवों सम्बन्धी अनुसंधान उनका विस्थापन उन्हें शरण दिया जाना तथा उनका संरक्षण

(18) नापतोल (बाट माप) के प्रमाणीकरण तथा दाशमिक प्रणाली, मानकी-करण तथा मानक विभाग

(11) कमेटी ऑन दि जुडिशिरी :

(1) न्यायिक कार्यवाही—दीवानी और फौजदारी

(2) संविधान के संशोधन

(3) संघीय अदालतें व न्यायाधीश

(4) राज्यक्षेत्रों व अधिकृत देशों में स्थानीय न्याय-व्यवस्था

(5) अमरीकी अधिनियमों की पुनरावृत्ति तथा उनका संहिताकरण

(6) गैरकानूनी अवरोधों तथा एकाधिकारों से व्यापार व वाणिज्य की रक्षा

(7) छुट्टियाँ व त्योहार

(8) दिवालियापन, गदर, जासूसी तथा जाली सिक्के बनाना

(9) राज्यो तया अन्य क्षेत्रों की सीमाएँ

(10) राज्य व अन्य क्षेत्रों की सीमाएँ

(11) कांग्रेस की बैठकें, उनमे सदस्यो की उपस्थिति तथा उनके द्वारा बेमेल पदों का मजूर किया जाना

(12) नागरिक स्वतन्त्रता

(13) एकस्व (पेटेन्ट) प्रतिलिप्यधिकार (कापीराइट) तथा ट्रेडमार्क

(14) एकस्व कार्यालय

(15) आप्रवासन और देशीयकरण

(16) प्रतिनिधियो का अनुभाजन

(17) अमरीका के विरुद्ध किए गए दावो का प्रश्न

(18) सामान्य तौर पर सभी अन्तर्राज्यीय करार

(12) कमेटी ऑन लेबर एण्ड पब्लिक वेलफेयर :

(1) शिक्षा, श्रम तथा जनहित सम्बन्धी प्रश्न

(2) श्रमिको के काम के घटे तथा उनका वेतन

(3) कैदी मजदूर तथा उनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं का अन्तर्राज्यीय व्यापार

(4) श्रमिको के सघर्षों मे बीचबिचाव तथा विवाचन

(5) विदेशी मजदूरो को देश मे लाए जाने से रोकना तथा तत्सम्बन्धी नियन्त्रण

(6) बाल-श्रम

(7) श्रम सांख्यिकी

(8) श्रमिकों के स्तर

(9) स्कूलो मे बच्चो के भोजन का कार्यक्रम

(10) औद्योगिक विस्थापन

(11) रेलो मे श्रम रेल श्रमिको के पदनिवृत्ति तथा बेरोजगारी सम्बन्धी प्रश्न

(12) अमरीकी कर्मचारियों के मुआवजे का आयोग

(13) गूंगों, बहरो व अन्धो की कोलम्बिया स्थित सस्था, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, फ्रीडमेन अस्पताल तथा सेन्ट एलिज अस्पताल

(14) जन-स्वास्थ्य तथा सक्रामक रोगो सम्बन्धी प्रश्न

(15) खानो मे काम करनेवाले श्रमिको की भलाई सम्बन्धी सवाल

(16) वेटरन्स (सेना से अवकाश प्राप्त लोगो) की शिक्षा व उनका औद्योगिक पुनर्स्थापन

(17) वेटरन्स के अस्पताल व उनके स्वास्थ्य का ख्याल

(18) सैनिको व नाविकों की असैनिक सहायता

(19) सेना मे काम करनेवालों का नागरिक जीवन मे प्रवर्तन

(13) कमेटी ऑन इन्टीरियर एण्ड इन्स्यूलर अफेयर्स :

(1) सरकारी जमीनो व उनमे से गुजरने तथा चरने के अधिकार सम्बन्धी प्रश्न

(2) सरकारी जमीनों के खनिज

(3) दूसरो से सरकारी जमीन की बेदखली कराना, भूमि सहायताओं की जब्ती, तथा उनमे खनिज

(4) सरकारी जमीनो से बनाए गए सुरक्षित जगलात तथा राष्ट्रीय पार्क

(5) सैनिक पार्क, युद्धस्थल तथा राष्ट्रीय कब्रें

(6) प्रागैतिहासिक ध्वसावशेषो तथा सरकारी जमीनो मे स्थित आकर्षण तथा वस्तुओं का सरक्षण

(7) आय तथा व्यय सम्बन्धी मामलो को छोडकर हवाई, अलास्का, तथा अमरीका के आधीनस्थ क्षेत्रो सम्बन्धी अन्य मामले

(8) सिचाई, भूमि को कृषि-योग्य बनाना और तत्सम्बन्धी प्रायोजनाओ के लिए जलपूर्ति-व्यवस्था तथा प्रायोजनाओ के लिए सरकारी भूमि के उपयोग का अधिकार

(9) सिंचाई के लिए जल-वितरण का अन्तर्राष्ट्रीय करार
(10) खानों सम्बन्धी अधिकारों से सम्बद्ध सामान्यतः सभी प्रश्न
(11) खानों की भूमि से सम्बन्धित कानून तथा उसमें प्रवेश सम्बन्धी प्रश्न
(12) पेट्रोल-संग्रह तथा रेडियम-संग्रह
(13) रेड इन्डियन लोगों तथा इन्डियन जातियों सम्बन्धी सवाल
(14) रेड इन्डियन लोगों की देखभाल, शिक्षा-व्यवस्था आदि तथा उनकी भूमि का नियन्त्रण।

(14) **कमेटी ऑन पब्लिक वर्क्स :**

(1) नदियों व बन्दरगाहों का विकास तथा बाढ़ से बचाव
(2) जल-यातायात की सुविधा के लिए निर्माण तथा पुल व बाँध
(3) जल-शक्ति
(4) यातायात के योग्य नदियों का तेल व अन्य द्रव्यों से बचाव
(5) अमरीका के सरकारी भवन तथा विशेष भूमि
(6) कोलम्बिया के जिले में डाक-घरों, संघीय न्यायालय, तथा सरकारी भवनों के लिए जमीन खरीदना व भवन बनवाना।
(7) कैपीटोल* सीनेट व हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव्स के कार्यालयों के लिए भवन-निर्माण सम्बन्धी मामले।
(8) 'स्मिथसोनियम इन्स्टीट्यूशन', 'बोटानिकल पार्क' तथा कांग्रेस के पुस्तकालय के भवनों का निर्माण, आदि।
(9) कोलम्बिया जिले के 'ज्यूलोजिकल पार्क' तथा 'राक क्रीक पार्क' का संरक्षण।
(10) सड़कें तथा डाक-मार्गों के लिए निर्माण तथा सुरक्षा सम्बन्धी कार्य

(15) **कमेटी ऑन रूल्स एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन :**

(1) सीनेट की आकस्मिकता-निधि से किए जानेवाले व्यय सम्बन्धी प्रश्न

---

* यह उस स्थान का नाम है, जहाँ अमरीका का स्टाइट हाउस स्थित है।

अथवा उन पर पारित व्यय (लेकिन यदि कोई महत्त्वपूर्ण मामला हो तो वह उपयुक्त स्थायी समिति को सौंपा जाएगा।)

(2) कमेटी ऑन पब्लिक वर्क्स के अन्तर्गत मामलों को छोड़कर, 'लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस' तथा 'सीनेट लाइब्रेरी' सम्बन्धी अन्य प्रश्न, उक्त भवनों के अन्दर स्थित चित्र व मूर्तियों, कैपीटोल के लिए कलात्मक वस्तुओं का क्रय 'लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस' की व्यवस्था, पुस्तकों तथा पाण्डुलिपियों का क्रय आदि।

(3) कमेटी ऑन पब्लिक वर्क्स के अन्तर्गत मामलों को छोड़कर, 'स्मिथसोनियन इन्स्टीट्यूशन' तथा उस तरह की अन्य संस्थाओं की स्थापना सम्बन्धी मामले।

(4) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अथवा कांग्रेस के सदस्यों के चुनाव सम्बन्धी प्रश्न, व्यभिचार; 'कन्टेस्टेड एलेक्शन्स', प्रत्ययपत्र तथा योग्यताएँ, संघीय चुनाव सम्बन्धी सामान्यतः सभी मामले, राष्ट्रपति के उत्तराधिकार का प्रश्न, आदि।

(5) संसदीय नियम, सभाभवन तथा गैलरीज के नियम, सीनेट का आहारगृह, सीनेट के भवन की व्यवस्था तथा कैपिटोल के सीनेट-भाग की व्यवस्था, कार्यालय में जगह देना तथा सीनेट में सेवा का प्रश्न।

(6) कांग्रेस के अभिलेखों की छपाई, तथा उनमें त्रुटि-निवारण सम्बन्धी व्यवस्था, इत्यादि।

(2) हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव की स्थायी समितियाँ :

(1) कमेटी ऑन एग्रीकल्चर :

(1) *सामान्यतः कृषि सम्बन्धी सभी प्रश्न*

(2) पशुधन तथा मांस-वस्तुओं की जाँच

(3) *पशु उद्योग तथा पशु-चिकित्सा*

(4) *बीजों में मिलावट, कीटाणु तथा सुरक्षित जंगलों में पशु तथा पक्षियों* की सुरक्षा।

(5) कृषि-विद्यालय तथा प्रयोग-शालाएँ

(6) सामान्यतः वन-विज्ञान सम्बन्धी सभी प्रश्न तथा सरकारी भूमि के बाहर के जगलो की सुरक्षा

(7) कृषि-अर्थ-शास्त्र तथा अनुसधान

(8) कृषि व औद्योगिक रसायन-शास्त्र

(9) दुग्ध-उद्योग

(10) कीट-शास्त्र तथा वनस्पतियो के सक्रामक रोग

(11) मानवीय खाद्य तथा गृह-अर्थशास्त्र

(12) वनस्पति-उद्योग, भूमि तथा कृषि इन्जीनियरी

(13) कृषि-शिक्षा सम्बन्धी विकास-कार्य

(14) कृषि-उधारी तथा खेतो का बीमा

(15) देहातो का विद्युतीकरण

(16) कृषि-उत्पादन तथा उनकी बिक्री व कृषि-वस्तुओं की मूल्य-स्थिरता

(17) फसलो का बीमा तथा भूमि-सरक्षण

(2) कमेटी ऑन एप्रोप्रियेशन्स :

(1) सरकार के सचालन के लिए आय प्राप्ति

(3) कमेटी ऑन आर्म्ड सर्विसेज :

(1) सुरक्षा से सम्बद्ध सामान्यतः सभी प्रश्न

(2) युद्ध-विभाग तथा सामान्यत अन्य सैनिक कार्यालय

(3) नौ-सेना विभाग तथा नौ-सेना सम्बन्धी अन्य कार्यालय

(4) सैनिको व नाविको के घर

(5) सैनिको के वेतन, उनकी तरक्की, पदनिवृत्ति व अन्य विशेषाधिकार सम्बन्धी प्रश्न

(6) चुनी हुई सेवाएँ

(7) स्थल-सेना व नौ-सेना की सख्या तथा रचना

(8) किले, बारूदघर, सैन्य-संग्रह तथा नौ-सेना के अड्डे

(9) शस्त्रागार

(10) नाविका पेट्रोलियम तथा तेल संग्रह का संरक्षण तथा विकास

(11) सामान्य सुरक्षा के लिए आवश्यक सामरिक महत्व की वस्तुएँ तथा अन्य क्रान्तिक सामग्री

(12) सेना की सहायता के लिए वैज्ञानिक अनुसन्धान कार्य तथा उनका विकास

(4) कमेटी ऑन बैंकिंग एण्ड करेन्सी :

(1) सामान्य तौर पर बैंकों व मुद्रा सम्बन्धी सभी प्रश्न

(2) उद्योग व व्यापार को दी जानेवाली सहायता सम्बन्धी वे प्रश्न, जो अन्य समितियों को न सौंपे गए हों।

(3) जमा-बीमा

(4) सार्वजनिक व निजी घर

(5) 'फेडरल रिजर्व सिस्टम'

(6) सोना व चाँदी व उसकी मुद्राएँ

(7) नोटों का प्रचलन व उनकी वापसी का प्रश्न

(8) डालर का मूल्य-निर्धारण व उसकी मूल्य-वृद्धि का प्रश्न

(9) वस्तुओं के मूल्यों, भाड़ों व सेवाओं पर नियन्त्रण

(5) कमेटी ऑन पोस्ट ऑफिस एण्ड सिविल सर्विस :

(1) सामान्यत: 'फेडरल सिविल सर्विस' सम्बन्धी सभी प्रश्न

(2) अमरीका के अधिकारी व अन्य कर्मचारियों के ओहदे, मुआवजे, वर्गीकरण तथा पदावकाश सम्बन्धी प्रश्न

(3) सामान्यत: डाक सेवा सम्बन्धी सभी प्रश्न (जिनमें पोस्ट रोड को छोड़कर) रेलवे मेल आदि से सम्बद्ध प्रश्न शामिल हैं।

(4) डाक-बचत-बैंक

(5) जनगणना व सांख्यिकी सम्बन्धी अन्य प्रश्न

(6) राष्ट्रीय पुरातत्व

(6) कमेटी ऑन दि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलम्बिया :

(1) कोलम्बिया जिले के नगर-पालन सम्बन्धी प्रश्न जिनमें निम्न विषय शामिल हैं :

(2) जन-स्वास्थ्य रक्षा, सफाई तथा संक्रामक रोगों पर नियन्त्रण

(3) मादक द्रव्यों की बिक्री पर नियन्त्रण

(4) खाद्य-पदार्थों व द्रव्यों की मिलावट पर नियन्त्रण

(5) कर व बिक्री-कर

(6) बीमा तामील करानेवाले तथा इच्छा-पत्रों व तलाकों के प्रबन्ध

(7) नागरिक व बाल-अपराध न्यायालय

(8) सोसायटियों के संगठन व रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी प्रश्न

(9) नागरिक कानून तथा दीवानी व फौजदारी कानूनों में संशोधन

(7) कमेटी ऑन एजुकेशन एण्ड लेबर :

(1) श्रम और शिक्षा से सम्बन्धित सामान्यतः सभी प्रश्न

(2) श्रमिकों के झगड़ों में बीच-बिचाव

(3) श्रमिकों के काम के घन्टे व उनका वेतन

(4) कैदियों श्रमिकों तथा उनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं का अन्तर्राज्यीय व्यापार में प्रवेश

(5) विदेशी श्रमिकों का देश में प्रवेश निषेध

(6) बाल-श्रमिक

(7) श्रम-सांख्यिकी

(8) श्रमिकों के काम के स्तर

(9) शालेय भोजन का कार्यक्रम

(10) व्यावसायिक विस्थापन

(11) अमरीका के कर्मचारियों के मुआवजे सम्बन्धी आयोग

(12) गूंगो, बहरो तथा अन्धो का कोलम्बिया विद्यालय, हार्वर्ड विश्व-विद्यालय तथा 'सेन्ट एलिजाबेथ अस्पताल'।

(13) खानों मे काम करनेवालो की भलाई सम्बन्धी प्रश्न

(8) **कमेटी ऑन एक्स्पेन्डीचर इन दि एक्सीक्यूटिव डिपार्टमेन्ट :**

(1) विनियोजन के अतिरिक्त आय-व्ययक तथा लेखा सम्बन्धी प्रश्न

(2) सरकार के कार्यकारी अग का पुनर्गठन

(3) इस समिति के निम्न अन्य कार्य भी होगे :

(क) अमरीका के 'कन्ट्रोलर जनरल' से प्रतिवेदन प्राप्त कराना, उनकी जाँच करना तथा तत्सम्बन्धी आवश्यक सिफारिश पेश करना

(ख) सरकारी कार्यों की सभी स्तरो पर मितव्ययिता तथा कार्यकुशलता की दृष्टि से जांच कराना

(ग) सरकार की कार्यकारी तथा विधायिका शाखाओ के पुनर्गठन करने वाले कानूनों के परिणामो की जाँच करना

(घ) अमरीकी सरकार व राज्य सरकारो तथा नगरपालिकों के मध्य सम्बन्धो तथा अमरीकी सरकार व अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओ (जिनका अमरीका सदस्य है) के मध्य सम्बन्धो का अध्ययन करना।

(9) **कमेटी ऑन फारेन अफेयर्स :**

(1) अमरीका के विदेशी सरकारो से सम्बन्ध विषयक सामान्यत सभी प्रश्न

(2) विदेशो तथा अमरीका के बीच सीमा-निर्धारण

(3) अमरीकी नागरिको की विदेशो मे सुरक्षा तथा उनका देश मे वापस बुलाया जाना

(4) तटस्थता

(5) अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन तथा अधिवेशन

(6) अमरीकी राष्ट्रीय रेडक्रास

(7) युद्ध की घोषणा तथा विदेशो मे हस्तक्षेप

(8) राजनयिक सेवाओं सम्बन्धी मामले

(9) दूतावासों के लिए विदेशों में जमीन प्राप्त कराना

(10) विदेशों से व्यापारिक सम्बन्धों की वृद्धि तथा अमरीकी व्यापारिक हितों की विदेशों में रक्षा

(11) अन्तर्राष्ट्रीय संघ तथा अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक तथा वित्तीय संगठन

(12) विदेशी ऋण

(10) कमेटी ऑन हाउस एडमिनिस्ट्रेशन

(1) सभा द्वारा लोगों की नियुक्ति जिसमें सदस्यों और समितियों के लिए क्लर्कों तथा वादविवाद का शब्दशः विवरण लिखनेवाले रिपोर्टरों की नियुक्ति शामिल है।

(2) सभा की आकस्मिकता-निधि से व्यय

(3) आकस्मिकता-निधि से खर्च की गई राशि के लेखाओं की जाँच करना

(4) सभा के लेखाओं सम्बन्धी सामान्यतः सभी प्रश्न

(5) आकस्मिकता-निधि से विनियोजन

(6) सभा की सेवाओं से सम्बन्धित प्रश्न; जिसमें सभा के आहार-गृह, सभा के कार्यालय-भवन, तथा कैपीटोल के 'हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिवस' भाग के प्रश्न शामिल हैं।

(7) सभा के सदस्यों के प्रवास सम्बन्धी प्रश्न

(8) सदस्यों तथा समितियों के कार्यालय के लिए जगह

(9) बेकार के सरकारी कागजातों का निपटान

(10) 'कमेटी ऑन पब्लिक वर्क्स' के अन्तर्गत मामलों को छोड़कर 'लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस', चित्रों तथा मूर्तियों तथा कैपीटोल के लिए कलात्मक वस्तुओं का क्रय, 'बोटानिकल पार्क', 'लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस' की व्यवस्था तथा उसके लिए पुस्तकों व पाण्डुलिपियों की खरीददारी तथा स्मारक।

(11) 'कमेटी ऑन पब्लिक वर्क्स' के अन्तर्गत मामलो को छोड़कर, 'स्मिथसोनियन इन्स्टीट्यूट' तथा उस तरह की अन्य सस्थाओ का रजिस्ट्रेशन

(12) काग्रेस के अभिलेखो की छपाई व उनमे सशोधन विषयक मामले ।

(13) राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव तथा काग्रेस के सदस्यो का चुनाव, व्यभिचार, 'कन्टेस्टेड इलेक्शन्स' प्रत्यय-पत्र तथा योग्यताएँ तथा संघीय चुनाव सम्बन्धी प्रश्न ।

(14) इस समिति के निम्न और कृत्य होगे —

(अ) सभा द्वारा पारित होने पर सारे विधेयको, सशोधनो तथा सयुक्त सकल्पो की जाँच करना तथा सीनेट की 'कमेटी ऑन रूल्स एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन' की सहायता से दोनो सदनो द्वारा पारित किए जा चुके विधेयको तथा सयुक्त सकल्पो की जाँच करना और यह देखना कि वे उचित तरीके से दर्ज किए जा चुके हैं या नही, तथा अध्यक्ष अथवा सीनेट के प्रेजीडेन्ट द्वारा हस्ताक्षर होने के बाद उन्हे अमरीका के राष्ट्रपति से हस्ताक्षर कराना तथा उन्हे इस प्रकार राष्ट्रपति को पेश किए जाने की सभा को सूचना देना ।

(ब) सभा के सदस्यो के दौरे के सम्बन्ध मे 'सार्जेन्ट एट आर्म्स' को सूचना देना

(स) सभा तथा सीनेट के भूतपूर्व मृत सदस्यो की यादगार मे रोज एक उपयुक्त कार्यक्रम स्थिर कराना तथा उसकी कार्यवाही को प्रकाशित कराना ।

(11) कमेटी ऑन इन्टरस्टेट एण्ड फारेन कॉमर्स

(1) अन्तर्राज्यीय तथा विदेश व्यापार विषयक सामान्यत. सभी प्रश्न

(2) जल-यातायात को छोडकर, अन्तर्राज्यीय तथा विदेश-यातायात की व्यवस्था (जो 'इन्टरस्टेट कॉमर्स कमीशन' के क्षेत्र के बाहर हो) ।

(3) अन्तर्राज्यीय तथा विदेश-सचार का नियंत्रण

(4) असैनिक विमान विज्ञान

(5) जलवायु-ब्यूरो

(6) अन्तर्राज्यीय तेल-करार तथा (सरकारी जमीन से उत्पन्न पेट्रोल व गैस को छोड़कर) पेट्रोल व प्राकृतिक गैस सम्बन्धी प्रश्न
(7) ऋण-पत्र तथा सट्टा बाजार
(8) सरकारी जलविद्युत् योजनाओं से सम्बद्ध विद्युत् संस्थापनों को छोड़कर अन्तर्राज्यीय विद्युत् सम्बन्धी विषयक प्रश्न
(9) रेलरोड में काम करनेवाले श्रमिक, उनकी पदनिवृत्ति तथा उनकी बेरोजगारी सम्बन्धी प्रश्न
(10) जन-स्वास्थ्य रक्षा तथा संक्रामक रोगों का निवारण
(11) अन्तर्देशीय जल-मार्ग
(12) 'ब्यूरो आफ स्टेन्डर्ड', वजन व मापों के मानकीकरण सम्बन्धी प्रश्न तथा मीट्रिक व्यवस्था

(12) कमेटी ऑन ज्युडिशियरी
(1) न्यायिक कार्यवाही—दीवानी तथा फौजदारी
(2) संविधान में संशोधन
(3) संघीय न्यायालय तथा न्यायाधीश
(4) राज्य क्षेत्र व अधिकृत देशों में स्थानीय न्याय व्यवस्था
(5) अमरीका व अधिनियमों में आवृत्ति तथा उनका संहिताकरण
(6) राष्ट्रीय सुधार-घर
(7) गैरकानूनी अवरोधों तथा एकाधिकारों से व्यापार व वाणिज्य की रक्षा
(8) छुट्टियाँ तथा त्यौहार
(9) दिवालियापन, गदर तथा जाली सिक्के बनाना
(10) राज्यों तथा क्षेत्रों की सीमाएँ निर्धारित करना
(11) कांग्रेस की बैठकें, उसमें सदस्यों की उपस्थिति तथा उनके द्वारा बेमेल पदों का मंजूर किया जाना
(12) नागरिक स्वतन्त्रता
(13) एकस्व (पेटेन्ट) प्रतिलिप्यधिकार (कापीराइट) तथा ट्रेडमार्क

(14) एकस्व-कार्यालय

(15) आप्रवासन तथा देशीयकरण

(16) प्रतिनिधियों की नियुक्ति

(17) अमरीका के विरुद्ध उठाए गए हकों का प्रश्न

(18) सामान्य तौर पर अन्तर्राज्यीय करार

(19) राष्ट्रपति के उत्तराधिकार

(13) **कमेटी ऑन मर्चेन्ट मेरीन एण्ड फिशरीज**

(1) व्यापारिक पोतों सम्बन्धी प्रश्न

(2) जहाजों तथा छोटी नौकाओं का दर्ज किया जाना तथा उन्हें लाइसेन्स देना

(3) जहाजों के संकेत तथा उनके चालन के सम्बन्ध में नियम

(4) समुद्र में जहाजों की टक्करों को रोकने के लिए नियम तथा तत्सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था

(5) व्यापारिक नौकाओं के अधिकारी तथा चालक

(6) जल-मार्गों द्वारा ले जाए जाने वाले वाहकों के नियन्त्रण सम्बन्धी ("इनटरस्टेट कॉमर्स कमीशन" के अन्तर्गत मामलों को छोड़कर) सभी बातें तथा व्यापारिक नावों के संकेत व रोशनी तथा प्राणरक्षा-प्रबन्धों आदि का निरीक्षण

(7) समुद्रतट रक्षक, प्राणरक्षा-सेवा, जलद्वीप, प्रकाश-नौका तथा समुद्री-दिशाभ्रम

(8) अमरीकी समुद्रतट रक्षक-सेवा तथा व्यापारिक नाविकों की शिक्षा-संस्थाएँ

(9) समुद्रतट तथा समुद्र-तल-सर्वेक्षण

(10) पनामा नहर तथा उसके संचालन की व्यवस्था, जिसमें नहरी क्षेत्र की सफाई व उसका शासन तथा अन्तर्समुद्रीय नहरों से सम्बद्ध सामान्यतः सभी प्रश्न शामिल हैं।

(11) मछलियों व जंगली पशुओं के क्षरण, संधारण तथा अनुसन्धान सम्बन्धी प्रश्न

(14) कमेटी ऑन पब्लिक लैन्ड

(1) सरकारी जमीनें व उनमें प्रवेश, उनमें से गुजरने तथा चरने के अधिकार विषयक प्रश्न

(2) सरकारी जमीनों से प्राप्त खनिज

(3) सरकारी जमीन की बेदखली कराना, भूमि सहायताओं की जब्ती तथा उनमें खनिज

(4) सरकारी जमीन से बनाए गए सुरक्षित जंगलात तथा राष्ट्रीय पार्क

(5) सैनिक पार्क, युद्धस्थल तथा राष्ट्रीय कब्रें

(6) प्रागैतिहासिक ध्वसावशेषों तथा सरकारी जमीन में स्थित आकर्षक वस्तुओं का सरक्षण

(7) विनियोजन तथा आय सम्बन्धी मामलों को छोडकर, हवाई, अलास्का तथा अमरीका के अन्य अधीनस्थ क्षेत्रों सम्बन्धी मामले

(8) सिंचाई और भूमि को कृषि योग्य बनाना, कृषि-योग्य बनाने की प्रायोजनाओं के लिए जलपूर्ति तथा ऐसी प्रायोजनाओं के लिए सरकारी भूमि उपलब्ध कराने सम्बन्धी मामले

(9) सिंचाई के लिए जल-वितरण का अन्तर्राज्यीय करार

(10) खानों के अधिकारों से सम्बद्ध सामान्यतः सभी प्रश्न

(11) खानों की भूमि से सम्बन्धित कानून तथा खानों में प्रवेश सम्बन्ध प्रश्न

(12) भूगर्भ-सर्वेक्षण

(13) खनिज शास्त्र विद्यालय तथा प्रयोगशालाएँ

(14) सरकारी जमीनों में उपलब्ध पेट्रोल का संग्रह तथा अमरीका में रेडियम का संग्रह

(15) रेड इण्डियन लोगों के सम्बन्ध तथा इण्डियन जातियों विषयक मामले

(16) रेड इण्डियन लोगों की देखभाल, शिक्षा तथा शासन; जिसके अन्तर्गत

उनके भूमि सम्बन्धी मामले तथा इण्डियन फन्ड में से उनके दावो सम्बन्धी निपटान के प्रश्न भी शामिल हैं।

(15) कमेटी ऑन पब्लिक वर्क्स

(1) नदियो व बन्दरगाहो का विकास तथा बाढ से सुरक्षा
(2) जल-यातायात की सुविधा के लिए निर्माण तथा (अन्तर्राष्ट्रीय पुल व बांधों को छोडकर) पुल व बाँध
(3) जल-शक्ति
(4) यातायात के योग्य नदियो का तेल व अन्य द्रव्यो से बचाव
(5) अमरीका की सरकारी इमारतें तथा सुधारी हुई भूमि
(6) कोलम्बिया जिले मे डाकखाने, चुंगीघर, सघीय न्यायालय आदि के भवनो के लिए जमीन खरीदना व भवन बनवाना
(7) 'कैपीटोल' तथा 'सीनेट' व 'हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव' के भवनो सम्बन्धी मामले
(8) 'बोटानिकल पार्क', 'लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस' तथा 'स्मिथसोनियन इन्स्टीट्यूशन' के लिए जमीन की व्यवस्था, भवनों का निर्माण, पुनर्निर्माण तथा उनकी देखभाल
(9) डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलम्बिया के सुरक्षित सार्वजनिक स्थान तथा पार्क व 'राक क्रीक पार्क' तथा 'जूलोजिकल पार्क'
(10) सडकों तथा डाक सडको का निर्माण तथा उनकी देखभाल (लेकिन इनके लिए लगनेवाले विनियोजन इसके अपवाद हैं।)

(16) कमेटी ऑन रूल्स

(1) सभा के नियम, सयुक्त नियम तथा कार्यक्रम
(2) कांग्रेस के अवकाश तथा अन्तिम सत्रावसान

(17) कमेटी ऑन अनअमेरिकन एक्टीविटीज

(1) अमरीका-विरोधी कार्यों की जाँच-पडताल

(18) कमेटी ऑन वेटरन्स अफेयर्स

(1) सेना से अवकाश प्राप्त लोगों से सबद्ध सामान्यत सभी प्रश्न

(2) अमरीका के सारे आम व खास युद्धों सबन्धी पेन्शनें

(3) सशस्त्र सेना मे काम करने के बदले मे सरकार द्वारा जारी किया गया बीमा

(4) सेना से अवकाश प्राप्त लोगों की शिक्षा, उनका व्यावसायिक पुनर्स्थापन तथा उन्हे मुआवजा दिया जाना

(5) सैनिकों तथा नाविकों की असैनिक सहायता

(6) सेना से अवकाश प्राप्त लोगों के लिए अस्पताल, चिकित्सा तथा उनकी देखभाल की व्यवस्था

(7) सेना से विमुक्त लोगों का नागरिक जीवन मे पुनर्स्थापन ।

(19) कमेटी ऑन वेज एण्ड मीन्स

(1) सामान्यत आय सम्बन्धी सभी प्रश्न

(2) अमरीका का बधित ऋण

(3) सार्वजनिक धन की जमा राशि

(4) निर्गम-शुल्क, बन्दरो के जिरए जहाज-उद्योग तथा माल उतारने के लिए बन्दरगाह

(5) परस्पर व्यापार-सम्बन्ध

(6) शुल्क देय वस्तुओं का यातायात

(7) आधीनस्थ क्षेत्रों सम्बन्धी आय विषयक मामले

(8) राष्ट्रीय समाज-सुरक्षा बीमा

परिशिष्ट 5

भारतीय राज्य-विधान-सभाओं व विधान-परिषदों की समितियाँ*

(1) आन्ध्र प्रदेश

(विधान सभा)

(1) आवास-समिति

(2) लोक-लेखा-समिति

(3) कार्य-मन्त्रणा-समिति

(4) विधेयकों पर विचार करने के लिए नियुक्त प्रवर समिति

(5) विशेषाधिकार-समिति

(6) प्राक्कलन समिति

(7) आधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

(8) सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

(9) याचिका-समिति

(10) नियमों सम्बन्धी प्रवर समिति

(11) क्षेत्रीय समिति

(विधान-परिषद्)

(1) कार्य-मन्त्रणा-समिति

(2) विधेयकों पर विचार करने के लिए नियुक्त प्रवर समिति

(3) विशेषाधिकार-समिति

* इसमें नागालैण्ड, हिमाचल प्रदेश तथा संघ-क्षेत्रों की विधायिकाओं के बारे में जानकारी नहीं दी जा सकी है।

(4) आवास-समिति

(5) सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

(6) नियमो सम्बन्धी प्रवर समिति

(7) याचिका-समिति

(2) आसाम

(विधान-सभा)

(1) प्राक्कलन-समिति

(2) आवास-समिति

(3) पुस्तकालय-समिति

(4) विशेषाधिकार-समिति

(5) लोक-लेखा-समिति

(6) विधेयको पर विचार करने के लिए नियुक्त प्रवर समितिया

नोट—आसाम मे विधान-परिपद् नही है।

(3) उड़ीसा

विधान-सभा

(1) कार्य-मत्रणा-समिति

(2) प्राक्कलन-समिति

(3) सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

(4) विशेषाधिकार-समिति

(5) आधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

(6) विधेयको पर विचार करने के लिए प्रवर समितियाँ

(7) लोक-लेखा-समिति

म-समिति

मे विधान-परिपद् नही है।

(4) उत्तर प्रदेश

(विधान-सभा)

(1) प्रावकलन-समिति

(2) वित्त-समिति

(2) याचिका-समिति

(4) विशेपाधिकार-समिति

(5) कार्य-मन्त्रणा-समिति

(6) लोक-लेखा-समिति

(7) सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

(8) आधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

(9) नियम-समिति

(10) विधयकों पर विचार करने के लिए नियुक्त प्रवर समितियाँ

(11) विधयकों पर विचार करने के लिए नियुक्त संयुक्त प्रवर समितियाँ

(विधान-परिषद्)

(1) नियम-संशोधन-समिति

(2) विशेपाधिकार-समिति

(3) कार्य-मन्त्रणा-समिति

(4) याचिका-समिति

(5) विधेयकों पर विचार करने के लिए नियुक्त प्रवर समितियाँ

(5) केरल :

(विधान-सभा)

(1) प्राक्कलन-समिति

(2) सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

(3) गैर सरकारी विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

(4) विशेपाधिकार-समिति

(5) लोक लेखा-समिति

(6) आधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

(7) याचिका-समिति

(8) कार्य-मन्त्रणा-समिति

(9) नियम-समिति

(10) आवास-समिति

(11) विधेयकों पर विचार करने के लिए नियुक्त प्रवर समितियाँ

नोट : केरल में विधान-परिषद् नहीं है।

(6) गुजरात

(विधान सभा)

(1) महत्त्वपूर्ण विषयों पर विचार करने के लिए नियुक्त समिति

(2) कार्य-मन्त्रणा समिति

(3) लोक-लेखा-समिति

(4) प्राक्कलन-समिति

(5) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा प्रस्तावों सम्बन्धी समिति

(6) आधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

(7) नियम-समिति

(8) सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

(9) सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

(10) याचिका समिति

(11) विशेषाधिकार समिति

नोट : गुजरात में विधान-परिषद् नहीं है।

(7) जम्मू तथा काश्मीर :

(विधान-सभा)

(1) सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

(2) पुस्तकालय तथा आवास समिति

(3) विशेषाधिकार-समिति

(4) नियम-समिति

(5) विधेयकों पर विचार करने के लिए नियुक्त प्रवर समितियाँ

(विधान-परिषद्)

(1) विधेयकों पर विचार करने के लिए नियुक्त प्रवर समितियाँ

(2) विधेयकों पर विचार करने के लिए नियुक्त संयुक्त प्रवर समितियाँ

(3) याचिका-समिति

(4) विशेषाधिकार-समिति

(5) कार्य-मंत्रणा-समिति

(6) नियम-समिति

(7) सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

(8) आवास-समिति

(9) पुस्तकालय-समिति

(10) सामान्य प्रयोजन समिति

(8) पंजाब*

(विधान-सभा)

(1) कार्य-मंत्रणा-समिति

(2) प्राक्कलन-समिति

(3) सरकारी आश्वासनों से सम्बन्धित समिति

(4) आवास-समिति

(5) पुस्तकालय-समिति

---

* यह जानकारी केवल पंजाब के बारे में है, हरियाणा के विषय में अभी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(6) विशेषाधिकार-समिति

(7) लोक-लेखा-समिति

(8) नियम-समिति

(9) विधेयकों पर विचार करने के लिए नियुक्त प्रवर समिति

(10) विधेयकों पर विचार करने के लिए नियुक्त संयुक्त प्रवर समितियाँ

(11) याचिका-समिति

(विधान-परिषद्)

(1) विधेयकों पर विचार करने के लिए नियुक्त प्रवर समिति

(2) विधेयकों पर विचार करने के लिए नियुक्त संयुक्त प्रवर समितियाँ

(3) नियम-समिति

(4) सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

(9) पश्चिमी बंगाल

(विधान-सभा)

(1) कार्य-मंत्रणा-समिति

(2) याचना-समिति

(3) लोक-लेखा-समिति

(4) विशेषाधिकार-समिति

(5) नियम-समिति

(6) विधेयकों पर विचार करने के लिए नियुक्त प्रवर समितियाँ

(विधान-परिषद्)

(1) कार्य-मंत्रणा-समिति

(2) विशेषाधिकार-समिति

(3) प्रवर समितियाँ

(4) नियम-समिति

(10) बिहार

(विधान-सभा)

(1) आवास-समिति
(2) पुस्तकालय समिति
(3) याचिका-समिति
(4) विशेषाधिकार-समिति
(5) लोक-लेखा-समिति
(6) कार्य-मंत्रणा-समिति
(7) प्राक्कलन-समिति
(8) अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति
(9) सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति
(10) नियमों के लिए प्रवर समिति
(11) यथेष्ट महत्त्व के प्रश्नों पर विचार करने के लिए संयुक्त प्रवर समिति
(12) विधेयकों पर विचार करनेवाली प्रवर समितियाँ

(विधान-परिषद्)

(1) कार्य-मंत्रणा-समिति
(2) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों से सम्बन्धित समिति
(3) विधेयकों पर विचार करने के लिए नियुक्त प्रवर समितियाँ
(4) विधेयकों पर विचार करने के लिए नियुक्त संयुक्त प्रवर समितियाँ
(5) विधेयकों से सम्बन्धित याचिकाओं पर विचार करने के लिए नियुक्त समिति
(6) यथेष्ट महत्त्व के प्रश्नों पर विचार करने के लिए नियुक्त संयुक्त समिति
(7) विशेषाधिकार-समिति
(8) पुस्तकालय-समिति
(9) आवास-समिति

(10) नियम-समिति

(11) सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

(12) आधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

(11) मद्रास

(विधान-सभा)

(1) कार्य-मंत्रणा-समिति

(2) प्राक्कलन-समिति

(3) सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

(4) आवास-समिति

(5) विशेषाधिकार-समिति

(6) लोक-लेखा-समिति

(7) आधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

(8) विधेयकों पर विचार करने के लिए नियुक्त प्रवर समिति

(9) विधेयकों पर विचार करने के लिए नियुक्त संयुक्त प्रवर समिति

(विधान-परिषद्)

(1) विधेयकों पर विचार करने के लिए नियुक्त प्रवर समितियाँ

(2) विधेयकों पर विचार करने के लिए नियुक्त संयुक्त प्रवर समितियाँ

(3) विशेषाधिकार-समिति

(4) कार्य-मन्त्रणा-समिति

(5) आवास-समिति

(6) सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

(12) मध्य-प्रदेश

(विधान-सभा)

(1) कार्य-मन्त्रणा-समिति

(2) प्राक्कलन समिति

(3) सरकारी आश्वासनो सम्बन्धी समिति

(4) आवास-समिति

(5) पुस्तकालय-समिति

(6) याचिका-समिति

(7) विशेषाधिकार-समिति

(8) लोक-लेखा-समिति

(9) नियम-समिति

(10) सरकारी विधेयकों सम्बन्धी स्थायी समिति

(11) आधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

(12) विधेयकों पर विचार करने के लिए नियुक्त प्रवर समितियाँ

नोट : मध्य प्रदेश में विधान-परिषद् नहीं है।

(13) मैसूर

(विधान-सभा)

(1) प्राक्कलन-समिति

(2) आवास-समिति

(3) पुस्तकालय-समिति

(4) विशेपाधिकार-समिति

(5) याचिका-समिति

(6) कार्य-मन्त्रणा-समिति

(7) विधेयको पर विचार करने के लिए नियुक्त प्रवर समिति

(8) विधेयको पर विचार करने के लिए नियुक्त सयुक्त प्रवर समिति

(9) आधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

(10) लोक-लेखा-समिति

(11) सरकारी आश्वासनो सम्बन्धी समिति

(12) नियमो पर विचार करने के लिए विशेष समिति

(विधान-परिषद्)

(1) विधेयकों पर विचार करने के लिए नियुक्त प्रवर समिति

(2) विधेयकों पर विचार करने के लिए नियुक्त संयुक्त प्रवर समिति

(3) याचिका-समिति

(4) विशेषाधिकार-समिति

(5) आवास-समिति

(14) महाराष्ट्र

(विधान-सभा)

(1) महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करने के लिए नियुक्त समिति

(2) कार्य-मन्त्रणा-समिति

(3) प्राक्कलन-समिति

(4) लोक-लेखा-समिति

(5) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों पर विचार करने के लिए नियुक्त समिति

(6) अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

(7) नियम-समिति

(8) सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

(9) सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

(10) याचिका-समिति

(11) विशेषाधिकार-समिति

(विधान-परिषद्)

(1) कार्य-मन्त्रणा-समिति

(2) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों पर विचार करने के लिए नियुक्त समिति

(3) नियम-समिति

(4) सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

(5) सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

(6) याचिका-समिति

(7) विशेषाधिकार-समिति

(8) महत्त्वपूर्ण विषयों पर विचार करने के लिए नियुक्त समिति

(15) राजस्थान

(विधान-सभा)

(1) प्राक्कलन-समिति

(2) आवास-समिति

(3) याचिका-समिति

(4) विशेषाधिकार-समिति

(5) लोक-लेखा-समिति

(6) नियम-समिति

(7) विधेयकों पर विचार करने के लिए नियुक्त प्रवर समिति

नोट : राजस्थान में विधान-परिषद् नहीं है।

ग्रन्थ-सूची

(1) पुस्तकें

(क) सामान्य

(1) गवर्नमेंट थ्रू कमेटीज-ए. एच. व्हीअरे

(2) लेजिस्लेटिव प्रोसेस-हेनरी वाकर

(3) बजेटरी सिस्टम ऑफ फारेन कन्ट्रीज-एस. एल. शकधर

(4) डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एण्ड पॉलिटिक्स-कौरी

(5) एसेन्शियल्स ऑफ पार्लियामेन्टरी प्रोसीज्योर-स्टर्गिस

(6) दी परपज ऑफ पार्लियामेन्ट-क्विन्टिन हाग

(7) हाउ पार्लियामेन्ट वर्क्स-जॉन मेरेट

(8) संसद और संसदीय प्रक्रियाएं-पेनुलि परिपूर्णानन्द

(9) लेजिस्लेचर्स-के. सी. व्हीअरे

(10) पार्लियामेन्टरी सुपरविजन ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन (दी प्रैक्टिसेज इन यू. के., आस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एण्ड कनाडा डिस्कस्ड)-जॉन. ई. केरमेल

(11) नोट्स ऑन दी पार्लियामेन्टरी कोर्स (कन्डक्टेड बाइ कॉमनवेल्थ पार्लियामेन्टरी एसोसिएशन इन लण्डन एण्ड नार्दर्न आयरलैंड)-एस. आर. कन्धी

(12) पार्लियामेन्टरी प्रोसीज्योर-व्हिटने

(13) कमेटीज हाउ दे वर्क एण्ड हाउ टु वर्क देम-एडगर एनस्टेंग

(14) दी थियरी ऑफ कमेटीज एण्ड इलेक्शन्स-ब्लाक डन्कन

(15) एनीथिंग बट ऐक्शन-ए स्टडी ऑफ दी यूजेज एण्ड ऐब्यूजेज ऑफ कमेटीज ऑफ इन्क्वायरी-हर्बर्ट ए. डी.

(16) मैनुअल ऑफ पार्लियामेन्टरी ला एण्ड प्रोसीज्योर-जी. डेमेटर
(17) हैन्डबुक ऑफ पार्लियामेन्टरी प्रोसीज्योर–एच. ए. डेविडसन

(ख) यूनाइटेड किंगडम

(18) ऐन इन्ट्रोडक्शन टु दी प्रोसीज्योर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स–लॉर्ड गिलबर्ट केम्पियन
(19) पार्लियामेन्ट–जेनिंग्ज
(20) दी हाउस ऑफ कॉमन्स ऐट वर्क–एरिक टेलर
(21) कांग्रेस एण्ड पार्लियामेन्ट–गेलोवे
(22) ब्रिटिश पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी–बाले, सिडनी, डासन
(23) ला एण्ड एक्जीक्यूटिव इन ब्रिटेन (कैम्ब्रिज 1949)–बी. शाट
(24) पार्लियामेन्ट–ए सर्वे–लार्ड गिल्बर्ट केम्पियन
(25) पार्लियामेन्टरी गवर्नमैन्ट–एम टी वेली
(26) पार्लियामेन्ट ऐट वर्क–हेनसन एण्ड वाइजमैन
(27) "गवर्नमैन्ट एण्ड पार्लियामेन्ट–ए सर्वे फ्रॉम दी इनसाइड"–हर्बर्ट मोरिसन
(28) पार्लियामेन्टरी रिफॉर्म 1933–58–ए सर्वे ऑफ सजेस्टेड रिफॉर्म्स–हैन्सर्ड सोसाइटी फॉर पार्लियामेन्टरी गवर्नमैन्ट
(29) दी ब्रिटिश पोलिटिकल सिस्टम-आर. मेथियट
(30) ब्रिटिश गवर्नमैन्ट 1914 टु 1953–सेलेक्ट डाक्यूमेन्ट (ऑन कमेटी ऑफ दी हाउस आफ कामन्स)
(31) पार्लियामेन्ट एण्ड दी एक्जीक्यूटिव–ऐन एनालिसिस एण्ड रीडिंग्ज–एच. वाइजमैन

(ग) फ्रांस

(32) पार्लियामेन्ट ऑफ फ्रान्स–लिडरडेल
(33) दी गवर्नमैन्ट आफ दी फिफ्थ रिपब्लिक–जे. ए. लेपास

(घ) यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमरीका

(34) कांग्रेस इन ऐक्शन-स्मिथ एण्ड रिडिक

(35) रीडिंग्ज इन अमेरिकन नेशनल गवर्नमेंन्ट

(36) एडवाइस एण्ड कन्मेन्ट आफ दी सीनेट-जोसेफ पी. हैरिस

(37) दी कांग्रेशनल कान्फरेन्स कमेटी-स्टेनर

(38) दी लेजिस्लेटिव कौन्सिल इन दी अमेरिकन स्टेट्स सिफ्नि विलियम जे.

(39) दी लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन कांग्रेस-गैलोवे

(40) हिस्ट्री आफ दी हाउस आफ रिप्रेजेन्टटिव्ज-गैलोवे जॉर्ज

(41) ए सिटिजन लुक्स ऐट दी कांग्रेस-डीन एचेसन

(42) हैन्डबुक फॉर लेजिस्लेटिव कमेटीज-कौन्सिल ऑफ स्टेट गवर्नमेंन्ट्स, यू० एस० ए०

(ङ) आस्ट्रेलिया :

(43) पार्लियामेन्टरी गवर्नमेंन्ट ऑफ दी कामनवेल्थ ऑफ आट्रेलिया-एल० एफ० क्रिस्प

(44) पार्लियामेन्टरी हैन्डबुक ऑफ दी कामनवेल्थ ऑफ आट्रेलिया

(45) दी पार्लियामेन्ट ऑफ साउथ आस्ट्रेलिया-जी० डी० कोम्बे

(च) कैनाडा :

(46) डेमोक्रेटिक गवर्नमेंन्ट इन कनाडा-डॉसन

(47) कैनेडियन गवर्नमेंन्ट एण्ड पालिटिक्स-एच० मैकडी क्लार्की

(48) पार्लियामेन्टरी प्रोसीज्योर एण्ड प्रैक्टिस इन दी डोमिनियन ऑफ कैनाडा-सर जान बोरीनाट

(49) रूल्स एन्ड फार्म्स ऑफ दी हाउस ऑफ कॉमन्स ऑफ कैनाडा-ब्यूचेसन

(50) सीनेट ऑफ कैनाडा-राम

(51) दी अनरीफार्म्ड सीनेट ऑफ कैनाडा-मैके

(52) कांस्टीट्यूशनल इश्यूज इन कैनाडा-डॉसन

(53) गवर्नमेन्ट ऑफ कैनाडा–डॉसन
(54) प्रोसीज्योर इन दी कैनेडियन हाउस ऑफ कॉमन्स–डब्ल्यू० एफ० डॉसन
(55) दी पब्लिक पर्स : ए स्टडी इन कैनेडियन डेमाक्रेसी–नार्मन वार्ड

(छ) अन्य देश :

(56) पार्लियामेन्ट ऑफ स्वीडेन–एरिक हैस्टर्ड
(57) रिप्रेजेन्टेटिव गवर्नमेन्ट इन आयरलैण्ड–मैक फॅक्सन जे० सी०
(58) पार्लियामेन्ट एण्ड रेजीरम (पार्लियामेन्ट एण्ड गवर्नमेन्ट)–डब्ल्यू एच० हुटशाफ
(59) पार्लियामेन्ट्स इन 41 कन्ट्रीज–इन्टर पार्लियामेन्टरी यूनियन
(60) यूरोपियन पार्लियामेन्टरी प्रोसीज्योर (ए काम्प्रीहेन्सिव हैण्डबुक)–कैम्पियन एण्ड लिडरडेल
(61) दी पार्लियामेन्ट ऑफ स्विटजरलैण्ड–ह्यूज क्रिस्टोफर
(62) दी पार्लियामेन्ट ऑफ नीदरलैन्ड्स–वान रैटल
(63) दी पार्लियामेन्टरी प्रोसीज्योर इन साउथ अफ्रीका–रैल्फ किल्पिन
(64) पार्लियामेन्टरी प्रोसीज्योर इन पाकिस्तान–चार्ल्स जे० जिन्ट
(65) नार्वेज पार्लियामेन्ट–दी स्टार्टिंग–पर विवजाग
(66) प्रेजेन्ट डे प्राब्लम्स ऑफ पार्लियामेन्ट : इन्टरनेशनल सिम्पोजियम–इन्टरनेशनल सेन्टर फॉर पार्लियामेन्टरी डाक्यूमेन्टेशन, जेनेवा

(ज) भारत :

(67) पार्लियामेन्टरी प्रोसीज्योर इन इंडिया–ए० आर० मुकर्जी
(68) पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस एण्ड प्रोसीज्योर–एस० एस० मोरे
(69) पार्लियामेन्ट ऑफ इण्डिया–मारिस जोन्स
(70) पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी इन इण्डिया–हैरोल्ड लास्की इन्स्टिट्यूट ऑफ पोलिटिकल साइन्स, अहमदाबाद
(71) इण्डियन पार्लियामेन्ट 1952-57–तिलोचन सिंह

(72) इण्डिया एण्ड पार्लियामेन्ट—हिरेन मुकर्जी

(73) सेन्ट्रलाइज्ड लेजिस्लेशन—देसिका चार एस० वी०

(74) दी इण्डियन पार्लियामेन्ट—ए० बी० लाल

(75) लेजिस्लेटिव कौन्सिल ऑफ इण्डिया, 1854-61—बूलचन्द

(76) ए हैन्डबुक ऑफ इण्डियन लेजिस्लेचर्स—आर० आर० सक्सेना

(77) पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ ऐनशियेन्ट इण्डिया—हेमचन्द्र राय चौधरी

(78) पार्लियामेंटरी प्रोसोज्योर इन इण्डिया—डेनियल कॅमियर

(89) हिन्दू पालिटी—के० पी० जायसवाल

(80) इण्डियन कान्स्टिट्यूशन ऐट वर्क—चिन्तामणि-मसानी

(81) लेक्चर्स ऑन पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस एण्ड प्रोसेज्योर—कामनवेल्थ पार्लियामेन्टरी एसोसियेशन (महाराष्ट्र ब्रान्च)

(82) कन्वेन्शन्स एण्ड प्रोप्राइटीज ऑफ पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी—के० सन्थानम्

(83) फाइनैनशियल कमेटीज ऑफ लोक-सभा—डा० आर० एन० अग्रवाल

(2) प्रतिवेदन :

(1) लोक-सभा व राज्य-सभा की स्थायी, तदर्थ तथा प्रवर समितियों के प्रतिवेदन

(2) रिपोर्टस ऑफ दी सेलेक्ट कमेटी ऑन प्रोसीज्योर, यू० के० 1953, 1955

(3) रिपोर्ट्स ऑफ दी ज्वाइन्ट कमेटी ऑन दी आर्गनाइजेशन ऑफ कांग्रेस परसुएन्ट टु एच० कांग्रेस रिजोल्यूशन 18 सीनेट रिपोर्ट न० 1011, 79 कांग्रेस

(4) संविधान के अनुच्छेद 118 के खंड (1) के अधीन राज्य-सभा के लिए प्रक्रिया-नियम के प्रारूप की सिफारिश करने वाली समिति का प्रतिवेदन

(3) नियम-पुस्तकें :

(क) भारत :

(1) मैन्युअल ऑफ बिजिनेस, लोक-सभा

(2) मैन्युअल ऑफ डायरेक्शन्स, लोक-सभा

(3) मैन्युअल ऑन सेलेक्टेड आर्टिकल्स ऑफ दी कान्स्टिट्यूशन

(ख) यूनाइटेड किंगडम :

(1) पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस दि ला प्रिविलेजेस, प्रोसीडिंग्ज एण्ड यूसेज ऑफ पार्लियामेन्ट–एर्स्किन मे

(ग) अमरीका :

(1) सीनेट मैन्युअल

(2) जेफरसन्स मैन्युअल

(3) कैनन्स प्रोसीज्योर इन दी हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव्स

(4) मैसन्स मैन्युअल ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसीज्योर

(4) अधिनियम/नियम

अधिनियम

(1) लेजिस्लेटिव रीआर्गनाइजेशन ऐक्ट, 1946 (यू. एस. ए.)

नियम

(2) लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम

(3) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम

(4) रूल्स आफ प्रोसीज्योर आफ दी लेजिस्लेटिव असेम्बली (भारत) 1920, 1919, 1935 आदि

(5) मैन्युअल ऑफ बिजिनेस एण्ड प्रोसीज्योर इन दी लेजिस्लेटिव असेम्बली (भारत) 1921

(6) मैन्युअल आफ बिजिनेस एण्ड प्रोसीज्योर (भारत) 1926

(7) मैनुअल ऑफ बिजिनेस एण्ड प्रोसीज्योर इन दी लेजिस्लेटिव असेम्बली (भारत) (फोर्थएडिशन 1930)

(8) मैन्युअल ऑफ बिजिनेस एण्ड प्रोसीज्योर इन दी लेजिस्लेटिव असेम्बली (भारत) (फिफ्थ एडिशन 1938)

(9) मैन्युअल ऑफ बिजिनेस एण्ड प्रोसीज्योर इन दी लेजिस्लेटिव असेम्बली (भारत) (सिक्स्थ एडिशन 1945)

(10) राज्य-विधान-सभाओं के तथा विधान-परिषदों के प्रक्रिया तथा कार्य-सचालन सम्बन्धी नियम व स्थायी आदेश (भारत)

(5) पुस्तिकाएँ

(1) रिपोर्टस् ऑफ दी कमेटीज ऑफ दी कान्स्टीटयूएन्ट असेम्बली ऑफ इंडिया (थर्ड सीरीज)

(2) नोट बाइ दी आनरेबल स्पीकर (जी. वी. मावलंकर) ऑन दी रिपोर्ट ऑफ पार्लियामेन्टरी प्रोसीज्योर इन इंडिया, मार्च 1949

(3) मेमोरेन्डम बाइ श्री एम एन कौल, सेक्रेटरी, कान्स्टीटयूएन्ट असेम्बली ऑफ इंडिया (लेजिस्लेटिव) ऑन दी रिफॉर्म ऑफ पार्लियामेन्टरी प्रोसीज्योर इन इंडिया–फरवरी 1949

(4) सेलेक्ट डाक्युमेण्ट ऑन सेलेक्टेड्ज्वाइन्ट कमेटीज ऑन बिल्स

(5) पार्लियामेन्टरी कमेटीज ऑफ लोक-सभा-सेलेक्ट डाकुमेन्ट्स

(6) लोक-सभा · पार्लियामेन्टरी कमेटीज–ए समरी ऑफ वर्क (प्रत्येक सत्र के अनुसार)

(7) फाइनेन्शियल कमेटीज ऑफ लोक-सभा–ए रिव्हयू (वार्षिक)

(8) कांग्रेसनल कमेटीज–लोक-सभा सेक्रेटेरियट (रिसर्च ब्रांच)

(9) लोक-सभा-सचिवालय द्वारा प्रकाशित फोल्डर :

(1) एस्टिमेट्स कमेटी

(2) पब्लिक अकाउंटस कमेटी

(3) कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्ज

(10) फर्स्ट पार्लियामेन्ट-ए सुवेनर (इसी प्रकार द्वितीय तथा तृतीय पार्लियामेन्ट के सुवेनर भी उपलब्ध है)

(11) एक्टीविटीज ऑफ फर्स्ट लोक-सभा-इन ब्रीफ (1952-57)

(12) फ्यूचर पार्लियामेन्टरी एक्टीविटीज-एम. एन कौल

(6) लेख-टिप्पणियाँ

(अ) संसदीय पत्रिका

(ब) लेख

(1) भारत मे ससदीय प्रक्रिया का विकास-
चारु, सी चौधरी- पृ स 181-185

(2) भारत मे ससदीय प्रक्रिया का विकास-
चारु. सी चौधरी- पृ स. 38-41

(3) ससदीय समितियों द्वारा द्वितीय पचवर्षीय योजना के प्रारूप पर चर्चा- पृ स 190-193

(4) लोक सभा की याचिका-समिति पृ स. 42 43

(5) लोक-सभा की याचिका और याचिका-समिति

(6) आधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति (द्वितीय लोक-सभा) उपाध्यक्ष महोदय का अभिभाषण पृ स. 9-10

(7) लोक-सभा की प्राक्कलन-समिति-1950-57 के दौरान समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनो की समीक्षा

(8) भावी ससदीय कार्यकलाप-महेश्वर नाथ कौल
पृ स. (1) 35-38 (1) 28-30

(9) प्राक्कलन-समिति (द्वितीय लोक-सभा) का उद्घाटन-पृ. स. 1-6

(10) सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति (द्वितीय लोक-सभा) लोक-सभा के अध्यक्ष का अभिभाषण (2) पृ सं 7-8

(11) आधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति (द्वितीय लोक-सभा) उपाध्यक्ष महोदय का अभिभाषण- (2) पृ. स. 9-10

(ख) टिप्पणियाँ :

(26) आश्वासनों सम्बन्धी समिति–(1), (2), (1), (2), (1), (2),

(27) कार्य-मन्त्रणा-समिति–(1)

(28) प्राक्कलन-समिति–(1), (2), (2), (1)

(29) लाभपद सम्बन्धी संयुक्त समिति–(1) 31-32

(30) याचिका-समिति–(1), (2)

(31) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति–(1), (2)

(32) विशेषाधिकार-समिति–(1)

(33) नियम-समिति–(1)

(34) अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति–(1), (2), (2), (2)

(35) आवास-समिति–(1)

(36) लोक-लेखा-समिति–(1), (1), (1), (1)

(ख) पार्लियामेन्टरी अफेयर्स

(1) दी डेवलपमेन्ट ऑफ दी कमेटी सिस्टम इन दी अमेरिकन कांग्रेस–एलान, नील्स, न० 1, विन्टर, 1949

(2) कैनेडियन कमेटी ऑन एस्टिमेट्स–नार्मन वार्ड–विन्टर,–1956 57

(3) यूरोपियन पार्लियामेन्टरी प्रोसीज्योर–ए कम्परिजन–लार्ड कैम्पियन, विन्टर, 1952-53

(4) पार्लियामेन्टरी गवर्नमेंट इन आस्ट्रेलिया–जे० डी० पिलर, समर, 1949

(5) दी ब्रिटिश कान्स्टिट्यूशन इन 1950–स्प्रिंग, 1951

(6) इजराइल्स पार्लियामेन्ट–मोसे रोजेटी, आटम, 1953

(7) स्टैन्डिंग कमेटीज इन दी हाउस ऑफ कॉमन्स–डेविड प्रिंग, समर, 1958

(8) स्काटिश स्टैन्डिंग कमेटी (नोट्स), आटम, 1952

(9) नार्वेज थ्री टिग्ज आटम, 1952

(10) सेलेक्ट कमेटी ऑन पब एण्ड डेब-यू० के०, समर, 1952

(11) यूरोपियन पार्लियामेन्टरी प्रोसीज्योर-विन्टर, 1952-53

(12) 'यूरोपियन पार्लियामेन्टरी प्रोसीज्योर्स'–कैम्पियन, स्प्रिंग, 1953

(13) 'सम आस्पेक्टस् ऑफ दी कमेटीज ऑफ दी होल हाउस'–विलकाक्स जे० एच० आटम, 1954

(14) 'पब एण्ड डेब' (सेलेक्ट कमेटी ऑन पब्लिकेशन्स एण्ड डिबेट्स) यू० के०–एफ० जी० एलेन, स्प्रिंग, 1952

(ग) टेबल : (दी जरनल ऑफ दी सोसाइटी ऑफ क्लार्क्स ऐट दी टेबल इन कॉमनवेल्थ पार्लियामेन्ट्स)

(1) सेलेक्ट कमेटी ऑन स्टैचुटरी इंस्ट्रूमेन्टस – पृष्ठ; 171

(2) स्काटिश अफेयर्स इन दी हाउस ऑफ कॉमन्स : ए स्माल एक्स्पेरिमेन्ट इन इवोल्यूशन–के० ए० बोन्डशा 1949

(3) हाउस ऑफ कामन्स : नेशनल एक्स्पेन्डिचर– 1944

(4) सेलेक्ट कमेटी ऑन स्टेचुटरी इन्स्ट्रूमेन्ट्स–

(5) मिस्लेनिअस नोट्स रिगार्डिंग कमेटीज

(घ) पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन, यू० के० :

(1) दी सेलेक्ट कमेटी ऑन स्टैचुटरी इन्स्ट्रूमेन्ट्स-हैनसन (विन्टर 1949)

(2) दी सेलेक्ट कमेटी ऑन स्टैचुटरी इन्स्ट्रूमेन्ट्स-एच० स्टैसी (विन्टर 1950)

(3) 'पार्लियामेन्ट एण्ड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन 1943-53-ई०एच०बेच –आटम 1955

(4) दी सेलेक्ट कमेटी ऑन नेशनलाइज्ड इन्डस्ट्रीज-सर टावी लो

(ङ) अमेरिकन पोलिटिकल साइन्स रिव्यू :

(1) 'ए मैथड फॉर इवैल्युएटिंग दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन ए कमेटी सिस्टम'-शैपले एल० एस० 48 (3), सितम्बर, 1954

(2) काग्रेशनल कमेटीज-ए केस स्टडी- जून 1954

(3) सब कमेटीज : दी मिनियेचर लेजिस्लेचर्स ऑफ काग्रेस, सितम्बर, 1962, पृष्ठ; 596-604

(4) ग्रैन्ड इन्वेस्ट : दी स्टोरी ऑफ कांग्रेशनल इन्वेस्टिगेशन्स– जून, 1964

(घ) पब्लिक ला।

(1) युज ऑफ कमेटीज बाइ हाउस ऑफ कॉमन्स–हैन्सन ए० एच० एण्ड वाइजमेन एच० वी० आटम, 1959, जनवरी, 1960 पृष्ठ 277 279

(छ) पोलिटिकल स्टडीज :

(1) सम नोट्स ऑन दी स्टैन्डिंग कमेटीज ऑफ दी फ्रेन्च नेशनल असेम्बली–पी० ए० ब्रामहीड, जून, 1957, खंड 5, पृष्ठ 141-57

(2) 'व्हाट इज पार्लियामेन्ट ?' 'दी चेन्जिंग कानसेप्ट ऑफ······'– मार्शल जी०– अक्तूबर, 1954

(ज) पोलिटिकल क्वार्टरली :

(1) सेलेक्ट कमेटी ऑन नेशनलाइज्ड इन्डस्ट्रीज–डैवीग० ई० अक्तूबर-दिसम्बर, 1958, पृष्ठ 378-86

(झ) पाकिस्तान होराइजन :

(1) 'सम आस्पेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेन्टरी प्रोसीज्योर'– स्नार्क जे० एच० पाकिस्तान होराइजन, 7 जून, 1954

(ञ) यार्कशायर बुलेटिन ऑफ इकॉनामिक एन्ड सोशल रिसर्च :

(1) 'दी सेलेक्ट कमेटी ऑन एस्टीमेट्स'–हैन्सन, 1945-50, अंक 2, जुलाई, 1951

(ट) वेस्टर्न पोलिटिकल क्वार्टरली :

(1) पार्टिजन आस्पेक्टस ऑफ कांग्रेशनल कमेटी स्टाफिंग–काश्मेन जेम्स डी, जून, 1964, पृष्ठ 338-48

(2) लेजिस्लेटिव कमेटी सिस्टम इन एरिजोना–डी० एस० मान - दिसम्बर, 1961, पृष्ठ 925-41

(ठ) कैनेडियन पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन :

(1) दी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी (कनाडा)–हरबेट आर० वेला, मार्च, 1963

(2) दी कमेटी ऑन एस्टीमेट्स (कनाडा)नामर्न वार्ड, मार्च, 1963

(3) दी यूज ऑफ लेजिस्लेटिव कमेटीज–जे० आर० मेलोरी मार्च, 1957

(4) लेजिस्लेटिव कन्ट्रोल ऑफ एक्स्पेन्डिचर–दी पी० ए० सी० ऑफ दी हाउस ऑफ कॉमन्स–हैरिस जोसेफ पी० सितम्बर, 1959 पृष्ठ 113-31

(ड) पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन, आस्ट्रेलिया :

(1) पार्लियामेन्टरी कन्ट्रोल ओवर फाइनान्सेज–जी० रीड 1962

(ढ) जरनल ऑफ पालिटिक्स :

(1) कमेटी स्टैंकिंग एन्ड पोलिटिकल पावर इन फ्लोरिडा–वाय एन्ड हैवर्ड, फरवरी, 1961

हिन्दी-अंग्रेजी शब्दावली

अ

अनारांकित प्रश्न	Unstarred Question
अतिरिक्त अनुदान	Excess Grant
अतिरिक्त व्यय	Excess Expenditure
अर्थोपाय समिति	Committee on Ways and Means
अधिकारों का प्रक्रामण	Extension of Powers
अधिनियम	Act
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति	Committee on Subordinate Legislation
अध्ययन-मंडल	Study Group
अध्यक्ष	Speaker
अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्देश	Directions by the Speaker
अध्यक्ष (सभापति) के निर्णय	Rulings from the Chair
अध्यादेश	Ordinance
अन्तिम रूप देनेवाली समिति	Finalising Committee
अनियत दिनवाला प्रस्ताव	No day-yet-named Motion
अनुच्छेद (संविधान)	Article (Constitution)
अनुदान	Grant
अनुदानों की मांग	Demand for Grants
अनुपाती प्रतिनिधित्व, आनुपातिक निर्वाचन पद्धति	Proportional Representation
अनुपूरक प्रश्न	Supplementary Question
अनुभाग, धारा	Section (of Act)
अनुमान, प्राक्कलन	Estimate

अपर विनियोग	Appropriation Aid
अभिभाषण	Address
अल्प सूचना प्रश्न	Short Notice Qcestion
अवकाश-काल	Inter Session
अविलम्बनीय लोक-महत्त्व के विषय	Matters of urgent public importance
अविश्वास का प्रस्ताव	'No Confidence' Mo ion
असंसदीय अभिव्यक्ति	Unparliamentary Expression
आकस्मिकता निधि	Contingency Fund
आदेश	Order
आदेश-पत्र	Order Paper
आधे घंटे की चर्चा	Half-an hour Discusion
आन्तरिक कार्यविधि के नियम	Rules of Internal Working
अनौपचारिक सलाहकार समिति	Informal Consultative Committee
आपराधिक आरोप	Criminal Charge
आपाती शक्तियां	Emergency Powers
आम्बुडसमैन (संसदीय पर्यवेक्षक)	Ombudsmen
आमंत्रण (सदस्यों को)	Summons
आयव्ययक-सत्र	Budget Session
आयव्ययक संकल्प	Budget Resolution
आश्वासन, प्रतिज्ञाएं व वचन	Assurances, Promises, Undertakings

उ

उच्च सदन	Upper House
उप-नियम	Sub-Rule
उपबन्ध (संविधानीय)	Provisions (Constitutional)
उत्पादन-शुल्क	Excise Duty

उप-विधि	Bye-laws
उपाध्यक्ष	Deputy Speaker

ए

एकल सक्रमणीय मत	Single Transferable Vote

क

कटौती प्रस्ताव	Cut Motion
कम्पनी विधेयक प्रवर समिति	Select Committee on Companies Bill
कार्यकारी	Executive
कार्य-कुशलता, कार्यपटुता	Efficiency
कार्य-मत्रणा समिति	Business Advisory Committee
कार्य-प्रक्रिया तथा सचालन सबन्धी नियम	Rules of Procedure and Conduct of Business
कार्यवाही का लिखित वृतान्त	Proceedings (a written document)
कार्यवृत्त	Minutes
कार्य सूची	List of Business
कार्य-सचालन	Conduct of Business
कालदोष	Anachronism
कृत्य, निर्देशपद	Terms of Reference

ख

खण्डशः विवाद	Clause by clause discussion

ग

गणक	Tellers
गणपूर्ति	Quorum
गवेषणात्मक समिति	Investigating Committee
गुप्त सत्र	Secret Session
गुमनाम शिकायतें	Anonymous Complaints
गैर-सरकारी कार्य	Non-official Business
गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य	Private Members' Business
गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक	Private Members' Bill
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on non-official members' Bills and Resolutions

च

चर्चा के नियम	Rules of Debates
चुनाव अवधि	Electoral Period

ज

ज्येष्ठता, वरिष्ठता	Seniority

त

तत्स्थान परीक्षा	On-the-spot Study

तथ्य प्रमाणन	Factual Verification
तदर्थ समिति	Ad-hoc Committee
तारांकित प्रश्न	Starred Question
तेज़ी व्यापार	Option-Business
तृतीय वाचन	Third Reading

द

दलबन्दी	Party lines
द्वितीय वाचन	Second Reading (of a Bill)
द्वितीय सदन	Second Chamber
द्विसदनीय विधान-मंडल	Bicameral Legislature

ध

धन विधेयक	Money Bill
धन्यवाद का प्रस्ताव	Motion of Thanks
धारा, खण्ड	Clause

न

'नहीं' कक्ष	Noes Lobby
नामनिर्देशन	Nomination
निर्णायक मत	Casting Vote
नित्यक्रम	Daily Routine
निम्न सदन	Lower House

नियम	Rule
नियम-समिति	Rules Committee
निर्वाचन-अधिकरण	Election Tribunal
निर्वाचन-क्षेत्र	Constituency
नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक	Comptroller and Auditor General
नैसर्गिक न्याय	Natural Justice

प

पदावधि । मियाद । अवधि	Term (Tenure)
पदेन	Ex-officio
परची से (चुनाव)	By lots (election)
परमाधिकार	Prerogative
पाठ	Text
पारित	Passed
पीठासीन अधिकारी	Presiding Officer
पुनर्विनियोजन	Re-appropriation
पूरक अनुदान, अनुपूरक अनुदान	Supplementary Grant
प्रक्रिया-नियम	Rules of Procedure
प्रतिवेदक	Reporter
प्रतिवेदन	Report
प्रत्ययानुदान	Vote of Credit
प्रत्यायोजन	Delegation
प्रथम वाचन	First Reading
प्रथम सदन, निम्न सदन	First Chamber
प्रथा	Convention
प्रदाय-समिति	Committee on Supply
प्रवर समिति	Select Committee
प्रस्ताव	Motion

प्रशासनिक सुधार	Administrative Reform
प्राक्कलन-समिति	Estimates Committee
प्रश्नावली	Questionnaire
प्रश्नोत्तर-काल	Question Hour
प्राप्तियों तथा व्ययों के लेखे	Account of Receipt and Expenditure
प्रारम्भिक जानकारी	Preliminary Material
प्रारूपकार	Draftsman (of a Bill)

ब

बहुसंख्या, बहुसंख्यक	Majority
बैठक	Meeting/Sitting
बोलनेवालों की पुस्तिका	Book of Speakers

म

मतदान	Voting
मसौदा	Draft
महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करने के लिए नियुक्त समिति	Committee to consider important matters
महान्यायवादी	Attorney General
मांग	Demand
मुद्राक-शुल्क	Stamp Duty
मंत्रणात्मक, सलाहकारी	Advisory
मंत्रिमण्डल	Cabinet

य

याचिका-समिति	Petitions Committee

र

राजकीय उद्योगों संबंधी समिति	Committee on Nationlized Industries
राजनैतिक प्रणाली या व्यवस्था	Political System
राजनैतिक सतुलन	Political balance
राजपत्र	Gazette
राजस्व-प्रस्ताव	Revenue Proposal
राज्य-सभा के सभापति	Chairman of Rajya Sabha
राष्ट्रीयकृत उद्योग	Nationalized Industries
रेल-अभिसमय-समिति	Railway Convention Committee

ल

लाभ-पदों सबंधी समिति	Committee on Offices of Profits
लिखित ज्ञापन	Written Memorandum
लेखानुदान	Vote on account
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	Audit Report
लोक-सभा समाचार	Lok Sabha Bulletin
लोक-सेवा	Public Service

व

वार्षिक वित्तीय विवरण	Annual Financial Statement

विचारार्थ (समितियों को) भेजना	Reference (to Committees)
वित्त-विधेयक	Finance Bill
वित्तीय विधेयक	Financial Bill
वित्तीय विवरण	Financial Statement
वित्तीय ज्ञापन	Financial Memorandum
विधान	Legislation
विधान-कार्य	Legislative Business
विधान-मंडल	Legislature
विधान मंडल का विघटन	Dissolution of Legislature
विधायनी शक्ति, विधान-शक्ति	Legislative Power
विधिक अधिकरण	Statutory Tribunal
विधिक निगम	Statutory Corporation
विधिक नियम	Statutory Instrument
विधिक संस्थाएँ	Statutory Bodies
विधेयक	Bill
विधेयक का पुरःस्थापन तथा प्रकाशन	Introduction and Publication of the Bill
विधेयक प्रस्तुत करने के लिए अनुमति	Leave to introduce a Bill
विधेयकों के प्रक्रम	Stages (of Bills)
विधेयकों के प्रवर्तक	Movers of the Bills
विनियम	Regulations
विनियोग-विधेयक	Appropriation Bill
विनियोग समिति	Appropriation Committee
विभागीय बजट	Ministerial Budget
विभागीय समिति	Departmental Committee
विमति-टिप्पण, असहमति नोट	Note of Dissent
विवाद के बगैर मतदान	Voting without debate
विवाद बंध-प्रस्ताव	Guillotine
विशिष्ट समिति	Special Committee
विशेष अनुदान	Special Grant

विशेषाधिकार-समिति	Privileges Committee
वैधानिक पर्यवेक्षण	Legislative Supervision
व्यक्ति, कागजात व अभिलेख	Persons, Papers and Records

स

सकल सदन-समिति, सम्पूर्ण सदन-समिति	Committees of the whole House
सचेतक	whip
सत्र	Session
सत्रावसान	Prorogation
सदन	House
सदन	Chamber
सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	Committee on the Absence of Members
सदस्यों के प्रत्यय-पत्र	Members' Credentials
सदस्यों के वेतन तथा भत्ते संबंधी समिति	Members' Salary and Allowances Committee
सभा-पटल	Table of the House
सभापतियों की नामिका	Panel of Chairmen
समापन	Closure
सभाभाग	Section/Bureau
समिति का गठन	Composition of the Committee
समिति का सभापति	Chairman of the Committee
समेकित निधि	Consolidated Fund
सरकार के आश्वासनों संबंधी समिति	Committee on Government Assurances
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	Committee on Public Undertakings
सर्राफा बाजार	Bullion Exchange

सामान्य प्रयोजन समिति	General Purposes Committee
सामान्य समापन	Simple Closure
सार्वजनिक संस्थाएँ	Public Bodies
साक्ष्य, गवाही, प्रमाण	Evidence
सांकेतिक अनुदान	Token Grant
सेवा की शर्तें	Conditions of Service
सैन्य लेखा-समिति	Military Accounts Committee
संकल्प	Resolution
संयुक्त प्रवर समिति	Joint Select Committee
संयुक्त विधेयक	Joint Bill
संविधान सभा (विधान)	Constituent Assembly (Legislative)
संविधानी, संवैधानिक	Constitutional
संसद्-सदस्यों की अनर्हता या अयोग्यता	Disqualification of the Members of Parliament
संसदीय कार्यप्रणाली, संसदीय कार्यविधि	Parliamentary Procedure
संसदीय मामलों का विभाग, संसद-कार्य-विभाग	Department of Parliamentary Affairs
संसदीय समिति	Parliamentary Committee
संशोधनात्मक प्रस्ताव	Amending Motion
स्थगन	Adjournment
स्थायी आदेश	Standing Order
स्थायी वित्त-समिति	Standing Finance Committee
स्थायी समिति	Standing Committee
स्थायी समिति	Permanent Committee
स्पष्टीकरण	Interpellation
स्वचालित मतदान-व्यवस्था	Automatic Voting system
स्वचालित वोट मशीन	Automatic Voting Machine
स्वायत्तता	Autonomy

स्वायत तथा अर्ध-स्वायत संस्थाएँ	Autonomous and Semiautonomous bodies
स्वीकार्यता, ग्राह्यता	Admissibility (of questions, Motions)

श

शब्दश विवरण	Verbatim proceedings
शलाका	Ballot

ह

'हां'कक्ष	Ayes Lobby

क्ष

क्षेत्रीय समिति	Regional Committee

Glossary of technical terms used in the book together with their Hindi equivalents

शब्द-सूची

A

Account of receipt and expenditure	प्राप्तियो तथा व्ययो के लेखे
Acts	अधिनियम
Address	अभिभाषण
Ad-hoc Committee	तदर्थ समिति
Adjournment	स्थगन
Administrative Reform	प्रशासनिक सुधार
Admissibility (of Questions, Motions)	(प्रश्नो, प्रस्तावो की) स्वीकार्यता, ग्राह्यता
Advisory	मन्त्रणात्मक, सलाहकारी
Amending Motion	संशोधनात्मक प्रस्ताव
Anachronism	कालदोष
Annual Financial Statement	वार्षिक वित्तीय विवरण
Anonymous complaints	गुमनाम शिकायतें
Appropriation Bill	विनियोग विधेयक
Appropriation Committee	विनियोग समिति
Articles (Constitution)	अनुच्छेद (संविधान)
Assurances, promises, undertakings	आश्वासन, प्रतिज्ञाए व वचन
Attorney General	महान्यायवादी
Audit Report	लेखा-परीक्षा-प्रतिवेदन
Automatic Voting machine	स्वचालित वोट-मशीन

Automatic Voting System	स्वचालित मतदान-व्यवस्था
Autonomous & semi-autonomous bodies	स्वायत्त तथा अर्ध-स्वायत्त संस्थाएं
Autonomy	स्वायत्तता
Ayes Loby	'हां' कक्ष

B

Ballot	शलाका
Bicameral Legislature	द्विसदनीय विधान मण्डल
Bill	विधेयक
Book of Speakers	बोलनेवालों की पुस्तिका
Budget Resolution	आयव्ययक संकल्प
Budget Session	आयव्ययक-सत्र
Bullion Exchange	सराफा बाजार
Business Advisory Committee	कार्य-मंत्रणा-समिति
By lots (election)	पर्ची से (निर्वाचन)
Bye-law	उपविधि

C

Cabinet	मंत्रि-मण्डल
Casting Vote	निर्णायक मत
Chairman (of Committee)	(समिति का) सभापति
Chairman of Rajya Sabha	राज्य-सभा के सभापति
Chamber	सदन
Clause by clause discussion	खण्डश. विवाद

Clause	धारा, खण्ड
Closure	समापन
Committee of the whole House	सम्पूर्ण सदन समिति
Committee on the Absence of Members	सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति
Committee on Govt. Assurance	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति
Committee on Nationalized Industries	राजकीय उद्योगों संबंधी समिति
Committee on Non-official Members' Bills & Resolutions	गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
Committee on offices of Profits	लाभकारी पद संबंधी समिति
Committee on Subordinate Legislation	अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति
Committee on Supply	प्रदाय समिति
Committee on Ways & Means	अर्थोपाय समिति
Committee to consider important matters	महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करने के लिए नियुक्त समिति
Committee on Public Undertakings	सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति
Composition of the Committee	समिति की रचना
Comptroller & Auditor General	नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक
Constituent Assembly (Legislative)	संविधान सभा (विधायी)
Constitutional	संविधानी, संवैधानिक
Convention	प्रथा
Conditions of Service	सेवा की शर्तें
Conduct of Business	कार्य-संचालन
Consolidated Fund	समेकित निधि
Constituency	निर्वाचन-क्षेत्र
Contingency Fund	आकस्मिकता-निधि

Criminal Charge	आपराधिक आरोप
Cut Motions	कटौती-प्रस्ताव

D

Daily Routine	नित्यक्रम
Delegation	प्रत्यायोजन
Demands	माग
Demands for Grants	अनुदानो की मागें
Department of Parliamentary Affairs	ससदीय मामलो का विभाग ससद-कार्य-विभाग
Departmental Committees	विभागीय समितियाँ
Deputy Speaker	उपाध्यक्ष
Directions by the Speaker	अध्यक्ष द्वारा दिए गए निदेश
Disqualification (of M. Ps.)	(ससद सदस्यो की) अनर्हता । अयोग्यताए
Dissolution (of Legislature)	(विधान-मडल का) विघटन
Draft	मसौदा / प्रारूप
Draftsmen (of Bills)	(विधेयको के) प्रारूपकार

E

Efficiency	कार्य कुशलता । कार्यपटुता
Election Tribunals	निर्वाचन अधिकरण
Electoral Periods	चुनाव अवधि
Emergency powers	आपाती शक्तियाँ
Estimates, Budget	बजट-प्राक्कलन, बजट-अदाजा
Estimates Committee	प्राक्कलन-समिति

Evidence	साक्ष्य
Excess Expenditure	सीमोपरि व्यय
Excess Grants	सीमोपरि अनुदान
Excise Duty	उत्पादन-शुल्क
Executive	कार्यकारी
Ex Officio	पदेन
Extension of powers	अधिकारों का विस्तार

F

Factual Verification	तथ्य-प्रमाणन
Finalising Committee	अन्तिमरूप देनेवाली समिति
Finance Bill	वित्त-विधेयक
Financial Bill	वित्तीय विधेयक
Financial Memorandum	वित्तीय ज्ञापन
Financial Statement	वित्तीय विवरण
First Chamber	प्रथम सदन
First Reading	प्रथम वाचन

G

Gazette	राजपत्र
General Purposes Committee	सामान्य प्रयोजन समिति
Grant	अनुदान
Guillotine	विवादवश प्रस्ताव

No-Confidence Motion	अविश्वास प्रस्ताव
No-day-yet-named motion	अनियत दिनवाले प्रस्ताव
Noes Lobby	'नहीं' कक्ष
Nomination	नाम निर्देशन
Non-official Business	गैर सरकारी कार्य
Note of Dissent	विमति-टिप्पण । असहमति-नोट

O

Ombudsmen	ओम्बुड्समैन (संसदीय पर्यवेक्षक)
On-the-spot study	तत्स्थान परीक्षा
Option-business	तेजी व्यापार
Order	आदेश
Order Paper	आदेश-पत्र
Ordinance	अध्यादेश

P

Panel of Chairmen	सभापतियों की नामिका
Parliamentary Committee	संसदीय समिति
Parliamentary Procedure	संसदीय कार्य-प्रणाली । संसदीय-कार्यविधि
Passed	पारित
Party lines	दलबन्दी, दल-भावना
Permanent Committee	स्थायी समिति
Persons, papers & records	व्यक्ति, कागजात व अभिलेख
Petitions Committee	याचिका-समिति
Political balance	राजनीतिक संतुलन
Political System	राजनीतिक प्रणाली

Presiding Officer	पीठासीन अधिकारी
Preliminary Material	प्रारम्भिक जानकारी
Prerogative	परमाधिकार
Private Members' Bill	गैर सरकारी सदस्यों का विधेयक
Private Members' Business	गैरसरकारी सदस्यो का कार्य
Privileges Committee	विशेषाधिकार समिति
Proceedings (a written document)	कार्यवाही का लिखित वृत्तान्त
Proportional representation	अनुपाती प्रतिनिधित्व । आनुपातिक प्रतिनिधित्व
Prorogue	सत्रावसान
Provisions (Constitutional)	(संविधानीय) उपबन्ध
Public bodies	सार्वजनिक संस्थाएं
Public Service	लोक सेवा

Q

Question Hour	प्रश्नोत्तर-काल
Questionnaire	प्रश्नावली
Quorum	गणपूर्ति

R

Railway Convention Committee	रेल अभिसमय समिति
Re appropriation	पुनर्विनियोजन
Reference (to Committees)	(समितियों को) विचारार्थ भेजना
Regional Committee	क्षेत्रीय समिति

Regulation	विनियम
Report	प्रतिवेदन
Reporteur	रिपोर्ट प्रतिवेदक
Resolution	संकल्प
Revenue Proposal	राजस्व-प्रस्ताव
Rule	नियम
Rules of Debates	चर्चा के नियम
Rules Committee	नियम-समिति
Rules of Internal working	आन्तरिक कार्यविधि के नियम
Rules of Procedure	प्रक्रिया-नियम
Rules of procedure & conduct of Business	कार्य-प्रक्रिया तथा संचालन सम्बन्धी नियम
Rulings from the Chair	अध्यक्ष (सभापति) के निर्णय

S

Second Chamber	द्वितीय सदन
Second Reading (Bills)	दूसरे वाचन । द्वितीय पठन
Secret Sessions	गुप्त सत्र
Sections (of Act)	अनुभाग । धारा
Sections/Bureau	सभाभाग
Select Committees	प्रवर समिति
Select Committee on Companies Bill	कम्पनी विधेयक प्रवर समिति
Seniority	ज्येष्ठता
Session	सत्र
Short Notice Question	अल्प सूचना प्रश्न
Simple Closure	सामान्य समापन
Single transferable vote	एकल संक्रमणीय मत

Speaker	अध्यक्ष
Special Committee	विशिष्ट समिति
Special Grants	विशेष अनुदान
Stages (of Bills)	विधेयकों के प्रक्रम
Stamp Duty	मुद्रांक-शुल्क
Standing Committee	स्थायी समिति
Standing Finance Committee	स्थायी वित्त समिति
Standing Order	स्थायी आदेश
Starred Question	तारांकित प्रश्न
Statutory body	विधिक संस्था
Statutory Corporation	साविधिक निगम
Statutory Instruments	विधिक नियम
Statutory Tribunal	विधिक अधिकरण
Study Group	अध्ययन-मंडल
Sub Rule	उप नियम
Summons	(सदस्यों को) आमंत्रण
Supplementary Grant	पूरक अनुदान
Supplementary Question	पूरक प्रश्न

T

Table of the House	सभा-पटल
Teller	गणक
Term (tenure)	मियाद । अवधि
Term of Office	पदावधि
Terms of Reference	निर्देशपद, विचारार्थ विषय
Text	पाठ
Third Reading	तृतीय वाचन
Token Grant	सांकेतिक अनुदान

U

Undertaking	उपक्रम
Unparliamentary Expression	असंसदीय अभिव्यक्ति
Unstarred Question	अतारांकित प्रश्न
Upper House	उच्च सदन

V

Verbatim proceedings	शब्दश: कार्यवाही-विवरण
Vote of credit	प्रत्ययानुदान
Vote on account	अस्थायी प्राधिकरण
Voting	मतदान
Voting without debate	विचार के बगैर मत देना

W

Whip	सचेतक
Written memorandum	लिखित ज्ञापन